॥ श्रीः ॥

ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईसवी

या

मजमूआ ताज़ीरातहिन्द

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह.

चारों हाईकोर्टकी नज़ीरोंसे संयुक्त तथा समस्त संशोधन व स्पष्टीकरणके सहित जिसमें आजतकके समस्त परिवर्त्तन सम्मिलित हैं.

मुरादाबाद निवासी

पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा सम्पादित.

जिसको

खेमराज श्रीकृष्णदासने

मुम्बई

निज 'श्रीवेङ्कटेश्वर' स्टीम् प्रेसमें मुद्रितकर प्रकाशित किया.

आश्विन संवत् १९५९.

ALL RIGHTS RESERVED BY THE PUBLISHER.

1902.

भूमिका।

सर्वसाधारण महाशयगण इस बातको जानते हैं कि प्राचीन समयमें लेन देन, व्यापार व्यवहार, झगड़े झंझट, क्लेश आनन्द जो कुछ भी कार्य होता था वह समस्तही वचनद्वारा निर्वाह होता था। परन्तु जैसे २ नई सभ्यता और नई रोशनीका ज़माना आता गया वैसेही वैसे बात २ में बेईमानी, विश्वासघातकता, कुटिलता, अनैक्यता, लड़ाई, झगड़े, वध और क्रूरता इत्यादि कलियुगी बातोंका ज़ोर होगया। बलवान् लोग दुर्बलोंपर अत्याचार करने लगे, महाजन लोग क़र्ज़दारोंको बात २ में सताने लगे, ज़िमींदार लोग अपनी पुत्रवतप्रजाको बारम्बार दुःख देने लगे, बदमाशोंका ज़ोर होगया, शोरह पुश्तोंका शोर होगया। दीन लोग दारिद्रयसे सताये जाकर दुःख पाने लगे, पतिव्रता स्त्रियोंको अपने सतीत्वकी रक्षा करना काठिन कार्य होगया; इन समस्त अत्याचारोंसे ऐसा कुलाहल हुआ कि ब्रिटिशगणोंने भारतवर्षमें आकर अपने अपूर्व और अद्भुतगुणोंसे शान्तिराज्यका प्रचार किया, इस राज्यका आगमन होतेही बाघ और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगे। अनाथ, दीन, दुःखी, आरत और पीड़ित लोगोंको आराम मिला, तथापि समयके प्रभावसे कहीं प्रगट और कहीं अप्रगट रीतिसे दुष्ट लोग अपने अत्याचारोंसे सर्वसाधारणको कष्ट पहुँचातेही रहे। दूरदर्शिनी ब्रिटिश सरकारने यह समाचार पातेही सम्पूर्ण मनुष्योंके लाभार्थ दीवानी और फ़ौजदारीके अनेक क़ानून बनाये। दीवानीके क़ानूनोंसे स्थावर और अनस्थावर धनका व्यवहार करनेवालोंको सुभीता हुआ और दुष्टोंको दण्ड देने तथा शान्तिका प्रचार करनेके लिये फ़ौजदारी क़ानून प्रचलित हुए। समस्त फ़ौजदारी क़ानूनोंमें "ताज़ीरात हिन्द" मुख्य मानी जाता है पहले २ अंगरेज़ी भाषामें समस्त क़ानून लिखे गये, और छपाए गये जिनके द्वारा केवल अंगरेज़ी जाननेवालोंनेही लाभ उठाया तत्पश्चात् प्रत्येक प्रान्तकी प्रत्येक भाषामें क़ानूनोंका अनुवाद होकर प्रकाश हुआ। बंगालमें कोर्टकी दूसरी भाषा बंगाली हुई इस कारणसे क़ानून भी बंगभाषामें छपे। महाराष्ट्रदेशमें महाराष्ट्री, गुजरातमें गुजराती और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें अभाग्यवश कचहरियोंमें उर्दूभाषा प्रचलित होनेके कारण उर्दूमें क़ानून छपे और प्रकाशित हुए पश्चिमोतर प्रान्तमें जिसका नाम अब युक्तप्रदेश है बहुतायतसे हिन्दीभाषा बोली जाती है और अधिकांश मनुष्य नागरी अक्षरोंके जाननेवाले पाये जाते हैं ईसाई लोगोंकी रिपोर्टसे यह बात प्रमाणित होगई है * कि

* वेंकटेश्वर समाचार ६ जून सन् १९०२ ई० तथा भारतमित्र और वसुन्धरानें इस रिपोर्टको विस्तारसे प्रकाशित किया है।

हिन्दीभाषाके जाननेवाले समस्त प्रान्तोंमें अधिकतासे वर्त्तमान हैं । ऐसा होनेपर भी हिन्दीभाषामें कानूनोंका अनुवाद न होकर प्रकाशित न होना अत्यन्त लाजकी बात थी जबकि सोते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कार रोजगार और लेन देन इत्यादि समस्त कार्योंमें ही कानून लागू हो जाता है तब प्रत्येक हिन्दीहितैषीको क़ानूनोंका पढ़ना लाभकारी हो सकताहै, परन्तु विचारे हिन्दी जाननेवालोंके अभाग्यसे सरकारने इस ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया हाँ इतना तो अवश्य किया कि नागरी अक्षरों में फ़ारसभिाषाके दो चार क़ानून प्रकाशित किये परन्तु समयमें न आनेके कारण हिन्दीभाषा के जाननेवालोंने उनसे किंचित् भी लाभ नहीं उठाया ! कुछ दिन पीछे स्वर्गवासी मुन्शी नवलकिशोरजी सत्वाधिकारी " नवलकिशोर प्रेस लखनऊ " का इस बातके ऊपर ध्यान पहुँचा और उन्होंने ताज़ीरात हिन्दको हिन्दीभाषामें अनुवाद करके अपने प्रेसमें छापा ! तदोपरान्त आगरेके शिलायंत्रमें और हरिद्वार से टाइपमें छपकर ताज़ीरात हिन्द प्रकाशित हुआ परन्तु हिन्दीवालों की पूरी अभिलाषा किसीके द्वाराभी सिद्ध न हुई । थोड़े दिन हुए हैं कि " ला प्रेस छिन्दवाड़े " के किसी वकील-साहबने ताज़ीरात हिन्दकी एक सुन्दर आवृत्ति प्रकाशित की है । जिसमें उदाहरण स्पष्टीकरण नज़ायर इत्यादि अधिकतासे सम्मिलित हैं । इसके प्रकाशित होनेसे हिन्दीवालोंको अधिक लाभ पहुँचा परन्तु ४॥) रु० मूल्य अधिक होनेके कारण साधारण लोग क़ानूनीलाभ उठानेसे बंचित रह गये । इस बातका विचार करके मैंने सोचा कि हिन्दीभाषामें सस्ता और समस्त आवश्यकीय लेखोंसे संयुक्त एक ऐसा ता-ज़ीरात हिन्द (हिन्दुस्थानका दंडसंग्रह) प्रकाशित किया जावे जिसको धनी निर्धन सबही अधिकताके साथ मोललें और पढ़कर लाभ उठावें । ऐसा विचारने के कुछही दिन पीछे श्रीमान् सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी सत्वाधिकारी श्रीवेंकटेश्वर प्रेस व श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबईने एक ऐसे ताज़ीरात हिन्दकी छापने की इच्छा प्रगटकी जैसा कि मैं चाहता था । मैंने तत्काल उक्त सेठजी साहबकी आज्ञाका पालन करके एक वर्षमें ताज़ीरात हिन्द (हिन्दोस्थानके दंडसंग्रह) का अनुवाद कर डाला ।

यह हिन्दोस्थानका दंडसंग्रह ब्रिटिश इंडियामें लगभग ४२ वर्षसे प्रचलित है तबसे कई बार इसमें संशोधन भी हो चुका है । इसही न्यायग्रंथके अनुसार एक छोटेसे मजिस्ट्रेटसे लेकर हाईकोर्टके जजतक अपना न्याय कार्य पूरा करके अपराधि-योंको दंडित करते हैं । इसहीके भयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छानुतुच्छ दरिद्र पर भी अत्याचार नहीं कर सकता है और जो करता है उसका सर्वनाश होजाता है । अतएव ऐसे क़ानूनका जानना और पढ़ना प्रत्येक देशवासीका आवश्य-कीय कार्य है ।

प्रस्तुत अनुवादमें इस बातका अधिक ध्यान रक्खा गया है कि कहींपर कठिन शब्द न आवें इसमें प्रायः उन्हीं शब्दोंका अधिक प्रयोग किया गया है जो आजकल पश्चिमोत्तर प्रान्तकी बोलचालमें प्रचलित हैं। वरन जो शब्द कठिन आभी गए हैं उनके आगे कोठेमें उर्दू शब्द लिख दिये हैं। न्यायालयोंमें विशेषतःसे उर्दूका अधिक प्रचार होनेके कारण कहीं २ विवश होकर उर्दूके शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अनुवादमें जहांतक संभव हुआ नज़ीरें (दृष्टान्त या उदाहरण) अधिक लिखी हैं। चारों हाईकोर्ट यथा,—कलकत्ता, बम्बई, मदरास और इलाहाबादकी नज़ीरोंके अतिरिक्त चीफ कोर्ट पंजाब व जुडिशियल कमिश्नर मध्यप्रदेशकी भी नज़ीरोंको यथा स्थानमें सन्निवेशित किया गया है। पाठकगण! हिन्दी और उर्दू भाषामें अबतक कोई हिन्दोस्थानका दंडसंग्रह इतने दृष्टान्तोंके सहित प्रकाशित नहीं हुआ।

इस पुस्तकके सम्पादन करनेमें मुरादाबादके प्रसिद्ध वकील चौधरी रामप्रसाद साहब और लाला अम्बा प्रसादजी मुख्तार अदालतने अपनी सम्मति देकर मुझको अत्यन्तही अनुग्रहीत किया है। अतएव उपरोक्त दोनों महाशयोंको बारम्बार आशीर्वाद देकर भूमिकाकी समाप्ति करताहूं।

मुझको पूर्ण आशा है कि हिन्दीभाषासे अनुराग रखनेवाले देशहितैषी महाशयगण तथा वकील, मुख्तार, पुलिस कर्मचारी व मजिस्ट्रेट आदि इसकी एक २ प्रति अपने यहाँ रखकर अवश्यही लाभ उठावेंगे।

मोहल्ला दीनदार पुरा
मुरादाबाद (युक्तप्रदेश)
१५।६।१९०२ ई०

कृपाकांक्षी,
बलदेव प्रसाद मिश्र.

हिन्दोस्थानका दण्डसंग्रहके अध्यायोंका-

सूचीपत्र।

हिन्दोस्थानके दण्डसंग्रह का धारानुसार-

सूचीपत्र।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
	हो कि कुज्ञान अथवा कुप्रयोजनसे किया गया।
३६	परिणाम कुछ तो करनेसे और कुछ चूकनेसे कराया जाय।
३७	अपराधके अनेक कर्मोंमेंसे एक कर्मको करके साझी होना।
३८	अनेक मनुष्य जो किसी अपराधको करैं अलग २ अपराधोंके करता हो सकते हैं।
३९	जानबूझकर।
४०	अपराध।
४१	विशेष क़ानून।
४२	देश विशेषी क़ानून।
४३	क़ानून विरुद्ध।
,,	क़ानूनानुसार अवश्य।
४४	हानि।
४५	जीव।
४६	मृत्यु।
४७	पशु।
४८	जहाज़।
४९	वर्ष।
५०	दफ़ा।
५१	शपथ।
५२	शुद्धभावसे।

अध्याय ३.

दण्डोंके वर्णनमें।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
५३	दण्ड।
५४	बधके दण्डका बदला।
५५	जन्मभरके लिये देशनिकालेकी क़ैदका बदला।
५६	यरोपियों और आमेरिकनोंको देश निकालेके बदले कठिन क़ैदका दण्ड दिये जानेकी आज्ञा।
५७	दण्डकी अवधिके विभाग।
५८	जिन अपराधियोंको देश निकालेकी दंडाज्ञा हुई हो देश निकाला होनेतक वह किस भांति रक्खेजाएँगे।
५९	क़ैदके पश्चात् देश निकाला कब हो सकेगा।
६०	क़ैद आधी परधी कठिन अथवा साधारण होसके।
६१	धनकी ज़ब्तीका दण्ड।
६२	ज़ब्ती ऐसे अपराधियोंके धनकी जो बधके या देशनिकालेके या क़ैदके दण्ड योग्य हो।
६३	जुर्मानेकी तादाद।
६४	क़ैदका दण्ड जब कि जुर्माना न चुकाया जाय।
६५	जुर्माना न चुकाए जानेके बदले क़ैदकी अवधि जबकि अपराध जुर्माने और क़ैद दोनोंके योग्य है।
६६	जुर्माना न चुकनेके बदले क़ैदका प्रकार।
६७	जुर्माना न चुकाए जानेके बदले क़ैदकी मीआद जबकि अपराध केवल जुर्मानेके दण्ड योग्य हो।
६८	ऐसी क़ैदका जुर्माना चुकातेही भुगतजाना
६९	बीतना इस क़ैदका जब कि जुर्मानेका भाग चुका दिया जाय।
७०	जुर्माना छः वर्षके भीतर अथवा क़ैदकी मीआदमें किसी समय वसूल हो सकेगा।
,,	अपराधीके जुर्मानेसे उसका माल मिलकियत छूट न जायगा।
७१	उस अपराधके दण्डकी मीआद जो कई अपराध मिलकर बना हो।
७२	दण्ड किसी मनुष्यको जो अपराधोंमेंसे एकका अपराधी ठहरे और हाकि–

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.

मकी तजवीज़में लिखा हो कि निश्चय नहीं है कि इन अपराधोंमेंसे वह किस अपराधका अपराधी है ।

७३ एकान्त बास ।

७४ एकान्त बासकी अवधि.

७५ दण्ड उन मनुष्योंको जो एक बेर अपराधी ठहरकर फिर किसी ऐसे अपराधके अपराधीठहरें जो अध्याय १२ व १७ के अनुसार प्रमाणित हों ।

अध्याय ४.

साधारण छूट.

७६ वह काम जिसको कोई ऐसा मनुष्यकरे जिस पर उसका करना अवश्य हो अथवा जो वृत्तान्तको न समझकर अपने ऊपर उसका करना क़ानूनानुसार अवश्य जानता हो ।

७७ जजका काम जब कि वह अदालतका काम कर रहा हो ।

७८ काम जो किसी कोर्टआफजस्टिसकी तजवीज़ या आज्ञाके अनुसार किया जावे ।

७९ काम जो कोई ऐसा मनुष्यकरे जो क़ाननानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो यथार्थ बातकी ग़लत समझीसे अपनेको क़ानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझ लिया हो ।

८० उचित कामके करनेमें इत्तिफ़ाक़का आजाना ।

८१ काम जिससे हानिका पहुँचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके बिना और दूसरी हानि रोकनेके लिये किया जावे ।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.

८२ सात वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम ।

८३ सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाके बालकका काम जो यथोचित पक्की बुद्धि न रखता हो ।

८४ उस मनुष्यका काम जो सिड़ी हो ।

८५ उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेमें असमर्थ हो ।

८६ जिस अपराधके लिये किसी विशेष अभिप्रायकी आवश्यकता हो उसको कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें करे ।

८७ काम जिससे मृत्यु अथवा भारी दुःख का अभिप्राय न हो और न उसका होना संभव हो और जो प्रसन्नतासे किया गया हो ।

८८ काम जो मृत्यु करनेके अभिप्राय बिना शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी प्रसन्नतासे उसके भलेके लिये कियाजाय ।

८९ काम जो शुद्धभावसे किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्यके भलेके लिये उसके रक्षककी ओरसे अथवा प्रसन्नतासे किया जाय ।

९० धोखे अथवा भयसे जो प्रसन्नता कराई गई ।

,, किसी बालक अथवा सिड़ी मनुष्यकी प्रसन्नता ।

९१ काम जो इस बातको छोड़कर भी कि प्रसन्नता देनेवाले मनुष्यको उससे हानि पहुँची आपही अपराध हो दफ़ा ८७ व ८८ व ८९ की छूटोंमें न गिने जांयगे ।

९२ काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके भलेके लिये बिना प्रसन्नताके किया जाय ।

,, नियम ।

अध्याय ५.

सहायताके विषयमें।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
	जिसका दण्ड वध अथवा देश निकाला है।
११८	यदि अपराध हुआ हो।
,,	यदि अपराध न हुआ हो।
११९	सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके यत्नको छुपाए जिसपर उस अपराधका रोकना अवश्य है।
,,	यदि अपराध हुआ हो।
,,	यदि अपराधका दण्ड वध आदि हो।
,,	यदि अपराध न हुवा हो।
,,	उस अपराधके होनेके यत्नको छुपाना जिसका दण्ड क़ैद है।
१२०	यदि अपराध हुवा हो।
,,	यदि अपराध न हुवा हो।

अध्याय ६.

राजविद्रोही अपराधोंके करनेके विषयमें।

१२१	श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना.
१२१ (अ)	उन अपराधोंके करनेमें साजाश करना जो दफ़ा १२१ के अनुसार दण्ड योग्य हैं।
१२२	श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे हथियार आदि इकट्ठा करना।
१२३	युद्ध करनेके यत्नको उसके सहज करनेके अभिप्रायसे छुपाना।
१२४	गवर्नर जनरल या गवर्नर आदि पर उचित अधिकारके प्रचलित करनेमें विवश करने या उससे रोक रखनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना।
१२४ (अ)	बुरे विचारोंका उत्पन्न करना।
१२५	किसी एशियाई रियासतके विरुद्ध युद्ध करना जो श्रीमती महारानीसे मेल जोल रखती हो।
१२६	किसी ऐसे राजाके राज्यमें लूटमार करना जो श्रीमती महारानीसे संधि रखता हो।
१२७	ऐसे मालको अपने अधिकारमें रखना जो दफ़ा १२५ व १२६ के अनुसार उपरोक्त युद्ध या लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गया हो।
१२८	सरकारी नौकर जो राज्य विद्रोही क़ैदी या युद्धके क़ैदीको अपनी चौकसीमेंसे जानबूझकर भाग जानेदे।
१२९	सरकारी नौकर जो राज्यविद्रोही क़ैदी अथवा युद्धके क़ैदीको अपनी चौकसीमेंसे असावधानीसे भाग जानेदे।
१३०	उपरोक्त क़ैदीके भागजानेमें सहायता करना अथवा उसको छुड़ाना या शरण देना।

अध्याय ७.

जंगी अथवा जहाज़ी सेना सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।

१३१	विद्रोहमें सहायता करना अथवा किसी सिपाही या जहाज़के खलासीको उसके कामसे बहँकानेका उद्योग करना।
१३२	विद्रोहमें सहायता करना, यदि विद्रोह उसी सहायताके कारण की जाय।
१३३	उस आक्रमणकी सहायता जो कोई सिपाही या जहाज़का खलासी अपने ऊपरके अफ्सरपर करे जबकि वह अपने ओहदेका काम कररहा हो।
१३४	सहायता उपरोक्त आक्रमणमें जबकि आक्रमण होजाय।

अध्याय ८.

सर्वसम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

दफा.	संक्षिप्त विवरण.
२०१	यदि अपराध वधके दण्ड योग्यहो।
,,	यदि अपराध देश निकालेके दण्ड योग्य हो।
,,	यदि अपराध दश वर्षसे कमकी कैदके योग्य हो।
२०२	किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जानबूझकर चूककरे जिसे समाचार देना अवश्य हो।
२०३	होगये हुए अपराधके मध्ये झूँठा समाचार देना।
२०४	किसी दस्तावेज़का नष्ट करदेना इसलिये कि वह प्रमाणकी रीतिपर काममें न आसके।
२०५	किसी मुक़द्दमेमें कुछ काम अथवा कार्रवाई करनेके लिये दूसरे मनुष्यका रूपधरना।
२०६	किसी वस्तुका छल पूर्वक उठा लेजाना अथवा छुपा देना इस अभिप्रायसे कि कुर्की अथवा इजराय डिगरीमें उसका लिया जाना रुकजाय।
२०७	किसी वस्तुपर छल पूर्वक दावा करना, इस अभिप्रायसे कि उसका लिया जाना कुर्कीमें अथवा इजराय डिगरी में रुक जाय।
२०८	अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना।
२०९	कोर्टआफ़जस्टिसमें अधर्मसे झूँठा दावा करना।
२१०	अनुचित रुपयेके लिये छल पूर्वक डिगरी प्राप्त करना।
२११	हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे अपराधका झूँठा दावा।
२१२	अपराधीको आश्रय देना।
,,	यदि बधके दण्ड योग्य हो।
२१२	यदि देशनिकालेके दण्ड अथवा कैदके दण्ड योग्य हो।
२१३	अपराधीको दण्डसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना।
,,	यदि वधके दण्ड योग्य हो।
,,	यदि देश निकालेके दण्ड अथवा कैदके दण्ड योग्य हो।
२१४	अपराधीको दण्डसे बचानेके बदले इनाम देना अथवा कुछ वस्तु फेर देना।
,,	यदि अपराध बधके दण्ड योग्य हो।
,,	यदि अपराध देश निकालेके दण्ड योग्य अथवा कैदके दण्ड योग्य हो।
२१५	चोरी इत्यादिका माल निकालनेमें सहायता देनेके बदले इनाम लेना।
२१६	ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो हिरासत (चौकसी) से भागाहो अथवा जिसके पकड़े जानेकी आज्ञा हो चुकी हो।
,,	यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो।
,,	यदि अपराध देशनिकालेके दण्ड योग्य अथवा कैदके दण्ड योग्य हो।
२१७	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दण्डसे अथवा मालको ज़ब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे क़ानूनी आज्ञाको न माने।
२१८	सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दण्डसे अथवा मालको ज़ब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे सरिश्तेके झूँठे काग़ज़ अथवा लेख बनावे।
२१९	सरकारी नौकर जो अदालतकी कार्रवाई में कुप्रयोजनसे ऐसी आज्ञा दे अथवा

अध्याय १२.

सिक्कों अथवा गवर्नमेंट के स्टाम्प सम्बन्धी अपराधों के विषयमें।

दफ़ा. संक्षिप्त विवरण.

२४० लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है उसे किसी और के सिपुर्द करना।

२४१ ऐसे सिक्केको सच्चे सिक्केकी रीतिपर किसी और को देना जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय न जाना हो कि यह खोटा है।

२४२ उस मनुष्यका खोटा सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो।

२४३ श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का उस मनुष्यका पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो।

२४४ वह मनुष्य जो किसी टकसालमें नियत हो सिक्केकी तौल अथवा धातुसे जो क़ानूनानुसार ठहराई गई हो सिक्केको दूसरी तौल अथवा धातुका बनावे।

२४५ अनुचित रीतिपर टकसालसे सिक्का बनानेका ठप्पा लेजाना।

२४६ छल या अधर्मसे किसी सिक्केकी तौल या धातुका बदलना।

२४७ छल या अधर्मसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल या धातु बदलना।

२४८ किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जावे।

दफ़ा. संक्षिप्त विवरण.

२४९ श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल-जावे।

२५० अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुवा है उसे किसी औरके सिपुर्द करना।

२५१ अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानी के जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला है उसे किसी और के सिपुर्द करना।

२५२ उस मनुष्यका बदला हुआ सिक्का पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय जाना हो कि यह बदला हुवा है।

२५३ उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्के को पास रखना जिसने उसे अधिकारमें लेते समय बदला हुवा जाना हो।

२५४ ऐसे सिक्केको असली सिक्केकी भांतिसे किसी औरके सिपुर्द करना जिसको सिपुर्द करनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय बदला हुवा न जाना हो।

२५५ गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना।

२५६ गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे कोई औज़ार या सामान पास रखना।

२५७ गवर्नमेंटका स्टाम्प खोटा बनानेके अभिप्रायसे औज़ार बनाना या बेचना।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
३१४	मृत्यु जिसका कारण वह काम हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया गया है।
"	यदि वह काम स्त्रीकी बिना प्रसन्नता किया गया है।
३१५	काम जो बच्चेको जीवित न उत्पन्न होने देने अथवा उत्पन्न होनेके पश्चात् उस की मृत्युका कारण होनेके अभिप्रायसे किया गया हो।
३१६	ऐसे कामसे जो ज्ञातवत् घातकी सीमा तक पहुँचता है किसी जीव पड़े हुए बालक की मृत्युका कारण होना।
३१७	माँ बाप अथवा किसी रक्षकका बारह वर्षसे कम अवस्थाके बच्चेको डाल देना और छोड़ देना।
३१८	जने हुए बालककी लोथको छुपाना।

दुःख (ज़रर) के बयानमें।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
३१९	दुःख (ज़रर)
३२०	भारी दुःख (ज़रर शदीद)
३२१	जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३२२	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३२३	जानबूझकर दुःख पहुँचानेका दण्ड।
३२४	जोखिमके हथियारों या यत्नोंसे जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३२५	जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका दण्ड
३२६	जोखिमके हथियारों या यत्नोंसे जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३२७	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३२८	दुःख आदि पहुँचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली दवा खिलाना।
३२९	बलपूर्वक मालके प्राप्त करने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३३०	दबाकर इक़रार कराने या दबाकर मालके वापिस करदेनेपर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३३१	दबाकर इक़रार कराने या दबाकर मालके वापिस कर देनेपर विवश करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३३२	सरकारी नौकरको सरकारी कामसे डराकर रोकरखनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३३३	सरकारी नौकरको सरकारी कामके करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३३४	क्रोध दिलाने वाले कामके कारण जानबूझकर दुःख पहुँचाना।
३३५	क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना।
३३६	उस कामका दण्ड जो जीव या औरोंकी शारीरिक कुशलतामें विघ्न डाले।
३३७	ऐसे कामसे दुःख पहुँचाना जो जीव

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा अवधिकार प्रवेश)
४४१	दण्ड योग्य मदाखलत बेजा ।
४४२	घरकी मदाखलत बेजा ।
४४३	गुप्त (मख़फी) मदाखलत बेजा ।
४४४	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा ।
४४५	सेंध लगाना ।
४४६	रातके समय सेंध लगाना ।
४४७	दण्ड योग्य मदाखलत बेजाका दण्ड ।
४४८	घरकी मदाखलत बेजाका दण्ड ।
४४९	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड मृत्यु है घरकी मदाखलत बेजा ।
४५०	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड देश निकाला है घरकी मदाखलत बेजा ।
४५१	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड क़ैद है घरकी मदाखलत बेजा ।
४५२	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा ।
४५३	गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोड़नेका दण्ड ।
४५४	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड क़ैद है घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या सेंध लगाना ।
४५५	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारी के पश्चात् घरकी मदाखलत बेजा या सेंध लगाना ।
४५६	रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या सेंध लगानेका दण्ड ।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
४५७	अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड क़ैद है रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोड़ना ।
४५८	किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके पश्चात् रातके समय घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोड़ना ।
४५९	घरकी गुप्त मदाखलत बेजा या घर फोड़नेकी अवस्थामें भारी दुःख पहुँचाना ।
४६०	घर फोड़ने आदिमें सब साझी दण्ड योग्य हैं, मृत्यु या भारी दुःखके बदलेमें जिसका उनमेंसे कोई मनुष्य कारण हो ।
४६१	कोई बंद किया हुवा वर्त्तन तोड़कर खोलना जिसमें माल है अथवा जो माल भरे हुए के अनुसार है ।
४६२	उसी अपराधका दण्ड जब कि रक्षकहीं करे ।

अध्याय १८.

उन अपराधोंके विषयमें जो लिखतमों और व्यापार अथवा मालके चिह्नों से सम्बंध रखते हों ।

४६३	जालसाज़ी ।
४६४	झूठी दस्तावेज़ बनाना ।
४६५	जालसाज़ी का दण्ड ।
४६६	कोर्टआफ़जस्टिस के सरिश्ते के काग़ज़ या बालकोंका जन्म लिखा जाने वाला रजिष्टर या सर्व साधारण रजिस्टर आदिको जाली बनाना ।

दफ़ा. संक्षिप्त विवरण.

कारेंसी नोट और बेंक नोटोंके वर्णनमें।

झूँठा कारेंसी या बेंकनोट बनाना जाली या खोटे बेंकनोट या कारेंसी नोटको सच्चेकी रीतिपर काममें लाना।

जाली या खोटे बेंकनोट या कारेंसी नोटोंका अपने अधिकारमें रखना।

कारेंसी नोट या बेंक नोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औजार या सामान बनाना या पास रखना।

अध्याय १९.

दण्ड योग्य नौकरीका क़ौल क़रार तोड़नेके विषयमें।

४९० जल अथवा थलके सफ़रमें नौकरीका क़ौल क़रार तोडना।

४९१ असमर्थ मनुष्यकी सेवा करने और उसे आवश्यकीय पदार्थ पहुँचानेका क़ौल क़रार तोडना।

४९२ किसी स्थानमें सेवा करनेका क़ौल क़रार तोड़ना जहां नौकर स्वामीके खर्चसे पहुँचाया गया हो।

अध्याय २०.

उन अपराधोंके विषयमें जो व्याहसे सम्बंध रखते हैं।

४९३ संभोग जो किसी पुरुषने उचित व्याह होजानेका धोखा देकर किया हो।

४९४ पति अथवा स्त्रीके जीतेजी दूसरा व्याह-करना।

४९५ वही अपराध पहिले व्याहका उससे जिस के साथ पिछला व्याह हुआ छिपाकर करना।

४९६ बिना करने उचित विवाहके छलके अभिप्रायसे व्याहकी रीतिका पूरा करना।

४९७ व्यभिचार।

४९८ बुरे अभिप्रायसे किसी व्याही स्त्रीको फुसला ले जाना या ले उड़ना या रोक रखना।

अध्याय २१.

अपयश लगानेके विषयमें।

४९९ अपयश लगाना।

„ किसी सच्ची बातकी तुहमत जिसका करना या प्रगट करना सर्व साधारणके लाभके लिये अवश्य है।

„ सरकारी नौकरका निजकर्तव्यकर्म करना।

„ तुहमत जो कोई मनुष्य अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये या सर्व सम्बंधी दूसरों के लाभके लिये नेक नियतीसे लगावे।

„ सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारणका काम हो।

५०० अपयश लगानेका दण्ड।

५०१ किसी वस्तुका छापना या खोदकर दिखाना यह जानकर कि वह अप-यश लगानेवाली है।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
५०२	बेचना किसी छपी हुई या खुदी हुई वस्तुका जिसमें अपयश लगानेवाली बात हो ।

अध्याय २२.

दण्डयोग्य धमकी और अपमान व रंज दिलानेके विषयमें ।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
५०३	दण्डयोग्य धमकी (तख़वीफ़ मुजरिमाना)
५०४	सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जान बूझकर अपमान करना ।
५०५	वर्णन जो सर्व साधारणकी हानिका कारण हो ।
५०६	दण्डयोग्य धमकीका दण्ड ।
,,	यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी धमकी हो ।
५०७	बिना नामकी मुख़बिरी करके दण्ड योग्य धमकी ।
५०८	काम जो किसी मनुष्यको यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि उसपर ईश्वरका कोप होगा या कराया जावेगा ।
५०९	किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना ।
५१०	सर्व साधारणके सामने किसी नशा पिये हुए मनुष्यकी बदचलनी ।

अध्याय २३.

अपराध करनेके उद्योगके विषयमें ।

दफ़ा.	संक्षिप्त विवरण.
५११	उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्मभरका देश निकाला या क़ैदका दण्ड ठहराया गया है ।



ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ईस्वी.

अर्थात्

हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह.

(जिसको श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरने ६ अक्टूबर सन् १८६० ई० का स्वीकार किया)

अध्याय पहिला १.

जो कि यह बात उचित है कि, भारतवर्षमें समस्त अंगरेजी राज्यके लिये एकही दण्डसंग्रह बनाया जावे अतएव निम्नलिखित आज्ञा हुई कि:-

इस एक्टका सिरनामा और उसके प्रचारका फैलाव.

(१) शुद्ध किया गया एक्ट ६ सन् १८६१ ई० व एक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार इस एक्टका नाम हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह होगा और यह १ जनवरी सन् १८६२ के आरंभसे उन देशोंमें प्रचलित होगा कि, जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने सिंहासन पर बैठनेके २१ वें व २२ वें सालवाले क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध ठीक करनेके निमित्त हुआ था, अब प्राप्त हैं, अथवा आगे प्राप्तहों।

नोट-एक्ट नं० ५ सन् १८६७ ई० के अनुसार हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह स्ट्रेट सेटलमेंटमें भी प्रचलित किया गया है।

उन अपराधोंका दण्ड जो उपरोक्त देशोंमें किये जांय.

(२) शुद्ध किया गया एक्ट ६ सन् १८६१ ई० व एक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार-प्रत्येक मनुष्य जो उक्त देशोंमें पहली जनवरी सन् १८६२ ई० को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो जो इससंग्रहके विरुद्ध हो, वह इसी संग्रहके अनुसार दण्डके योग्य होगा किसी दूसरे क़ानूनके अनुसार नहीं।

नोट—एक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० में यह आज्ञा है कि, जिन अपराधोंका दण्ड इस संग्रहके अनुसार हो सकता है उन सब की तहक़ीक़ात तथा दूसरी कार्रवाई एक्ट फौजदारी के अनुसार की जावेगी।

(३) जो कोई मनुष्य किसी क़ानूनके अनुसार कि जिसको श्रीयुत गवनरजनरल बहादुर हिंद बइजलास कौंसलने चलाया हो किसी ऐसे अपराधमें दण्डके योग्य हो कि, जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके बाहर हुआ है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधके सम्बन्धमें कि जो उपरोक्त देशोंकी सीमाके बाहर हुआ हो इस संग्रहके लेखोंके अनुसार उसी प्रकार वर्त्ताव किया जावेगा कि मानो उसने वह अपराध उन देशोंके भीतरही किया है ।

उन अपराधोंका दण्ड जो उपरोक्त देशोंके बाहर किये जांय परंतु उनकी जांच क़ानूनके अनुसार उन देशोंके भीतर होसकती है.

(४) शुद्ध किये गये एक्ट ६ सन् १८६१ ई० व एक्ट १२ सन् १८९१ ई० के अनुसार—श्रीमती महारानी का प्रत्येक नौकर इससंग्रहके अनुसार दण्डका भागी होगा कि, जो कार्य अथवा चूक कि जिसको उसने नौकरीके समयमें इससंग्रहके लेखोंके विरुद्ध किसी ऐसे महाराजा अथवा राजाके राज्यमें किया हो कि, जिसकी मित्रता श्रीमती महारानीके साथ किसी संधिपत्र अथवा क़रारनामेके द्वारा हो जो अबसे पहिले सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनीके साथ होचुकी हो अथवा हिन्दुस्थानकी किसी सर्कारके साथ श्रीमतीके नामसे लिखीगई हो अथवा आगे लिखीजाय ।

उन अपराधोंका दण्ड कि जो श्रीमती महारानीके किसी नौकरद्वारा अन्य हितकारी राज्योंमें होवें.

(५) *यह अभिप्राय नहीं है कि, इस संग्रहका कोई लेख निम्नलिखित कानूनोंका किसी आज्ञाको पलटे अथवा न्यूनकरे या मिटावे अर्थात् अध्याय ८५ एक्ट आफ़ पार्लेमेंट कि जो महाराजा चतुर्थ विलियमके सिंहासन बैठनेपर ३ व ४ सालमें प्रचलित हुआ ।

मुख्य क़ानून कि जिनमें इस एक्टका कुछ प्रभाव न होगा.

अथवा कोई एक्ट आफ़ पार्लेमेंट जो उपरोक्त एक्टके पश्चात् प्रचलित होकर सर्कार ईस्टइंडिया कम्पनी या ऊपर कहे हुए देशों अथवा उपरोक्त देशोंके निवासियोंपर किसी प्रकारसे प्रचारित हुआ हो ।

अथवा कोई एक्ट जो महारानी विक्टोरियाके नौकर अफसरों और सिपाहियोंकी बग़ावत और नौकरीपरसे भागजानेके दण्डसे सम्बन्ध रखता हो ।

अथवा कोई क़ानून किसी विशेष कार्यके लिये अथवा कोई क़ानून किसी विशेष स्थानके लिये ।

---

* देखो दफ़ा १ एक्ट नं० १४ सन १८७० ई० ।

अध्याय दूसरा २.

साधारणार्थ स्पष्टीकरणके विषयमें ।

इस संग्रहमें लिखी हुई तारीफें (लक्षण) छूटों के आधीन समझी जायें.

(६) इस समस्त संग्रहमें किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक दण्ड का नियम तथा उस लक्षण अथवा दण्डके नियमका प्रत्येक उदाहरण उन छूटोंके अधीन समझा जायगा जो साधारण छूटोंके अध्याय में लिखा हुआहै, चाहे प्रत्येक लक्षण या दण्डके नियम तथा उदाहरण में उन उपरोक्त छूटोंका दूसरी बार वर्णन न हुआहो ।

उदाहरण ।

(क) इस संग्रहकी उन दफ़ों में जहाँ अपराधोंके लक्षण लिखे हैं यह नहीं लिखा गया कि सातवर्षसे न्यून अवस्थाका बालक इन अपराधों का अपराधी नहीं हो सकता परंतु उन लक्षणों को उस साधारण छूटके अधीन समझना चाहिये जिसमें यह नियत है कि, कोई काम जो सातवर्षसे कम अवस्थाका बालक करे अपराध नहीं है ।

(ख) यदि शिवशंकर कि जो पुलीसका नौकर है बिना वारंटके रमाशंकरको कि जो अपराधी ज्ञातघात (क़त्लअ) का है क़ैद करे तो इस अवस्थामें शिवशंकर अनीतिबंधन (हब्सबेजा) का अपराधी न गिना जायगा, क्योंकि रमाशंकरका क़ैदकरना कानूनके अनुसार उसका कर्तव्य कर्म था, अतएव ऐसी अवस्था उस साधारण छूटके अधीन समझी जायगी कि जिसमें यह नियत हुआहै कि कोई काम अपराध नहीं है जो ऐसा मनुष्यकरे कि जिसका करना क़ानूनके अनुसार उसका कर्तव्यकर्म है ।

उन शब्दोंका अभिप्राय कि जो एकबार समझाये गये हैं.

(७) प्रत्येक शब्द जिसका स्पष्टीकरण (तशरीह) इस संग्रहमें किसी एक स्थानपर हुआहै उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस संग्रहके प्रत्येक स्थानपर उसी अर्थसे बर्त्ता गया है ।

लिंग.

(८) शब्द "वह" और उसके कारक प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहें वह पुरुष हो अथवा स्त्री, बरते गये हैं ।

एकवचन व बहुवचन

(९) यदि प्रसंगमें कुछ विरुद्धता न प्रगट हो तो एक वचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें बहुवचनभी समझा जायगा और बहुवचनके अर्थ देनेवाले शब्दोंमें एकवचन ।

पुरुष व स्त्री.

(१०) पुरुष शब्दसे किसी अवस्थावाले मनुष्य जातिके पुल्लिङ्गसे अभिप्रायहै और स्त्री शब्दसे किसी अवस्थावाली मनुष्य जातिकी स्त्रीलिंगसे ।

(११) मनुष्य शब्दसे प्रत्येक कम्पनी और समाज तथा झुंड मनुष्योंका समझा जायगा चाहे उनको सर्कारसे सनद मिली हो या नहीं ।

मनुष्य

(१२) सर्वसाधारण का शब्द सब मनुष्योंके प्रत्येक गिरोह और प्रत्येक मत (मज़हब) से सम्मिलितहै ।

सर्वसाधारण.

(१३) श्रीमती महारानीके शब्दसे समयके बादशाह ग्रेटबृटन और आयर्लैं-डकी अधीश्वरीसे अभिप्राय है ।

श्रीमतीमहारानी.

(१४) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोंका संकेत सब अहलकारों अथवा नौकरोंसे है जो श्रीमती महारानीके राज्यके साल २१ व २२ की क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दु-स्थान का राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था नियत हुए हों अथवा गवर्नमेण्ट हिंद या और किसी गवर्नमेण्टकी आज्ञासे हिन्दुस्थानमें नौकरीपर बने हों या नियत किये गये हों या कामपर लगाये गये हों ।

श्रीमती महारानीके-नौकर.

(१५) शुद्ध हुए एक्ट १२ सन् १८९१ ई०के अनुसार–ब्रिटिश इंडियाके शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है कि जो श्रीमती महारानी विक्टोरियाको अपने राज्यके साल २१ व २२ की क़ानूनके अध्याय १०६ के अनुसार जिसका प्रचार हिन्दुस्थानका राज्यप्रबंध सुधारनेके लिये हुआ था अब प्राप्तहै या आगे प्राप्त हों ।

ब्रिटिश इंडिया.

(१६) गवर्नमेंट हिंदके शब्दसे श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरहिंद ब इजलास कौंसल और यदि श्रीमान् अपनी कौंसलमें न हों तो प्रेज़ीडेंड बइजलास कौंसल या केवल नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर हिंदका अभिप्राय है जैसा जिसका अधिकार क़ानूनके अनुसारहो ।

गवर्नमेंट हिंद.

(१७) गवर्नमेंट शब्दका अभिप्राय उस मनुष्य या उन मनुष्योंसे है जो ब्रिटिश इंडियाके किसी भागमें क़ानूनके अनुसार प्रबंध करनेके लिये स्वाधीन हों ।

गवर्नमेंट.

(१८) प्रेज़ीडेंसीके शब्दसे उन देशोंका अभिप्राय है जो किसी एक प्रेज़ीडें-सीकी गवर्नमेंटके अधीन हो ।

प्रेजीडेंसी.

(१९) जजके शब्दसे उसी मनुष्यका अभिप्राय नहीं है कि जो सर्कारी तौर पर जज कहलाता हो किन्तु उस प्रत्येक मनुष्यसे भी है कि जो क़ानूनके अनुसार किसी दीवानी या फ़ौजदारीके अभियोगमें ऐसा फैसला करनेका अधिकार रखता हो कि जो क़तई (सम्पूर्णतः) हो या यदि उसकी अपील न हो तो क़तई हो जावे या जो फ़ैसला किसी दूसरे हाकिमकी जांच (तजवीज़) से बहाल रहे तो क़तई हो या उन मनुष्योंके किसी ऐसे समूहमेंसे हो जिसको क़ानूनानुसार ऐसे फैसले के करनेका अधिकार हो ।

जज.

उदाहरण ।

(क) कोई कलक्टर जब कि वह किसी अभियोग (मुक़द्दमा) में ऐक्ट नम्बर १० सन् १८५९ ई० के अनुसार "अधिकार वर्त्तता हो" जज है ।

(ख) कोई मजिस्ट्रेट जब कि वह किसी ऐसे अपराधके सम्बन्धमें कार्रवाई कर रहा हो कि जिसमें उसको जुर्माना या कैदकी आज्ञा देने का अधिकार है जज है । चाहे उसका फैसला अपील के योग्य हो या न हो ।

(ग) पंचायतका प्रत्येक मनुष्य कि जो मदरासके क़ानून ७ सन् १८१६* ई० के अनुसार अभियोगोंका फैसला व तजवीज़ करने का अधिकार रखता हो जजहै ।

(२०) कोर्ट ऑफ़ जस्टिसके शब्दसे उस जजका अभिप्रायहै जिसको क़ानूनके अनुसार स्वयंही अकेले अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो अथवा जजोंके उस समूहसे अभिप्रायहै कि जिसको कानूनके अनुसार इकट्ठा होकर अदालतके काम करनेका अधिकार प्राप्त हो उस अवस्थामें जब कि वह जज अथवा जजोंका समूह अदालतका काम कर रहाहो ।

कोर्ट आफ़ जस्टिस.

उदाहरण ।

वह पंचायत कि जो मदरासके क़ानून ७ सन् १८१६ ई० के अनुसार बर्त रही हो और जिसको अभियोगों के सम्बंधमें तजवीज़ व फैसला करने का अधिकार प्राप्त है कोर्ट ऑफ जस्टिस है ।

(२१) सरकारी नौकरके शब्दसे उस मनुष्यका अभिप्रायहै कि जो निम्न-लिखित प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हो अर्थात्—

सरकारी नौकर.

पहिले.—श्रीमती महारानीका प्रत्येक प्रतिज्ञा किया हुआ नौकर ।

---

* ऐक्ट ३ सन् १८७३ ई० के अनुसार उपरोक्त क़ानून रद्द होगया है ।

दूसरे—प्रत्येक कमीशनदार अफ़सर जो महारानी विक्टोरिया की जंगी अथवा जहाज़ी सेनामें हो उस अवस्थामें कि जब वह गवर्नमेंट हिंद या और किसी गवर्नमेंटके अधीन किसी कामपर नियत हो ।

तीसरे—प्रत्येक जज ।

चौथे—कोर्ट ऑफ़ जस्टिसका प्रत्येक ओहदेदार, जिसपर उस ओहदेकी योग्यतासे उचित है कि वह किसी क़ानून सम्बन्धी बात अथवा किसी घटनाकी जांचकरे या उसके सम्बन्धमें रिपोर्ट भेजे या कोई लेख बनावे या तसदीक़ करे या अपनी चौकसीमें रक्खे या किसी मालको अपनी सिपुर्दगीमें ले या उसको अपने निकटसे दूरकरे या अदालतके किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामे) की कार्रवाई करे या कोई शपथ (हल्फ़) दे या अनुवादका काम करे या अदालतमें प्रबंध रक्खे और प्रत्येक मनुष्य जिसको कोर्ट ऑफ़ जस्टिसकी ओरसे उपरोक्त कामोंमें से किसी कामके पूर्ण करनेका विशेष अधिकार प्राप्तहो ।

पांचवें—प्रत्येक मनुष्य ज्यूरी या प्रत्येक असेसर—या प्रत्येक पंचायतका पंच; उस अवस्थामें कि जब वह कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी सरकारी नौकरकी सहायता करता हो ।

छठे—प्रत्येक पंच या कोई दूसरा मनुष्य जिसको किसी कोर्ट ऑफ़ जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमने किसी अभियोग या झगड़ेको निबटानेके लिये नियत किया हो ।

सातवें—प्रत्येक मनुष्य जो ऐसा ओहदा रखताहो कि, जिसके अधिकारसे वह किसी मनुष्यके क़ैद करने या क़ैद रखनेका अधिकारी हो ।

आठवें—प्रत्येक सरकारी ओहदेदार, जिसको अधिकारहै कि वह अपराधोंका होना रोके और अपराधोंके घटनाओंकी सूचना दे और अपराधियोंको अपने अपराधका उत्तर देनेके लिये क़ैद करावे और सर्व साधारणकी आरोग्यता कुशलता तथा सुगमताकी रक्षा करे ।

नवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि कोई माल गवर्नमेंट की ओरसे अपने अधिकारमें लाये या अपनी सिपुर्दगीमें ले या अपनी चौकसीमें रक्खे या ख़र्च करे या वह गवर्नमेंटकी ओरसे धरतीको नापै या लगान लगावे या क़ौल करारकरे या वह सरिश्तेमालके किसी हुक्मनामेको जारीकरे या किसी ऐसी बातकी जांचकरे कि जिससे गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपयेके मद्दे हो या उसके सम्बन्धमें कुछ लिखा पढ़ीकरे या कोई

लेख कि जिसमें गवर्नमेंटका कुछ स्वार्थ रुपये के मद्धे हों लिखे. या तस्दीककरे, या उस लेखको अपनी चौकसीमें रक्खे, या रुपयेके मद्धे गवर्नमेंटके किसी स्वार्थकी रक्षाके लिये किसी क़ानूनके उल्लंघनको रोके, और प्रत्येक ओहदेदार जो सरकार का नौकर हो, या गवर्नमेंटसे अपनी नौकरी का हक़ पाता हो, या उसको किसी सरकारी कामके करनेके बदले फीस या कमीशन मिलती हो ।

दशवें—प्रत्येक ओहदेदार जिसका काम उस ओहदेदारीके द्वारा यह हो कि सर्वसाधारणके लौकिक कामके लिये किसी गांव या कस्बा या शहर या ज़िलेके किसी मालको अपने अधिकारमें लाये या अपनी चौकसी में ले या अपनी चौकसीमें रक्खे या ख़र्च करे या धरतीको नापै तथा लगान लगावे या किसी प्रकारकी रसूम व टैक्स उगाहे या किसी गांव अथवा कस्बे या ज़िलेके निवासियोंका अधिकार निश्चय करनेके लिये किसी लेखको लिखे या तस्दीक करे या चौकसीमें रक्खे ।

उदाहरण ।

म्युनिस्पिल कमिश्नर सरकारी नौकर है ।

पहिला स्पष्टीकरण—व मनुष्य जो ऊपर लिखे हुए प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारमें हों सरकारी नौकर हैं चाहे गवर्नमेंट से उन्होंने वह ओहदा पायाहो या नहीं ।

दूसरा स्पष्टीकरण—जहां "सरकारी नौकर" के शब्द आवें उनसे प्रत्येक ऐसा मनुष्य समझा जावेगा जो किसी सरकारी नौकरीपर यथार्थमें ही नियत हो चाहे उस ओहदे पर होनेके लिये उसके अधिकार में कैसी ही कानूनी खोटाई हो ।

१—"कनविक्ट वार्डर" अर्थात् कैदी चौकीदार दफ़ा २२३ दण्डसंग्रह हिंदके अनुसार सरकारी नौकरमें गिनाजायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ६३)

२—जो चपरासी महकमा कलक्टरीसे नियमित वेतन न पावे बरन उसको उसके कामोंकी कुछ फीस दीजावे वह इस २१ दफ़ाके अनुसार सरकारी नौकरहै (बंगाल लारिपोर्ट जिल्द ४ सफ़ा १४६ श्रीमती महारानी बनाम कृष्णदास.)

३—एक इंजिनियर कि जिसका काम म्यूनिस्पिल फंडका रुपया लेकर दूसरोंको देनेका है इस दफ़ाके अनुसार सरकारी नौकर कहा जावेगा यद्यपि उसको ऐसे रुपयेके व्ययकी मंजूरी देनेका अधिकार नहीं है (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफ़ा ६४ श्रीमती महारानी बनाम अनंतरांव आत्मांराम)

४—ठीकेदार मौज़ा जो जंगलकी आमदनीका हिसाब रक्खे और उसमेंसे एकभाग सरकारको दे और शेष आप ले वह इस २१ दफ़ाके अनुसार सरकारी नौकर नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १२ सफ़ा १ श्रीमती महारानी बनाम रामाजी रावजी बाजीराव)

५—गाड़ीवाला या और कोई मज़दूर जिसको गवर्नमेंटने नौकर रक्खा हो सरकारी नौकर नहीं है (इंडियन लारिपोर्ट सिलसिला मदरास जिल्द ७ सफ़ा १८ श्रीमती बनाम बञ्ची मन्नी)

-नायबनाज़िर दण्डसंग्रह हिंदकी दफ़ा ४०९ के अनुसार सरकारी नौकर है न कि नाज़िरका (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफ़ा २९८ श्रीमती बनाम महमूद हुसेन)

(२२) स्थावर धन (माल मनकूला) इन शब्दोंका अभिप्राय सब प्रकारकी मूर्त्तिमान् वस्तुसे है सिवाय धरती और उन पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हों और ऐसे पदार्थोंके जो पृथ्वीसे बँधे हुए किसी पदार्थके साथ सदैव को दृढतापूर्वक लगेहों ।

स्थावर धन.

१—(क) बिना किसी अधिकार या आज्ञाके कई गाड़ी मिट्टी एक मौज़ाकी बिना तशख़ीस हुई धरतीसे खोदकर ले गया तजवीज़ हुई कि (क) चोरी का अपराधी नहीं है । (सिलसिला बम्बई जिल्द ११ हिस्सह सितम्बर सन् १८८७ ई० सफ़ा २५५ श्रीमती बनाम कोठा)

२—धरती और धरतीके समस्त पदार्थ पत्थर और धातु इत्यादि जब धरतीसे पृथक् किये जांय कि जिसमें वे लगे हैं स्थावर धन हैं और चोरी होनेके योग्यहैं जो कोई बदनियतीसे ऐसी मिट्टीको पृथ्वीसे अलग करताहै वह चोरीका अपराधी होगा । (इंडियनला रिपोर्ट बम्बई जिल्द १५ सफ़ा ७०२ श्रीमती बनाम शिवराम)

(२३) अनीतिप्राप्त (इस्तहसाल नाजायज़) वह प्राप्त किसी वस्तुकी है जो अनुचित रीतिसे कोई ऐसा मनुष्य प्राप्त करे कि जो क़ानूनके अनुसार उसका अधिकारी नहो ।

अनीतिप्राप्त.

अनीतिहानि (ज़ियान नाजायज़) वह हानि किसी वस्तुकी है जो अनुचित-रीतिसे कीजावे और हानि उठानेवाला मनुष्य कानूनके अनुसार उस वस्तुका अधिकारी हो ।

अनीति हानि.

अनीतिप्राप्त केवल उसी अवस्थामें न कहाजायगा जब कि वह मनुष्य उस वस्तुको अनुचित रीतिसे प्राप्त करे बरन उस अवस्थामें भी कहा जायगा जब कि वह अनुचित रीतिसे अपने अधिकारमें रक्खे ।

किसी वस्तुको अनुचित रीतिसे रख छोड़ना अनीति प्राप्तमें गिनाजायगा.

अनीतिहानि केवल उसी अवस्थामें न कही जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल रक्खा जावे बरन उस अवस्थामें भी कही जायगी जब कि वह मनुष्य किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखली किया जाय ।

किसी वस्तुसे अनुचित रीतिपर बेदखल रखना अनीति हानिमें गिना जायगा.

१—जब कोई साहूकार अपने ऋणीका स्थावर धन उसके अधिकारसे ज़बरदस्ती (बलपूर्वक) इस नियतसे ले लेवे कि उसका रुपया अदाकरनेमें ऋणीको दबाव पहुँचे, तो इस अवस्थामें यह कहा जावे गा कि उपरोक्त साहूकारने उस धनके सम्बंधमें चोरी का अपराध किया जिसका वर्णन इस संग्रह की दफ़ा ३७८ में कियागयाहै (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफ़ा १०१७)

(२४) जब कोई मनुष्य इस नियतसे कोई काम करे कि वह किसी मनुष्यको अधर्मपने(बददियानती)से. } अनीतिप्राप्त कराये या किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचाये तो कहा जायगा कि उसने वह काम बददियानतीसे किया ।

१—जब कोई मुहर्रिर सर्कारी रुपयेको अपने व्ययमें लावे और फिर हिसाब की किताबमें झूंठा रुपया इस नियतसे लिखे ताकि मेरा उपरोक्त अपराध छिपजावे तो तजवीज़ हुई कि झूठा रुपया जमा करना जालसाज़ी का अपराध नहीं है और इस लिये उसको इस संग्रहकी दफ़ा ४६५ के अनुसार दण्ड देना अनुचितहै (सिलसिला इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा २२१ इ० ला० रि० श्रीमती बनाम जीवानंद ।

२—(क) अपनी जीवित अवस्थामें (ख) का ऋणी था क के मरने पश्चात् (ख) ने बिना अदालतदीवानी कुछ बैल क के उसकी स्त्री ग से लेलिये तजवीज हुई कि ख ने यह काम बददियानती से किया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ६८ श्रीमती बनाम परमात्मानाथ बनर्जी)

३—अपराधकी तजवीज़ जो इस संग्रहकी दफ़ा ४७१ के अनुसार बाबत छल या बदनियती से जाली लेखको असली लेखके समान काममें लानेका था यह तजवीज़ हुई कि चार रसीदें जाली लगानके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्था में बनाई थीं कि, जब उसकी चार रसीदें असली खो गई थीं—तजवीज हुई कि, अपराधीने इस संग्रहकी दफ़ा २४ व २५ के अनुसार बदनियती से उपरोक्त अपराध नहीं किया इसलिये वह दफ़ा ४७१ के अनुसार दण्डके योग्य भी नहीं हो सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ हिस्सा ६ सफ़ा ४५९ श्रीमती बनाम शिवदयाल)।

४—एक हिस्सेदार साझेके मालमें बददियानती कर सकता है यदि वह उपरोक्त मालको साझेके अधिकारसे निकालकर अपने अलग अधिकारमें कर लेवे । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफ़ा १८६ श्रीमती बनाम नूरा)।

५—इन्ट्रैंस इम्तिहानके उम्मेदवारने सार्टीफिकेट अच्छे चालचलन आदिके इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये हेडमास्टरके जाली दस्तखत बनाकर रजिष्ट्रारके यहां भेज दिये और रजिस्ट्रारने स्वीकार करके इम्तिहानकी आज्ञाभी दे दी—तजवीज हुई कि, अभियोग दफ़ा ४१५ व ४७१ व ५११ के अनुसार चलाया जावे कि, उम्मेदवारकी नियत केवल इम्तिहानमें शामिल होनेके लिये थी कोई छल या बददियानती दफ़ा २४ या २५ के अनुसार नहीं की इसलिये अपराधी ने कोई भी अपराध नहीं किया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ३८० श्रीमती बनाम हरध्यान उर्फ राखलदास घोष)।

६—जब हिन्दू लोगोंने परस्पर मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमान के अधिकार से अपने अनीतिप्राप्त या चौपायोंके स्वामीको अनीतिहानिके अभिप्रायसे नहीं बरन गायों

को बधसे बचानेके अभिप्रायसे दूर कर दिया तो तजवीज़ हुई कि, उनके सम्बंधमें डकैती का अभियोग नहीं चल सकता बरन केवल बलवे का चल सकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा २२ श्रीमती बनाम रघुनाथराय ।

(२५) जब कोई मनुष्य कोई काम इस नियतसे करे कि वह किसीको किसी माल या अधिकारसे छलछिद्र द्वारा बेदखलकरे तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि उस मनुष्यने वह काम छलछिद्रसे ही किया ।

छलछिद्रसे.

१—एक खेतका नम्बर यथार्थमें २७२ था और लेखमें जो अपराधियोंने अदालतमें पेश किया वह नम्बर भूल से १० लिखा गया अपराधियोंने नम्बर १० के स्थानपर २७२ बनादिया और इसी लिये सेशनजजने उन्हें दफ़ा४७१के अनुसार जाली लेखको असलीलेखके स्थानपर काम में लानेके लिये दोषी प्रमाणित किया तजवीज़ हुई कि जो कि नम्बर बदनियतीसे इस संग्रहकी दफ़ा २४ के अनुसार व छलछिद्रसे इस संग्रहकी दफ़ा २५ के अनुसार नहीं पलटागया और न उससे किसीको अनीतिप्राप्त तथा अनीतिहानि हुई थी इस लिये उनपर दफ़ा ४६५ के अनुसार जाली लेख बनानेका दोष नहीं होसकता था और न उपरोक्त लेख दफ़ा ४७० के अनुसार जाली लेख कहा जा सकता था और न उसको अदालतमें पेश करनेसे अपराधी दफ़ा ४७१ के अनुसार दोषी प्रमाणित होसकते थे इस लिये उनपर दफ़ा ४७१ का अपराध नहीं होसकता और जो कि इस संग्रहकी दफ़ा १९२ के अनुसार लेखके किसी भूलको सही कर देना झूठे लेख या झूठे बयानमें नहीं प्रमाणित होसकता इस लिये वह अपराधी निर्दोषी हैं । (वीकूली नोटिस किताब माह नवम्बर सन् १८८२ ई० सफ़ा २२८ श्रीमती बनाम फतह आदि)

(२६) यदि किसी बातका निश्चय करनेका पूरा कारण किसी मनुष्यके सामने वर्त्तमान हो तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बातके निश्चय करनेका कारण रखता है नकि किसी दूसरी अवस्थामें ।

निश्चय माननेका हेतु.

(२७) जब कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसे उसकी स्त्री या मुहर्रिर या नौकर के अधिकारमें हो तो इस संग्रहके अर्थानुसार उपरोक्त वस्तु उपरोक्त ही मनुष्यके अधिकारमें समझी जायगी ।

वस्तु जो स्त्री, मुहर्रिर या नौकरके अधिकारमें हो.

स्पष्टीकरण—जो कोई मनुष्य थोडे दिनोंके लिये या किसी मुख्य आवश्यकतापर मुहर्रिर या नौकरके अधिकारपर रक्खा जाय तो वह मनुष्य इस दफ़ाके अनुसार मुहर्रिर या नौकर है ।

(२८) शुद्ध हुआ दफ़ा ९ एक्ट १ सन् १८८९ई० के अनुसार—जब कोई मनुष्य एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान इस अभिप्रायसे बनावे कि वह उस समानताके द्वारा धोखा दे या इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा धोखा चलजाना सम्भव है तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने खोटा बनाया ।

खोटा बनाना.

स्पष्टीकरण १–खोटा बनानेके लिये यह अवश्य नहीं कि समानता ठीक ही ठीकहो ।

स्पष्टीकरण २–जब कोई मनुष्य किसी पदार्थको किसी पदार्थके समान बनाये और समानता ऐसी हो कि उससे किसी मनुष्यको धोखा होसकताहो तो उससे जबतक इसके विरुद्ध प्रमाणित नहो निश्चय किया जायगा कि जो मनुष्य उस भांतिपर एक पदार्थको दूसरे पदार्थके समान बनाताहै वह उस समानताके द्वारा धोखा देनेकी इच्छा रखता है या यह जानता है कि उसके द्वारा धोखा होना सम्भव है ।

लेख (दस्तावेज).

(२९) लेखके शब्दसे किसी ऐसी लिखावटका अभिप्राय है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों या अंकों या चिह्नोंके द्वारा या उनमेंसे दो या तीनोंके द्वारा प्रगट या वर्णित किया गया हो चाहे उन अक्षरों या अंकों या चिह्नोंको प्रमाण (सबूत) के लिये काममें लानेकी नियत हो चाहे ऐसाहो कि वह सबूतमें काम आसकें ।

स्पष्टीकरण १–इस बातकी कुछ विशेषता नहीं है कि किन वसीलोंसे या किस वस्तुपर वे अक्षर या अंक या चिह्न बनाये जांय या यह कि, किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें प्रमाणकी रीतिपर काममें लानेकी नियत हो या नहो या वह प्रमाण का कारण काममें आवे या न आवे ।

उदाहरण ।

वह लिखोट कि जिसमें किसी कौल करारके नियम लिखे हों और जो उस कौल करारके लिये प्रमाणकी भांति काममें आसके, लेख (दस्तावेज़) है ।

चिक अर्थात् रुक्का किसी महाजनका लेख है ।

मुख्तारनामा लेख है ।

पृथ्वीका नक़्शा या इमारतका नक़्शा जो प्रमाण (सबूत) की भाँति काममें आनेके अभिप्रायसे या काममें आनेके योग्य बनाया जाय, लेख है ।

जिस लिखोटमें कोई हुक्म व हिदायतें हों वह लेख है ।

स्पष्टीकरण २–जो अभिप्राय अक्षर या अंकों या चिह्नोंसे सौदागरीके चलन अनुसार या किसी दूसरे व्यवहारमें प्रगट होता हो वही इस दफ़ाके अर्थमें उन अक्षरों या अंकों या चिह्नोंसे प्रगट होना समझा जायगा चाहे वह अभिप्राय लेखमें न प्रगट किया गया हो ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर किसी हुंडी की पीठपर अपना नाम लिख दे और हुंडी में लिखा हो कि जिस को कहे उसे रुपया मिले तो सौदागरी व्यवहारके अनुसार इस लिखौट के यह अर्थ हैं कि जिसकिसीके पास वह हुंडी हो वही उसको पटा सकता है, इसलिये यह लिखौट लेखहै और उससे वही अभिप्राय लेना चाहिये कि मानो दस्तखतके ऊपर यह लिखौट लिखा होता कि "अधिकारी हुंडी को रुपये दो" या कोई और लिखौट इसी मजमून की लिखी होती ।

(३०) किफालतुलमालके शब्दसे उस दस्तावेज़का अभिमाय है जो ऐसी दस्तावेज़ हो या ऐसी दस्तावेज़ समझी जानेकी योग्यता रखतीहो जिसके द्वारा कोई क़ानूनी अधिकार माप्त किया जावे या बढ़ाया जावे या एकसे दूसरेको दिया जावे या जिसकी अवधि नियत की जावे या नष्ट किया जावे या छोड़दिया जावे या जिसके द्वारा कोई मनुष्य स्वीकार करे कि मैं क़ानूनके अनुसार अमुक बातके आधीन हूं या कहे कि अमुक क़ानूनी अधिकार मेरा नहीं है।

किफालतुलमाल दस्तावेज.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर किसी हुंडी की पीठपर अपना नाम लिख दे तो जब कि आशय इस लेखका यह है कि उस हुंडीका अधिकार उसी मनुष्यको दिया गया जो नीतिपूर्वक उसका धनी बने अतएव वह लेख प्रमाणित (किफालुतलमाल) गिना जायगा।

१–एक तिलाकनामा इससंग्रहकी दफ़ा ३० के अनुसार किफालुतलमाल (प्रमाणितलेख) में गिना जायगा और इसप्रकारकी जाली दस्तावेजको रजिस्ट्रीके लिये पेश करना और उसकी रजिस्ट्री करा लेना हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ४७१ के अनुसार अपराध में गिना जायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफ़ा १५ श्रीमती महारानी बनाम अज़ीमुद्दीन)

२–पट्टेकी नकल इस दफ़ाके अनुसार किफ़ालुतलमाल नहीं है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफ़ा २८ सरकार बनाम हीरामन)।

३–वह सनद कि जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त होता है किफालतुलमाल नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफ़ा ५८४)

(३१) वसीअतनामेके शब्दसे ऐसे लेखका अभिमायहै जो कोई मनुष्य मरनेसे पहिले अपने माल आदिके प्रबंधके निमित्त लिखे।

वसीअतनामा.

(३२) इस संग्रहके प्रत्येक भागमें सिवाय उन भागोंके जहां लेखसे विरुद्ध आशय निकलता हो, वे शब्द जो किये हुए कर्मोंसे सम्बंध रखते हैं क़ानून विरुद्ध चूकों से भी सम्बंध रक्खें गे।

करनेके कर्मों सम्बंधी शब्द क़ानून विरुद्ध चूकोंसे भी सम्बंध रक्खेंगे.

(३३) शब्द "काम" से एक कामका और अनेक कामोंका भी अभिमाय है। और "चूक" के शब्दसे एक चूकका और अनेक चूकोंका भी अभिमाय है

काम चूक तक.

(३४) जब कुछ मनुष्योंने किसी अपराधका काम एक सम्मति होकर किया हो तो उन मनुष्योंमें से प्रत्येक मनुष्य उस कामके लिये उसी प्रकार दण्डके योग्य होगा कि मानो वह काम उसीने अकेले किया है ।

काम कि जो कईएक मनुष्य एक सम्मति हो कर करें.

१--(क) ने (ख) के सामने और (ख) की आज्ञासे किसी मनुष्यके एक घूँसा मारा, इस अवस्थामें दोनों ही असली अपराधी गिने जाँयगे-जब दो मनुष्य एक मनुष्य के मारनेमें सम्मिलित होवें और वह मनुष्य उनकी मारसे मरजावे तो इस बातके जांचन की कुछ आवश्यकता नहीं कि वह मनुष्य किसकी मारके प्रभावसे मरा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफ़ा ११) ।

२--एकमनुष्यको कई मनुष्योंने मिलकर मारा यहांतक कि उसकी अठारह पसलियां टूट गई और वह मरगया ऐसी अवस्थामें उनमें का प्रत्येक मनुष्य मृत मनुष्यके मारने का अपराधी ठहराया जावेगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफ़ा ५ फौजदारी)

३--अपराधियोंपर जो सर्वे डिपार्टमेंटमें नौकर थे हिन्दुस्थान के दण्डसंग्रहकी दफ़ा ६१ के अनुसार कुछ मौजोंसे घूंस (रिश्वत) लेने का अपराध लगायागया--गवाही केवल उन्हीं मनुष्योंकी थी कि जिन्होंने घूंसमें चन्दादिया था या चन्दा उगाहा था या रुपया नौकरोंको दिया था मजिस्ट्रेटने दफ़ा ६१ के अनुसार कैदसख्त (कड़ीकैद) और जुर्मानेकी आज्ञा दी-तजवीज़ हुई कि फैसला ठीक २ नहीं हुआ क्योंकि कोई गवाही उन मनुष्योंकी गवाही को दृढ नहीं करती जो सब अपराधमें संयुक्त हैं. इसलिये गवाह कि जिन्होंने अपने रुपयेकी या शरीरकी (जाती) हानिसे बचनेके लिये किसी सरकारी नौकरको घूंस देनेका वचन दिया या घूंस दिलानेमें सहायता की उनकी गवाही स्वयंही उनके अपराध करनेकी गवाही समझी जायगी (सिलसिला बम्बई इ० ला० रि० जिल्द १४ सफ़ा ११५ श्रीमती महारानी बनाम मगनलाल व मोतीलाल ।

(३५) जब कि एक ऐसा काम कुछ मनुष्योंद्वारा हुआ हो जो केवल इस कारणसे अपराध है कि वह बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्राय से किया गया है तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्य जिसने उसके करनेमें उसी प्रकारके ज्ञान या प्रयोजनसे साझा किया हो उस कामके सम्बंधमें उसी प्रकारसे दण्डके योग्य होगा कि मानो अकेलेही उस मनुष्यने उसही ज्ञान अथवा अभिप्रायसे उस कार्यको किया ।

जब ऐसा कोई काम इसी हेतुसे अपराध हो कि बुरी नियत या बुरे अभिप्रायसे कियागया.

(३६) जब किसी परिणामका करना या करानेका उद्योग करना चाहें वह कुछ काम करनेसे हो चाहे चूकनेसे, अपराध गिनाजाय तो समझाजायगा कि उस परिणामका उत्पन्न करना कुछ तो काम करनेसे और कुछ चूक करनेसे भी वही अपराध होगा ।

परिणाम जो कुछ करनेसे और कुछ चूकनेसे उत्पन्न हुआ हो ।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर जानबूझ कर रमाशंकर की मृत्युका कारण इस प्रकारसे हो कि कुछ तो वह रमाशंकरको आहारके देनेमें क़ानूनके विरुद्ध चूक करे और कुछ उसको मारे तो शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा।

कई कामोंमेंसे, कि जिनसे अपराध बनता है, एक काम करके साझी होना

(३७) जब कि कई एक कामोंके द्वारा कोई अपराध होवे तो जो कोई मनुष्य उन कामोंमेंसे किसी कामको अकेलेही या किसी और मनुष्यके साझे करके जान बूझकर उस अपराध में संयुक्त हो तो वह मनुष्य उपरोक्त अपराधका अपराधी होगा।

उदाहरण।

(क)-यदि शिवशंकर और रमाशंकर इस बातकी सम्मति करें कि हम दोनों पृथक् पृथक् समयपर थोडा २ विष देकर उमाशंकरको मारडालें और इसी सम्मतिके अनुसार शिवशंकर व रमाशंकर उमाशंकरको मारनेकी नियतसे विष दें और उस विषसे जो इसप्रकार दिया गया, उमाशंकर मरजायें तो इस अवस्थामें शिवशंकर व रमाशंकर जानबूझकर ज्ञातघातमें संयुक्त हुए और जो कि इन दोनोंमेंसे प्रत्येकने वह काम किया कि जो उमाशंकरकी मृत्युका कारण हुआ इसलिये वे दोनों उपरोक्त अपराधके अपराधी हुए, यद्यपि उनके काम अलग २ थे।

(ख) शिवशंकर और रमाशंकर दोनों साझेमें जेलखानेके निरीक्षक हैं और उमाशंकर कैदी उनकी चौकसीमें उस अधिकारके कारण बारी २से छह२ घंटे रहताहै और शिवशंकर व रमाशंकर ने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे अपनी २ नौकरीकी बारीमें उमाशंकरको उस आहारके पहुंचाने में जो उसे देनेके लिये मिलाथा क़ानूनके विरुद्ध चूक की कि जिससे भूखके कारण उमाशंकर मरगया तो शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंही उमाशंकरके ज्ञातघातके अपराधी हुए।

(ग)-शिवशंकर जेलखानेका निरीक्षकहै और उमाशंकर कैदी उसकी चौकसीमें है-शिवशंकरने इस नियतसे कि उमाशंकर मरजावे उमाशंकरको आहारके देनेमें कानूनके विरुद्ध (चूक) की कि जिसके कारण उमाशंकर अत्यंतही निर्बल होगया परंतु लंघन ऐसे भी न हुए कि जिससे उमाशंकर मरजाता-शिवशंकर अपने ओहदेसे हटादिया गया और रमाशंकर उसके स्थानपर नियत हुआ-रमाशंकरने भी बिना शिवशंकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाशंकरको आहारके देनेमें क़ानूनके विरुद्ध चूक की यह बात जानबूझकर कि इससे उमाशंकरका मरना सम्भव है--और उमाशंकर भूखसे मरगया तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी है परंतु शिवशंकरने रमाशंकरको सहायता नहीं दी इसलिये वह केवल ज्ञातघातके उद्योगका अपराधी हुआ।

कुछ मनुष्य जो किसी अपराध को करें अलग २ अपराधोंके अपराधीहोंगे।

(३८) यदि कुछ मनुष्य किसी अनुचित कामके करनेमें तत्पर हों या उससे कुछ सम्बंध रखते हों तो सम्भवहै कि वे मनुष्य उस कामके द्वारा पृथक् २ अपराधोंके अपराधी हों।

उदाहरण ।

यदि–शिवशंकर किसी ऐसे भारी क्रोध करानेवाले कामकी अवस्थामें जब कि उसक उमाशंकरको मारडालना केवल ज्ञातघात गिना जाता उमाशंकरपर आक्रमण किया–रमाशंकरने जिसकी ईर्षा उमाशंकरसे थी और उमाशंकरके मारडालनेकी नियत रखता था विना इसके कि उस प्रकारके क्रोध दिलानेवाले कामकी अवस्थाने उसपर कुछ प्रभाव किया हो उमाशंकरके मारनेमें शिवशंकरको सहायता दे तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और रमाशंकर दोनोंहि उमाशंकरकी मृत्युके कारण हुए हैं परंतु रमाशंकर ज्ञातघातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर केवल ज्ञातवत् घातका अपराधी ।

(३९) जब कोई मनुष्य किसी परिणामको उन उपायोंसे उत्पन्नकरे जिसके द्वारा जानबूझकर. } उस परिणामका उत्पन्न करना उसकी नियतमें हो या उन उपायोंसे जिनके काममें लानेके समय वह मनुष्य जानता हो या जाननेका हेतु रखता हो कि उनसे वह परिणाम उत्पन्न होना सम्भव है तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने जान बूझकर उस परिणामको उत्पन्न किया ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर रातके समय एक बड़े नगरके किसी घरमें जिसमें मनुष्य रहते हों इस अभिप्रायसे आग लगाये कि उसके द्वारा डाँका डालना सहज होजावे और इसप्रकार वह किसी मनुष्यके मारनेका कारण हो तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर की नियत मारनेकी न हुई हो बरन उसको इस बातका रंज हो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी मृत्यु हुई तौभी वह जानबूझकर मारनेवाला कहलावेगा, कदाचित् उसने जानलिया हो कि मेरे इस कामसे किसी का मरना अतिसंभव है ।

(४०) इस कानूनमें सिवाय उन अध्याय और उन दफ़ोंके जिनका वर्णन अपराध. } इस दफ़ाके जिमन २ व ३ में है "अपराध" शब्दका अभिप्राय उस वस्तुसे है जो इस संग्रहमें दण्डके योग्य ठहरा दीगई हो ।

अध्याय चौथा और नीचे लिखी दफ़ाएँ अर्थात् दफ़ा.

६४, ६५, ६६, ६७, ७१ (एक्ट नं० ८ सन्१८८२ ई०) १०९, ११०, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५, २०३, २११, २१३, २१४, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३४७, ३४८, ३८८, ३८९, ४४५, (एक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० दफ़ा २)

अपराध शब्दका अभिप्राय प्रत्येक कामसे है जो इस संग्रहके अनुसार या किसी विशेष कानूनके अनुसार या किसी विशेष स्थानके कानूनके अनुसार वर्णन किये गये इस संग्रहके दण्ड योग्य ठहरा दिया हो ।

और जिस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विशेष कानून या किसी विशेष स्थानके क़ानूनानुसार दण्डके योग्य है, उसी क़ानूनके अनुसार दण्ड कैद जिसकी अधिक छह महीना अथवा अधिक जुरमाने सहित व जुरमानेकी हो तो इन दफ़ा १४१, १७६, १७७, २०१, २०२, २१२, २१६ व ४४१ में अपराध शब्दका वही अर्थ होगा जो ऊपर कह आये हैं।

१--अफसर पुलीसको इस प्रकारकी आज्ञा हुई कि वह (क) को दफ़ा ५५ ज़ाब्ता फौज-दारीके अनुसार बदमाशी (बदचलनी) के अपराधमें कैदकर लावे-के दूसरे मनुष्योंकी सहायता से कैद होकरभी भागगया यह तजवीज़ हुई कि क पर कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४० के अनुसार नहीं लगाया गया और इसलिये यदि वह कैदकी रोक टोक करके भागजावे तो वह किसी अपराधका हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २२४ या २२५ के अनुसार अपराधी न होगा। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ६७ श्रीमती महारानी बनाम खदनिया)

(४१) विशेष क़ानूनसे उस क़ानूनका अभिप्राय है जो किसी मुख्य विषयसे सम्बन्धरखता हो।

विशेष क़ानून.

नोट-विशेष कानूनमें एक्ट जुआब इसी प्रकारके दूसरे एक्ट संयुक्तहैं।

(४२) देश विशेषी क़ानूनसे उस क़ानूनका अभिप्राय है जो ब्रिटिश इंडियाके किसी मुख्य भागसे सम्बन्ध रखता हो।

देश विशेषी कानून.

नोट-जैसे क़ानून म्यूनिसिपालटी पंजाब जो केवल पंजाबमें प्रचलित है व क़ानून म्युनिसिपालटी मध्यप्रदेश जो केवल मध्यप्रदेशहीमें प्रचलितहै।

(४३) क़ानून विरुद्धका शब्द प्रत्येक ऐसे कामसे सम्बन्ध रखता है जो अपराध हो या जो कानूनानुसार वर्जित हो या जिससे दीवानीकी नालिशका कारण निकले।

क़ानून विरुद्ध.

क़ानूनानुसार उचित.

और जब कि चूक करना किसी कामका किसी मनुष्यपर क़ानूनके विरुद्ध हो तो कहा जायगा कि इस कामका करना इस मनुष्यपर क़ानूनानुसार उचित है।

१ यदि कोई मनुष्य कुंएके प्रबंधके अभिप्रायसे जो किसी मार्गसे आठगज़के अंतरपर उसकी निजधरतीमें है उसकी घेराबंदी न करे तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा कि उसने सर्व साधारणको दुःख पहुंचाया (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफ़ा २८०)

(४४) हानिके शब्दसे हर प्रकारकी हानिका अभिप्राय है जो क़ानूनके विरुद्ध किसी मनुष्यके तन अथवा मन या यश अथवा धनको पहुंचाई जावे।

हानि.

(४५) जीव शब्दसे केवल मनुष्यके जीवका अभिप्राय है सिवाय उसके जहां
जीव. } लेखसे इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दें ।

(४६) मृत्युके शब्दसे केवल मनुष्यकी मृत्युका अभिप्राय है—सिवाय उसके
मृत्यु. } जहां लेखसे इसके प्रतिकूल अर्थ दिखाई दें ।

पशु. } (४७) पशुके शब्दसे सिवाय मनुष्यके प्रत्येक जीवधारीका अभिप्राय है ।

(४८) जहाज़के शब्दसे उस पदार्थका अभिप्राय है जो मनुष्योंको अथवा
जहाज़. } मालको पानीपर ले जानेके लिये बनाया गया हो ।

(४९) जिस स्थानमें वर्ष या महीनेका शब्द आया है वहां यह समझना
वर्ष या महीना. } चाहिये कि वह वर्ष या महीना अंगरेज़ी पत्रे (जंत्री) के अनुसार गिना जायगा ।

(५०) दफ़ाके शब्दसे इस संग्रहके किसी अध्यायके उन टुकड़ोंमेंसे किसी
दफ़ा. } टुकड़ेका अभिप्राय है कि, जिनके आरंभमें पहिचानके लिये कोई अंक लगा हो ।

(५१) शपथके शब्दमें सत्य बोलनेकी वह प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी जो
शपथ. } क़ानूनानुसार शपथके बदले ठहराई गई हो और और कोई प्रतिज्ञा भी गिनी जायगी—जिसका करना किसी सरकारी नौकरके सामने, या जिसका किया जाना प्रमाण (सबूत) की भांति, चाहे किसी कोर्टआफ़जस्टिसमें हो या नहो क़ानूनानुसार उचित या अवश्य हो ।

(५२) जिस कामके करने या मानने में यथोचित् सावधानी व विचार न
पाक इच्छा (नेक नियती.) } किया जाय तो न कहाजायगा कि उपरोक्त काम नेक नियतीसे किया गया या नेक नियतीसे मानागया ।

१—एक अफ्सर पुलीसने एक घोड़ा जो उसीके खोए हुए घोड़की सूरतका था एक खेतमें बँधा देखकर पकड़ लिया और उस खेतवालेको चोरीके अपराधमें क़ैद किया—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त अफ्सरने यह काम नेकनियतीसे नहीं किया क्योंकि उसमें यथोचित सावधानी और विचार नहीं किया गया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा २० श्रीमती महारानी बनाम मुहम्मद फाज़िलखां)

अध्याय तीसरा ३.

(५३) इस संग्रहके लेखोंके अनुसार अपराधी जिन दंडोंके योग्य होंगे वे यह हैं । *

दंड.

पहला—मृत्युदण्ड (सज़ाय मौत)

दूसरा—देश निकाला (हब्स ब अबूर दरयायशोर)

तीसरा—कैदकी अवस्थामें सेवा दण्ड (मशक़्क़त ताज़ीरी बहालत कैद)

चौथा—कैद जो दो प्रकारकी है-

(१) कैद कठिन जो परिश्रमके साथ हो.

(२) साधारण कैद.

पांचवां—धनकी ज़ब्ती.

छठां—जुर्माना.

---

* बेंतके दण्डके बारेमें ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० को देखो (क) (ख)

(श्रीयुत नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरके यहांसे १८ फरवरी सन् १८६४ ई० को स्वीकार हुआ ।)

ऐक्ट जिसका यह अभिप्राय है कि, किसी २ अभियोगमें बेंतका दण्ड प्रचलित किया जावे ।

यह बात उचित है कि किसी अभियोगमें दण्ड संग्रह हिंदके लेखों (दफ़ों) के अनुसार अपराधी बेंतके दण्डसे दण्डित कियेजांय इस लिये निम्नलिखित आज्ञा होती है कि-

दफ़ा १—हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ५३ के अतिरिक्त अपराधी इस संग्रहके अनुसार बेंतके दण्डके योग्य हैं ।

(क) यह ऐक्ट फ़िहरिस्तमें लिखे हुए ज़िलोंके अतिरिक्त समस्त ब्रिटिश इंडियामें प्रचलित किया गया है । देखो ऐक्ट १५ सन् १८७४ ई० दफ़ा २.

यह ऐक्ट दफ़ा ६ के अतिरिक्त ब्रह्मामें भी प्रचलित किया गया है । (देखो भाग १ का क्रोड पत्र २ एक्ट २० सन् १८८६ ई०)

यह ऐक्ट फ़िहरिस्तमें लिखेहुए ज़िलोंके ऐक्टके अनुसार जो सन् १८७४ ई०में प्रचलित किया गया था निम्नलिखित ज़िलोंमें प्रचलित किया गया है ।

(५४) प्रत्येक अवस्थामें जहां मृत्युदण्डकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंट को जहां अपराधीको दण्डकी आज्ञा हुई हो अधिकार होगा कि, बिना अपराधीकी प्रसन्नताके उस दण्डको और किसी दण्डके साथ जो इस संग्रहमें नियत की गई है बदलदे।

मृत्युदण्डके बदलेका दण्ड.

दफ़ा २—जो मनुष्य किसी अपराधका (कि जो नीचे लिखे हुएहैं) अपराधी हो तो उचितहै कि उसको किसी दण्डके बदले जो दण्डसंग्रह हिंदके अनुसारहो बेंतका दण्ड दिया जावे और वह अपराध यह हैं'

१—चोरी जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३७८ में उसका वर्णन हुआ है।

२—इमारत या डेरे या जहाज़ अथवा नावमें चोरी करना—जिसप्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३८० में उसका वर्णन हुआ है।

३—चोरी जो मुहर्रिर या नौकर करे कि जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३८१ में हुआ है।

४—किसी मनुष्यके मारने या हानि पहुंचानेकी तैयारी करके चोरी करना कि जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३८२ में हुआ है।

५—धमकी देकर बलपूर्वक माल छीनना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३८८ में कहा है।

६—किसी पदार्थको बलपूर्वक प्राप्त करनेकी नियतसे किसी मनुष्यको बदनाम करनेकी धमकी देना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३८९ में वर्णित हुआ है।

सिंध	देखो गज़ट आफ़ इंडिया.	१० अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफ़ा४८२	कमायूं व गढ़वाल	देखो गज़ट आफ़ इंडिया	४ नवम्बर सन्१८७६ ई० हिस्सा १ सफ़ा५
अदन	,,	२८ जून सन्१८७९ ई० हिस्सा १ सफ़ा ४३४	फ़िहरिस्तमें लिखा हुआ ज़िला मिर्ज़ापुर	,,	२१ मईसन् १८७९ई० हिस्सा १ सफ़ा ३८३
पश्चिमी जलपाई गोड़ी व पश्चिमी डवारिस व पश्चिमी कोहिस्तान व दार्जीलिंग व तराई व डमसन सब डवीज़न ज़िला दार्जीलिंग.	देखो गज़ट आफ़ इंडिया ५ मार्च सन् १८८१ ई० हिस्सा १ सफ़ा ७४		ओतसारबावर		३१मई सन् १८७९ ई० हिस्सा सफ़ा ३८२
			ज़िला हज़ारा, पेशावर कोहाट बन्नू, डेराईस्माईलखां, डेरागाज़ीखां	,,	३० जनवरी सन्१८८६ ई० हिस्सा १सफ़ा ४८
ज़िला हजारीबाग़ व लोहार डग्गा व मानभूमि व पर्गना धालभूमि व कोलहान ज़िला सिंहभूमि.	देखो गज़ट आफ़ इंडिया २२अक्टूबर सन्१८८१ई. हिस्सा १ सफ़ा ३७४.		ज़िला लाहौर	,,	१ मई सन् १८८६ ई० हिस्सा १ सफ़ा ३०१
			फ़िहरिस्तमें लिखे हुए ज़िले मध्य हिंदके	,,	१३दिसम्बर सन्१८७९ई० हिस्सा १ सफ़ा ७७१
मुहाल अंगल	,,	१५ फ़रवरी सन्१८७९ई० हिस्सा १ सफ़ा ६०	कुर्ग	,,	२८दिसम्बर सन्१८७८ ई० हिस्सा १सफ़ा ७४७
कमिश्नरी झांसी.	,,	२१ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफ़ा ५४६	एंडमान व नीकोबारद्वीप	,,	२५ मार्च सन्१८८२ई० हिस्सा १ सफ़ा १२८

(५५) प्रत्येक अवस्थामें जहां जन्मभरके देशनिकालेके दण्डकी आज्ञा हुई हो गवर्नमेंट हिंद या उस गवर्नमेंटको जहां अपराधीको इस दंडकी आज्ञा हुई हो अधिकार होगा कि, अपराधीकी बिना प्रसन्नता उस दण्डको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारके दंडके साथ जिसकी अवधि १४ वर्षसे अधिक न हो बदल दे ।

जन्मभरके देश निकालेकी कैदके बदलेका दण्ड.

(५६) जब कभी किसी मनुष्य पर जो यूरुप या आमेरिकाका रहनेवाला हो कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसका दंड इस संग्रहके अनुसार देश निकाला है तो अदालतको उचित है कि, ऐक्ट २४ सन् १८५५ ई० के अनुसार अपराधीको देश निकालेके बदले कैदकी अवस्थामें सेवादंडकी आज्ञा दे ।

यूरूपियों और आमेरिकनोंको देशनिकालेके बदले सेवादंड हो.

परंतु शर्त यह है कि, जब कोई अपराधी यूरुप या आमेरिकाका रहनेवाला न प्रचलित हो तो उपरोक्त ऐक्टकी दंडाज्ञाके योग्य या देश निकालेके योग्य कि, जिसकी अवधि १० वर्षसे अधिककी होनी होती परंतु जन्मभरको न होती तो वह इसके योग्य होगा कि, अदालत उसको कठिन सेवादण्ड करे कि, जिसकी अवधि छः वर्ष या इससे अधिक की हो—जन्मभरकी न हो ।

नोट—इस दफ़ाकी शर्त ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० के अनुसार बढ़ाई गई है ।

७—चोरीके मालको जानबूझकर बदनियतीसे लेना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४११ में कहा है ।

८—चोरीके मालको यह जानकर कि वह डकैतीसे पायागया है ले, बददियानतीसे लेना कि, जिसका वर्णन उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४१२ में हुआ है ।

९—घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफ़ा ४४३ व ४४५ में किया गया है—ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड बेंत दंड होसकता है ।

१०—रातके समय घर फोड़कर या अनुचित रीतिसे घरमें घुसना कि जिसका वर्णन इस संग्रहकी दफ़ा ४४४ व ४४६ में किया गया है ऐसे अपराधके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफ़ाके अनुसार बेंत दंड होसकता है ।

जिला सिलहट, देखो गज़ट आफ़ इंडिया, २४ अक्टूबर सन् १८७९ ई० हिस्सा १ सफ़ा ६३१

जिला कामरूप व नौ गांग व दारंग व शिवसागर व लखीमपुर व ग्वालपाड़ा व कछार — ,, २४ अगस्त सन् १८७८ ई० हिस्सा १ सफ़ा ५३३

यह ऐक्ट उपरोक्त ऐक्टके अनुसार पश्चिमोत्तर देशके ज़िला तराईसे भी सम्बंध रखता है—देखो गज़ट आफ़ इंडिया २३ सितम्बर सन् १८८६ ई० हिस्सा १ सफ़ा ५०५

(५७) दंडकी अवधिके विभाग करनेमें जन्मभरका देशनिकाला बीस वर्षके देश निकालेके समान समझा जायगा।

दंडकी अवधिके विभाग

नोट—इस दफ़ाके अनुसार जन्मभरका देश निकालाके दंडकी अवधि केवल २० वर्षकी रक्खी गई है।

(५८) प्रत्येक अवस्थामें जहां देश निकाले दंडकी आज्ञा हो जबतक देश निकाला न हो, अपराधीके साथ वैसाही वर्त्ताव कियाजावेगा कि मानो उसको कठिन क़ैदकी आज्ञाहुई है और जो मीआ़द (अवधि) इस प्रकारकी क़ैदमें व्यतीत होजायगी वह इसी देश निकालेके दंडमें गिनी जावेगी।

जिन अपराधियोंको देश निकालेके दंडकी आज्ञा हो तो उनको देश निकाला हो ते तक उनके साथ किसप्रका र वर्त्ताव कियाजावे ?

(५९) प्रत्येक अवस्थामें जहाँ अपराधी सात वर्ष या अधिक अवधिकी क़ैदके योग्यहो वहां दण्ड देनेवाली अदालतको अधिकारहोगा कि क़ैदका दंड देनेके बदले अपराधीको किसी एक अवधि के लिये जो सात वर्ष से कम और उस मीआ़द (अवधि) से अधिक न हो जिस अवधि तक वह अपराधी इस संग्रहके अनुसार क़ैदके योग्य है देश निकालेके दंडकी आज्ञा दे।

क़ैदके दंडके बदले किसर अवस्थामें देश निकालेकी आज्ञा दीजा सकतीहै.

१—इस संग्रहकी दफ़ा ५९ में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उस क़ैदके बदले जो अदालत अपराधीको धन दंड न वसूल होनेसे देसकतीहो देश निकालेका दंड दियाजावे (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफ़ा २८ लक्खूसाह बनाम श्रीमती महारानी)

२—इस संग्रहकी दफ़ा ५९ के अनुसार अदालत केवल उसी अवस्थामें देश निकालेका दंड दे सकती है कि जब अपराधीको सात साल या अधिक क़ैदकी आज्ञा हो—अदालत अपराध के सम्बंधमें दंडकी आज्ञा करते समय क़ैदके दंडको देश निकालेके दंडमें बदल सकती है—परंतु क़ैदके दंडकी आज्ञा सुनानेके पश्चात् ऐसी अदल बदल न होसकेगी। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द सपलीमेंट सफ़ा ३५)—

३—वह अफ्सर जिसको दफ़ा १ ऐक्ट ५ सन् १८६२ ई० के अधिकार प्राप्तहों—दंड क़ैदके बदले देश निकालेका दंड दे सकताहै। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ६ श्रीमती महारानी बनाम बुधुआ)

दफ़ा ३—यदि कोई मनुष्य जिसपर उपरोक्त अपराधोंमेंसे कोई अपराध प्रमाणित होचुका हो और फिर दूसरी बारभी वह उसी अपराधका अपराधीहो तो उसे उस अपराधका दंड अधिक देनेके साथही साथ बेंतका भी दंड दिया जासकताहै।

(ख) ब्रह्मा ज़ेरबनमें किसी २ अपराधमें जिनका वर्णन ऐक्ट सिपुर्दगी मुजारिमान व जेहलखाना ब्रह्माजेर बनमें है बेंतकाभी दंड दिया जा सकताहै। देखो ऐक्ट १६ सन १८८६ ई० दफ़ा ६ जिसकी मीआ़द ३० जून सन १८८७ ई० को बीतजायगा देखो दफ़ा ८ ऐक्ट उपरोक्त।

४—जब अपराधी कई एक अपराधों को करे जिनमें प्रत्येक अपराध सात वर्षसे कमकी क़ैदके दंड योग्य हो परंतु सब अपराधोंका दंड मिलकर सात वर्ष से अधिक हो जाय तो ऐसी अवस्थामें इस संग्रहकी दफ़ा ५९ के अनुसार सब दंड देश निकालेके दंडसे नहीं बदला जा सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ४४ श्रीमती महारानी बनाम तानूराम माली)

(६०) प्रत्येक अवस्था में जहाँ अपराधी दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदके योग्यहो वहां दंड देनेवाली अदालतको अधिकार होगा कि दंडकी आज्ञामें यहभी आदेश करे कि, समस्त क़ैद कठिन हो या साधारण हो याकि उस अवधिके कुछ समय तक क़ैद कठिन हो और शेष समय में क़ैद साधारण रहे।

क़ैदकी मुख्य अवस्थाओं में दंडकी आज्ञा कुछ या समस्त साधारण या कठिन हो सकेगी.

दफ़ा ४—यदि कोई मनुष्य जिसपर कोई अपराध नीचे लिखे अपराधोंमेंसे पहिले प्रमाणित हुआहो और फिर उसी अपराधमें पकड़ा जाकर वही अपराध प्रमाणित होवे तो उचित है कि सिवाय किसी और दंडके कि जिसका वह हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहके अनुसार दंडित हो उसको बेंतका भी दंड दियाजावे अर्थात्—

१—झूठी साक्षी (गवाही) देना या बनाना इसप्रकार पर कि जिसका वर्णन दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १९३ में है।

२—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे मृत्युदंडहो झूठी साक्षी देना या बनाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा १९४ में कहा है।

३—ऐसे अपराधको प्रमाणित करनेके लिये कि जिससे देश निकालेके दंड होनेकी नियत हो झूठी साक्षी देना या बनाना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा १९५ में कहा है।

४—किसीको झूँठा दोष लगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठामें हानि पहुंचे या प्रकृति विरुद्ध कोई कार्य करे जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा २११ व ३७७ में वर्णन किया गया है।

५—किसी स्त्रीका सतीत्व भंग करनेकी नियतसे बलपूर्वक आक्रमण करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३५४ में वर्णित है।

६—बलपूर्वक स्त्री प्रसंग करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३७५ में कहा है।

७—प्रकृतिके विरुद्ध काम करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३७७ में वर्णन किया गया है।

८—बलपूर्वक चोरी करना या डांका डालना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३९० व ३९१ में उसका वर्णन किया है।

९ बलपूर्वक (धमकाकर) चोरी करनेका उद्योग करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३९३ में उसका वर्णन किया है।

१०—बलपूर्वक चोरी करनेके अपराधमें जानबूझकर किसीको हानि पहुँचाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ३९४ में उसका वर्णन है।

(६१) प्रत्येक अवस्थामें जहां कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित हो जावे कि, जिसके सम्बन्धमें वह इस योग्य हो कि उसका समस्त धन (जायदादआदि) ज़ब्त किया जावे (राज्यमें लेलिया जावे) तो ऐसी अवस्थामें अपराधी किसी मालकोभी नहीं पा सकेगा सिवाय इसके कि, वह माल गवर्नमेंटके लाभके लिये प्राप्त किया जावे जबतक कि, वह उस दंडके बदले दूसरे ठहराये हुए दंडको न भुगतले या जबतक कि, उसका दंड न माफ़ (क्षमा) किया जाय।

धनकी ज़ब्तीका दंड.

उदाहरण।

शिवशंकर जिसके ऊपर गवर्नमेंट हिंदके विरुद्ध युद्ध करना प्रमाणित हुआ इस बातके योग्यहै कि उसकी समस्त सम्पत्ति ज़ब्त की जावे-दंडकी आज्ञा होनेसे पीछे और भुगतनेसे पहिले शिवशंकरका बाप मरा और यह जायदाद शिवशंकरको उस अवस्थामें मिलती कि जब उसके सम्बन्धमें जब्ती जायदादकी कुछ आज्ञा न होती तो ऐसी अवस्थामें सम्पूर्ण सम्पत्ति गवर्नमेंटकी मिल्कियत होगी।

१—जायदाद ज़ब्तीकी आज्ञा केवल उसी अवस्थामें दी जासकती है कि जब अपराध देशनिकालेके दंडके योग्य हो या सात सालकी कैदके योग्यहो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ३५ फौजदारी)

११—समझ बूझकर स्वभावसेही चोरीका माल लेना या व्यवहार करना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४१३ में उसका वर्णन किया गया है।

१२—जालसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४६३ में उसका वर्णन हुआ है।

१३—लेख (दस्तावेज़) की जालसाज़ी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४६२ में उसका वर्णन हुआ है।

१४—लेखकी जालसाज़ी कि जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४६७ में उसका वर्णन हुआ है।

१५—धोखा देनेके अभिप्रायसे जालसाज़ी करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४६८ में उसका वर्णन हुआ है।

१६—किसी मनुष्यकी नेकनामी में बट्टालगानेके अभिप्रायसे जाली दस्तावेज़ बनाना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४६९ में उसका वर्णन हुआ है।

१७—घर फोड़कर या बलपूर्वक घरमें घुसना जिस प्रकार उपरोक्त संग्रह की दफ़ा४४३ व ४४५ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफ़ाके अनुसार बेंत-द्वारा हो सकता है।

१८—रातके समय घरफोड़कर या बलपूर्वक अनीति से घरमें घुसना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफ़ा ४४४ व ४४६ में उसका वर्णन हुआ है ऐसा अपराध करनेके अभिप्रायसे कि जिसका दंड इस दफ़ाके अनुसार बेंत द्वारा हो सकता है।

२—जायदादकी जब्तीका एक ऐसा दंड है जो बड़े भारी अपराधके लिये होना चाहिये या उन अपराधोंमें कि जो बहुतही बुरी अवस्थामें किये गये हैं क्यों कि यह दंड ऐसा है कि जो केवल क़ैदीके लियेही नहीं है बरन उसके सम्पूर्ण कुटुम्बके लिये है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा १७ फौजदारी)

(६२) जब किसी मनुष्य पर ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले दंड वध हो सकता है तो अदालतको यह तजवीज़ करनेका अधिकार है कि, अपराधीका कुलधन स्थावर व अनस्थावर (मनकूला व गैर मनकूला) गवर्नमेंटमें ज़ब्त हो और जब कि, किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो कि, जिसके बदले देश निकाले का दण्ड या सात वर्षसे अधिककी क़ैद होसकती है तो अदालत को यह तजवीज़ करनेका अधिकार है कि, देश निकालेके दंड या क़ैद की मीआदके भीतर अपराधीके कुल धन स्थावर व अनस्थावर का लगान व किराया व मुनाफ़ा इस शर्तके साथ गवर्नमेंटमें जब्त रहे कि, अपराधीके कुटुम्ब परिवार व स्त्री बच्चोंके लिये उपरोक्त दंडकी अवधिमें जो आजीविका गवर्नमेंट उचित समझे उस जायदादसे दे ।

जब्ती ऐसे अपराधियों के मालकी जो मृत्युदंड (वध), देशनिकाले या कैदकेदंड योग्य हो.

१—हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ६२, कि जिसमें जायदादके ज़ब्त करनेके सम्बंध में आज्ञा है केवल उसी अवस्थामें काम आसकेगी कि जब अपराधीको देश निकालेका दंड दिया गया हो या कमसे कम ७ वर्षके लिये क़ैदकी आज्ञा दी गई हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ३५ श्रीमती महारानी बनाम किरपा मवई आदि)

२—सेशनजजने एक ज़मींदारको इस अपराध पर देश निकालेका दंड दिया कि,उसने एक बहका लाये हुए मनुष्यको अनुचित रीतिपर बंदरक्खा और उपरोक्त दंड देनेके साथही साथ यहभी आज्ञादी कि उसकी ज़मींदारी का लगान व मुनाफ़ा ज़ब्त किया जावे तजवीज़ हुई कि,इस दंडकी आज्ञा बहुतही कड़ी थी । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा १७ श्रीमती महारानी बनाम तोता मियां)

(६३) जहांपर कहीं जुर्माने की सीमा नियत नहीं की गई वहां पर उस जुर्माने की तादाद कि अपराधी जिसके योग्य होगा असीम है परंतु चाहिये कि अटकलसे अधिक नहो ।

जुर्माने की तादाद.

दफ़ा ५—उचित है कि किसी कम आयु वाले अपराधीको जो ऐसा अपराध करे कि जिसका दंड, दंडसंग्रहहिंदके अनुसार फांसी न हो चाहे वह अपराध उससे पहलीही बार हुआहो चाहे दूसरीबार—उसे बेंत काभी दंड देना चाहिये ।

(६४) प्रत्येक अभियोग में जिसमें किसी अपराधीपर जुर्मानेका दंड किया जाय तो दंड करनेवाली अदालत दंडके साथमें आज्ञा दे सकेगी कि, जुर्माना न अदा करेगा तो अपराधी इतनी अवधितक क़ैदमें रहेगा और यह क़ैद उस क़ैदसे सिवाय होगी जो उस अपराधीको दंडमें की गई हो या उस क़ैदसे सिवाय होगी जो किसी दूसरे दंडके बदले ठहराई गई हो ।

जुर्माना अदा न होनेके बदले दंडकी आज्ञा

१—जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामें उतनेही अवधि तकके लिये दंड क़ैद की आज्ञा होगी कि जो अवधि अपराधके दण्ड क़ैदकी चौथाईसे अधिक न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा २ फ़ौजदारी)

२—जिस अभियोगमें देश निकालेका दंड हो उसमें जुर्माना न अदा होनेसे दंड क़ैदकी आज्ञा नहीं हो सकती (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ३१)

(६५) यदि किसी अपराधके बदलेमें क़ैद और जुर्माना दोनोंही दंड नियत हों तो जो क़ैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो उसकी अवधि उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी अवधिके एक चौथाई से अधिक न होगी जो उपरोक्त अपराधके दंडमें नियत है ।

जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें क़ैदके अवधिकी सीमा जब कि अपराधका दंड क़ैद और जुर्माना दोनों हों।

(६६) जो क़ैद जुर्माना न अदा होनेके बदले अदालतकी आज्ञासे निश्चय हुई हो वह उसी भाँति की हो सकती है जो उस अपराधके बदलेमें अपराधीके लिये निश्चय हो सकती हो ।

जुर्माना न चुकनेके बदले क़ैदका प्रकार.

दफ़ा ६—जब किसी लोकल गवर्नमेंटने सर्कारी गज़ट द्वारा सूचना देकर इस दफ़ाकी शर्तोंको किसी सरहद्दी ज़िला या देशके चारों ओर जंगलमें जो उपरोक्त गवर्नमेंटके अधिकारमें हो प्रचलित किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानेके पश्चात् उपरोक्त ज़िलों आदिमें दफ़ा ४ के अपराधोंमेंसे किसी अपराधको करे—तो उचित है कि किसी और दंडके बदले जिसका वह दंडसंग्रह हिंदके अनुसार दंडके योग्य हो उसे बेंतका दंड दिया जावे ।

दफ़ा ७—(ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० के अनुसार मंसूख़ हो गई)

दफ़ा ८—(ऐक्ट नं० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मंसूख़ होगई)

दफ़ा ९—१०—(ऐक्ट नं० १६ सन् १८७४ ई०के अनुसार मंसूख होगई)

दफ़ा ११—१२ (ऐक्ट नं० १० सन् १८७२ ई० के अनुसार मंसूख होगई ।)

(६७) यदि अपराधके बदलेमें केवल जुर्मानेही का दंड नियत हो तो वह कैद जो अदालत जुर्माना न अदा होनेके बदले ठहरावेगी साधारण कैद होवेगी और उस कैदकी अवधि जो जुर्माना न अदा होनेकी अवस्थामें अदालतकी आज्ञासे निश्चय हो नीचे लिखी हुई सीमासे अधिक न होगी, अर्थात्– जब जुर्मानेकी तादाद ५०) रु० से अधिक नहो तो दंड कैद दो महीनेसे अधिक नहो।

जब कि अपराधका दंड केवल जुर्माना है उस अवस्थामें जुर्माना न अदाहोनेसे कैदकी अवधि.

जब जुर्माना १००) रु० से अधिक न हो तो दंड कैदकी अवधि ४ महीनेसे अधिक न हो और शेष अवस्थामें कोई अवधि जो छः महीनेसे अधिक न हो।

१—जिस अपराध का दंड कैद और जुर्माना दोनों या केवल जुर्माना का हो सकता है और मजिस्ट्रेट केवल जुर्माने के दंडकी आज्ञादे तो जुर्माना न चुकनेके बदले कैदकी अवधि दफ़ा ६७ के अनुसार नियत की जावेगी नकि दफ़ा ६५ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा ३० फ़ौजदारी)

(६८) जो कैद जुर्माना अदा न होनेकी अवस्थामें ठहराई गई हो वह उसी समय समाप्त होजायगी जब कि जुर्माना अदा किया जाय या क़ानूनकी रीतिसे वसूल कर लिया जाय।

जुर्माना अदा करदेनेपर ऐसी कैद समाप्त होजायगी.

(६९) यदि उस कैदकी अवधि व्यतीत होनेसे पहिले जो जुर्माना न चुकनेकी अवस्थामें नियत हो कोई ऐसा भाग जुर्मानेका चुका दिया जाय या वसूल कर लिया जाय कि जितनी अवधि कैदकी व्यतीत होगई हो वह शेष, बिना जुर्माना चुकेसे समीभूत हो तो वह कैद उसीसमय समाप्त हो जायगी।

व्यतीत होना इस कैदका जब कि जुर्मानेका कुछ भाग चुका दिया जाय.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर पर सौ रुपये जुर्माने का दंड और जुर्माना न चुकने की अवस्थामें चार मासके लिये कैदकी आज्ञा हुई हो तो इस अवस्थामें यदि अवधि का एक महीना बीतनेसे पहिले ७५) रु० चुकाये जावें या वसूल कर लिये जावें तो पहिला महीना बीततेही शिवशंकर छूट जायगा और यदि पहिला महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद रहनेकी अवस्थामें ७५) रुपये चुकाये जाँय तो शिवशंकर तुरंत ही छूट जायगा और यदि अवधिके दो महीने बीतनेसे पहिले जुर्मानेमें के ५०) रु० चुकाये जाँय या वसूल कर लिये जाँय तो दो महीने बीतते ही शिवशंकर तत्कालही छूटजायगा और यदि इन दो महीनोंके बीततेही या उसके पश्चात् शिवशंकरके कैद रहनेकी अवस्थामें ५०) रु० चुकाये जाँय या वसूल कर लिये जाँय तो शिवशंकर उसी समय छूट जायगा।

(७०) जुर्माना या उसका कोई भाग जो वसूल होनेसे शेष रहगया हो दंडाज्ञाकी तारीखसे छः वर्षके भीतर हर समय वसूल किया जा सकता है और यदि अपराधी छः वर्षसे अधिक दंडके योग्यहो तो वह उस दंडकी अवधिके व्यतीत होनेसे पहले प्रत्येक समय वसूल किया जा सकता है।

जुर्माना ६ वर्षके भीतर या कैदकी अवधि में किसी समय वसूल किया जा सकता है.

और अपराधीके मरजानेसे कोई माल जो उसके मरनेके पश्चात क़ानूनानुसार ऋण के झगड़ेमें फँस सकता है इस दायित्वेस नहीं छूट सकता।

अपराधीके मरजानेसे उसकी जायदाद नहीं छूटती.

१—हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ७० के अनुसार जुर्मानेका रुपया अपराधीके अनस्थावर (गैर मनकूला) धनसे उसकी जीवित अवस्थामें या उसके मरनेके पश्चात् किसी प्रकारसे भी नहीं वसूल हो सकता, केवल स्थावर धनसे वसूल हो सकता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ६३)

२—जुर्माना प्रत्येक अवस्थामें वसूल कर लिया जावेगा चाहे अपराधीने जुर्माना न देनेके बदले दंड कैदका भाग लिया हो, क्योंकि यह एक दंड अदालतके सम्बन्धमें है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ६१)

(७१) जिस अवस्थामें कोई काम, जो अपराध है, कुछ टुकड़ोंसे बना हो और इन टुकड़ों का प्रत्येक टुकड़ा जो स्वयंही अपराध हो तो अपराधीको उन अपराधोंमेंसे एकसे अधिक अपराधका दंड न दिया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि, जब ऐसे दंडकी आज्ञा में स्पष्ट लेख हो—

अपराधके दंडकी अवधि जो कई अपराधों युक्त है.

जब कोई काम ऐसा अपराध हो जो किसी ऐसे क़ानूनके जो उस समय प्रचलित हो दो या अधिक विरुद्ध लक्षणोंमें संयुक्त हो जिसमें अपराधोंका वर्णन या उनके दंडोंका लेख हो या जब कुछ काम जिनमेंसे एक या एकसे अधिक का संग्रह स्वयं ही अपराध है, सबके सब इकट्ठा होकर कोई और अपराध होजावें, तो अपराधीको उस दंडसे अधिक कडा दंड न दिया जायगा जिसको अदालत, जो उसके सम्बन्धमें विचार करती है, ऊपर लिखे अपराधोंमेंसे किसी एक अपराधके सम्बंधमें ठहरा सकती है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरको पचास लकडियें मारीं तो इस अवस्थामें सम्भव है कि, शिवशंकर ने जान बूझकर रमाशंकरको दुःख पहुंचानेका अपराध इस सब मारपीटके द्वारा किया

हो और यह भी कि चाहे उन चोटोंमेंसे जिनको मिलाकर वह सब मारपीटगिनीगई प्रत्येकके द्वारा किया हो-इस अवस्थामें यदि शिवशंकर प्रत्येक मारके बदले दंडके योग्य होता तो वह पचास वर्षतक कैद रह सकता था, अर्थात् प्रतिमारके लिये एक वर्ष-परंतु वह कल मारपीटके बदले केवल एकही दंडके योग्यहोगा।

(ख) फिर जब कि शिवशंकर रमाशंकरको मार रहा है उमाशंकर हस्ताक्षेप करे और शिवशंकर उमाशंकरको जान बूझकर मारे तब जो कि वह मार जो उमाशंकर पर पड़ी है, उस कामका कोई भाग नहीं है जिससे शिवशंकरने रमाशंकरको जान बूझकर कष्ट पहुंचाया-इसलिये शिवशंकर रमाशंकर को जान बूझकर कष्ट पहुंचानेके अपराधमें एक दंडके योग्य होगा और उस मारके अपराधमें जो उमाशंकर पर पड़ी दूसरे दंडके योग्य होगा।

१--जब कि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हों तो प्रत्येक अपराधके सम्बन्धमें विचार करना चाहिये चाहे दफ़ा ७१ अभियोगसे सम्बंध रखती हो या नहीं और दफ़ा ७१ के अनुसार प्रत्येक अपराध का विचार होना चाहिये (इलाहाबाद जिल्द १० सफ़ा ५८)

२--जब किसी मनुष्यपर घर फोडने (सेंध लगाने) का अपराध दफ़ा ४५७ व चोरीका अपराध जो उसी समय की गई दफ़ा ३८० दंडसंग्रह हिंद के अनुसार लगायाजावे तो वह इस दफ़ाके अनुसार एकही अपराधका अपराधी ठहराया जावेगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफ़ा ८७)

३--चोरी और चोरी के माल को लेजाना और रख छोडना एकही अपराध है इसलिये उनका दंड पृथक् २ नहीं हो सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ६३)

४--अपराधीको मनुष्यवधके अपराधमें व क़ानूनके विरुद्ध इकट्ठा हुए मनुष्यों के समूहमें जानेके अपराध में पृथक् २ दंडकी आज्ञा दी गई-परंतु हाईकोर्टके विचारमें दोनों अपराध एक ही अपराध समझे गये (क्योंकि पीछे का अपराध केवल पहले अपराधकी साक्षी की भांति था) इस लिये इस पिछले अपराध में अपराधी दंडरहित किया गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा १३ फ़ौजदारी)

५--एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर झूंठा दोष लगाया और अभियोग चलनेके समय उस दोषकी दृढ़ता में झूठी गवांही भी अदालतमें दी-हाईकोर्टकी यह राय हुई कि अपराधीको झूठा दोष स्थिर करने और झूठी गवाही देनेके अपराध में अलग २ दंड होना चाहिये। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ५९ फ़ौजदारी)

६--एकही गवाहीमें चाहे कितने ही झूठे बयान किये जावें परंतु उनके सम्बंधमें झूठी गवा ही देनेका एकही अभियोग चलेगा झूठी गवाही देनेके अपराधोंकी तादाद (संख्या) झूठे बयानों से जो एकही गवाहीमें हो नहीं बढ़ सक्ती (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६-अपील सफ़ा २७)

* ७--अपराध ले भागनेका दफ़ा ४६३ के अनुसार और फिर बेचने अनसमझ (नाबालिग़) का दफ़ा ३७२ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार अलग २ अपराध हैं और अलग २ दंडके योग्यहैं (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा १०४)

८—जब कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो तो उसको एक अपराधका अपराधी ठहराना और दूसरे अपराधसे बरी करना उचित नहीं—चाहे अपराध एक दूसरे से सम्बंध ही क्यों नरखते हों (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा २)

उस मनुष्यका दंड जो कई अपराधोंमेंसे एकका अपराधी पायाजावे जब कि आज्ञामें लिखागया हो कि निश्चय नहीं इन अपराधोंमें-से किसका अपराधी है।

(७२) प्रत्येक अवस्थामें जहां यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोंमेंसे कि जिन का वर्णन फ़ैसलेमें हो किसी एक अपराध का कोई मनुष्य अपराधी हुआ है परंतु इसका संदेह रहजावे कि वह मनुष्य उन अपराधोंमेंसे कौनसे अपराधका अपराधी है तो अपराधी को उस अपराधके बदलेमें दंड दिया जायगा जिसके लिये कमसे कम दंड नियत किया गया है इस नियमसे कि उन सब अपराधोंके लिये एकही दंड नियत नहीं किया गया हो।

एकांतवासका दंड (क़ैद तनहाई.)

(७३) जब किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित हो जिसके बदले इस संग्रहके अनुसार अदालतको कड़ी क़ैदके दंडकी आज्ञा देनेका अधिकार है तो अदालत अपने दंडकी आज्ञामें यह आज्ञा देसकती है कि अपराधी निश्चय की हुई क़ैदकी अवधिमेंसे किसीएक अवधितक या कई अवधितक कि जिसका पूरा समय तीन महीनेसे अधिक न हो नीचे लिखे अनुसार एकांत वासके दंड (क़ैदतनहाई) में रहे, अर्थात्;—

यदि क़ैदकी अवधि छः महीनेसे अधिक न हो तो क़ैद तनहाई एक महीनेसे आधिक न होगी, यदि क़ैदकी अवधि छः महीनेसे आधिक और एक सालसे अधिक न हो तो क़ैद तनहाई की अवधि दो महीनेसे आधिक न होगी और यदि क़ैदकी अवधि एक वर्षसे आधिक हो तो क़ैद तनहाई तीन महीनेसे आधिक न होगी।

१—क़ैद तनहाई का दंड पुराने अपराधियोंके लिये बहुत ही लाभदायक है मुख्य करके उन अपराधियों के लिये जो मालके अपराधों में दंडित किये जावें साधारण रीतिपर क़ैद तनहाई का दंड उन मनुष्यों के योग्य नहीं है जो मनुष्यवधके दंडके योग्य अपराधी ठहरायेजावें (सी. पी. ला. रि. जिल्द ५ सफ़ा ४८ फ़ौजदारी)

एकांतवास की अवधि.

(७४) एकांतवासका दंड करनेमें यह अवधि कभी एक बार चौदह दिनसे अधिक न होगी और दोबेरके एकांतवासके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समयसे कम न होगा और जब कि निश्चयकी हुई क़ैदकी अवधि तीन महीनेसे अधिक हो तो कुल निश्चयकी हुई क़ैदकी अवधिमेंसे किसी एक महीनेमें एकांतवास सात दिनसे अधिक न होगा और एकांतवासकी दो अवधियोंके बीचका अंतर उपरोक्त अवधिके समय (मुद्दत) से कम न होगा।

उन मनुष्योंका दंड जो पहले किसी ऐसे अपराधके अपराधी प्रमाणित होचुकेहैं जिसके बदलेमें तीन वर्षकी कैदहै और फिर वैसेही अपराधके अपराधी प्रमाणित हुए हों.

(७५) यदि किसी मनुष्यपर कोई ऐसा अपराध प्रमाणित होचुकाहो जिसके बदलेमें इस संग्रहके अध्याय १२ या १७ के अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी क़ैद नियत है और वह मनुष्य फिर किसी ऐसे अपराधका अपराधी हो जिसके बदलेमें किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी तीन वर्ष या अधिककी क़ैद नियत है तो ऐसे प्रत्येक नये अपराधके बदले उस अपराधीको आजन्म देश निकाले का दंड या दोनों प्रकारमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका दंड जिसकी अवधि दश वर्षतक हो सकती है हो सकता है ।

१—यदि एकहीसे कई अपराध एकही समयपर हों तो दफ़ा ७५ के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकती । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ९०)

२—हिन्दुस्थानके दंड संग्रहकी दफ़ा ७५ के अनुसार अधिक दंड उस समय दिया जावेगा कि जब अपराधी इस संग्रहके प्रचलित होने उपरांत अध्याय १२ व १७ के अनुसार दंडित हुआहो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा १७ फ़ौजदारी)

अध्याय चौथा ४.



साधारण छूटके वर्णनमें ।

काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका करना क़ानूनानुसार उचित हो या जिस वृत्तांतको यथार्थ न समझ लेनेसे अपने ऊपर उसका करना क़ानूनानुसार उचित जानताहो.

(७६) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्यकरे जिसपर उसका करना क़ानूनानुसार उचितहै या जिसको वह मनुष्य करे कि जो किसी वृत्तांतकी यथार्थ दशाको न समझकर न कि क़ानूनकी ग़लत समझीके कारण, नेक नियतीके साथ यह निश्चय करताहो कि उस कामका करना उसपर क़ानूनानुसार उचितहै ।

उदाहरण ।

(क) यदि शिवशंकर कि जो सिपाही है अपने अफ्सरकी क़ानूनानुसार आज्ञासे मनुष्योंके एक समूहपर बंदूक़ चलाये तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

(ख) यदि शिवशंकरको कि जो किसी कोर्ट आफ़ जष्टिसका ओहदेदार है उस कोर्टसे रमाशंकर के क़ैद करनेकी आज्ञा मिले और ठीक २ जांचके पश्चात् उमाशंकर को रमाशंकर जानकर क़ैद करे तो शिवशंकर किसी अपराध का अपराधी न होगा ।

(७७) कोई काम अपराध नहीं है जो कोई जज अदालतका काम करते हुए किसी ऐसे अधिकारको काममें लाकर करे कि जो उसे क़ानूनानुसार प्राप्तहै या जिसके सम्बन्धमें वह नेक नियतीके साथ यह निश्चय करताहो कि उपरोक्त अधिकार उसे क़ानूनानुसार प्राप्तहै।

जजका काम जब कि वह अदालतका काम कररहाहो.

(७८) कोई काम अपराध नहीं है जो किसी कोर्टआफ़जस्टिसकी किसी तजवीज़ या आज्ञाके अनुसार किया जावे या जिसके करनेकी आज्ञा उस तजवीज़ या हुक्मसे पाई जाती हो; इस दशामें कि उपरोक्त काम उस समयके भीतर कियाजाय जब कि वह तजवीज या आज्ञा प्रचलित रहे, चाहे उस कोर्टआफ जस्टिसको ऐसी तजवीज़ या आज्ञा का अधिकार न हो परंतु काम का करनेवाला मनुष्य नेकनियती (शुद्धभाव) से निश्चय करता हो कि कोर्टआफ़जस्टिसको उस प्रकारका अधिकार प्राप्तहै।

काम जो किसी कोर्टआफजस्टिसकी तजवीज (विचार) या आज्ञानुसार किया जावे.

(७९) कोई काम अपराध नहीं है जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसको उसका करना क़ानूनानुसार उचित है या वह मनुष्य करे जो किसी वृत्तांतका यथार्थ अभिप्राय न समझनेसे, न कि क़ानूनकी ग़लत समझीके कारण, नेकनियतीके साथ अपनेको उस कामके करनेका क़ानूनानुसार अधिकारी निश्चय करताहो।

काम जो किसी ऐसे मनुष्यसे हो जो क़ानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी है या जो वृत्तांत अशुद्ध समझनेसे अपने को क़ानूनानुसार उसके करनेका अधिकारी समझताहो.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर रमाशंकरको ऐसा काम करते देखे जो शिवशंकरके निकट ज्ञातघात जानपडे और शिवशंकर अपनी बुद्धिको यथा सम्भव शुद्ध भावसे काममें लाकर उस अधिकारको वर्त्तनेमें जो क़ानूनानुसार सब मनुष्योंको प्राप्त है कि घात करते हुए घातकों को कैद करे रमाशंकर को इस लिये कैदकरे कि उसको किसी यथोचित् अधिकारी हाकिमके सन्मुख लाये तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस कामका अपराधी न हुआ, चाहे यह बात निश्चय हो जावे कि रमाशंकर वह काम अपनी रक्षाके लिये कर रहा था।

१—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यको क़ैद करनेमें जिसको वह शुद्ध भावसे चोर जानताहो कुछ सख्ती करे या हानिभी पहुंचावे तो वह इस संग्रहकी दफ़ा ७९ के अनुसार किसी अपराध का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ९ श्रीमती महारानी बनाम परताप चौकीदार)

(८०) कोईकाम अपराधनहीं है, जो दैवात् या कुभाग्यसे बिना किसी अपराध योग्य नियत या समझबूझकर किसी उचित कामके करने में होजावे और वह काम उचित रीति व नीतिपूर्वक यथोचित् सावधानी और चैतन्यताके साथ कियाजावे।

नीतिपूर्वक काम करने में हठात् कुछका कुछ होजाना

उदाहरण.

यदि शिवशंकर कुल्हाडी से काम करता हो और फल निकल कर किसी मनुष्यके जालगे जो समीपही खड़ा हो, और वह मर जावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर का यह काम अपराध योग्य नहीं है जब कि शिवशंकरकी ओरसे यथोचित् सावधानी में कुछ कमी न हुई हो।

(८१) कोई काम केवल इस कारणसे अपराध न होगा कि कर्त्ता यह जानकर करे कि उससे कोई हानि होनी सम्भव है बशर्ते कि उस कामके करन में कप्रयोजन हानि पहुँचाने की नियत न हो और वह काम शुद्धभाव के साथ माल या जानको किसी दूसरी हानिसे बचाने या रोकनेके अभिप्रायसे किया जावे।

काम जिस से हानि पहुंचना सम्भव है परंतु किसी कुप्रयोजनके विना और दूसरी हानि रोकने के लिये किया जावे.

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्था में यह बात निश्चयकरनी होगी कि वह हानि, जिसके रोकने या बचाने का अभिप्राय था इसप्रकारका और ऐसी सभावित थी कि ऐसे कामके होजाने से जोखिमका उत्पन्न करना उचित या क्षमाके योग्य हो सकता है या जब कि अपराधी जानता था कि उस कामके करने से हानि उत्पन्न होना सम्भव है।

उदाहरण.

(क) यदि शिवशंकर, कि जो एक धुंए वाले जहाज़ का कप्तान है, हठात् बिना किसी अपराध या, अचैतन्यताके एक ऐसे स्थान पर पहुँचा कि जब तक वह अपने जहाज़ को रोके तबतक रामबाण नावको जिसमें २० अथवा ३० यात्री थे अवश्य टक्कर लगती जान पड़ी और टक्कर बचानेका केवल यही उपाय था कि शिवशंकर अपने जहाजका मुंह दूसरी ओर फेर देता परंतु मुँह फेरने से इस बातकी हानि थी कि और एक नाव रुद्रशरको कि जिसमें केवल दोही यात्री थे टक्कर लगती तथापि उस का बचनाभी संभव था, यहां यदि शिवशंकर रुद्रशरनावको टक्कर देने के अभिप्राय बिना और रामबाणके यात्रियों को टक्कर लगने की आपत्तिसे बचाने के निमित्त अपने जहाज़का मुंह शुद्ध भावसे फेर दे तो वह किसी अपराधका अपराधी न होगा, चाहे उसके इस कामसे, जिसको वह जानता था कि इस से रुद्रशर नाव को टक्कर लगना अति सम्भव है रुद्रशर को टक्करभी लगजाती, जबकि यह बात प्रमाणित हो जावे कि वास्तवमें वह हानि, कि जिस्से बचाना उसकी नियतमें था ऐसी थी कि उसके कारणसे रुद्रशरको टक्कर दिलाना क्षमा के योग्यथा।

(ख) यदि बड़ी भारी आग लगी हो और शिवशंकर इस अभिप्रायसे घर गिरावे कि आग न फैलने पावे और वह यह काम शुद्धभावके साथ मनुष्योंके प्राण व धन बचानेके अभिप्राय से करे इस अवस्थामें यदि यह बात प्रमाणित हो कि वह हानि जिसकी रोकका अभिप्राय था

इस प्रकारकी और ऐसी संभवित थी कि उससे शिवशंकरका काम क्षमाके योग्य हुआ तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा ।

१—एक मनुष्यने अपने ताड़ीके बासनों में धतूरे का रस (अर्क) यह जान कर कि, यदि मनुष्य उसको पियेगा तो उसको हानि पहुँचेगी, चोरको पकड़नेके अभिप्रायसे जो उसकी ताड़ी चुराकर ले जाता था, भरदिया; इस अर्कको कुछ सिपाहियों ने छिपाकर बेचने वाले से मोललेकर पी लिया और उससे उनको हानि पहुँची—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त मनुष्य हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ३३८ के अनुसार दंडके योग्य था, दफ़ा ८१ में लिखेहुए हुक्मों से वह दंड से नहीं बच सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ५९)

सातवर्षकी अवस्थासे नीचेके बालकका काम.

(८२) कोई काम जो सात वर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकने किया हो अपराध न होगा ।

सातवर्षसे ऊपर और बारहवर्षसे नीचेकी अवस्थाके बालकका काम जिसे उचित बुद्धि न हुई हो.

(८३) कोई काम अपराध नहीं है जो सात वर्षसे अधिक और बारह वर्षसे कम अवस्थाका बालक करे जब कि उसकी समझ इतनी पकायतीको न पहुँची हो कि वह उस कामके गुण और उसके फलकी बुराई भलाईको समझसके ।

१—एक कम उमर लड़केने एक हार १॥) रु० के मूल्यका चुराया और एक दूसरे मनुष्य के हाथ ।-) में बेचा लड़का इस कारण छोड़ा गया कि दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ८३ के अभिप्रायसे उसकी बुद्धि पकायतीको नहीं पहुंची थी, मोल लेने वाला दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ४४१ के अनुसार दोषी ठहरायागया क्योंकि उसने जान बूझकर चोरी का माल लिया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफ़ा ३७३)

उस मनुष्यका काम जिसकी बुद्धि बिगड़ी हो.

(८४) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय अपनी बुद्धिके बिगाड़के कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कर रहा है अनुचित या कानूनके विरुद्ध है ।

१—अपराधीने अपने दो लड़कोंको कुल्हाड़ी से काट डाला, इस अपराध का कारण यह बयान कियागया है कि जब वह ज्वर (बुख़ार) में पड़ा हुआ था उसे उसके बच्चोंके चिल्लाने का शब्द बुरा जान पड़ा-यह भी बयान किया गया था कि ज्वरके कारण उसके स्वभाव में अंतर आगया था और उसको शब्द भला नहीं लगता था, परंतु यह प्रगट नहीं हुआ कि अपराध करने के समय अपराधी अचैतन्य (बेहोश) था—अपराधीने सच्चा वृत्तांत छिपानेकी कोई इच्छा नहीं प्रगटकी-बरन प्रत्येक अपराधको पूरा २ स्वीकार किया-हाईकोर्टने यह तजवीज़की कि जिस अवस्था में अपराधी अपने कामके गुणको जानता था तो उसके सम्बंधमें विचार लेना चाहिये कि वह अपने कामके दंडको भी जानता था—इस लिये वह ज्ञातघात का अपराधी है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफ़ा ५१२)

२—क़ैदीने एक मनुष्यको लाठी से मार डाला और जब वह पहली बार देखा गया तो लाशके आसपास अपनी लाठी घुमाता फिरता था और जब दूसरी बार देखा गया तो एक पेड़के नीचे जहां एक घोड़ा बँधा हुआ था "हुश हुश" करता था—थोड़ी देरके पश्चात् उसने कुछ मनुष्योंपर आक्रमण (हमला) करके उनके संदूक तोड़ डाले और उनका असबाब गिरा दिया अफ्सर पुलीसने कि अपराधी जिसकी रक्षामें था बयान किया कि वह कभी तो सावधान हो जाता था और कभी असावधान (पागल) विचारके समय वह सावधानीकी बातें करता था परंतु आकृतिसे व्याकुल जान पड़ता था, इस लिये हाईकोर्ट से छूट गया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ४२)

३—अपराधीने अपने लड़केको एक देवताके आगे मार डाला और स्वयं अपना गला काटकर उस देवता पर चढ़ाने का उद्योग किया और एक दिनके पश्चात् पकड़ागया, परंतु वह बोल न सकता था इस लिये उसने यह लिख दिया—मेरा लड़का मंगलके दिन जी उठेगा—मैंने चढावा माना था कि यदि मेरे लड़का उत्पन्न होगा तो उसको गंगाकी भेट करदूंगा और पूजा करूंगा—यद्यपि लड़का तो उत्पन्न हुआ परंतु उसके साथ धन नहीं आया, इस लिये मैंने उसको मार डाला—यह भी प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अपराधी नशेकी अवस्थामें बहुतही सावधान रहता था, परंतु कभी उसकी बुद्धि न बिगड़ी थी और विचारके समय उसने कियेहुए अपराधसे इन्कार किया—इस लिये अपराधी समझा जाकर दण्डित हुआ। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा १००)

उस मनुष्यका काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध दिये हुए नशेके कारण विचार करनेको असमर्थ हो.

(८५) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा मनुष्य करे जो करते समय नशेमें होनेके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके योग्य न हो कि जो वह कररहा है अनुचित या क़ानूनके विरुद्ध है—उस अवस्थामें कि जब वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजानमें या इच्छाके विरुद्ध उसे दियागयाहो।

यदि अपराधी स्वयं ही अपनेको नशेकी अवस्था में करले तो अपराध से बचनेके लिये पूरा प्रमाण नहीं है। वीक्लीरिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ७९ फ़ौजदारी)

अपराध जिसमें विशेष ज्ञान या प्रयोजन अवश्य हो और जिसको वह मनुष्य करे जो नशेमें हो.

(८६) जिन अवस्थाओंमें कोई किया हुआ काम अपराध नहीं है, सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह किसी विशेष ज्ञान या प्रयोजनसे किया गया हो, उन अवस्थाओंमें उस मनुष्यके साथ, जो नशेकी अवस्थामें इस कामको करे उसीप्रकार वर्त्ताव किया जायगा कि मानो उसको वही ज्ञान था जो उसको नशा न होनेकी अवस्थामें होता, सिवाय इसके कि वह पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस मनुष्यके अनजान या इच्छाके विरुद्ध उसको दियागया हो।

(८७) जिस कामके करनेसे मृत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो और जिसके करनेवालेको यह जानकारी न हो कि, उस कामसे मृत्यु या अधिक हानि होना सम्भव है, तो वह कामें किसी ऐसी हानिके कारण अपराध न होगा जो उस कामसे अठारह वर्षसे अधिक उमरवाले किसी मनुष्यको पहुँचजाय या जिसका ऐसी उमरके किसी मनुष्यको पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें होवे—जब कि, उस मनुष्यने हानि उठानेमें अपनी प्रसन्नता प्रगटकी हो, और न ऐसी हानिके कारण वह काम अपराध होगा जिसके पहुँच जानेका सम्भव ऐसी उमरके किसी मनुष्यको करनेवालेकी जानकारीमें हो जब कि, वह मनुष्य ऐसी हानि उठाने पर सम्मत हुवा हो—

काम जिससे मृत्यु या अधिक हानि पहुँचनेकी नियत नहो और न उसका होना सम्भव जानपड़े और जो प्रसन्नता पूर्वक किया गया हो.

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर और रमाशंकर मन बहलानेके लिये परस्परमें पटा खेलनेपर सम्मत हों तो इससे यह बात समझी गई कि पटा खेलनेमें जो कुछ हानि बिना कपटके किसीको होजाय उसका सहना दोनोंने स्वीकार किया—शिवशंकरने जब कि वह बिना कपटके खेलता था रमाशंकरको चोट पहुँचाई तो शिवशंकरने कुछ अपराध नहीं किया ।

(८८) कोई काम, जिसके करनेसे मृत्यु का अभिप्राय नहो किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है जो उपरोक्त कामसे ऐसे मनुष्यको पहुँचे या ऐसे मनुष्यको जिसका पहुँचाना करनेवालेकी नियतमें हो या ऐसे मनुष्यको जिसके पहुँचनेका इहतिमाल (संभव) करनेवालेकी जानकारीमें हो जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जावे और जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्यान-आघातको उठानेके लिये अपनी प्रसन्नता प्रगटकी हो ।

काम जिससे मृत्युका अभिप्राय नहो किसी मनुष्यके लाभके लिये उसकी प्रसन्नता पूर्वक शुद्धभावसे किया गया हो.

उदाहरण ।

शिवशंकर एक डाक्टरने यह बात जान बूझकर कि अमुक चीर फाडसे रमाशंकरकी मृत्यु, जो एक बड़े रोगमें फँसा हुवा है, होना संभव है परंतु उसके मृत्युकी इच्छा न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभकी इच्छासे उसी चीर फाड़का वर्त्ताव रमाशंकरकी प्रसन्नतासे किया तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है

(८९) जो काम शुद्ध-भावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये, जिसकी आयु १२ वर्षसे कम हो अथवा जो सिड़ी हो उसका स्वामी या वह मनुष्य कि, जिसकी रक्षामें उपरोक्त मनुष्य है, करे, या उस स्वामी या रक्षककी आज्ञासे वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा प्रगट रीतिसे दी गई हो या अप्रगट रीतिसे-तो उस हानिके कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको पहुँचे, या जिसका पहुँचना करनेवाले की नियतमें हो या उसकी जानमें हो कि, इस कामके करनेसे हानि पहुँचना सम्भव है, वह काम नीचे लिखे नियमानुसार अपराध न गिनाजायगा।

काम जो नेक नियतीसे किसी लड़के या सिड़ी मनुष्यके लाभके लिये स्वामीसे या स्वामीकी प्रसन्नतासे किया गया हो.

प्रथम—यह छूट अभिप्राय पूर्वक किसीकी मृत्यु करने या मृत्यु करानेके उद्योगसे सम्बंध न रक्खेगी।

दूसरे—यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बंध न रक्खेगी जिसको करने वाला जानता हो कि, इससे मृत्युका होना अति सम्भवित है और जो किसी दूसरे अभिप्रायसे किया जाय सिवाय इस अभिप्रायके कि, उससे मृत्यु या भारी दुःखकी रोक हो या उससे किसी भारी रोग या दुर्बलता की ओषधि हो।

तीसरे—यह छूट जानबूझकर भारीदुःख पहुँचाने अथवा पहुँचाने का उद्योग करनेसे सम्बंध न रक्खेगी सिवाय इसके कि, वह काम मृत्यु या भारी दुःखकी रोक या किसी भारी रोग या दुर्बलताके मिटानेके अभिप्रायसे किया जाय।

चौथे-यह छूट जिस अपराधके करने पर लागू नहीं है, उसके करनेकी सहायता पर भी लागू न होगी।

उदाहरण।

यदि शिवशंकर शुद्धभावसे अपने लड़केके लाभके लिये उस लड़केकी बिना प्रसन्नता पथरी निकल वानेके अर्थ डाक्टरसे उस पर डाक्टरी वर्त्ताव कराये, यह जानकर कि उस डाक्टरी के वर्त्तावमें लड़केका प्राण जाना संभव है परंतु यह नियत न करके कि वह काम उस लड़केकी मृत्युका कारण हो तो शिवशंकरसे यह छूट सम्बंध रखेगी, क्योंकि लड़केका आरोग्य होना शिवशंकरका अभिप्राय था।

(९०) जो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके भयसे या किसी वृत्तांतको यथार्थ न समझनेकी अवस्थामें दी हो और उस कामका करनेवाला यह जानता हो या जाननेका कारण रखता हो कि वह सम्मति उस डर या अनसमझीके कारणसे दीगई थी तो वह सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी कि इस संग्रहकी किसी दफ़ाका अभिप्राय है और-

सम्मति जो डर या अनसमझी की अवस्थामें दी गईहो.

न उस मनुष्यकी रज़ामंदी जो सिड़ी या नशेके कारण उस कामका गुण और उसका फल नहीं समझ सकता, जिसके संबंधमें वह अपनी रज़ामंदी प्रगट करता है और न उस मनुष्यकी रज़ामंदी जिसकी आयु बारह वर्षसे कम हो सिवाय इसके कि लेखसे इसके विरुद्ध आशय पाया जाय।

लड़के या सिड़ीकी सम्मति.

हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ९० के अनुसार रज़ामंदी स्वाधीनतापूर्वक होनी चाहिये जो रज़ामंदी किसी डर या हानिके कारण प्रगट की जावे वह उचित नहीं है—इसीलिये जब एक कानिस्टबिलने एक चौकीदारको एक स्त्रीके घरके द्वारपर नियत कर दिया और आप भीतर जाकर उस स्त्रीसे संभोग किया, यद्यपि उस स्त्रीको पहिले इन्कार था परंतु फिर राज़ी हो गई थी क्योंकि यदि वह सामना करती तो चौकीदार उस कानिस्टेबिलकी सहायताको पहुँचजाता और यदि वह भागनेकी इच्छा करती तो चौकीदार न जाने देता—विचार हुआ कि उपरोक्त कानिस्टेबिल बलपूर्वक स्त्रीसंभोग करनेका अपराधी हुआ था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा २१)

(९१) जो छूटें दफ़ा ८७, ८८ व ८९ में लिखी हैं वे उन कामोंसे सम्बन्ध न रक्खेंगी जो स्वयं आपही अपराध हैं—बिना किसी ऐसी हानिके जो उनसे रज़ामंदी देनेवाले मनुष्यको या उस मनुष्यको जिसकी ओरसे रज़ामंदी दीजावे, पहुँचे या जिस हानिका उपरोक्त मनुष्यको पहुँचाना नियतमें हो या जिस हानिका उन कामोंसे उपरोक्त मनुष्यको पहुँचनेका संभवहो।

काम जो इस बातको छोड़कर कि राज़ी देनेवाले को उससे हानि आपही अपराधीहो दफ़ा ८७, ८८ व ८९की छूटोंमें गिनती न होंगे.

उदाहरण।

गर्भका गिरवाना सिवाय इसके कि शुद्धभाव से स्त्री का प्राण बचानेके लिये हो, स्वयं आपही एक अपराध है, इसबातको छोड़कर कि उससे कोई हानि उपरोक्त स्त्रीको पहुँचे अथवा पहुँचानेका अभिप्राय किया जाय—इसलिये यह काम उस हानि होनेके कारण अपराध नहीं है और ऐसे गर्भ गिरानेके सम्बंधमें स्त्री या उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचित नहीं करती।

(९२) कोई काम किसी ऐसी हानिके कारण अपराध नहीं है जो उस कामसे किसी ऐसे मनुष्यको पहुँचे जिसके लाभके लिये शुद्धभावसे बिना प्रसन्नता उस मनुष्यके किया जाय, उस अवस्थामें जब कि उस मनुष्यको अपनी रज़ामंदी (सम्मति) देना असम्भव होवे या जब कि उस मनुष्यको अपनी रज़ामंदी प्रगट करनेका बल न हो और न उसका कोई स्वामी या कोई और उचित रक्षक वर्त्तमान (मौजूद)

काम जो शुद्धभावसे किसी मनुष्यके लाभके लिये बिना प्रसन्नता उसकी के कियागया हो.

हो जिससे इतने समयमें रज़ामंदीका प्राप्त करना सम्भव हो कि जिससे उस कामके करनेसे लाभ निकले—परंतु नियम ये हैं कि;—

पहले—यह छूट जानबूझकर वध करने या जानबूझकर वध करानेके उद्योगसे सम्बन्ध न रक्खेगी।

दूसरे—यह छूट किसी ऐसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि, जिसे करनेवाला जानता हो कि इससे मृत्युका होना अतिसम्भावित है—सिवाय इसके कि वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःखके रोकने, अथवा किसी भारी रोग या दुर्बलता मिटानेके निमित्त कियाजाय।

तीसरे—यह छूट जानबूझकर हानि पहुँचाने या हानि पहुँचानेका उद्योग करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि (ज़रर) की रोक करे।

चौथे—यह छूट जिस अपराधके करनेपर नहीं है उसके करनेकी सहायता परभी लागू न होगी।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर घोड़ेसे गिरकर अचैतन्य होजावे और रमाशंकरको जो डाक्टर है, ज्ञात हो कि, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करना आवश्यकीय है; और उसको जानसे मार डालनेकी नियत न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जब शिवशंकरको अपनी भलाई बुराई समझनेका ज्ञान प्राप्त होजावे, शिवशंकरकी खोपड़ीमें छेद करे तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(ख) यदि शिवशंकरको शेर उठा लेजाय और रमाशंकर यह जानकर कि बंदूक चलाने से शिवशंकरकी मृत्यु होना सम्भव है, परंतु उसको जानसे मारडालनेकी नियत न करके बरन नेकनियती से उसके लाभके लिये उस शेर पर बंदूक चलावे और रमाशंकरकी गोली से शिवशंकरको प्राणघातक घाव लगे तो ऐसी अवस्थामें रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहोगा।

(ग) यदि शिवशंकर जो एक डाक्टर है किसी बच्चेको एक ऐसी चोटमें देखे कि जिससे उसका मरना सम्भव है सिवाय उस अवस्थामें कि जब उसपर तत्काल चीर फाड़का वर्त्ताव किया जाय; और उसके स्वामी से आज्ञा लेनेका समय नहीं है—परंतु यदि शिवशंकर जिसको शुद्ध-भावसे उस बच्चेका लाभ स्वीकार था, उसके रोने पीटने परभी उस पर चीर फाड़का कुछ वर्त्ताव करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

(घ) यदि शिवशंकर एक लड़के रमाशंकरके साथ किसी ऐसे घरमें हो जिसमें आग लगी है और कुछ मनुष्य नीचे कम्मलताने खड़े हों और शिवशंकर यह जानकर कि बच्चेको नीचे फेकनेमें

उसका मरना सम्भव है, परंतु उसके मृत्युकी इच्छा न करके बरन शुद्धभावसे उसके लाभकी इच्छा से उसको छत से नीचे डाल दे तो यदि वह बच्चा गिरने से मरभी जावे तथापि शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी न होगा।

स्पष्टीकरण (तशरीह)—केवल द्रव्यसम्बन्धी लाभ दफ़ा ८८–८९ व ९२ के अर्थमें लाभ न समझा जायगा।

(९३) शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना इसीकारण अपराध न समझा जायगा, कि जिस मनुष्यको वह बात बतलाई गई उससे उसकी कुछ हानि हुई जब कि वह बात उस मनुष्यके भले के किये बतलाई गई हो।

शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना.

उदाहरण।

यदि शिवशंकर कि जो एक डाक्टर है किसी रोगीको यह बात बतलादे कि मेरी समझमें तुम जी नहीं सकते हो और वह रोगी इस समाचारके धक्केसे मरजाय तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर किसी अपराध का अपराधी नहोगा, यद्यपि वह यह जानता था कि इसप्रकार पर बतला देनेसे रोगीका मरना सम्भव है।

(९४) सिवाय ज्ञातघात और राजविरुद्ध अपराधोंको छोड़कर जिनके लिये वधका दंड नियत है. कोई काम अपराध नहीं है जब कि उसको कोई मनुष्य धमकीसे विवश होकर करे और उस धमकाये जाते मनुष्यको उससमय भलीप्रकारसे यह डर उत्पन्न होवे कि उस कामके न करनेसे तत्कालही उसकी मृत्यु होजायगी, परंतु शर्त है कि उस कामके करनेवाले मनुष्यने स्वयं अपनीही प्रसन्नतासे या अपनी किसी हानिके डरसे, जो तत्काल ही जानसे मारे जानेसे कमहो, अपनेको उस अवस्थामें न डाला हो जिसमें वह इस भांति विवश कियागया।

काम जिसके करनेके लिये कोई मनुष्य धमकियों से बिवश कियागया.

स्पष्टीकरण–१—यदि कोई मनुष्य स्वयं अपनीही प्रसन्नतासे या मारपीटकी धमकीसे डाकुवोंके किसी झुंडमें उनकी चालचलन जानबूझकर मिलजावे तो उपरोक्त मनुष्य इस कारणसे, कि उसके साथियोंने उससे कोई ऐसा काम बिवश करके कराया जो क़ानूनानुसार अपराध है, इस छूटसे लाभ उठानेका अधिकारी न होगा।

स्पष्टीकरण–२—यदि डाँकुवोंका कोई समूह किसी मनुष्यको पकड़ लेजाय और वह मनुष्य तत्काल जानसे मारे जानेकी धमकीके कारण किसी ऐसे कामके करनेपर विवश किया जावे जो क़ानूनानुसार अपराध है, जैसे कोई लोहार अपने

औजार ले जाने और किसी घरकाद्वार तोड़डालनेके लिये विवश कियाजाय जिससे डाकू घरके भीतर घुसकर लूटें तो वह मनुष्य इस छूटके लाभ उठानेका अधिकारी होगा ।

१—यदि कोई मनुष्य विवश होकर ज्ञातघातमें सहायताकरना स्वीकार करे तो ऐसा स्वीकार करना अपराध माननेकी सीमा तक नहीं पहुँचता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ८ श्रीमती बनाम क़स्टू मंडल आदि)

२—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा ९४ से लाभ उठाने में अपराधीको यह प्रमाणित करना चाहिये कि उस का काम तत्कालही मृत्युभयसे किया गया था—इस लिये जो मनुष्य झूंठी गवाही दे और बयान करे कि उसने वह गवाही धमकीके कारण दीथी—वह इस दफ़ासे लाभ नहीं उठा सकता (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा ४८)

कोई काम जिससे कुछ हानि पहुँचे.

(९५) कोई काम इस कारणसे अपराध नहीं है, कि उससे कोई हानि पहुँचे या उससे किसी हानिके पहुँचानेका अभिप्राय है या जानकारीमें है कि उससे किसी हानिका पहुँचना सम्भव है जब कि वह हानि ऐसी तुच्छ हो कि साधारण बुद्धिका मनुष्यभी उस हानिकी फरियाद न करे ।

१—अपराधी ने एक छतरी से किसी मनुष्यकी छाती में चोट पहुँचाई, तो यह एक ऐसा तुच्छ काम नहीं है जो दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ९५ के अनुसार वह क्षमाके योग्य होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफ़ा ६७)

२—अपराधी सांड़नी सवार है—उसने ऊंटके चारेके लिये एक बड़े पीपलके झाड़की डालियां काटी इसकारण उसे चोरीका दंड दियागया—परंतु साहब जुडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेशके बिचारमें अपराधीने दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ९५ के अनुसार कोई अपराध दंडके योग्य नहीं किया (सी. पी. ला. रि. जिल्द ८ सफ़ा १५ फ़ौजदारी)

निजरक्षाके अधिकारके विषयमें ।

कोई काम जो निजरक्षाके लिये कियाजाय, अपराध नहीं है.

(९६) कोई काम अपराध नहीं है, जो निजरक्षाका अधिकार वर्त्तनेमें कियाजाय ।

निज तन और धनकी रक्षाका अधिकार.

(९७) प्रत्येक मनुष्यको अधिकार है कि दफ़ा ९९ के नियमोंके आधीन रहकर अपने तन और धनकी रक्षाकरै ।

पहले—अपने या किसी और मनुष्यके तनकी, किसी ऐसे अपराधके दूर करनेमें जो मनुष्यके तनसे सम्बन्ध रखता हो

दूसरे—अपने या किसी और मनुष्यके धनकी चाहे वह स्थावर हो या अनस्थावर, किसी ऐसे कामके रोकनेके लिये जो ऐसा अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुँचाने या अनधिकारप्रवेशके लक्षणोंमें गिना जाय या चोरी या जोरी या हानि पहुँचाने या अनधिकारके लक्षणोंके उद्योगमें गिना जाय।

टीप दफ़ा ९६ की १—किसी स्त्रीके स्वामीने एक मनुष्यको कि, जिसने रातके समय उसके घरमें उसकी स्त्रीके साथ बलात्कार (ज़िना) करनेके अभिप्रायसे प्रवेश किया था, मारा—तो दफ़ा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नहीं है—क्योंकि वह ऐसी हानिके पहुँचानेका अधिकारी था कि जो मौतसे कमहोवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफ़ा ३६)

टीप दफ़ा ९७ की १—अपराधी जिसका माल बहुधा चोरी जाता था लाठी लेकर उसकी रक्षाके लिये निकला और उस लाठीसे एक चोरको मारा जो उसकी चोटसे मरगया—चोट और अपराधीके कामपर विचार करके हाईकोर्टकी यह तजवीज हुई कि अपराधी दंड-संग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा ९७ व १०४ के लेख (अहकाम) के अनुसार अपराधसे बरी है, क्योंकि उसने उचित निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा १९)

२—ज़मींदारको बिना अदालतकी सहायताके अपने असामीकी फ़सलको कुर्क करनेका अधिकार है यदि उसने ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० की दफ़ा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामा (सूचनापत्र) असामीके नाम भिजवा दिया हो और ऐसी अवस्थामें यदि वह असामी जान बूझकर भी उस कुर्कीमें रोक टोक करे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ९७ के अहकामसे लाभ नहीं उठा सकता, परंतु यदि ज़मीदारके आदमी बिना उपरोक्त इत्तिलाअनामाके जारी हुए फ़सलकी कुर्कीकरें तो असामी उनके कामको अनधिकारप्रवेश समझ सकता है।

३—अपराधीने एक चोरको अपने घरमें सेंध करते पकड़ा और जब गांववाले चोरको देखने आये तब उन लोगोंने उसको मरा हुआ पाया, अपराधीका बयान है कि उसने चोरको एक लाठी मारी—परंतु सेशनजजने उसके बयानपर कुछ भरोसा नकर उसे तीन साल क़ैदका दंड दिया क्योंकि डाक्टरकी रिपोर्टसे सेशनजजको मालूम हुआ कि चोरकी मौत फांसी लगानेसे हुई। परंतु यथार्थ में रिपोर्ट और बयानके देखनेसे यह बात पाई गई कि चोरकी मौत श्वास बंद होजानेके कारण हुई और उसकी श्वास इस कारण बंद हुई कि जब चोर घरके भीतर अपना मुँह नीचेकी ओर करके घुस रहा था उस समय अपराधीने उसको पकड़ा और पकड़े रहा—ऐसी अवस्थामें उसने क़ानूनानुसार निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया, इसलिये अपराधी छोड़ने योग्य है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा १२)

निजरक्षाका अधिकार सिड़ी इत्यादि मनुष्योंके कामसे.

(९८) जब कि कोई काम, करनेवालेकी कमउमरी या अनसमझी (बुद्धिकी पकायती न होना) या सिड़ीपन या नशेमें होनेके कारणसे या उसकी ग़लत समझीसे, अपराध नहो नहीं तो और अवस्थामें अपराध होता, तो प्रत्येक मनुष्यको उस कामके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता जब कि वह काम अपराध होता।

उदाहरण।

(क) यदि शिवशंकर सिड़ीपनकी अवस्थामें रमाशंकरके वधका उद्योग करे तो शिवशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परंतु रमाशंकरको अपनी रक्षाका अधिकार उसी भांति प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता, जब कि शिवशंकर सिड़ी न होता।

(ख) यदि शिवशंकर रातके समय किसी घरमें जावे जिसमें जानेका उसको क़ानूनानुसार अधिकार है और रमाशंकर नेकनियतीसे शिवशंकरको चोर जानकर उसपर आक्रमण (हमला) करे तो रमाशंकर इस गलत समझीसे किसी अपराधका अपराधी नहीं है परंतु शिवशंकरको रमाशंकरके रोकनेमें वही अधिकार निजरक्षाका प्राप्त है जो उस अवस्थामें होता जब कि रमाशंकर ऐसी ग़लत समझी से वर्त्ताव न करता।

वे काम जिनके रोकनेमें निजरक्षाका अधिकार न होगा।

(९९) **पहिला**—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुँचनेका भय उचित कारणसे नहो तो उसके रोकनेके लिये कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओरसे नेकनियतीके साथ और अपनी नौकरीके कारण किया जावे, चाहे उपरोक्त काम क़ानूनानुसार यथार्थमें उचित न हो।

दूसरा—जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुँचनेका भय उचित कारणसे न हो उस कामके रोकनेमें कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है, उस अवस्थामें जब कि वह काम या उस कामका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जाय जो नेकनियतीके साथ अपनी नौकरीके कर्तव्यको पूरा करता हो, चाहे वह आज्ञा क़ानूनानुसार यथार्थमें उचित नहो।

तीसरा—ऐसी अवस्थाओंमें भी कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका प्राप्त नहीं है जब कि सर्व सम्बन्धी अधिकारियोंसे रक्षा मिलनेका अवकाश हो।

चौथा—निजरक्षाका अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न होगा कि जितनी हानि पहुँचना रक्षाके लिये अवश्य हो उससे अधिक हानि पहुँचाई जाय।

स्पष्टीकरण २—जो कोई काम या कामका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी ओरसे किया जाय कि जो अपनी नौकरीके कारण करता है, तो उस कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मनुष्य यह जानताहो या जाननेका कारण रखता हो कि करने वाला उस कामका ऐसाही सरकारी नौकर है।

स्पष्टीकरण ३—जब कोई काम या उसका उद्योग किसी सरकारी नौकरकी आज्ञासे किया जावे तो ऐसे कामके रोकनेमें कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मनुष्य जानता हो या निश्चय करनेका कारण रखताहो कि उपरोक्त कामका करनेवाला ऐसी आज्ञासे वर्त्ताव करता है, या कि जब उपरोक्त मनुष्य ऐसी आज्ञा बतलादे जिसके अनुसार वह वर्त्ताव करता है, या यदि उसके पास लिखी हुई आज्ञा मौजूद होवे, तो जब वह ऐसी लिखी हुई आज्ञा माँगनेके समय पेश करदे।

१—इजराय डिगरीकी गिरफ्तारीके वारंटमें अदालतके हाकिमके संक्षेप हस्ताक्षर (दस्त ख़त) थे–जिसकी तामीलके समय क़र्जदारने बलपूर्वक तामील करनेवालेके साथ रोकटोककी. तजवीज़ हुई कि यद्यपि यह बात उचित है कि जो मनुष्य वारंट पर अपना दस्तख़त करे वह अपना नाम पूरा लिखे, परंतु यह बात नहीं कही जासकती कि संक्षेप हस्ताक्षर होनेके कारण उस वारंटकी तामील नहीं हो सकती थी–दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ९९ के अनुसार उसने जो निजरक्षाकी वह अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दंडके योग्य है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफ़ा २९३)

२—यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है कि वह स्वयं किसीको क़ैदकरे परंतु यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातके समय सेंध लगाते हुए या चोरी करते हुए पकडे तो पकड़े हुए मनुष्यको निज रक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफ़ा ८)

३—एक मनुष्यने एक दुर्बल और बूढ़ी स्त्रीको अपने घरमें चोरी करते हुए पाकर मार डाला तजवीज हुई कि अपराधी दंडसंग्रह हिंदके दफ़ा ९९ के अहकामका अधिकारी न था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ३३)

४—यदि कोई चोर घरसे ख़ाली हाथ भागा जाता हो और घरसे अंतरपर हो तो उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके अधिकारसे सम्बन्ध न रक्खेगा (बंगाल लारिपोर्ट-जिल्द १ सफ़ा ८)

तनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करने तक कब हो सकेगा।

(१००) तनकी रक्षाका अधिकार पिछली दफ़ामें लिखे हुए नियमोंके आधीन रहकर आक्रमणकारी (हमला करनेवाले) को जानबूझ कर मृत्यु अथवा और कुछ हानि पहुँचाने तक हो सकेगा जब कि वह अपराध जिससे निजरक्षाका अधिकार वर्त्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो।

पहिला—आक्रमण ऐसा होवे कि उसमें इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो मृत्यु होना सम्भव है ।

दूसरा—आक्रमण ऐसा हो कि उसमें इस बातका भय उचित कारणसे हो कि यदि उस आक्रमणसे रक्षा न कीजाय तो उसका फल भारी दुःख होगा ।

तीसरा—वह आक्रमण जो बलात्कार (बलपूर्वक व्यभिचार) के अभिप्रायसे कियाजाय ।

चौथा—वह आक्रमण कि जो स्वभावविरुद्ध कामातुरता पूरी करनेके अभिप्रायसे किया जाय ।

पाँचवाँ—वह आक्रमण कि जो मनुष्यके ले भागने या भगा ले जानेके अभिप्रायसे किया जाय ।

छठवाँ—वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अनीतिबंदमें रखनेके अभिप्रायसे ऐसी दशाओंमें किया जाय जिससे उपरोक्त मनुष्यको इस बात का भय उचित कारणोंसे उत्पन्न हो कि उसको अपने छुटकारेके विषयमें अधिकारियों (हुक्कामों) से सहायता मांगना असम्भव है ।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर भालेसे आक्रमण किया--दूसरे मनुष्यने पहले मनुष्यके लाठी मारी कि जिससे वह मरगया--तजवीज हुई कि--प्राण व धनके बचावके लिये इस अभियोगमें निजरक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वर्त्तागया--क्योंकि ऐसा अधिकार दंडसंग्रह हिन्दकी दफ़ा १००के अहकामात (अभिप्राय) के अनुसार उस अवस्थामें किसी मनुष्यको जानसे मार डालने तक है कि जब उसे भारी दुःख पहुँचाने का भय उचित कारणसे उत्पन्न होवे (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफ़ा ४१)

(१०१) यदि अपराध ऊपरकी दफ़ामें लिखे हुए प्रकारोंमेंसे किसीप्रकार का न हो तो तनकी रक्षाका अधिकार आक्रमणकारीको जानबूझकर मार डालनेतक न होगा परंतु दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमोंके आधीन यहांतक हो सकेगा कि आक्रमणकारीको मृत्यु छोड़कर कोई दूसरी हानि पहुँचा दीजाय ।

यह अधिकार मृत्युको छोड़कर कोई दूसरी हानि पहुँचानेमें कबतक हो सकेगा.

(१०२) तनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समयसे आरंभ होगा कि जब अपराधके उद्योग या धमकीसे तनके लिये विपत्तिका भय उचित कारणसे उत्पन्नहो, चाहे वह अपराध किया भी न गया हो. और यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा कि जबतक तनके लिये विपत्तिका वही भय बनारहे ।

तनकी निजरक्षाका आरंभ होना और स्थिर रहना.

धनकी निजरक्षाका अधिकार मृत्यु करनेतक कब होसकेगा.

(१०३) धनकी निज रक्षाका अधिकार दफ़ा ९९ में लिखे हुए नियमोंके आधीन अनीति करनेवालेको जानबूझकर मार डालने अथवा और कोई हानि पहुँचानेतक होसकेगा उस अवस्थामें कि जब वह अपराध जिसके करनेसे या करनेके उद्योगसे उस अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ आगे लिखे प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारका हो ।

(१) बलजोरी (सरक़ा बिलजब्र)

(२) रातके समय सेंध लगानां (नक़बज़नी)

(३) आगके द्वारा हानि पहुँचाना जो किसी ऐसे घरमें या डेरेमें या नावमें पहुँचाई जाय जो घर या डेरा या नाव मनुष्योंके रहनेके लिये या चीज़ वस्तुके धरनेके लिये काममें हो ।

(४) चोरी या हानि पहुँचाना, या घरमें बलपूर्वक अधिकार करना (मदाख़लतबेजा) ऐसी अवस्थामें कि इस बातका भय उचित कारणसे उत्पन्न हो कि यदि उस अपराधके रोंकनेमें निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव न किया जाय तो उस अपराधका फल मृत्यु या भारी दुःख होगा ।

१—कुछ मनुष्योंने एकाएक अपराधियोंपर उनकी फ़सल काटनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया अपराधियोंने रोका परंतु पुलीसको सूचना देनेका उन्हें अवसर न मिला, इसलिये उन्होंने आक्रमण कारियोंमेंसे एकपर बांसकी लकड़ीसे एक ऐसी चोट मारी कि जिससे वह मरगया--सेशन्स जजने अपराधियोंको दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ३०४ व १४८ के अनुसार दंड दिया—परंतु हाईकोर्टने यह तजवीज़की कि जो चोट उसको पहुँचाई गई थी वह ऐसी नहीं थी कि जिससे यह पायाजावे कि अपराधियोंने अपनी रक्षाके लिये निजरक्षाके अधिकारसे अधिक वर्त्ताव किया इसलिये अपराधी छोडे गये । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफ़ा ९ अपील विभाग)

यह अधिकार मृत्युको छोड़कर दूसरी कोई हानि करनेपर कब होसकेगा.

(१०४) यदि वह अपराध जिसके किये जाने से या किये जानेके उद्योगसे निजरक्षाके अधिकारका वर्त्तना अवश्य हुआ चोरी या हानि पहुँचाने या अनधिकारप्रवेश पिछली दफ़ामें लिखे हुए प्रकारोंको छोड़कर किसी दूसरे प्रकारकी हो तो वह अधिकार जानबूझकर मृत्युको छोड़कर दूसरी कोई हानि अनीति करने वालेको पहुँचानेतक होसकेगा ।

धनकी निजरक्षाके अधिकार का आरंभ और स्थिर रहना.

(१०५) पहिला—धनकी निजरक्षाका अधिकार उसी समय आरंभ होगा, जब कि धनकी विपत्तिका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो ।

दूसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेमें उस समयतक स्थिर रहेगा जबतक अपराधी माल (धन) लेकर चलाजाय या अधिकारियों (हाकिमों) से सहायता प्राप्त होजावे या धन फेर लियाजावे ।

तीसरा—धनकी निजरक्षाका अधिकार जोरी (सरकाबिलजब्र) के रोकनेमें उस समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किसी मनुष्यको मारता रहे या दुःख पहुँचाता रहे या अनुचित रोकटोक (अनीतिबंद अर्थात् मुजाहिमत बेजा) करता रहे या इन कामोंके करनेका उद्योग करता रहे या जबतक कि तत्काल मारडालने या तत्काल दुःख या तत्काल अनीतिबंद (मुजाहिमत जिस्मानी) का भय बना रहे ।

चौथा—धनकी निजरक्षाका अधिकार मदाखलतबेजा (अनधिकारप्रवेश) या उत्पात रोकनेको उतने समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी मदाखलतबेजा या उत्पातका अपराध करता रहे ।

पाँचवाँ—धनकी निज रक्षाका अधिकार रातके समय सेंध लगानेकी रोकके लिये उस समयतक रहेगा कि जबतक वह घरकी मदाखलतबेजा, कि जिसका आरंभ उस सेंध लगानेके साथ हुवा है, बनी रहे ।

१—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा ९९ के नम्बर ३ को दफ़ा १०५ के नम्बर १ से मिलाकर पढ़ना चाहिये—धनकी निजरक्षा का अधिकार उस समय से आरम्भ होता है जब धनकी विपत्ति का भय उत्पन्न हो, ऐसा भय उत्पन्न होनेके पहिले धनके स्वामीको आवश्यकता नहीं है कि वह अपने धनकी रक्षाकेलिये किसी सरकारी नौकर से सहायता मांगे—सरकारीनौकरसे उस भयका प्रगट कर देना अवश्य है परंतु जब उसके भय होनेका यथार्थ कारण हो तो उस समय व उस स्थानसे हाकिमको सूचित करे जिस से कि उसका प्रबंध होसके । बम्बई. इ० ला० रि० जिल्द १४ सफ़ा ४४१)

निजरक्षाका अधिकार मृत्युकारक आक्रमणके रोकनेको उस अवस्थामें जब कि किसी अनापराधी मनुष्यको हानिका भय हो।

(१०६) यदि किसी ऐसे आक्रमणके रोकनेको जिससे मृत्युका भय विशेष कारणसे उत्पन्न हो निजरक्षाके अधिकारका वर्त्ताव किया जाय और रक्षा करनेवाला ऐसी अवस्थामें हो कि वह एक किसी निरपराधी मनुष्यको हानि पहुँचाये बिना अपने अधिकारका वर्त्ताव भली प्रकारसे नहीं कर सकता तो वह निजरक्षाके अधिकारके वर्त्तावमें उस मनुष्यको भी हानि पहुँचा सकता है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर पर कुछ मनुष्योंके समूहने उसे मारडालनेके अभिप्रायसे आक्रमण किया और शिवशंकर उस समूह पर बंदूक चलाए बिना निजरक्षाके अधिकारको भली प्रकार से काम में नहीं ला सकता और उन लड़कोंको जो, उस समूह में हैं हानि पहुँचानेके बिना वह बंदूक नहीं चला सकता तो यदि शिवशंकरके इस प्रकार बंदूक चलाने से इन लड़कों में से किसी लड़के को हानि पहुँचे तो वह किसी अपराध का अपराधी न होगा।

अध्याय पाँचवाँ ५. *

सहायताके विषयमें ।

सहायता किसी कामकी } (१०७) प्रत्येक वह मनुष्य किसी कामके करनेमें सहायता करता है जो;-

पहिले—किसी मनुष्यको उस कामके करनेमें बहकावे या।

दूसरे—एक अथवा अनेक मनुष्योंके साथ जत्थेमें मिलकर उस कामको करनेके लिये सम्मति करे जब कि उस जत्थेके मतके कारण और उस कामके होनेके निमित्त कोई काम या चूक क़ानूनविरुद्ध होजावें, या।

तीसरे—किसी क़ानूनविरुद्ध चूक या कामके द्वारा उस कामके करनेमें जानबूझकर सहायता करे.

स्पष्टीकरण १–किसी कामको करनेके लिये बहकाना, उस मनुष्यके सम्बंधमें कहा जायगा जो जानबूझकर झूठ बोलनेके द्वारा या ऐसी मुख्य बातको, जिसका प्रगट करना उसपर अवश्य है, छुपा रखकर अपनी इच्छासे उपरोक्त कामको करावै या उसके करानेका यत्न करे या करानेके यत्नमें उद्योग करे।

उदाहरण ।

(क) कि जो एक सरकारी ओहदेदार है किसी कोर्टआफजास्टिसके वारंटसे (ख) को पकड़नेका अधिकारी है– (ग) जो यह बात जानता है और यहभी जानता है कि (घ) (ख) नहीं है जानबूझकर (क) से यह कहे कि (घ) (ख) है और इसप्रकार (क) से (घ) को क़ैद करावे तो यहां कहा जायगा कि (ग) ने बहकाकर (घ) को पकड़वाया।

---

* यह अध्याय उन अपराधों से सम्बंधित हैं जो बमूजिब दफ़ा १२१ (अ) व १२४ (अ) व २२५ (अ) व २९४ (अ) व ३०४ (अ) के दंडयोग्य हैं–देखो ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफ़ा १३ किसी २ अपराधकी सहायता राज़ीनामाके योग्य है–देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० दफ़ा ३४५

स्पष्टीकरण २—यदि कोई मनुष्य किसी कामके किये जानेके समय या उससे पहले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उपरोक्त काम सुगमतासे होजावे और इस कामसे उसका करना सरल होजावे, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेमें सहायता की ।

१—यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको डाकके द्वारा पत्र भेजकर किसी अपराधके करनेको बहकावे तो जिस समय उपरोक्त पत्रका वृत्तांत पत्र पानेवालेको ज्ञात होजावे उसी समय वह सहायताका अपराधी हो जावेगा और ऐसे अपराधकी जांच व तजवीज़ उस स्थानपर हो सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया हो । (ई० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १६ सफ़ा ३८९)

२—दंडसंग्रह हिंदुस्थानके अनुसार सहायता का अपराध एक असली अपराध समझा जाता है इसलिये सहायताके किसी अपराधीका दंड असली अपराधीके दंडसे सम्बन्ध नहीं रखता (ई० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफ़ा १५)

३—किसी अपराधके होनेकी सूचना न देना उपरोक्त अपराधकी सहायतामें नहीं समझी जायगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब उपरोक्त सूचना का न देना किसी उचित कर्तव्य या क़ानूनके विरुद्ध होवे—देखो दफ़ा ४४ व ४५ मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ४ सफ़ा ७)

४—कोई मनुष्य अपने नौकरके अनुचित कामके लिये अदालत फ़ौजदारीमें ज़िम्मेदार न होगा जब तक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि उपरोक्त मनुष्यने उस कामके करनेकी भलीप्रकारसे आज्ञादी (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ६०)

(१०८) कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता देनेवाला कहलावेगा जब कि वह या तो उसी अपराधके किये जानेमें या दूसरे किसी ऐसे कामके किये जानेमें सहायता दे जो उस अवस्थामें अपराध गिना जाताहो जब कि उसका करनेवाला क़ानूनानुसार अपराध समझताहो जब कि वह अपराध वैसेही अभिप्राय अथवा जानकारीसे करे जैसा कि उस सहायता करनेवालेका है ।

सहायता करनेवाला.

स्पष्टीकरण १—किसी काममें क़ानूनविरुद्ध चूक करानेका सहायक होना अपराध होसकेगा चाहे उस कामका करना सहायकपर अवश्य भी न हो ।

स्पष्टीकरण—२—सहायताके अपराधके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि जिस काममें सहायता दीगई वह हो ही जाय अथवा जिस परिणामका होजाना उस कामको अपराध बनानेके लिये अवश्य हो वह होही गयाहो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके वधके लिये उमाशंकरको बहँकाया और उमाशंकर उस कामके करनेसे 'नहीं' करगया तो शिवशंकर ज्ञातघात करनेके लिये उमाशंकरको सहायता देनेका अपराधी होचुका ।

(ख) यदि शिवशंकर उमाशंकरको रमाशंकरका वध करनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर उस बहँकानेके अनुसार रमाशंकरको घायलकरे परंतु इस घावसे रमाशंकर बच जावे तो शिवशंकर ज्ञातघात करनेके लिये उमाशंकरके बहँकानेका अपराधी होचुका ।

स्पष्टीकरण-३--यह अवश्य नहीं है कि सहायता पानेवाला मनुष्य क़ानूनानुसार अपराध करनेके योग्यही हो या कि उसकी नियत या जानकारीमें वही कुज्ञान हो जो सहायता करनेवालेकी नियत या जानकारीमें है या उसकी नियत या जानकारीमें कुछ कुज्ञान हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कुप्रयोजनसे किसी बच्चे या सिड़ीको एक ऐसे कामके करनेको बहँकाया कि जिसका करना उस मनुष्यसे अपराध होता जो क़ानूनानुसार अपराध करनेको समर्थ होता और जिसका अभिप्राय शिवशंकरकासा होता-तो इस अवस्थामें शिवशंकर अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा, चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं ।

(ख) शिवशंकरने, रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उमाशंकरको कि जो सात वर्षसे कमती अवस्थाका एक बालक है एक ऐसा काम करनेको बहँकाया जिससे रमाशंकरकी मृत्युहो उमाशंकरने इस बहँकानेके कारण शिवशंकरकी अनुपस्थित अवस्था (ग़ैरहाज़िरी) में उस कामको किया कि जिसके कारण रमाशंकरकी मृत्यु होगई-यहांपर यद्यपि उमाशंकर क़ानूनानुसार किसी अपराध करने योग्य नहीं था तथापि शिवशंकरको उसी प्रकारका दंड मिलेगा कि मानों उमाशंकर क़ानूनानुसार अपराध करनेके योग्य था और उसने ज्ञातघातका अपराध किया-इसलिये शिवशंकर मृत्युदंडके योग्य होगा ।

(ग) शिवशंकरने रमाशंकरको किसी रहनेके घरमें आग लगानेके लिये बहँकाया; और रमाशंकर अपनी बुद्धिके बिगाड़के कारण उस कामके गुणको न जानसका या यह न समझसका कि जो मैं कररहा हूं वह अनुचित या क़ानूनके विरुद्ध है-और रमाशंकर शिवशंकरके बहँकानेके कारण उस घरमें आग लगाए तो रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं है परंतु शिवशंकर घरमें आग लगानेके अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उस दंडके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है ।

(घ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि चोरीका अपराध करावे, रमाशंकरको यह बहँकावे कि उमाशंकरका माल उमाशंकरके पाससे लेआवो और रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह माल मेरा है-और रमाशंकर शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि वह माल शिवशंकरका है उसे उमाशंकरके अधिकारसे निकाल लाए तो ऐसी अवस्थामें, जो कि रमाशंकर ऐसी ग़लत समझीके

कारण यह वर्त्ताव करता है न कि कुप्रयोजन (बद दियानती) से मालको लेता है, उस अपराधसे वह चोरीका अपराधी न होगा परंतु शिवशंकर चोरीमें सहायता करनेका अपराधी और उस दंडके योग्य होगा जो उसको उस अवस्थामें होता जब कि रमाशंकर चोरीका अपराध करता ।

स्पष्टीकरण-४--जो कि अपराधमें सहायता करना अपराध है तो ऐसी सहायतामें सहायता करना भी अपराध है ।

उदाहरण ।

शिवशंकर रमाशंकरको बहँकावे कि तू उमाशंकरको हरशंकरके मार डालनेके लिये बहँकावे और रमाशंकर उसके अनुसार उमाशंकरको हरशंकरके मारनेके लिये बहँकावे और उमाशंकर रमाशंकरके बहँकानेसे उस अपराधको करे तो रमाशंकर इस अपराधके बदले उस दंडके योग्य होगा जो ज्ञातघातके बदलेमें ठहराया गया है और जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको उस अपराधके करनेके लिये बहँकाया है इसलिये शिवशंकरभी उसी दंडके योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण-५--सम्मतिके द्वारा सहायताका अपराध करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि सहायता करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यत्नमें सम्मिलित हो जो उसे करता है बरन् यही बहुत है कि वह उस सम्मतिमें सम्मिलित हो जिसपर वर्ताव करनेसे वह अपराध हुआ ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने उमाशंकरको विष देनेके लिये रमाशंकरके साथ परामर्श किया और यह ठहराव हुआ कि शिवशंकर विष देवे, इसके पश्चात् रमाशंकरने इस सम्मतिके वृत्तांतको हरशंकरसे प्रगट किया और कहा कि एक तीसरा मनुष्य विष देगा परंतु शिवशंकरका नाम न बतलाया और हरशंकरने विष ला देना स्वीकार किया और लाकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरको दिया कि वह ऊपरके कहे हुये कामको करे-फिर शिवशंकरने विष खिलाया कि जिसके कारण उमाशंकर मरगया-तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर और हरशंकरमें कुछ सम्मति नहीं हुई तथापि हरशंकर इस सम्मातिमें सम्मिलित रहा जिसपर वर्त्ताव करनेसे उमाशंकरका वध हुआ-इसलिये हरशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफ़ामें कहा है और वह उस दंडके योग्य होगा जो वधके बदले ठहराई गई है ।

ब्रिटिश इंडियामें उन अपराधोंकी सहायता करना जो उसके बाहर हों.

(१०८) यदि कोई मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर किसी ऐसे कामके होनेमें सहायता करे जो ब्रिटिश इंडियासे पृथक् या उससे बाहर हो और ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेमें जो एक अपराध गिनाजाता तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दंडसंग्रह हिंदके क़ानूनानुसार उस अपराधमें सहायता की ।

उदाहरण ।

(क) ने ब्रिटिश इंडियामें (ख) को जो अन्य देशका रहनेवाला है और गोवामें है, गोवामें मारनेको बहँकाया तो ऐसी अवस्थामें (क) ज्ञातघातके अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा ।

१—यह दफ़ा ऐक्ट नं० ४ सन् १८९८ ई० के अनुसार, जिसके अनुसार दंडसंग्रह हिंद शुद्ध हुआ है, बढ़ाई गई है।

२—एक मनुष्य दो मनुष्योंके आक्रमणसे मरगया, परंतु इस बातका निश्चय न हुआ कि किसने मारा तो वे दोनों मनुष्य असल अपराधियोंके समान अपराधी होंगे न कि सहायकोंके समान (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा ४९)

३—अपराधके तमाशा देखनेवालेके समान एक स्त्रीको सती होते हुए देखते थे परंतु वे उसके किसी काममें संयुक्त नहीं हुए-खोज करनेसे जानागया कि उन्हें पहिलेहीसे जानकारी थी कि अमुक स्त्री सती होनेवाली है और उसी जानकारीके कारण वह अपराध (सती) होनेके समय उस स्थानपर तमाशा देखने गये थे इसलिये वह मनुष्य आत्महत्याकी सहायताके अपराधी ठहराये गये (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा २४६)

सहायताका दंड, यदि उस कामका होना जिसमें सहायता कीगई है उस सहायताके कारण हुआ हो और जहां उसके दंडके लिये कोई स्पष्ट आज्ञा न हो।

*(१०९) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे तो यदि उस सहायताके कारणसे वह काम हो जिसमें सहायता कीगई है और इस संग्रहमें ऐसी सहायताके दंडके विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा न हो तो उस मनुष्यको वही दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा हो।

स्पष्टीकरण—जब कोई काम या अपराध उस बहँकानेके कारणसे या उस सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे या उस सहारेसे हो जिसको सहायता ठहराया गया है तो कहा जावेगा कि उपरोक्त काम या उपरोक्त अपराध सहायताके कारणसे हुवा।

उदाहरण।

(क)—शिवशंकरने रमाशंकरको कि जो एक सरकारी नौकर है इसलिये कुछ घूंस देना कही कि वह अपने ओहदेका काम करते समय शिवशंकरके साथ कुछ पक्षपात करे और रमाशंकर उस घूंसको स्वीकार करे तो शिवशंकरने उस अपराधमें सहायताकी जिसका वर्णन दफ़ा १६१ में किया गया है।

(ख)—शिवशंकर रमाशंकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकावे और रमाशंकर उस बहँकानेके कारण उस अपराधको करे तो शिवशंकर उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा और उसी दण्डके योग्य होगा जिसके योग्य रमाशंकर है।

(ग)—शिवशंकर और रमाशंकर उमाशंकरके विष देनेकी सम्मति करें और इस सम्मतिपर वर्त्ताव करके विष लावें और इस अभिप्रायसे रमाशंकरको देवें कि वह उमाशंकरको खिलावे और रमाशंकर इस सम्मतिके अनुसार शिवशंकरके वहां न होनेपर उमाशंकरको विष दे और

* दफ़ा ४० को देखो।

उस विषसे उमाशंकर मरजावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर ज्ञातवातके अपराधका अपराधी होगा और शिवशंकर उस अपराधमें सम्मतिके द्वारा सहायता करनेका अपराधी होगा और ज्ञातवातके दंड योग्य होगा ।

१—शिवशंकरने एक सतीकी चिता जलानेकी रमाशंकरको आज्ञादी, रमाशंकरने उस समय तो उसकी बात न स्वीकार की परंतु जब वह स्त्री उस चितासे भाग गई तब उसको फिर चितामें जानेके लिये बहँकाया—इसलिये शिवशंकर ज्ञातवत् बातकी सहायताका अपराधी और रमाशंकर आत्महत्याकी सहायताका अपराधी ठहरायागया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा १७४)

२—यदि कोई मनुष्य क़ानूनविरुद्ध दूसरा व्याह करे तो पंडित जो इस व्याहको करावे दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १०९ के अनुसार दफ़ा ४९४ के अपराधका सहायक है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफ़ा १२६)

सहायताका दंड, यदि वह मनुष्यकि जिसकी सहायता की जावें कामको किसी ऐसे अभिप्रायसे करे जो सहायकके अभिप्रायसे विरुद्ध हो ।

(११०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होनेमें सहायता करे तो यदि वह मनुष्य कि जिसकी सहायता कीजावे उस अपराधको किसी ऐसे अभिप्राय या जानकारीसे करे जो सहायता करनेवाले मनुष्यके अभिप्राय या जानकारीके विरुद्ध हो तो सहायता करनेवालेको उस अपराधका दंड दिया जायगा कि जो अपराध इस अवस्थामें होता कि जब वह काम किसी और अभिप्राय या जानकारीसे नहीं बरन् सहायता करनेवालेकेही अभिप्राय या जानकारीसे किया जाता । (दफ़ा ४० भी देखो)

सहायता करनेवालेका दंड, जब कि एक काममें सहायता पहुँचाई जाय और उससे भिन्न दूसरा कोई काम होजाय ।

(१११) जब कि सहायता तो एक कामकी कीजावे और काम कोई दूसराही होजावे तो सहायता करनेवाला उस कामके सम्बंधमें कि जो हुवा है उसी प्रकारसे और उतनाही दंडके योग्य होगा कि मानों उसने भली प्रकारसे उस उपरोक्त कामकी सहायिता की परंतु नियम यह है कि, वह काम जो हुवा इस प्रकारका हो कि सहायतासे उसका होजाना अति संभवित पाया जाय और यह कि वह काम बहँकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर वर्त्ताव करनेसे जिसको सहायता ठहराया गया है होवे ।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकर एक लड़केको रमाशंकरके भोजनमें विषडालनेके लिये बहँकावे और इसी अभिप्रायसे उसको विष दे—उस बहँकानेके कारण वह लड़का उमाशंकरके भोजनमें जो रमाशंकरके भोजनके पास रक्खा हो भूलकर विषडालदे तो इस अवस्थामें यदि उपरोक्त लड़केने शिवशंकरके बहँकानेसे वह वर्त्ताव किया हो और वह काम जो हुवा ऐसी अवस्थाओंमें कदाचित् उस

सहायताका परिणाम हो तो शिवशंकर उसी प्रकार और उतनाहीं अपराधी होगा कि मानों उसन लड़केको उमाशंकरके भोजनमें विष डालनेके लिये बहँकाया ।

(ख)--शिवशंकरने रमाशंकरको उमाशंकरका घर जलादेनेके लिये बहँकाया, रमाशंकरने घरमें आग लगादी और उसी समय वहांका धनभी चुरालिया तो ऐसी अवस्थामें यद्यपि शिवशंकर घर जलादेनेमें सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक पृथक्ही काम था और घर जलानेका परिणाम सम्भवित न था ।

(ग)--शिवशंकरने रमाशंकर और उमाशंकर दोनोंको किसी बसे हुए घरमें जोरीसे चोरी करनेके लिये आधीरातके समय बलपूर्वक घुसनेको बहँकाया-और इस अभिप्रायके कारण शिवशंकरने उन्हें हथियार लादिये-यदि रमाशंकर और उमाशंकर बलपूर्वक उस घरमें घुसजावें और घरवालोंमेंसे एक मनुष्य हरशंकरको जो उनका सामना करे मारडालें तो ऐसी अवस्थामें, यदि वह मारडालना सहायताका परिणाम सम्भवित था तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो ज्ञात॰ घातके लिये ठहराया गया है ।

(११२) यदि वह काम, जिसका सहायक दफ़ा १११ के अनुसार दंडके योग्य है उस कामके अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता कीगई है और वह वास्तवमें दूसराही अपराध हो तो सहायक उन अपराधोंमेंसे प्रत्येक अपराधके लिये दंडके योग्य होगा ।

जिस काममें सहायता कीगई हो और जो काम कियागया है उसके लिये सहायक कब दोनों दंड पावेगा.

उदाहरण ।

शिवशंकरने किसी सरकारी नौकरकी कीहुई कुर्कीमें बलपूर्वक सामना करनेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उसके अनुसार कुर्कीको रोका और रोकनेमें रमाशंकरने जान बूझकर कुर्की करनेवाले ओहदेदारको भारी दुःख पहुँचाया तो यहां उसने दोनों अपराध किये इसलिये वह उन दोनों अपराधोंके दंड योग्य हुआ और जब कि शिवशंकरने यह बात जानली हो कि कुर्कीका सामना करनेमें भारी दुःख पहुँचना अति सम्भवित है तो शिवशंकर भी इन दोनों अपराधोंमें दंड योग्य होगा ।

टीप-१-(क) ने (ख) के घरमें विना उसकी प्रसन्नताके जाकर उसकी स्त्रीके साथ सम्भोग किया-तजवीज़ हाईकोर्टकी यह हुई कि (क) दोनों अपराधोंके लिये अर्थात् व्यभिचार (ज़िनाकारी) और बलपूर्वक घरमें घुसने (मदाख़लत बेजा) का अपराधी है और वह दोनों अपराधोंका दंड पासकता है क्योंकि वे दोनों अपराध अलगर हैं-लेकिन् ऊपर लिखे अभियोग (हालात) में (ख) की स्त्री . नूनानुसार मदाख़लत बेजाके अपराधकी सहायता करनेके योग्य नहीं है । (पंजाब रिकार्ड नं० १ सन् १८७१ ई०)

दंड सहायकको उस परिणामके बदले जो उस कामसे उत्पन्न हो जिसकी सहायता कीजावे और जो परिणाम काम करनेवाले-के अभिप्राय विरुद्ध हो.

(११३) जब किसी काममें सहायता कीजावे और सहायता करनेवालेका यह अभिप्राय हो कि उससे कोई विशेष परिणाम होवे और वह काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है किसी ऐसे परिणामको उत्पन्न करे जो उस परिणामके विरुद्ध हो कि जो सहायककी नियत (इच्छा) में था तो सहायक उस परिणामके कारण जो उत्पन्न हुवा उसीप्रकार और उतनाही दंड योग्य होगा कि मानों उसने उस परिणामके उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे उस काममें सहायता की; परंतु नियम यह है कि जब वह यह जानता हो कि उस कामसे जिसमें सहायता कीगई है उस परिणामका उत्पन्न होना सम्भवहै ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने, उमाशंकरको भारी दुःख पहुँचानेके लिये रमाशंकरको बहँकाया और रमाशंकरने उस बहँकानेके कारण उमाशंकरको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाया और उमाशंकर इसी कारणसे मरगया—तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकर यह जानता था कि उस भारी दुःखके कारण मृत्यु होनेका भय है तो शिवशंकर उस दंडके योग्य होगा जो वध अपराधके बदले ठहराया है । (देखो दफ़ा ४०)

अपराध किये जानेके समय सहायकका होना.

(११४) जब कोई मनुष्य, जो अनुपस्थित (ग़ैरहाज़िरी) अवस्थामें सहायता करनेके लिये दण्डके योग्य होता उस काम या अपराध होनेके समय उपस्थित रहे जिसके मध्ये वह सहायता करनेके कारण दंडके योग्य होता तो वह उस काम या अपराधका करनेवाळा समझा जावेगा—

१—इस अभियोगमें अपराधी बधके समय उपस्थित था और वह यह नहीं जानता था कि ऐसा काम होवेगा—डरके मारे उसने उपरोक्त अपराधके रोकनेका कोई यत्न नहीं किया बरन उस मरे हुए मनुष्यकी लाश छिपानेमें वधिकों (अपराधियों) के साथ मिलगया—तजवीज़ हाईकोर्ट की यह हुई कि अपराधी वध करनेकी सहायताका अपराधी नहीं था बरन वह उपरोक्त अपराधकी गवाहीको मिटादेनेका अपराधी दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा २०१ के अनुसार होगा (वीकी रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ८०)

उस अपराधमें सहायता करना कि जिसका दंड मृत्यु या देश निकालेका है यदि अपराध सहायताके कारण न हो ।

(११५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेमें सहायता करे जिसके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मद्धे इस संग्रहमें कोई दंड न ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी अवधि सात वर्षतक होसकती है और वह धन दंडकेभी योग्य होगा ।

और यदि कोई ऐसा काम किया जावे जिसके मद्धे सहायक सहायताके कारण दंडके योग्य है और जिस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचे तो सहायक दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको क़ैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

यदि काम जिससे हानि पहुँचे सहायताके कारण कियाजावे.

उदाहरण।

शिवशंकरने रमाशंकरको उमाशंकरके मार डालनेके लिये बहँकाया परन्तु रमाशंकरसे यह अपराध नहीं हुआ परन्तु यदि उमाशंकरको मारडालता तो वह मृत्युदंड या देश निकालेके दंडका भागी होता तो इस अवस्थामें शिवशंकर किसी क़ैदके योग्य होगा जिसकी अवधि सात वर्षतक हो सकती है और जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि इस सहायताके कारणसे उमाशंकरको कुछ हानि पहुँचे तो शिवशंकर किसी क़ैदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वर्ष तक होसकती है और जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

(११६) जो कोई मनुष्य किसी अपराधमें सहायता करे जिसके बदलेमें क़ैदका दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस सहायताके कारण न हो और ऐसी सहायताके मद्धे इस संग्रहमें कोई विशेष दंडभी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त मनुष्यको उसप्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी अवधि (मीआद) उस क़ैदकी बड़ी से बड़ी मीआदकी एक चौथाई तक हो सकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या क़ैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जायँगे।

उस अपराधमें सहायता करना जिसका दंड क़ैद है यदि अपराधका होना सहायताके कारण न हो.

और यदि सहायक या सहायता पानेवाला सरकारी नौकर हों तो सहायकको उस प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराया गया है और उसकी मीआद उस क़ैदकी बड़ी से बड़ी मीआदके एक आधे तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है या क़ैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

यदि सहायक और जिसकी सहायता कीजाय दोनोंही सरकारी नौकरहों जिसपर अपराधका रोकना कर्त्तव्य है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको जो सरकारी नौकर है कुछ घूँस इनामकी तौरपर इसलिये देने कही कि रमाशंकर अपने ओहदेके काममें कुछ पक्षपातकरे और रमाशंकर घूंस लेनेसे नाहीं करे तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार दंडके योग्य होगा।

(ख) शिवशंकरने रमाशंकरको झूठी गवाही देनेके लिये बहँकाया इस अवस्थामें यदि रमाशंकर झूठी गवाही नदे तो भी शिवशंकर उस अपराधका करनेवाला होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है और उसीके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(ग) शिवशंकर एक पुलीसके ओहदेदार ने जिसका काम चोरीके रोकनेका है चोरी होनेमें सहायताकी इस अवस्थामें यद्यपि चोरी न भी हुई तो भी शिवशंकर उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक अधे भागके योग्य होगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

(घ) रमाशंकर चोरीके होनेमें शिवशंकरकी सहायताकरे और शिवशंकर पुलीसका एक ओहदेदार हो जिसपर ऐसे अपराधके होने का रोकना उसका कर्त्तव्य कर्म है तो इस अवस्थामें चाहे चोरी न भी हो तोभी रमाशंकर उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक आधेके योग्य होगा जो जोरी की चोरीके बदलेमें ठहराई गई है ।

सहायता पहुँचाना किसी अपराके करनेमें सबके द्वारा अथवा दशसे अधिक मनुष्योंके द्वारा ।

(११७) जो कोई मनुष्य सर्व साधारण मनुष्योंको या मनुष्योंके किसी समूह को जो दश मनुष्योंसे अधिक हो किसी अपराधके करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारके क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्ष तक होसकती है या जुर्मानेका दंड अथवा क़ैद और जुर्माना दोनोंही दण्ड दिये जावें गे । (दफ़ा ४० को देखो)

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी सर्वसम्बन्धी स्थानमें एक विज्ञापन लगावे जिससे किसी सम्प्रदाय (फ़िर्का) को जिसकी संख्या दशसे अधिकहो यह बहँकावे कि वह किसी मुख्य समय और स्थानपर इस अभिप्रायसे इकट्ठे हों कि प्रतिकूल सम्प्रदायके मनुष्यों पर जब कि वह समाज बांधे हुए जातेहों आक्रमण (हमला) करें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

किसी ऐसे अपराधके उद्योगको गुप्त रखना जिसका दंड मृत्यु या देश निकाला है ।

(११८) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे, कि किसी अपराधका उद्योग जिसका दंड मृत्यु या देश निकाला है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज होना सम्भव है किसी कामअथवा क़ानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा उस उद्योगको छिपावे जो ऐसे अपराधके होनेको किया गया है या उस उद्योगके मद्धे कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता है तो उस अपराधके हो जानेपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और यदि अपराध न हो तो दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया

जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और प्रत्येक अवस्थामें वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उदाहरण.

शिवशंकर यह जानकर कि रामनगरमें डाका पड़नेवाला है साहब मजिस्ट्रेटको झूठी सूचना (ख़बर) दे कि चन्द्रनगरमें जो दूसरी ओर है शीघ्रही डाका पड़नेवाला है और इस प्रकार साहब मजिस्ट्रेटको धोखा दे इस अभिप्रायसे कि उस कामका होना सहज होजावे और इस उद्योगपर वर्त्ताव करनेसे रामनगरमें डाका पड़जावे तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

टीप १—मदरासमें चार अपराधियोंको वधके अपराधमें दंड दियागया और पाँचवें अपराधीकी तजवीज़ (विचार) जो मारेगये मनुष्यकी स्त्री थी, दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ११८ के अनुसार कीगई—हाईकोर्टने इस अपराधिनीको दंड दिया, क्योंकि जांचनेसे यह पायागया कि स्त्रीको उसके स्वामीके वधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था और उसने इस वृत्तान्तको अपने स्वामीसे छुपाया—(मदरास केस नं० ३० सन् १८६८ ई०)

सरकारी नौकर जो किसी अपराध होनेके उद्योगको छिपावे जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य है.

(११९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना कि जिसका रोकना उसका कर्त्तव्य कर्म (फ़र्ज़) है सहज होजावे या यह जानकर कि उसका सहज होजाना सम्भव है किसी काम या क़ानूनविरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उद्योगको छिपावे जो होनेवाले अपराधके लिये किया गया हो या उस उद्योगके मद्धे कोई ऐसा बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो उस अपराधके होजानेपर उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके बदलेमें ठहराई गई है और उसकी मीआद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदके एक आंधेतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है अथवा क़ैद और जुर्माना दोनों दंड दिये जावेंगे—और—

यदि अपराधका दंड मृत्यु आदि हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें मृत्युदंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है तो दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद जिसकी मीआद दश वर्षतक है होसकती है और यदि अपराध न हुआ हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या क़ैद और जुर्माना दोनोंही दंड दिये जांयगे।

उदाहरण ।

शिवशंकर पुलीसके ओहदेदारको क़ानूनानुसार उचित है कि जोरीकी चोरी (सरक़ा बिल-जब्र) के उद्योगोंकी जो उसको ज्ञात हों सूचना करे और शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकर जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा है ऐसी सूचना करनी इस अभिप्रायसे रहित करे कि उस अपराधका होना सहज होजावे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने क़ानूनविरुद्ध चूक (तर्क) के द्वारा रमाशंकरके होते हुए उद्योगको छिपाया, इसलिये इस दफ़ाकी आज्ञानुसार वह दंडके योग्य हुवा ।

उस अपराधके होनेके उद्योगको छिपाना जिसका दंड क़ैद है.

(१२०) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कि किसी अपराधका होना, जिसके बदलेमें क़ैदका दंड ठहराया गया है सहज होजावे या यह जानकर कि उसके सहज होजानेका सम्भव है किसी काम या क़ानूनविरुद्ध चूकके द्वारा अपनी इच्छासे उस होते हुए उद्योगको छिपावे जो उपरोक्त अपराधके होनेके लिये कियागया है या उस उद्योगके मद्धे कोई ऐसा वर्णन करे जिसको वह झूठा जानताहो तो यदि उपरोक्त अपराध होवे तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस क़ैदके बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है और यदि अपराध न हुवा हो तो क़ैद एक आठवें हिस्सेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है अथवा उस जुर्मानेका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

नोट—इस दफ़ामें लिखे हुए दंड उन सरकारी नौकरोंके मद्धे अधिक कड़े हैं जिनका काम अपराधोंके रोकनेका है—इस दफ़ाके साथ मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० की दफ़ा ४४ व ४५ देखी जाय ।

अध्याय छठा ६.*

राजविद्रोहके अपराधोंके विषयमें ।

श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करना या उसका उद्योग या उसमें सहायता करना.

(१२१) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या ऐसे युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्यु या देश निकालेका दंड दिया जावेगा और उसका सब धन (जायदाद) ज़ब्त किया जायगा।

उदाहरण ।

(क)—शिवशंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विद्रोहमें साझी हो तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ख)—शिवशंकर, जो हिन्दुस्थानमें है विद्रोहियोंको हथियार भेजकर एक विद्रोहमें सहायता करता है जो सीलोनटापूमें श्रीमती महारानीके विरुद्ध हुई हो; तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होगा ।

टीप—(१) मुकद्दमे का विचार अदालत सेशन करसकती है ।
(२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती ।
(३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ।
(४) अपराध ज़मानतके योग्य नहीं है ।
(५) राज़ीनामा (संधि) नहीं हो सकता है ।
(६) मंजूरी दरकार है ।

उन अपराधोंके करनेमें उद्योग जो दफ़ा १२१ के अनुसार दंडके योग्य हैं ।

(१२१) (अ) जो मनुष्य कि ब्रिटिश इंडियामें या उससे बाहर किसी अपराधको करनेके लिये जो दफ़ा १२१ के अनुसार दंडके योग्य हैं, या श्रीमती महारानीको ब्रिटिश इंडिया या उसके किसी भागके अधिकारसे अधिकार रहित (बे दख़ल) करनेके लिये उद्योग करे या अपराधयुक्त बलकेद्वारा अथवा अपराध युक्त बल दिखाकर गवर्नमेंट हिंद या किसी लोकल स्थानिक गवर्नमेंटकी न्यूनताके लिये उद्योग करे तो वह मनुष्य जन्म भरके लिये या इससे कम मीआदके लिये देश निकालेके दंड योग्य होगा या उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है ।

---

* ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १९६ को देखो ।

समस्त मनुष्योंको उचित है कि दफ़ा १२१ से १२६ तक व १३० दफ़ाके अपराधोंकी सूचना करें देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा २४

स्पष्टीकरण—इस दफ़ाके अनुसार सहायता दिये जानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि कोई काम अथवा क़ानून विरुद्ध चूक उसके उद्योगमें दिखाई दे। (दफ़ा ४ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालतसेशन मुक़द्दमेकी तजवीज़ करसकती है (२) पोलीस विना वारंट अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके अभिप्रायसे शस्त्र आदि इकट्ठा करना.

(१२२) जो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गोले बारूदकी क़िस्मसे कोई सामान इकट्ठा करे या किसी और प्रकारसे युद्धकी तैयारी करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करनेपर तैयार रहे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और उसका कुलधन (जायदाद) ज़ब्त होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन मुकद्दमेकी तजवीज़ करसकती है (२) बिना वारंट मजिस्ट्रेटके पोलीस अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) अपराध जमानतके योग्य नहीं है (४) पहिले वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता (६) मंजूरी दरकारहै।

युद्ध करनेके यत्नको उसके सहल करनेके अभिप्रायसे छिपाना.

(१२३) जो कोई मनुष्य किसी काम या क़ानूनविरुद्ध चूकद्वारा किसी होते हुए उद्योगको जो श्रीमती महारानीके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये किया गया है, छिपावे इस अभिप्रायसे या यह जाननेके सम्भवसे कि ऐसे छिपानेसे युद्धका करना सहज होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन; (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी (हस्ताक्षेप) नहीं कर सकती; (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा; (४) जमानत नहीं है, (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता है; (६) मंजूरी दरकार है;।

गवर्नर जनरल या गवर्नर आदिपर किसी उचित अधिकारके वर्त्तनेपर विवश करना या वर्त्तनेसे रोकनेके अभिप्रायसे आक्रमण करना.

(१२४) जो कोई मनुष्य गवर्नरजनरलहिंद या किसी प्रेज़ीडेंसीके गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या गवर्नरजनरल बहादुर हिंदकी कौंसलके मेम्बर (सभासद) पर आक्रमण करे या उसे अनीति रीति (मुज़ाहिमतबेजा) से रोके या अनीति रीतिसे रोकनेका उद्योग करे या किसी अपराध संयुक्त बल (जब्र मुजरिमाना) के द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर डराये या इसप्रकार डरानेका उद्योग करे इस अभिप्रायसे कि वह उस गवर्नर

जनरलबहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौंसलके मेम्बरको दबावे या विवश करे कि वह गवर्नरजनरलबहादुर या गवर्नर या लेफ्टिनेन्टगवर्नर या कौंसलके मेम्बर किसी प्रकार अपने उचित अधिकारमेंसे किसी अधिकारको वर्त्ते या किसी प्रकार वर्त्तनेसे रुका (बाज़) रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पुलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंज़ूरी दरकार है।

बुरे विचारोंका उत्पन्न करना.

(१२४) * (अ) जो मनुष्य शब्दोंद्वारा जो बोले गये या लिखे गये हों या चिह्नोंद्वारा या आंखसे देखने योग्य कोई नक़ल बनाकर या और किसी भांतिपर घृणा (नफ़रत) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवर्नमेंट के मध्ये जो ब्रिटिश इंडियामें स्थिर कीगई है, उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभर या कुछ कम मीआदके लिये देश निकालेका दंड हो सकता है जिसपर जुर्माना भी बढ़ाया जा सकेगा या क़ैदका दंड जुर्माना समेत जिसकी मीआद तीनवर्षतक हो सकती है, या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा।

† **स्पष्टीकरण**-१-"बुरे विचार" के शब्दमें कृतघ्नता (बेवफ़ाई) और शत्रुताके समस्त विचार संयुक्त हैं।

स्पष्टीकरण २-सरकारके उद्योगोंके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक़्ताचीनी (टीका) करना इस अभिप्रायसे, कि उचित रीतोंद्वारा उनमें अदल बदल कराया जावे, बिना इस बातके कि, घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफ़ाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहरता।

---

* दफ़ा ५-ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो।

इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बंध रखते हैं जो इस दफ़ाके अनुसार दंडके योग्य हैं (ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १३ व १४ को देखो।

† बुरे विचारों और अप्रसन्नताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ३५)

स्पष्टीकरण ३–सरकारके प्रबंध या किसी और कामके मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करनेके अभिप्रायसे नुक्ताचीनी अर्थात् टीका करना बिना इस बातके कि घृणा या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करनेका उद्योग किया जावे इस दफ़ाके अनुसार कोई अपराध नहीं ठहरता ।

(टीप)—(१) अदालत सेशन या चीफ प्रे० म० या मजिष्ट्रेट ज़िला या म० दर्जा अव्वल जिसे लोकलगवर्नमेंटने इस बारेमें अधिकार दिया हो (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३)वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंज़ूरी दरकार है ।

किसी एशियाई देशकी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती महारानीसे मित्रतारखती हो युद्ध करना ।

(१२५) जब कोई मनुष्य एशियाई देशकी किसी गवर्नमेंटके विरुद्ध जो श्रीमती महारानीसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या युद्ध करनेका उद्योग करे या ऐसे युद्ध करनेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकालेका दंड दिया जावेगा और इसके सिवाय जुर्माना भी होसकता है या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और अतिरिक्त इसके जुर्माना भी हो सकता है या केवल जुर्मानेका दंड दिया जावेगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी हस्ताक्षेप नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंज़ूरी दरकार है ।

ऐसे अधिपतिके राज्यमें लूटमार करना जो श्रीमती महारानीसे संधि रखता हो ।

(१२६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे देशमें लूट मारकरे या लूटमार करनेकी तैयारीकरे जिसका अधिपति श्रीमती महारानीसे मित्रता या संधि रखताहो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका तथा उस माल व असबाब की जब्तीके भी योग्य होगा जो उस लूटमारके काममें आया हो. या जिसका उसके काममें आना सम्भव हो जो उस लूटमारके द्वारा प्राप्त हुवा है ।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंज़ूरी दरकार है ।

(१२७) जो कोई मनुष्य कोई माल या असबाब यह जानकरले कि वह उन अपराधोंमेंसे किसी ऐसे अपराधके द्वारा प्राप्त किया गया है जिनका वर्णन दफ़ा १२५ व १२६ में हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक हो सकती है और वह मनुष्य जुर्मानेका और उस माल व असबाबकी ज़ब्तीके भी योग्य होगा जिसको वह इस प्रकार अपने अधिकारमें लाया हो ।

लेना उस मालका जो दफ़ा १२५ व १२६ के अनुसार युद्ध व लूटमारके द्वारा प्राप्त किया गयाहो ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता ।

(१२८) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्यविरोधी क़ैदी या युद्धक़ैदी हो, उस क़ैदीको किसी स्थानसे जहां वह क़ैद है जानबूझकर भाग जाने दे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके लिये देश निकाला या दोनों प्रकारोंमें-से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

सरकारी नौकरको अपनी चौकसीसे किसी राज विरोधी अपराध के क़ैदी अथवा युद्धके क़ैदीको भाग जाने देना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता (६) मंज़ूरी दरकार है ।

(१२९) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसकी चौकसीमें कोई राज्य-विरोधी क़ैदी या युद्धका क़ैदी हो असावधानी (ग़फ़लत) से उस क़ैदीको उस स्थानसे कि जहां वह क़ैद है भाग जानेदे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

सरकारी नौकरका अपनी चौकसीसे किसी राज्य विरोधी क़ैदी या युद्धके क़ैदी को भाग जाने देना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसीडंसी मजिष्ट्रेट या म० अव्वल (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंज़ूरी दरकार है ।

(१३०) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी राज्यविरोधी क़ैदी या युद्धके क़ैदीको उचित चौकसीसे भाग जानेमें सहायता करे अथवा सहारा दे या किसी ऐसे क़ैदीको छुड़ा लेजाए या छुड़ा लेजानेका उद्योग करे या ऐसे क़ैदीको जो उचित चौकसीसे भाग गया हो शरण दे या छिपारक्खे या किसी ऐसे क़ैदीके फिर पकड़नेमें किसी प्रकारकी रोकटोक करे या रोकटोक करनेका उद्योग करे तो

उपरोक्त क़ैदीके भाग जानेमें सहायता करना या उसको छुडाना या शरण देना.

उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—कोई राज्यविरोधी क़ैदी अथवा युद्धका क़ैदी जिसको ब्रिटिश इंडियाकी नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी प्रतिज्ञाके अनुसार फिरनेकी आज्ञा हुई हो कदाचित् वह उसी सीमासे जिसके भीतर फिरनेकी आज्ञा हुई है बाहर निकल जाय तो कहा जायगा कि वह उचित–चौकसीसे भाग गया ।

टीप–(१) अदालत सेशन (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं हो सकती (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंज़ूरी दरकार है ।

अध्याय सातवाँ ७.

जंगी अथवा जहाज़ी सेना सम्बंधी अपराधोंके विषयमें ।

बग़ावतमें सहायता करना या किसी सिपाही या जहाज़ी केवटको उसके कामसे बहँकानेका उद्योग करना.

(१३१) जब कोई मनुष्य, विद्रोह करनेमें जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाके अफ़सर या सिपाही या जहाज़ी केवटकी ओरसे हो, सहायता करे या ऐसे अफ्सर या सिपाही या केवटको नौकरी या नौकरीका काम न करनेके लिये बहँकानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेका या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस दफ़ामें शब्द "अफ्सर" और "सिपाही" के अर्थमें प्रत्येक मनुष्य गिनाजायगा जो आरटिकल्स आफ़वार धर्म प्रबंधी सेना श्रीमती महारानीके आधीन है या जो आरटिकलस आफ़वार ऐक्ट ५ सन् १८६९ के ई० लेखानुसार हो । (दफ़ा ६ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन २ दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) ज़मानत नहीं है (५ राज़ीनामा नहीं २ ।

(१३२) जब कोई मनुष्य विद्रोह करनेमें, जो श्रीमती महारानीके जंगी या जहाज़ी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवटकी ओरसे हो, सहायता करे और यदि उसकीही सहायताके कारण विद्रोह होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको मृत्युदंड या जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

विद्रोहमें सहायता करना जब कि वह विद्रोह उसी सहायताके कारण होजाय.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पुलीस हस्ताक्षेप करसकती है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

(१३३) जब कोई मनुष्य किसी आक्रमण (हमले) में सहायता करे जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवट अपने ऊपरके अफ्सरपर करे उस अवस्थामें कि जब वह अपने ओ़हदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

किसी आक्रमणमें सहायता देना जो कोई सिपाही या जहाज़ी केवट अपने ऊपरके अफ्सर पर जब कि वह अपने ओ़हदेका काम कररहा हो, करे.

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

(१३४) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे आक्रमणमें सहायता करे जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाका कोई अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवट अपने किसी ऊपरके अफ्सर पर ऐसी अवस्थामें करे कि जब वह अपने ओ़हदेका काम कररहा है तो यदि उस सहायताके कारण वह आक्रमण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

ऐसे आक्रमणकी सहायता कि जो होजावे.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

(१३५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवटकी नौकरी परसे भाग जानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

किसी सिपाही या जहाज़ी केवटकी नौकरी परसे भाग जानेमें सहायता करना.

टीप—(१) प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० या म०दोयम (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधी (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता ।

नौकरीसे भागे हुएको शरण (पनाह) देना.

(१३६) जो कोई मनुष्य सिवाय नीचे लिखी हुई छूटके श्रीमती महारानी की जंगी अथवा जहाजी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवटको यह जानबूझकर या जाननेका कारण रखकर कि यह अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवट अपनी नौकरीसे भाग आया है शरण दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

छूट- -यह नियम उस अवस्थामें सम्बंध न रक्खेगा जब कि कोई स्त्री अपने स्वामीको शरण दे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता ।

भागे हुएका सौदागरी जहाज़में नावपतिकी असावधानीसे छुपाहोना.

(१३७) उस सौदागरी जहाज़का नावपति या अधिकारी जिसपर कोई ऐसा मनुष्य छुपा हो जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाकी नौकरीसे भाग गया है जुर्मानेके दंडके योग्य होगा जो पांच सौ रुपयेसे अधिक न हों चाहे उस छुपे होनेकी उसको जानकारी न हो; परंतु शर्त यह है कि उस छुपे होनेका मालूमकर लेना उसके अधिकारमें था यदि वह अपने नावपति या अधिकारी पनेके काममें असावधानी न करता या जहाज़के प्रबंधमें कुछ खोट न होता ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता ।

किसी सिपाही या जहाज़ी केवटकी ओरसे आज्ञाभंगके काममें सहायता देना.

(१३८) जो कोई मनुष्य किसी काममें सहायता करे जिसको वह श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाज़ी केवटकी ओरसे आज्ञाभंगका अपराध जानता है, तो यदि वह आज्ञाभंगका काम उस सहायताके कारण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड दिया जावेगा या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता।

(१३८) (अ) इस अध्यायकी ऊपर लिखी हुई दफ़ायें इस प्रकारपर सम्बंध रक्खेंगी कि मानों हिन्दुस्थानी सरकारकी जहाज़ी नौकरी श्रीमती महारानीकी जहाज़ी सेनामें संयुक्त है—(यह दफ़ा ऐक्ट १४ सन् १८८७ ई० के अनुसार बढ़ाई गई है)

ऊपरकी दफ़ोंका हिन्दुस्थानकी जहाज़ी नौकरीसे सम्बंध रखना.

(१३९) जब कोई मनुष्य किसी ऐसे क़ानूनके आधीन होवे जो आरटिकल्स आफवार कहलाता है और श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेना या उपरोक्त सेनाके किसी टुकड़ेके लिये नियत (मुक़र्रर) है तो वह मनुष्य उन अपराधोंमेंसे किसी अपराधके बदलेमें कि जिनका वर्णन इस अध्यायमें कियागया है, इस संग्रहके अनुसार दंड योग्य न होगा।

जो मनुष्य आरटिकल्स आफ वारके अधिकारमें है वो इस संग्रहके अनुसार दंड योग्य नहीं है.

(१४०) यदि कोई मनुष्य जो श्रीमती महारानीकी जंगी या जहाज़ी सेनाका सिपाही न हो कोई ऐसा लिबास (वर्दी) पहिने या ऐसा चिह्न (निशान) धारण करे जिसको वह सिपाही वर्त्तता (इस्तेमाल) है इस अभिप्रायसे कि वह ऐसा सिपाही समझा जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद ५००) पांचसौ रुपयातक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

सिपाहीके लिबास (वर्दी) का पहिनना.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

अध्याय आठवाँ ८.

सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

(१४१) पांच या अधिक मनुष्योंका प्रत्येक जमाव क़ानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा जब कि उन मनुष्योंका, जिनसे वह जमाव बना है, यह अभिप्राय होवे—

क़ानूनविरुद्ध जमाव.

पहले—हिन्दुस्थानके लेजिस्लेटिव (क़ानून बनानेवाली) या इक्जेक्टिव (कारव्यवहार करनेवाली) गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लफ्टेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरको जब कि वह अपनी नौकरीका अधिकार नीतिपूर्वक वर्त्त रहाहो, अपराध संयुक्त बलके द्वारा या अपराध संयुक्त बल (जब्रमुजरि माना) दिखाकर डराना या–

दूसरे—रोकना किसी क़ानूनके प्रचारका या क़ानूनानुसार आज्ञापत्रका; या–

तीसरे—हानि पहुँचाना या मदाख़लत बेजा (अनीतिसे किसीपर अधिकार करना) अथवा किसी और दूसरे अपराधका करना, या—

चौथे—अपराध संयुक्त बलकेद्वारा या किसी और अपराध संयुक्त बलको दिखाकर किसी मनुष्यसे कोई माल लेना या उसपर अधिकार करना या किसी मनुष्यको किसी मार्ग अथवा जलाशयका अधिकार भोगनेसे रहित करना या और किसी अमूर्त्ति (ग़ैरमाद्दी) अधिकारके लाभसे जिसको वह भोगरहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कल्पित अधिकार (इस्तेहक़ाक़ख्याली) को काममें लाना; या—

पांचवें—अपराध संयुक्त बलकेद्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर किसी मनुष्यको विवश करना, उस कामके करनेमें जिसका करना उसपर क़ानूनानुसार उचित न हो या ऐसे कामके करनेमें चुकानेके लिये जिसके करनेका वह क़ानूनानुसार अधिकारी है ।

स्पष्टीकरण—सम्भव है कि कोई जमाव जो जमा होनेके समय क़ानूनके विरुद्ध न था जमाव होनेके पश्चात् क़ानूनके विरुद्ध होजा वे (दफ़ा ४० को देखो)

१—किसी मनुष्यके सम्बंधमें, क़ानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना या रहना इस अवस्थामें नहीं कहा जासकता कि जब साक्षी (गवाही) से यह प्रमाणित हो कि वह उस स्थानपर जहां क़ानूनविरुद्ध जमावके मनुष्य इकट्ठा थे अपने मालको हानिसे बचानेके लिये गया था (वी० रि० जिल्द १९ सफ़ा ६६)

२—यदि क़ानूनविरुद्ध जमावका कोई मनुष्य किसी अन्याय (जब्र) को करे तो उसके उस कामसे बलवेका अपराध उत्पन्न होगा, चाहे वह अन्याय कैसाही तुच्छ क्यों न हो—जब पांच या अधिक मनुष्योंका अभिप्राय दफ़ा १४१ में कहे हुए किसी अभिप्रायके अंतर्गत हो तो उनका जमाव क़ानूनविरुद्ध जमाव कहलावेगा चाहे वह अभिप्राय उनके दिलमें जमा होनेके समय उत्पन्न हुआ हो चाहे पीछेसे (पंजाब रिकार्ड नं० ३४ सन् १८६८ ई०)

३—क़ानूनविरुद्ध जमावमें संयुक्त होना उस अवस्थामें दंड योग्य न होगा जहां दोनों ओर वालों (फरीक़ैन) की इच्छा किसी अधिकार या कल्पित अधिकारको काममें लानेकी न हो बरन् किसी अधिकारको बिना रोक टोक स्थिर (क़ायम) रखनेकी हो जिसे वे उस समय बर्त्त रहे थे। वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २३ सफ़ा (२५)

किसी अनीति जमावमें साझी (शरीक) होना.

(१४२) जो कोई मनुष्य उन बातोंको जानकर जिनके कारणसे कोई जमाव क़ानूनविरुद्ध जमाव कहलाता है स्वयं उस जमावमें साझी होजावे या उसमें बनारहे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य क़ानूनविरुद्ध जमावका साझीदार है।

दंड (सज़ा)

(१४३) प्रत्येक मनुष्यको जो क़ानून विरुद्ध जमावका साझी हो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

कुछ मनुष्योंकी तजवीज़ (विचार) के समय कि जिनपर क़ानूनविरुद्ध जमावका अपराध लगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया कि कुछ धरतीके अधिकारके सम्बन्धमें अपराधी और कुछ दूसरे मनुष्योंमें बहुत समयसे झगड़ा चला आता है—दोनों ओरके जमावोंमेंसे किसी भी जमावका अधिकार बिना रोक टोकके कभी भी नहीं रहा—अपराधी उस धरतीमें नील बोनेके लिये बहुतसे मनुष्योंका झुंडलेकर गये कि जिनके पास लाठियां थीं और वे आवश्यकताके कारण जबर्दस्ती करनेपर भी तैयार थे और लाठीवालोंने जब कि वह धरती बोई जाती थी दूसरे जमाववालोंको अपने हथियार घुमानेके द्वारा दूर रक्खा—हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि दफ़ा १४३ दंडसंग्रह हिन्दके अनुसार अपराधियोंपर क़ानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेका अपराध भलीप्रकारसे प्रमाणित है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफ़ा ६३९)

किसी गांवमें उत्पाती मनुष्योंके दो जमाव थे, उनमेंसे एक जमाववालेने दूसरेको एक ऐसी खाली जगह परसे जलसेके साथ जानेको मना किया, जो उस गांवकी आम (सर्व साधारण) सड़क पर है पोलीसने उनको अलग होनेका हुक्म दिया—परन्तु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस लिये पोलीसने दूसरे उत्पाती जमावसे जलसा छोडदेनेको कहा—तजवीज़ हुई कि वह मनुष्य जो अलग होजानेका हुक्म देनेपर अलग नहीं हुए क़ानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेके अपराधी थे। (इ. ला. रि. मदरास जिल्द १४ सफ़ा १२६)

(१४४) कोई मनुष्य जो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको मारनेके हथियारकी भाँति वर्त्ते जानेसे मृत्युका होना अति सम्भवित हो, बांधकर किसी कानूनविरुद्ध जमावका साझी होगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी क़ानूनविरुद्ध जमावमें मृत्युकारक हथियारके साथ साझी होना ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

यदि यह बात प्रमाणित हो कि अपराधी जमावमें साझी होनेके अतिरिक्त क़ानूनविरुद्ध एक बंदूक या कोई और हथियार ऐसा रखता था जिसको यदि वर्त्ता जावे तो उससे मृत्यु होसके इसलिये ऐसी अवस्थामें अपराधी दफ़ा १४४ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार दंडके योग्य होगा ।

(१४५) जो कोई मनुष्य किसी क़ानूनविरुद्ध जमावमें दाखिल होवे (प्रवेश करे) या दाखिल रहे, यह जानकर कि उस क़ानूनविरुद्ध जमावको क़ानूनके ठहराए हुए नियमोंके अनुसार अलग २ (मुतफ़र्रिक) होनेकी आज्ञा हो चुकी है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे ।

यह बात जानकर भी कि किसी अनीति जमावके अलग २ होनेकी आज्ञा होचुकी है उसमें मिलना या बनारहना.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट बनाम अपराधीके जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(१४६) जब किसी क़ानूनविरुद्ध जमाव या उसके किसी साझीकी ओरसे उपरोक्त जमावके साझियोंका अभिप्राय प्राप्त करनेमें अन्याय (जब्र) या कड़ाई (सख्ती) का वर्त्ताव किया जावे तो उस जमावका प्रत्येक मनुष्य बलवा करनेका अपराधी होगा ।

बलवा.

१—एक ज़मींदारने अपने असामीको ऐक्ट वसूली लगान मदरासके अनुसार पट्टा दिया था, ज़मींदारने लगान न पटने पर पोलीसकी सहायतासे उसके चौपाये कुर्क कर लिये उपरोक्त असामीने ग्यारह मनुष्योंकी सहायतासे उस कुर्कीको रोका और इसलिये उनपर बलवेका अपराध लगाया गया—हाईकोर्टके विचारमें अपराधीका दंड बलवेके अपराधमें सही पायागया—(इ०ला०रि० मदरास जिल्द १३ सफ़ा १४८)

२—क़ानूनविरुद्ध जमावका, कि जिसके कुछ साझियोंने किसी मनुष्यको भारी दुःख पहुंचाया था, कोई साझी उचित रीतिपर बलवेके अपराध और भारी दुःख पहुँचानेके अपराधका दंड नहीं पासकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा २९)

(१४७) जो कोई मनुष्य बलवा करनेका अपराधी हो उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

बलवेका दंड.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—कुछ मनुष्योंने परस्परकी शत्रुताके कारण एकसाथ उपद्रव किया जिसका फल यह हुवा कि एक मनुष्यको भारी चोट लगी और वह उसके कारण मरगया—तजवीज़ हुई कि जो कि कोई जमाव क़ानूनविरुद्ध न था इसलिये बलवेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता—अपराधी पर उपद्रव (हंगामे) का अपराध ठहराना था और अदालतने इस बात पर कि इन अपराधियोंमेंसे कौन मनुष्य ज्ञातवत् घातका अपराधी हुवा था विचार नहीं किया। वी०रि० जिल्द १४ सफ़ा ७२)

२—दो जमावोंको बलवाके अपराधमें दंड हुवा, एक जमावमें पांच मनुष्योंसे कम नथे और उनके सम्बन्धमें यह मालूम हुवा कि वे लड़ाईके समय इकट्ठा हुए थे और वह और उनके शत्रु लाठियां बांधकर लड़नेके लिये आये थे—तजवीज़ हुई कि उनको बलवेका दंड देना उचित था क्योंकि उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करनेका था—दूसरे जमावमें केवल चार मनुष्य थे और यह बात मालूम नहीं कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योंके साथ क्या अभिप्राय रखते थे और लड़ाई भी किसी सर्व साधारण स्थानपर नहीं हुई थी इसलिये दूसरे जमावको बलवेके अपराधमें दंड देना अनुचित है और तजवीज़ हुई कि लड़ाई किसी सर्व साधारण (नियत) स्थानपर होती तो यह समझा जासकता था कि दोनों जमावोंका यह अभिप्राय था कि परस्पर उपद्रव (हंगामा-लड़ाई) किया जावे (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफ़ा २०८)

(१४८) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या ऐसी वस्तुको लेकर कि यदि उसको हथियारकी भांति काममें लाएं तो उससे मृत्यु होना सम्भवित है बलवा करनेका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

मृत्युकारक हथियारके साथ बलवा करना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या म० अ० (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

यह बात आई कि "लाठी" दफ़ा १४८ दंडसंग्रह हिंदके अभिप्रायसे मृत्युकारक हथियार है या नहीं—यह एक ऐसी बात है कि जिसका (निश्चय) मुकद्दमे की विशेष अवस्था पर होना चाहिये (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा १९)

कुछ मनुष्योंने कैदियोंपर इस अभिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फ़सल (खेत) काटलेवें कैदियोंने उनका सामना किया और पुलीसको सूचना देनेका अवसर न पाकर बांससे उन आक्रमण करने वालोंके एक मनुष्यको चोट पहुंचाई जिसके कारण वह मरगया, सेशन जजने कैदियोंको दफ़ा १४८ व १४९ के अपराधमें दंड किया और हाईकोर्टकी तजवीज़ हुई कि कैदियोंने जो उनका सामना किया था और जो चोट आक्रमण करने वालोंको पहुंचाई थी वह उनके निज-रक्षाके अधिकारके वर्त्तावसे बाहर न था इसलिये कैदी छोड़े गये । (बंगाल ला० रि० जिल्द ६ सफ़ा ९)

कानूनविरुद्ध जमाव का प्रत्येक साझी उस अपराधका अपराधी गिना जायगा जो सब साझियोंका अभिप्राय प्राप्त होनेके लिये किया जाय.

(१४९) यदि क़ानूनविरुद्ध जमावके किसी साझीकी ओरसे उस जमावका अभिप्राय प्राप्त करनेमें कोई अपराध हो या कोई ऐसा अपराध हो जिसको उस जमावके साझी जानते हों कि उस अभिप्रायके प्राप्त करनेमें उसका (अपराध) होना सम्भवहै तो प्रत्येक मनुष्य जो उस अपराधके समय उस जमावका साझी है उपरोक्त अपराधका अपराधी है ।

१—एक जमावके बहुतसे मनुष्योंने दूसरे जमावके मनुष्योंकी राहरोकी जिसका फल यह हुवा कि परस्पर लड़ाई होने लगी—पहिले जमावका एक मनुष्य घायल होकर सड़कके एक किनारे पर होगया और फिर उस लड़ाई में साझी न हुआ, उसके अलग हो जानेके पश्चात् दूसरे जमावका एक मनुष्य मारा गया—तजवीज़ हुई कि उस घायल मनुष्यका उसके अलग होनेके पश्चात् क़ानूनविरुद्ध जमाव में रहना नहीं ठहरता, और उसके ऊपर दफ़ा १४९ के अनुसार वधका अपराध नहीं ठहर सकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफ़ा १)

२—कुछ मनुष्य जो क़ानूनविरुद्ध जमावमें साझी थे (अ) को ले भागनेके अभिप्रायसे निकले और उनमेंसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमें (ब) को मारडाला, तजवीज़ हुई कि सब मनुष्य जो ले भागनेके समय उस अपराधके उद्योगमें सम्बन्ध रखते थे, (ब) के मारे जानेके कारण दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १४९ के अनुसार अपराधी थे । (वीक्ली रिपोर्टर. जिल्द १३ सफ़ा ३३)

३—जब कुछ मनुष्योंमेंसे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मारनेमें साझी हुआ यहां तक कि उस मनुष्यकी आठपसलियां टूट गईं और वह मरगया तो तजवीज़ हुई कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हुआ था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २४ सफ़ा ५)

किसी कानूनविरुद्ध जमाव में मनुष्योंको नौकर रखना या उन्हें रखनेके लिये सलाह करना.

(१५०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी क़ानूनविरुद्ध जमावमें मिलने या साझी होनेके अभिप्रायसे नौकरीपर या उजरत (रोज़नदारी) पर रक्खेगा या कामपर लगावेगा या उसे उजरतपर या नौकरीपर रखने या कामपर लगानेमें सहायता या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस क़ानूनविरुद्ध जमावके साझियोंकी भांति दंड पाने योग्य है और किसी ऐसे अपराधके मद्दे जो उस

मनुष्यकी ओरसे उस क़ानूनविरुद्ध जमावके अनुसार उस नौकर रक्खे जाने या उजरत पाने या कामपर लगाए जानेके किया जावे तो उसका दंड उसीप्रकार होगा कि मानो वह स्वयं उस क़ानूनविरुद्ध जमावमें साझी था या कि स्वयं उसीने वैसा अपराध किया।

टीप–(१) इस दफ़ाके अनुसार अपराधका विचार वही अदालत करेगी जो किये हुये अपराधका विचार करसक्ती है।

(२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है।

(३) अपराधके लक्षणोंके अनुसार वारंट या समन अपराधीके नाम जारी होगा।

(४) अपराधके लक्षणोंके अनुसार ज़मानतका होना न होना ठहराया है।

(५) राज़ीनामा नहीं होसकता है।

पांच या अधिक मनुष्योंको किसी जमावमें उसके अलग होजानेकी आज्ञा होनेके पश्चात् साझी होना या रहना.

(१५१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर पांच या अधिक मनुष्योंके किसी ऐसे जमावमें, जिससे सर्वसाधारणकी कुशलतामें विघ्न पड़ना संभव है, पश्चात् इसके कि उपरोक्त जमावको क़ानूनानुसार अलग २ होजानेकी आज्ञा होचुकी हो साझी हो या साझी रहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण—यदि वह जमाव दफ़ा १४१ के अभिप्रायानुसार (हस्बमंशाय) क़ानूनविरुद्ध जमाव हो तो वह अपराधी दफ़ा १४५ के अनुसार दंड पावेगा।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

जब तीन मनुष्योंका अभिप्राय केवल एक भीड़ इकट्ठा करनेका था और उन्होंने ऐसे काम किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्योंका जमाव होगया और इस जमावसे सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न पहुँचना सम्भव था–तजवीज़ हाईकोर्ट हुई कि उस जमावका इसप्रकारपर इकट्ठा होना दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १५१ के अभिप्रायसे पांच या अधिक मनुष्योंके जमावमे गिना जायगा और जब कि उन मनुष्योंको अलग होजानेकी उचित आज्ञा दीगई और उन्होंने अलग होनेसे नाहीं की तो ऐसी अवस्थामें उन सबका दंड इस दफ़ाके अनुसार होसक्ता है। (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफ़ा ४२)

किसी सरकारी नौकर पर उस समय आक्रमण करना या उसको रोकना जब कि वह बलवे आदिको शांतकर रहा हो।

(१५२) जब कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर पर उस समय, आक्रमण करे या आक्रमण करनेकी धमकी दे या उसके साथ रोक टोक करे या रोक टोक करनेका उद्योग करे जब कि वह किसी क़ानूनविरुद्ध जमावको अलग करने या किसी बलवे या हंगामें को बंद करनेमें उस सरकारी नौकरीके कारण अपनी नौकरीका काम कर रहा हो, या ऐसे नौकरपर अपराध संयुक्त बल करे या बलकरनेकी धमकी दे या अपराध संयुक्त बल करनेका उद्योगकरे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

बलवा करानेके अभिप्रायसे किसीके दिलको बिना बात क्रोध करानेका काम करना।

(१५३) जब कोई मनुष्य दुर्भावसे या बिना किसी बात, किसी ऐसे कामको करके जो क़ानूनविरुद्ध है, किसी मनुष्यके दिलको क्रोध दिलावे इस अभिप्रायसे या इस बातको संभवित जानकर कि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध होवे, तो यदि उस क्रोधके कारण बलवेका अपराध किया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि बलवेका अपराध न किया जावे तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द छ. महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) यदि बलवेका अपराध होजावे तो वारंट या बलवेका अपराध न होवे तो केवल समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

माह अगस्त सन्‌ १८९३ ई० में बम्बईमें हिन्दू और मुसलमानोंके मध्य बलवा हुवा और उस समय कि जब बलवेका आवेश (जोश) बिल्कुल बंद नहीं होगया था, अपराधीने एक काव्य बनाकर छपवाया जिसमें बलवाका वर्णन लिखा था और हिन्दूलोगोंकी किसी २ क़ौम अर्थात्‌ घाटियों और कमाठियोंकी, जिन्होंने मुसलमानोंके साथ बलवा करते समय बहादुरी दिखाई थीं, तारीफ़ लिखी थी-उपरोक्त काव्यमें पहिले तो घाटियों और कमाठियोंकी तारीफ़ थी फिर उसमें नीचे लिखे अनुसार शेर थेः-

शेर—इलाही बख्शे तुमको इज़्ज़तो जाह, खुशी हासिल हो तुमको हस्ब दिलख्वाह ।
लड़ो फिर मुल्ककी हालत हो बेहतर, कमाठी लोग हैं अज़बस दिलावर ।
डरो मत मौतसे ऐ मेरे भाई, नहीं बचता कोई जब मौत आई ।

ऊपरके काव्य गुजराती भाषामें लिखे थे जो घाटिये और कमाठी बरन् मुसलमान् भी भली प्रकारसे नहीं बोलते थे,—यह प्रगट नहीं हुवा कि यह काव्य उन मनुष्योंको बांटा गया जो बलवेमें शामिल हुए थे और न उस किताबके छपने बाद कुछ नया बलवा हुआ—अपराधियोंपर फ़ौजदारीका अभियोग चलायागया और उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ११७ व १५३ इसकारणसे लगाई गई कि ऊपर लिखे पदसे विशेष कर "लड़ो फिर" के शब्दसे घाटियों और कमाठियोंको बलवेके लिये बहँकाया गया है कि वे नया झगड़ा उत्पन्न करैं—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि जिस इबारतके मद्धे एतराज (तर्क) किया गया है उसका अभिप्राय कुल काव्यसे निकालना चाहिये, उपरोक्त काव्यका अभिप्राय यह है कि आपसमें मेल व सम्मति होवे और उसमें आदिसे अंततक बलवा व हानि व प्राणोंके नाशहोनेका रंज प्रगट किया गया है और हिन्दू मुसलमान दोनोंको मेल व सम्मति करनेकी सलाह (परामर्श) दीगई है, और कोई बात उसमें ऐसी नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि काव्य बनानेवालेका यह अभिप्राय था कि हिन्दू और मुसलमान फिरसे बलवाकरैं, इसमें संदेह नहीं कि "लड़ो फिर" का शब्द एतराजके लायक है परन्तु इस शब्दका यह सही अर्थ नहीं है कि उसके अर्थको किताबके कुल लेख (मजमून) से बढ़ादिया जावे (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफ़ा ७५८)

जमावोंमें शत्रुताका बढ़ाना.

(१५३) (अ) जो मनुष्य उन शब्दोंद्वारा कि जो बोले गये या लिखे गये हों या चिह्नोंद्वारा या आँखसे दिखाने योग्य बनाई हुई नक़लकेद्वारा या और प्रकार पर शत्रुता या घृणाके विचार श्रीमती महारानीकी प्रजाके अलग २ जमावोंमें बढ़ाये या बढ़ानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो सालतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस दफ़ाके अभिप्रायके अनुसार विना शत्रुताकी इच्छाके बरन उनको दूर करनेके सच्चे अभिप्रायके साथ उन कामोंका, जो विचार शत्रुता या घृणाको श्रीमती महारानीके अलग २ जमावोंमें उत्पन्न करते हैं या उनसे उत्पन्न होनेका अभिप्राय पाया जाता है, प्रगट करना किसी अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता ।

टीप (१) प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता ।

मालिक या क़ाबिज धरतीका जिसपर क़ानूनविरुद्ध जमाव जुड़े.

(१५४) जब कभी कोई जमाव क़ानूनविरुद्ध इकट्ठा हो या बलवा होजाय तो उस धरतीका स्वामी या अधिकारी जहां वह जमाव क़ानूनविरुद्ध इकट्ठा हुवा है, या वह बलवा हुवा है और भी ऐसा कोई मनुष्य जो वैसी धरतीमें अधिकार रखता हो या उस धरतीमें अधिकारका दावा रखता हो, ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जिसकी तादाद एक हज़ार रुपयेसे अधिक न हो परन्तु शर्त्त (नियम) यह है कि उपरोक्त मनुष्य या उसका कारिन्दा या प्रबंधकर्त्ता (मुंतजिम) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध हो रहा है, या होचुका या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त अपराधका होना संभवित है उस अधिकारी (अफ्सर) को जो सबसे निकटके थाना पोलीसमें है, इस बातकी सूचना जहांतक उसके वशमें हो शीघ्र न करे और जब वह या वे निश्चय करनेका कारण रखता हो या रखते हों कि उपरोक्त अपराध शीघ्रही होनेवाला है वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उपरोक्त अपराधके रोकनेके लिये काममें न लाये या न लायें और अपराधके होजानेपर उस क़ानूनविरुद्ध जमावके अलग करने या उस बलवाको दबानेमें सब उचित यत्नोंका जो उसके या उनके वशमें हों बर्त्तावमें न लाये या न लायें।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) अपराध ज़मानती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

किसी धरतीके स्वामीको, जहां पर कोई बलवा हुआ हो, फ़ौजदारी अदालतमें अपराधी ठहरनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसे ऐसी घटना (वारदात) के होनेका हाल पहिलेसे मालूम होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १२ सफ़ा ५५०)

दंड योग्य होना उस मनुष्यका जिसके लाभके लिये दंगा (बलवा) किया जाय.

(१५५) जब कभी कोई बलवा (दंगा) किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी ओरसे किया जाय जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा हुवा या जो मनुष्य उस धरतीमें या झगड़ेके ऐसे काममें कि जिसके कारणसे बलवा हुवा है दावेका अधिकार रखता हो या जिसने उस धरती या उस कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जायगा; परंतु नियम यह है कि वह या उसका कारिन्दा या प्रबंधकर्त्ता (मुन्तज़िम) इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस बलवेका होना सम्भव था या यह कि उस क़ानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके या उनके वशमें हों उस इकट्ठा होते

हुए जमावके रोकने और उसको अलग २ करनेके लिये या उस होते हुए बलवेको रोकनेके लिये और उसके दबानेके लिये काममें न लाये या न लायें।

(टीप)–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

ताज़ीरात हिंदकी दफ़ा ५५ के अनुसार कोई ज़मींदार किसी ऐसे बलवेका ज़िम्मेदार न होगा जिसके होनेका पहिलेसे भय न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ५४)

स्वामीका या अधिकारीका कि जिसके लिये कोई बलवा किया जावे, कारिंदाका जिम्मेदार होना.

(१५६) जब कभी कोई बलवा किसी ऐसे मनुष्यके लाभके लिये या उसकी ओरसे किया जावे जो किसी ऐसी धरतीका स्वामी या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह बलवा (दंगा) हुवा, या जो मनुष्य उस धरतीमें या किसी झगड़ेके काममें जिसके कारण बलवा हुवा किसी अधिकारका दावा रखता हो या जिसने उस धरती या कामसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त किया हो, तो उपरोक्त मनुष्यके कारिन्दे या प्रबंधकर्त्ताको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा. परंतु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रबंधकर्त्ता इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर, कि उस बलवेका होना सम्भवित था या उस क़ानूनविरुद्ध जमावके इकट्ठा होनेका भय था जिससे वह बलवा हुवा, वे सब उचित यत्न जो उसके वशमें हों उस बलवेके रोकने और उसको दबानेके लिये या उस इकट्ठा होते हुए जमावको रोकने और उसे अलग २ करनेके लिये काममें न लाये।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

कारखाना नीलके प्रबंधकर्त्ता (मुंतज़िम) को दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १५६ के अनुसार दंड करनेके लिये योग्य साक्षियों (जायज़ शहादत) द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिये कि;– (१) बलवा हुवा, (२) यदि बलवा हुवा तो वह अपराधीके लाभके लिये हुवा (३) अपराधीके यह जाननेका कारण था कि बलवा अवश्य होने वाला है। (ई० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफ़ा २३८)

उन मनुष्योंको जो किसी क़ानूनविरुद्ध जमावके लिये उजरतपर रक्खें गयेंहों छिपा रखना.

(१५७) जब कोई मनुष्य लोगोंको किसी घर या घेरे (अहाते) में जो उसके अधिकार या सिपुर्दगीमें हो छुपारक्खे या आने दे या इकट्ठा करे या यह जानकर कि वे लोग किसी क़ानूनविरुद्ध जमावमें भरती या साझी होनेके लिये उजरत पर रक्खे गये हैं या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया गया है या शीघ्रही वे उजरतपर रक्खे जाँयगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा या काम लिया जायगा

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

किसी क़ानूनविरुद्ध जमावमें साझी होनेके लिये उजरतपर रक्खा जाना.

(१५८) जो मनुष्य उन कामोंमेंसे जिनका वर्णन दफ़ा १४१ में हुआहै किसी कामको करनेके लिये या उसके होनेमें सहायता करनेके लिये प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको स्वीकार कराये या प्रतिज्ञा करने या उजरतपर रक्खे जानेको कहे या उसका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे और वह मनुष्य जिससे प्रतिज्ञा लीगई हो या जो उपरोक्त उजरतकी भाँति रक्खा गया हो किसी मृत्युकारक हथियार या किसी ऐसी वस्तुको जिसको यदि हथियारके समान वर्त्ते तो मृत्यु होना अति सम्भवितहै लेकर फिरे या लेकर फिरनेकी प्रतिज्ञा करे या लेकर।

या हथियार बांधकर फिरना.

फिरनेको कहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दोवर्ष तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनोंही दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा परंतु यदि हथियार लिये फिरे तो वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

हंगामा(लड़ाई,खानेजंगी)

(१५९) जब दो या अधिक मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी मार्गके स्थानपर लड़कर सर्व सम्बंधी कुशलतामें विघ्नडालेंगे तो कहा जायगा कि उन्होंने हंगामा किया।

हंगामेंका दंड.

(१६०) जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जिसकी तादाद १००) एक सौ रुपयेतक होसकती है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं हैं।

अध्याय नवाँ ९.

उन अपराधोंके सम्बन्धमें जो सरकारी नौकरोंकी ओरसे किये जावें या उनसे सम्बंध रक्खें ।

सर्व सम्बंधी नौकर जो अपने ओहदेके किसी कामके मध्ये सिवाय क़ानूनानुसार चाकरी (उजरत) के कुछ घूंसकी भांति ले ।

(१६१) जब कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है या जो सरकारी नौकरीकी आशा रखता (उम्मेदवार) हो, किसी सरकारी कामके करने या उससे बाज (पृथक्) रहनेके लिये या अपने सरकारी कामके बर्त्तनेमें किसी मनुष्यका पक्षपात करने या उस मनुष्यके विरुद्ध होने या उससे बाज़ रहनेके लिये या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव (क़ानूनकारक) या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट (क़ानून-प्रवर्त्तक) या किसी प्रेसीडंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनेन्ट गवर्नर या किसी सरकारी नौकरके सामने, किसी मनुष्यके साथ भलाई बुराई करनेके लिये, या उसका उद्योग करनेके लिये, किसी मनुष्यसे, चाहें अपनेही लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये उचित उज़रतके सिवाय और कुछ घूंस लालच या इनामकी भाँति स्वीकार करे या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन सालतक होसकती है. या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—" सरकारी नौकर होनेकी आशा रखना " यदि कोई मनुष्य जिसको सरकारी नौकरीकी आशा नहो, धोखा देकर औरोंको यह विश्वास दिलावे कि मैं सरकारी नौकर होने वाला हूं और तब तुम्हारे काम आऊंगा और इस यत्नसे कुछ घूंस लेवे तो ऐसी अवस्थामें वह मनुष्य ठगनेका अपराधी होसकेगा परंतु उस अपराधका अपराधी न होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

" घूंस "—घूंसके शब्दसे केवल ऐसीही घूंसका अभिप्राय नहीं है जो रुपयेसे सम्बंध रक्खे या जिसकी कूत (अंदाजा) रुपयेमें होसके ।

" क़ानूनानुसार उजरत " क़ानूनानुसार उजरतके शब्दोंमें केवल उसी उजरतका अभिप्राय नहीं है जिसको कोई सरकारी नौकर उचित रीतिपर लेसके, बरन उसमें कुल ऐसी उजरत (चाकरी) शामिल है जिसके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको गवर्नमेंटकी ओरसे मिलचुकी हो कि जिसकी वह नौकरी करताहो ।

"कुछ करनेके लिये लालच या इनाम"—इन शब्दोंमें वह मनुष्य भी गिना जायगा जो कुछ घूंस किसी ऐसे कामके करनेके लिये, जिसका करना उसकी इच्छा (नियत) में न हो लालचकी भाँति या कोई काम करनेके लिये जो उसने न किया हो इनामकी भाँति स्वीकार करे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर एक मुंसिफ़ने एक साहूकार रमाशंकरसे अपने भाईके लिये रमाशंकरकी कोठीमें एक नौकरी रमाशंकरकी जीतमें एक मुक़द्दमा फैसलकर देनेके बदले प्राप्त की तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

(ख) शिवशंकरने जो किसी आज्ञाकारी गवर्नमेंटके दरबार–रियासतमें रज़ीडेटका ओहदा रखता है उस दरबारके दीवानसे एक लाख रुपया लेना स्वीकार किया—यह प्रगट नहीं है कि शिवशंकरने यह रुपया, अपने ओहदेका कोई विशेष काम करनेके लिये या रोकनेके लिये या सरकार अंगरेज़ीमें उस दरबारका कोई विशेष अभिप्राय निकालने या किसी विशेष अभिप्रायके निकालनेका उद्योग करनेके लिये इनाम या लालचकी भाँति स्वीकार किया; परन्तु यह प्रगट होता है कि यह रुपया शिवशंकरने अपने ओहदेका अधिकार वर्त्तनेमें साधारणतः उस दरबारका पक्षपात करनेके लिये लालच या इनामकी भाँति स्वीकार किया तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

(ग) एक सरकारी नौकर शिवशंकरने रमाशंकरको इस झूठी बातके मान लेनेका धोखा दिया कि शिवशंकरकी सिफ़ारिशके कारण रमाशंकरको सरकारसे एक ख़िताब मिला है; इस प्रकार पर फ़ुसलानेके कारण रमाशंकरने शिवशंकरको कुछ रुपया इनामकी भाँति इस कामके बनादेनेके बदलेमें दिया—तो शिवशंकरने वह अपराध किया कि जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस बिला वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये ४) क़ाबिल ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

१—अपराधी मालके महकमेका एक मज़कूरी था, उसको फ़ीसमेंसे तन्ख्वाह मिलती थी, ऐसे मजकूरी आवश्यकताके समय रख लिये जाते हैं, परन्तु जब कोई सरकारी काम उसके सिपुर्द किया जावे और उसकी तन्ख्वाह फ़ीसमेंसे दीजाती हो तो उसको सरकारी नौकर कहा जावेगा, ऐसी अवस्थामें यदि वह घूंस लेवे तो उसका दंड इस दफ़ाके अनुसार होसकता है (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफ़ा ४४६)

२—एक डिप्टी इन्स्पेक्टर पोलीसने ३५)रु० पेश किया जो उसे अपराधीने घूंसकी भाँति दिया था—साहब मजिस्ट्रेटने अपराधी पर अपराध प्रमाणित कर उनमेंसे १०) रु. इनामकी भाँति डिप्टी इन्स्पेक्टरको दिया—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटका हुक्म मजमूआज़ाब्ता फौजदारीकी दफ़ा ५१८ के अनुसार उचित है (पंजाब रिकार्ड नं० ९ सन् १८७३ ई०)

३—कोर्ट आफ वार्डसका प्रबंधकर्त्ता एक बंकमें जो सरकारी ख़ज़ानेका काम करता था, सरकारकी ओरसे रुपया दाखिल किया करता था उस बंकके ख़ज़ानचीने अपनी मिहनतके कारण कुछ इनाम लिया—तजवीज़ हुई कि ज़िमन ९ दफ़ा २१ व दफ़ा १६१ दंडसंग्रह हिंदके अनुसार ख़ज़ानची सरकारका नौकर नहीं है इसलिये वह क़ैदसे छोड़ागया (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफ़ा ३७६)

लेना घूंसका किसी सरकारी नौकरको बुरे अथवा अनुचित उपायसे फुसलानेके निमित्त।

(१६२) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बुरे या अनुचित उपायोंके द्वारा इस बातको फुसलानेके लिये कि वह सरकारी नौकर कोई सरकारी कामकरे या उसको न करे या सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके अनुसार किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ठ गवर्नर या इलाहाबाद यूनीवरसिटीकिसीनेटके किसी मेम्बर या किसी सरकारी नौकरके सामनें किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी प्रकारकी घूंस इनामकी भाँति या फुसलानेके कारण अपने लिये या और किसी मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या प्राप्त करनेपर राज़ी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमस किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदमदस्तन्दाज़ी पोलीस है ३) पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

सरकारी नौकरके साथ जाती दबाव डालनेके लिये कुछ घूंस लेना.

(१६३) जब कोई मनुष्य अपनी निजी अनुरोध (जाती रुसूख़) के काममें लानेसे किसी सरकारी नौकरको इस बातके फुसलानेके लिये कि वह कोई सरकारी काम करे या न करे या अपने ओहदेका काम करते समय सरकारी कामके वर्त्तनेमें किसी मनुष्यका पक्षपात करे या उसके विरुद्ध हो या हिन्दुस्थानकी लेजिस्लेटिव या इक्जेक्यूटिव गवर्नमेंट या किसी प्रेसीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी लेफ्टनन्ट गवर्नर या सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी सरकारी नौकरके सामने किसी मनुष्यके साथ भलाई या बुराई करनेके लिये या उसका उद्योग करनेके लिये किसी मनुष्यसे कुछ घूंस इनामकी भाँति या फुसलानेके कारण अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राज़ी हो या प्राप्त करनेमें उद्योगकरे

तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

कोई वकील जो किसी जजके इजलासमें किसी मुक़द्दमेके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर करनेके लिये मेहनताना ले–कोई मनुष्य जो किसी ऐसी अरज़ीको जिसमें अरज़ी देनेवालेकी कारगुज़ारी या अधिकार लिखकर गवर्नमेंटको दिया जायगा लिखे, या उसमें सम्मति दे–कोई अपराधी जिसको दंडकी आज्ञा होचुकीहो उसका कोई मुखत्यार जो मुखत्यार नामा लेकर काम करता है और जो गवर्नमेंटके सामने इस आशयके बयान करे कि दंडकी आज्ञामें अन्याय हुवा है, ये सब लोग इस दफ़ामें न गिने जांयगे क्योंकि वे न तो अपनी निजी सिफ़ारिशको काममें लाते हैं और न उसे काममें लानेको कहते हैं ।

टीप–(१) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

उस सहायताका दंड जो सरकारी नौकर उन अपराधोंमें करे जिनका वर्णन ऊपर कियागया है.

(१६४) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, और उन अपराधोंमेंसे जिनका वर्णन इसके पहिलेकी दो पिछली दफ़ाओंमें कियागया है, कोई अपराध किया जावे और वह उस अपराधमें सहायता करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर एक सरकारी नौकर है, उसकी स्त्री हरदेवीने शिवशंकरसे किसी मनुष्यको नौकरी दिलवानेकी प्रार्थना करनेके लिये कहकर लालचकी भाँति उस मनुष्यसे कुछ भेंट लेली और यदि शिवशंकर ऐसा करनेमें सहायता करे तो हरदेवी क़ैदका दंड पावेगी जिसकी मीआ़द एक वर्षसे अधिक न हो या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे–और शिवशंकर क़ैदका दंड पावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड पावेगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

सर्व सम्बन्धी नौकर जो कुछ मोलदार वस्तु विना बदला दिये किसी मनुष्यसे ले जिसका कुछ स्वार्थ उस सरकारी नौकरके किये हुए किसी मुक़द्दमे या काममें हो.

(१६५) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है किसी ऐसे मनुष्यसे, जिसको उसकी जानकारीमें किसी ऐसे मुक़द्दमे या मामलेसे सम्बन्ध था या सम्बन्ध है या सम्बन्धके होनेका सम्भव है जिसको उस सरकारी नौकरने किया हो या जिसको वह करनेवाला है या जो उस सरकारी नौकर या किसी और सरकारी नौकर-के ओहदेसे सम्बन्ध रखता है जिसके कि वह आधीन है या किसी ऐसे मनुष्यसे जिसको वह सरकारी नौकर जानता है कि वह उस मनुष्यसे जिसको उपरोक्त सम्बन्ध है कुछ लगाव या रिश्ता रखता है कोई मूल्यवान् वस्तु विना बदला दिये या ऐसा बदला देनेपर जिसको वह सरकारी नौकर अयोग्य जानता हो अपने लिये या किसी दूसरे मनुष्यके लिये स्वीकार करे या प्राप्त करे या स्वीकार करनेपर राज़ी हो या प्राप्त करनेका उद्योग करे तो उप-रोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

(क)–शिवशंकर किसी कलक्टरने एक घर रमाशंकरका जिसका कोई मुक़द्दमा बंदोबस्ती उसके सामने दायर था, भाड़ेपर लिया और यह ठहराव हुवा कि शिवशंकर पचास रुपया महीना दिया करेगा–यद्यपि वह घर ऐसा है कि यदि शुद्धभावसे उसका ठहराव किया जाता तो शिवशंकरको दो सौ रुपया महीना देना पड़ता, तो ऐसी अवस्थामें कहा जावेगा कि शिवशंकरने विना पूरा बदला दिये रमाशंकरसे एक मूल्यवान् वस्तु प्राप्तकी–

(ख)–शिवशंकरने, कि जो एक जज है रमाशंकरसे जिसका कोई मुक़द्दमा शिवशंकर-के यहां दायर है गवर्नमेंटका प्रामेसरी नोट जब कि वह उस समय बाज़ारमें बढ़तीपर बिकते थे. बट्टेसे मोल लिया तो शिवशंकरने मूल्यवान् वस्तु विना यथार्थ बदला दिये रमाशंकरसे प्राप्त की ।

(ग)–शिवशंकरका भाई झूठीं गवाही देनेके अपराधमें पकड़ा जाकर रमाशंकर नाम किसी मजिस्ट्रेटके सामने लायागया, रमाशंकरने शिवशंकरको किसी बंकके हिस्से फ़िरतेपर बेचे जब कि बाज़ारमें उन हिस्सोंपर बट्टा लगता था और शिवशंकरने रमाशंकरको उसी अनुसार हिस्सों-का मूल्य चुका दिया तो जो रुपया रमाशंकरने इस भाँति प्राप्त किया वह एक मूल्यवान् वस्तु है जो उसने विना देने यथार्थ बदलेके प्राप्त किया ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) आरंभमें अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१–कामताप्रसाद एक अहलकार पोलीसने कुछ रुपया, एक मनुष्यसे जिसके चोरी होगई थी और चोरीके अपराधमें अपराधियोंको दंड हुवा था और रुपया उस मनुष्य (मुस्तग़ीस)

को देदिया गया था प्राप्त किया–तजवीज़ हुई कि वह दफ़ा १६१ के अनुसार दंडके योग्य न था, बरन् दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १६५ के अनुसार दंडके योग्य था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफ़ा ५२० श्रीमती महारानी बनाम कामता प्रसाद)

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे क़ानूनी आज्ञाका उल्लंघन (इनहराफ़) करे.

(१६६) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है क़ानूनकी किसी आज्ञाका, जिसमें उसके लिये सरकारी नौकरीके भुगतानेका कर्तव्य (फ़र्ज़) है जानबूझकर उल्लंघन करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात जानकर कि उस उल्लंघनसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकर एक ओहदेदार है जिसको क़ानूनानुसार किसी डिगरीका रुपया वसूल करनेके लिये जो किसी कोर्टआफजास्टिसने रमाशंकरके पक्षपातमें की है मालकुर्क करनेकी आज्ञा है वह क़ानूनकी इस आज्ञाका जान बूझकर उल्लंघन करे इस बातको जानकर कि उस उल्लंघनसे रमाशंकरको हानि पहुँचेगी तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठा लेख (दस्तावेज़) बनावे.

(१६७) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरीके कारण कोई लेख (दस्तावेज़) बनाने या अनुवाद करनेका अधिकार प्राप्त है, इस प्रकारसे किसी दस्तावेज़को बनावे या उसका अनुवाद करे जिसको वह झूठ जानता या झूठ निश्चय करताहो, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना जानकर कि ऐसे वर्तावसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचेगी तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

अपराधीने जो एक गाँवका पटवारी है अपने रोज़नामचेके इबारतका एक झूठा उलथा तयार करके एक दीवानी मुकद्दमे बादी (मुद्दई) को दिया—इस इबारतका अभिप्राय बादी व दूसरे मनुष्यके मध्यमें कुछ सम्बंध रखता था, अपराधीपर दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १६७ का अपराध कायम करके उसी दफ़ाके अनुसार दंड दिया गया—हाईकोर्टकी तजवीज़ यह हुई कि अपराधीको बहुत उचित दंड दिया गया है (पंजाब रिकार्ड नं० ३२ सन् १८७२ ई०)

सरकारी नौकर जो क़ानूनकी आज्ञाके विरुद्ध व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे.

(१६८) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण व्यापारसे सम्बन्ध न रखना क़ानूनानुसार उचित है, व्यापारसे सम्बन्ध रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) मे० म० या० म० अ० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन ज़ारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

सरकारी नौकर जो अनुचित रीतिपर कोई माल लेवे या उसके लिये बोली बोले.

(१६९) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसको उस सरकारी नौकरी करनेके कारण किसी विशेष वस्तुको मोल न लेना या उसके लिये बोली न बोलना क़ानूनानुसार उचित है, उस वस्तुको अपने नामसे या किसी दूसरे मनुष्यके नामसे या दूसरोंके संगमें या साझेमें मोल लेगा या उसके लिये बोली बोलेगा तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह वस्तु लीगई हो तो ज़ब्त की जायगी।

टीप—(१) मे० म० या म० अ० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

एक सब इन्स्पेक्टर पोलीसपर एक टट्टूके मोललेनेका अपराध लगाया गया जो किसी कांजीहौसमें क़ैद कियागया था—तज़वीज हाईकोर्ट यह हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट नं १ सन् १८७१ ई० की दफ़ा १९ व दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १६९ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये थी, अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा ४०६ के अनुसार दंड नहीं होसकता (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ८ सफ़ा १ अपील)

सरकारी नौकर बनना.

(१७०) जो कोई मनुष्य सरकारी नौकरकी भाँति पर किसी विशेष ओहदेपर होनेका मिस करे यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्राप्त नहीं है या झूठ मूठ कोई ऐसा मनुष्य बने जो उस ओहदेपर नियत (क़ायम) है और इस बनी हुई अवस्थामें उस ओहदेके मिससे कुछ काम करे या किसी कामका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

छलछिद्रके अभिप्रायसे सरकारी नौकरकी वरदी पहिरना या चिह्न रखना.

(१७१) जो कोई किसी विशेष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर कोई वरदी या चिह्न जो उसी प्रकारके सरकारी नौकरोंकी वरदी या चिह्नके सदृश हो पहने, इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि वह मनुष्य सरकारी नौकरोंके उस दर्जामें गिना जावे-तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो सौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप--(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) क़ाबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) पहिले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

अध्याय दशवाँ १०.



सरकारी नौकरोंके नीतिपूर्वक अधिकारका अपमान करनेके विषयमें,

सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन अथवा और किसी आज्ञापत्रके लेनेसे बचनेके लिये छिप जाना.

(१७२) जो कोई मनुष्य इस लिये छिपजाय कि किसी ऐसे सरकारी नौकरके जारी किये हुए समन या सूचनापत्र (इत्तिलाअनामा) या आज्ञाका उसतक पहुँचना टल जावे जो उस सरकारी नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञाके जारी करनेका क़ानूनानुसार अधिकारी है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या आज्ञा इस प्रकारकी हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्टआफ़जस्टिस (न्यायालय) में स्वयं उपस्थित (हाज़िर) हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे या वहां कोई दस्तावेज़ पेश करे तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहज़ार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिष्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) सबके पहले अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

किसी ऐसे हुक्मनामे (आज्ञापत्र) की कार्रवाईसे वर्त्तनेके अभिप्रायसे, कि जो सचमुचमें जारी नहीं हुवा है, किसी मनुष्यका भागना दफ़ा १७२ दंड संग्रहके अनुसार अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता, भागनेका अभिप्राय केवल स्थानही बदलनेसे नहीं है बरन उसमें छुप जानाभी सम्मिलित है जब कोई मनुष्य किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामा) के जारी होनेसे पहिले छुपजावे और उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्चात् भी वह छुपा रहे तो कहा जावेगा कि वह भागा रहा (ई० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा ३१३)

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्ध वारंटकी कार्रवाईको रोकनेके अभिप्रायसे छुप जावे तो उसका दंड दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योंकि वारंट इत्तिलाअ़नामा या समन कुछ भी नहीं है बरन वह किसी मुख्य अफ्सरके यहां तामीलके लिये भेजा जाता है न कि उस मनुष्यके यहां कि जिसकी हाज़रीकी आवश्यकता है (पश्चिमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द ७ सफ़ा ३०२)

किसी समन अथवा और प्रकारके हुक्मनामेका जारी होने अथवा प्रगट किये जानेसे रोकना.

(१७३) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे सरकारी नौकरको जो उस सरकारी नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिलाअ़नामा या हुक्मके जारी करनेका क़ानूनानुसार अधिकारी है, जारी किये हुए समन या इत्तिलाअ़नामा या हुक्मकी कार्रवाई अपनेपर या किसी दूसरे मनुष्यपर होनेसे किसीप्रकार जानबूझकर रोके, या—

जानबूझकर उस समन या इत्तिलाअ़नामा या हुक्मको किसी स्थानपर उचित प्रकारसे चिपकाए जानेको रोके, या—

किसी ऐसे समन या इत्तिलाअ़नामा या हुक्मको किसी स्थानसे, जहां वह उचित प्रकारपर चिपकाया गया है, जानबूझकर छुटावै, या—

किसी ऐसे उचित रीतिपर प्रगट किये जाते हुए इश्तिहारको जानबूझकर रोके जो किसी ऐसे सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हुवा जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण उस इश्तिहारके प्रगट करनेका क़ानूनानुसार अधिकार हो, तो—

उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीने तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पाँच सौ रुपयेतक हो सकताहै या दोनों दंड दिये जावेंगे, या—

यदि वह समन या इत्तिलाअ़नामा या हुक्म या इश्तिहार इसप्रकारका हो कि कोई मनुष्य किसी कोर्टआफ़जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुख़्त्यारको उपस्थित करे या वहां कोई दस्तावेज़ पेश करे, तो—

उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहज़ार रुपयातक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तख़त करनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफ़ा ३४)

२–समन भरपानेकी रसीद देनेसे भी नाहीं करना दफ़ा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफ़ा ६२१)

३–समन लेनेसे नाहीं करना भी दफ़ा १७३ के अपराधमें न गिना जायगा । (इ०ला०रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा १९९)

४–बहुत ही थोड़ा समय व्यतीत हुवा कि, एक मुकद्दमे में कलकत्ता हाईकोर्टने यह तजवीज़ किया है कि समन पानेकी रसीद पर केवल दस्तख़त करनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७३ के अनुसार अपराध न होगा । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ३५८)

सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार हाजिर होनेमें चूकना.

(१७४) जब किसी मनुष्यका जिसपर किसी मुख्यस्थान या समयपर ऐसे समन, इत्तिलाअ़नामा, या इश्तिहारके अनुसार जो किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे जारी हुवा है कि जिसको अपनी सरकारी नौकरीके कारण जारी करनेका क़ानूनानुसार अधिकार हो स्वयं या मुखत्यारके द्वारा उपस्थित होना क़ानूनानुसार उचित हो और वह मनुष्य उस स्थान या समयपर जानबूझकर उपस्थित होवे या उस स्थानसे जहां कि उसका उपस्थित रहना उचित है उससमय से पहिले चलाजाय जब कि उसका वहांसे चलाजाना उचित है, तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द एक महीना तक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौरुपया तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । या यदि वह समन या इत्तिलाअ़नामा या इश्तिहार इसप्रकारका हो कि कोई मनुष्य कोर्टआफ़जस्टिसमें स्वयं उपस्थित हो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे, तो साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द छः महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहज़ार रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर जिस पर क़ानूनानुसार अवश्य है कि कलकत्तेमें सुप्रीम कोर्टके सामने उसी कोर्टके जारी किये हुए सफ़ीनेके अनुसार उपस्थित हो, परन्तु वह जानबूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ख) शिवशंकर जिसपर क़ानूनानुसार अवश्य है कि किसी ज़िलाजजके सामने उसी ज़िलाजजके जारी किये हुए समनके अनुसार गवाही देनेको उपस्थित हो, परन्तु वह जान बूझकर वहां उपस्थित होनेसे चूका तो कहा जायगा कि शिवशंकरने इस दफ़ामें कहा हुआ अपराध किया।

टीप–(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस (३) समन (४) क़ाबिल ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

१—जो किसी तहसीलदारने समन किसीके नाम इस अभिप्रायसे जारी किया हो कि वह किसी मौज़ेकी मर्दुमशुमारी (मनुष्यगणना) का नक़्शा तैयारकरे, यदि वह मनुष्य उसके अनुसार कार्रवाई न करे तो दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७४ में लिखे हुए अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा ३७७)

२—जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित होनेको जारी किया जाय उसमें उपस्थित होनेका समय तारीख़ व स्थान स्पष्ट स्पष्ट लिखा रहना चाहिये यदि इसमें किसी प्रकारकी भूल होगी तो वह मनुष्य उपस्थित न होनेपर उस अपराधका अपराधी नहीं गिना जायगा (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा ७)

३—एक मनुष्य समनके अनुसार वास्ते हाज़िरी व जवाब देही मुक़द्दमा फ़ौजदारीके मजिस्ट्रेटकी अदालतमें आया, लेकिन वह समनमें लिखे हुए समय पर मजिस्ट्रेट को हाज़िर न पाकर, एक उचित समयतक उसको परखे बिना चलागया तो ऐसी अवस्थामें वह दफ़ा १७४ के अपराध का अपराधी होगा। (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफ़ा ९३)

४—जब कोई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसी मनुष्यके नाम इस प्रकार का समन जारीकरे कि वह उसके सामने एक ऐसे स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अंगरेजी राज्यके बाहर हो और यदि वह मनुष्य उस समनकी आज्ञाको न माने तो उसके सम्बंधमें यह न कहा जायगा कि उसने दफ़ा १७४ का अपराध किया। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफ़ा ४६३)

५—जब दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७४ के अपराधमें दंड होवे तो दंड होनेके पहिले इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीने जानबूझकर गैरहाज़िरीकी (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द १ सफ़ा २०३)

६—म्यूनिसिपल कमिश्नरान कि जो ऐक्ट २६ सन् १८५० के अनुसार नौकर हैं यद्यपि सरकारी नौकर हैं, परंतु इस सरकारी नौकरीमें रहकरभी क़ानूनानुसार किसीकी हाज़िरीके लिये आज्ञा नहीं जारी कर सकते, इसलिये उनकी आज्ञाभंग करनेवाला दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७४ के अपराधका अपराधी नहीं हो सकता (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ३३ श्रीमती महारानी बनाम पुरुषोत्तमलालजी)

(१७५) कोई मनुष्य, जिसको किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी दस्तावेज़का पेश करना या उसका उस नौकरको दे देना क़ानूनानुसार उचित है उपरोक्त दस्तावेज़के पेश करने या दे देनेमें जानबूझकर चूक करे तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह दस्तावेज़ किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें पेश किये जाने या दे देनेको हो तो साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

किसी सरकारी नौकरके सामने कोई लेख (दस्तावेज़) पेशकरनेसे चूकना, किसी ऐसे मनुष्यका जिसपर उसका पेश करना क़ानूनानुसार उचित है.

उदाहरण।

शिवशंकर जिसको किसी ज़िला कोर्टकेसामने किसी दस्तावेज़ का पेश करना क़ानूनानुसार उचित है, उपरोक्त दस्तावेज़को जानबूझकर पेश करनेमें चूककरे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

१—किसी दस्तावेज़को पेशकरनेके लिये गवाह बुलाया गया वह अदालतमें उपस्थित हुवा परंतु उसने दस्तावेज़ न पेशकी और शपथके अनुसार (हलफिया) यह बयान किया कि वह मेरे अधिकारमें नहीं है परंतु इस बयान पर विश्वास न करके अदालतने उसपर दफ़ा १७४ ज़ाब्तादीवानीके अनुसार ७५) रुपया जुर्माना किया—तजवीज़ हुई कि जुर्माना अनुचित रीतिपर वसूल कियागया ज़ाब्ता दीवानीकी दफ़ा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थामें दिया जायगा कि जब कोई गवाह जो समनपर न आवे गिरफ्तारकरके अदालतके सामने पेश किया जावे, ऐसे गवाहके लिये जिसके यहां दस्तावेज़हो परंतु पेश नकरे हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १७५ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ४८० के अनुसार दंड देना चाहिये, परंतु जब यह प्रमाणित होजावे कि उस अपराधीने झूठ कहा—(इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफ़ा ६३)

२—अदालत हाईकोर्टके सिवाय प्रत्येक अदालत उन मनुष्योंके अपराधोंके मध्ये जो स्वयं उसके सामने किया गया हो केवल ऐसी अवस्थाओंमें विचार कर सकती है जिनसे दफ़ा ४७७ या ४८० या ४८५ ज़ाब्ता फ़ौजदारीका सम्बंध है और उन दफ़ोंमसे किसी दफ़ाका सम्बंध नहीं है जब कि अपराधी पर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १७५ का अपराध लगाया जावे (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफ़ा ४२)

(१७६) कोई मनुष्य, जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके ओहदेसे किसी कामके मध्ये कोई सूचना या समाचार देना क़ानूनानुसार अवश्य है, उस समय और उस भांतिपर जो क़ानूनानुसार नियत (मुक़र्रर) है वह सूचना देने या समाचार पहुँचानेमें जानबूझकर चूकी करे तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह सूचना या समाचार कि जिसके देनेकी आज्ञा है किसी अपराधके होनेसे सम्बन्ध रक्खे या किसी होनेवाले अपराधकी रोकके लिये या किसी अपराधीको पकड़नेके लिये अवश्य हो तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा या जुर्मानेका दंड जो एकहज़ार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफ़ा ४० को देखो)

वह मनुष्य सरकारी नौकरको सूचना या समाचार देनेमें चूक करे जिसको सूचना या समाचार देना क़ानूनानुसार उचितहै.

टीप—(१) प्रे० म०, या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंज़ूरी दरकार है।

(नया मजमूआ जाब्ता फ़ौजदारी, ऐक्ट नं० ५ सन् १८९८ ई० की दफ़ा ४४ व ४५ को देखो जिनमें स्पष्ट लिखा है कि किन २ मनुष्योंको किन २ अपराधोंके मध्ये सूचना या समाचार देना उचित है)

१-(क) दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १७६ के अपराधमें इस कारण दंडित हुवा कि उसने जान बूझकर पोलीसको इस बातकी सूचना नहीं दी कि एक इश्तिहारी अपराधी (ब) एक विशेष गाँवमें उपस्थित था— अदालतने (ब) को इश्तिहारी अपराधी मानलिया था क्योंकि यह प्रमाणित होचुका कि (ब) की सब जायदाद (धन) मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारीकी दफ़ा ८८ के अभिप्रायानुसार कुर्क की गई थी—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि वादी (मुद्दई) को (ब) अपराधीके सम्बन्धमें इश्तिहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था—जिस मनुष्यपर किसी इश्तिहारी अपराधीके किसी विशेष गाँवमें होनेकी सूचना पोलीसको देना क़ानूनानुसार अवश्य होवे, उसपर फौजदारीका अभियोग (मुक़दमा) उपरोक्त दफ़ाके अनुसार ऐसी सूचना या समाचार न देनेके मध्ये उस अवस्थामें नहीं चलाना चाहिये कि जब पोलीसको इस घटना (वाक़िआ) का वृत्तांत पहिलेहीसे ज्ञात होगया हो (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा ४३६)

२—जब कई मनुष्योंमेंसे कोई एक, जिनपर पोलीसको सूचना देना मजमूआज़ाब्ता फ़ौजदारीकी दफ़ा ४५ के अनुसार अवश्य होवे, अपराध वधके होनेकी सूचना देदेवे, जिसके कारण एक अहलकार पोलीस घटना (वारदात) होजानेके थोड़ी देर पश्चात् गाँवमें पहुँचा तो ऐसी अवस्थामें शेष दूसरे मनुष्योंपर कि जिनको ऐसी सूचना देना अवश्य था, दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७६ के अपराधका दंड न दिया जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ३१६)

(१७७) शुद्ध हुआ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० की दफ़ा ५ के अनुसार

झूंठा समाचार देना.

कोई मनुष्य जिसपर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी नौकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये समाचार देना क़ानूनानुसार अवश्य हो, उस कामके मध्ये ऐसा समाचार सच की भांति दे जिसको वह झूठ जानता हो या झूठ जाननेका कारण रखता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एकहज़ार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे और यदि वह समाचार जिसका देना उस मनुष्यपर क़ानूनानुसार अवश्य है किसी अपराधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेवाले अपराधके रोकके लिये या किसी अपराधीके पकड़नेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (देखो दफ़ा ४०).

स्पष्टीकरण—दफ़ा १७६ और इस दफ़ामें "अपराध" के शब्दमें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवाहो यदि ब्रिटिश इंडियाके भीतर किया जाता तो नीचे लिखी हुई दफ़ोंमेंसे किसी दफ़ाके अनुसार दंड योग्य होता अर्थात्–दफ़ा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८ व ४६०–और "अपराधी" के शब्दमें प्रत्येक ऐसा मनुष्य गिना जायगा जिसके मध्ये किसी वैसे कामका अपराधी होना वर्णन कियागया हो ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर ज़मींदार अपने गाँवकी सीमाके भीतर ज्ञातघातका अपराध होनेसे जानकार होकर मजिस्ट्रेट ज़िलाको जान बूझकर यह झूठा समाचार दे कि वह मृत्यु दैवात् साँपके काटनेके कारण हुई—तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ख)—रमाशंकर किसी गाँवका चौकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योंका एक बड़ा समूह उसके गांवमेंसे होकर पासहीके स्थानपर रहने वाले उमाशंकर नामक एक धनवान सौदागरके घरमें डाका डालने गये हैं और रमाशंकर पर संग्रह बंगालके क़ानून नं० ३ सन् १८२१ ई० की दफ़ा ७ ज़िमन ५ के अनुसार सबसे निकट पोलीस स्टेशनके अफ़सरको शीघ्रता पूर्वक और ठीक २ इस कामका समाचार देना अवश्य है तो फिर यदि रमाशंकर उस अफ़सर पोलीसको जानबूझकर झूठा समाचार दे कि किसी और प्रकारके मनुष्योंका एक समूह उसके गाँवमेंसे होकर किसी दूसरी ओर किसी विशेष स्थानको जो कुछ अंतरसे है डाकाडालने गया है, तो

इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ाके पिछले भागमें किया है।

टीप–(१) मे० म०, म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन (४) ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है।

(नोट–संग्रह बंगालका क़ानून नं० ३ सन् १८२१ ई० ऐक्ट नं० १७ सन् १८६२ ई० के द्वारा मिटा (मंसूख़) दिया गया है।

१–किसी इक़रारनामे (प्रतिज्ञापत्र) में, जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारमें रहता हो और उसके अफ्सरके यहां आज्ञानुसार भेजा जाताहो, कोई झूठी लिखावट (इबारत) बनाई जाय तो यह दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७७ के अभिप्रायानुसार अपराधी है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा १४२)

२–एक मनुष्यने पोलीसमें भरती होनेके अभिप्रायसे डिस्ट्रिक्ट सुपिरन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसा समाचार दिया कि जिसको यह झूठ जानता था तजवीज़ हुई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपराध दफ़ा १७७ या १८८ या उद्योग दफ़ा ४१५ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके नहीं किया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा ९७)

३–जिस रोज़नामचे (रोजनिशि) का लिखना और अफ्सरके यहां भेजना किसी सरकारी नौकर पर, सरकारी आज्ञानुसार अवश्यहो, उसमें उसको झूठ इबारतका लिखना अपराध दफ़ा १७७ दंडसंग्रह हिन्दमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा १४४)

४–२२ नवम्बर सन् १८८० ई० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसीलदार था अपने अफ्सरको अपने अधिकारकी धरतीका झूठा नक़्शा भेजदिया और फिर ५ दिसम्बर सन् १८९० ई० को एक झूठाबयान उसी प्रकारका मालकी तहक़ीक़ातमें प्रिन्सिपल असिस्टेन्ट कलक्टरके सामने किया–अपराधीको दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १७७ के अपराधका दंड दिया गया–हाईकोर्ट की यह तजवीज़ हुई कि जब कि अपराधीपर दंडसंग्रह हिंद की दफ़ा ४३ के अभिप्रायानुसार सूचना देना क़ानूनानुसार अवश्य न था तो उसका दंड अयोग्य है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफ़ा ४८४)

(नोट–इस नज़ीरसे मदरास हाईकोर्टकी नज़ीर जिल्द ४ सफ़ा १४४ की रद्द की गई)

५–ऐक्ट नं० ५ सन् १८६१ ई० (ऐक्ट पोलीस) के अनुसार प्रत्येक पोलीसके अहलकार को उचित है कि वह अपने ऊपरके अफ्सरको ऐसे बलवाके होनेकी सूचना कि जो सर्व साधारण-की कुशलतासे सम्बंध रखता हो देवे और अपने रोज़नामचेमें उसे लिखे जिसका रखना उसको उपरोक्त ऐक्टकी दफ़ा ४४ के अनुसार उचित है–ऐसे समाचारके देनेमें भूल करना दंड-संग्रह हिन्दुस्थान की दफ़ा १७७ के अपराधमें गिना जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २१ सफ़ा ३०)

६–अपीलकी याददाश्तमें झूठाबयान करना कोई अपराध, दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १७७ के अनुसार नहीं है, क्योंकि उपरोक्त याददाश्तपर क़ानूनानुसार तस्दीक़ का लिखा जाना अवश्य नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० १७ सन् १८७९ ई० फ़ौजदारी)

(१७८) जो कोई मनुष्य सच सच बयान करनेके लिये शपथ करने या सच बोलनेकी प्रतिज्ञा करनेसे उस अवस्थामें नाहीं करे जब कि कोई ऐसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा करनेकी आज्ञा दे जो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके लिये आज्ञा देनेका क़ानूनानुसार अधिकारी है तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

शपथ करनेसे नाहीं करना जब कोई सरकारी नौकर शपथ करनेकी क़ानूनानुसार आज्ञा दे.

टीप-(१) वह अदालत जिसमें अपराध कियागया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) अदम दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी लेनी चाहिये ।

(१७९) कोई मनुष्य, जिसपर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकरसे सच सच कहना उचित हो, किसी ऐसे प्रश्नका उत्तर देनेसे नाहीं करे जो वह सरकारी नौकर अपने क़ानूनानुसार अधिकारके वर्त्तनेमें उस कामके मध्ये उससे पूछे, तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

किसी सरकारी नौकरको, जो प्रश्न करनेका अधिकार रखता है उत्तर देनेसे नाहीं करना.

१—दफ़ा १६५ क़ानून शहादत (गवाह) ऐक्ट नं० १ सन् १८७२ ई० के अनुसार हाकिमको किसी गवाहसे मुक़द्दमेके असम्बंधी प्रश्नोंके पूछनेका अधिकार है, जब कि वह घटना सम्बंधी गवाही प्राप्त करनेके अभिप्रायसे पूछे; परंतु यदि वह इस विचारसे प्रश्न पूछे कि गवाहके मध्ये फ़ौजदारीकी कार्रवाई की जावे, तो गवाह पर अवश्य नहीं है कि उसका उत्तर देवे और उपरोक्त गवाह ऐसे प्रश्नोंका उत्तर न देनेकी अवस्थामें दफ़ा १७९ दंडसंग्रह हिंदके अपराधका अपराधी नहीं हो सकता । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफ़ा १८५)

(१८०) जब कोई कनुष्य अपने किये हुए किसी बयान पर उस अवस्थामें दस्तख़त करनेसे नाहीं करे, जब कि कोई सरकारी नौकर, जो उस मनुष्यको उसके उस बयानपर दस्तख़त करनेके लिये आज्ञा देनेका क़ानूनानुसार अधिकारी होवे, उसको उस बयानपर दस्तख़त करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

बयान पर दस्तख़त करनेसे नाहीं करना.

टीप—(१) वह अदालत जहां अपराध कियागया या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस विना वारंट न पकड़ेगी (३) समन (४) काबिल ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

मालकी तहकीकातके समय अपराधीने अपने बयान पर दस्तख़त करनेसे नाहीं की तो वह उस अपराधमें दण्डित न होगा जिसका दंड हिंदुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १९० के अनुसार हो सकता है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफ़ा १५)

२—समन पानेकी रसीदपर दस्तख़त करनेसे नाहीं करना, कोई अपराध दंड संग्रह हिंदकी दफ़ा १७३ व १८० में लिखा हुआ नहीं हो सकता (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ३५८)

सरकारी नौकर या उस मनुष्यसे, जो शपथ करानेका अधिकार रखता है, शपथ करकेभी झूठ बयान करना.

(१८१) कोई मनुष्य, जिसको शपथ या सच कहनेकी प्रतिज्ञा करनेके अनुसार किसी ऐसे सरकारी नौकर या किसी ऐसे दूसरे मनुष्यके सामने जिसको कानूनानुसार ऐसी शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधिकार है किसी काममें सच २ बयान करना कानूनानुसार अवश्य हो, उस सरकारी नौकर या उस दूसरे मनुष्यसे जिसका ऊपर बयान हुवा है, उस कामके मध्ये कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसको वह झूठा जानता हो या झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस बिना वारंट नहीं पकड़ सकती (३) वॉरंट अपराधीके नाम (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१—इस मुक़द्दमेमें तीन मनुष्योंकी तजवीज़ जिनमेंसे एक वकील था एक संग की गई और उन्हें दंड दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १८१ के अनुसार इस जड़पर दियागया कि उन लोगोंने एक तहकीक़ातमें जो वकीलकी चाल चलनेके मध्ये ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी, सच कहनेकी प्रतिज्ञाकर झूठ कहा तजवीज़ हुई कि वकील को दंड देना अयोग्य था क्योंकि उसका बयान सच कहनेकी प्रतिज्ञाकराकर नहीं लेना चाहिये था—यह भी तजवीज़ हुई कि जो तहकीक़ात ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार कीगई वह अदालती कार्रवाईमें गिनना चाहिये इसलिये गवाहोंने जो झूठे बयान किये उनके मध्ये उनपर दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १९३ के अनुसार अलग अलग अपराध ठहराना चाहिये । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफ़ा २५२)

२—इस मुक़द्दमेमें अपराधीने दंडकी आज्ञासे अप्रसन्न होकर अपील दायरकी, और अपीलकी याददाश्तमें उसने यह झूठा बयान लिखाया कि दंड देनेवाले मजिस्ट्रेटने उसके गवाहोंको बुलानेसे नाहीं की—जिस मजिस्ट्रेटके सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीलांटको

तजवीज़ हुई कि (क) ने (ख) के विरुद्ध फ़ौजदारीकी कार्रवाई की थी इसलिये वह दफ़ा २११ के अपराधका अपराधी हुवा था न कि दफ़ा १८२ के अपराधका। (पंजाब रिकार्ड नं० १६ सन् १८७० ई०)

८–हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २११ के अपराधमें दफ़ा १८२ का अपराध गिना जायगा इसलिये मजिष्ट्रेटको अधिकार है कि उन दफ़ोंमेंसे किसी दफ़ाके अनुसार वर्त्ताव करे, यद्यपि उन अभियोगोंमें जो बहुतही गुरुतर (संगीन, भारी) हैं दफ़ा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा १८४

९–बलदेवने बस्तीपूर पोलीसमें प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया और फिर वही फरियाद (इस्तगासा) मजिष्ट्रेटके सामने दायरकी–जो तहक़ीक़ात होनेके उपरांत झूठी प्रमाणित हुई और अपराधी छोड़ दिया गया और बलदेवको दफ़ा १८२ क अपराधमें दंड हुवा, तजवीज़ हुई कि बलदेवके मध्ये दंडकी आज्ञा जो दफ़ा १८२ के अपराधमें हुई है अनुचित है क्योंकि उपरोक्त दफ़ाका सम्बंध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था बलदेवकी तजवीज़ दफ़ा २११ के अपराधमें होनी चाहिये थी। वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अगस्त सन् १८८२ ई० सफ़ा १७८)

किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार, मालके लिये जानेमें सामना करना.

(१८३) यदि कोई मनुष्य किसी मालके लिये जानेमें, जो किसी सरकारी नौकरके उचित अधिकारके अनुसार लिया जाता हो किसी प्रकारकी रोकटोक करे यह जानकर या यह निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह ऐसाही सरकारी नौकर है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रे० म० या० म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस विना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन जारी होगा (४) क़ाबिल ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

१–एक मनुष्यको दफ़ा १८३ के अनुसार इस बातपर दंड दिया गया कि उसने सरकारी नौकरको किसी मालकी कुर्की करनेमें रोका–यह अपराध ४ फरवरी सन् १८८३ ई० को किया गया, परन्तु वारंटके वापसी की तारीख़, कि जिसके अधिकारसे सरकारी नौकर, सब कार्रवाई की वही थी या उसके एक दिन पहिलेकी थी, तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीका दंड अयोग्य है, क्योंकि जिस तारीख़को रोक टोक की गई उस तारीख़को कुर्की करनेकी क़ाननानुसार आज्ञा न थी और उस समय वारंटकी अवधि बीत चुकी थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफ़ा १८)

२–जब कोई बिलिफ़ (अमीन) कुर्की करनेवाला अफ्सर किसी डिगरीके इजरायमें कोई माल कुर्क करे और वह मनुष्य कि जिसका माल है केवल यह कहे कि जबतक बिलिफ़ उपरोक्त

मालके मध्ये यह न लिखले कि वह उसका माल है तबतक वह (मालका स्वामी) बिलिफको उपरोक्त मालके ले जानेसे रोकेगा–हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि इस प्रकारका ज़बानी बयान दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १८३ के अपराधकी सीमा तक नहीं पहुँचता (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफ़ा ५६४)

किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके कानूनानुसार–अधिकारके अनुसार नीलाम पर चढ़ाया गया हो रोक टोक करना.

(१८४) जो कोई मनुष्य, किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके क़ानूनानुसार–अधिकारके अनुसार नीलामपर चढ़ाया गया हो जानबूझकर रोक टोक करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पाँचसौ रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या दर्जा दोयम (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती (३) समन (४) अपराध ज़मानतके योग्य है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

कोई माल जो सरकारी नौकरके अधिकारानुसार नीलाम पर चढ़ाया गया हो कानूनविरुद्ध मोल लेना या उसके लिये बोली बोलना.

(१८५) जो कोई मनुष्य किसी मालके नीलाममें जो किसी सरकारी नौकरके अधिकारानुसार आज्ञा से होता हो, किसी मनुष्यके लिये (चाहे वह स्वयंही हो या कोई दूसरा,) कोई माल मोलले या उसके लिये बोली बोले यह जानकर कि उस मनुष्यको उस उपरोक्त मालके मोल लेने का क़ानूनानुसार अधिकार नहीं है, या उस मालपर बोली बोले और उन नियमोंके पूरे करनेका अभिप्राय न हो जो उस बोली बोलनेसे उसपर ठहरेंगे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकड़ सकती (३) समन (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं होसकता (६) मंजूरी दरकार है।

जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मालको नीलाम कर रहा है और यदि कोई मनुष्य ऐसे नीलाममें बोली बोले और उसके नियमोंको पूरा न करसके तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी नौकरके उचित अधिकारका अपमान करनेका अपराधी दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १८५ के अनुसार होगा।

(१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगतानेमें जानबूझकर रोकेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका-दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे।

सरकारी नौकरीका काम करनेमें सरकारी नौकर का रोक टोंक करना.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या० म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट नहीं पकड़ सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंज़ूरी दरकार है।

(१) झूठा समाचार प्रसिद्ध करना और मनुष्योंको अपने बच्चोंको टीका लगाने वाले सरकारी नौकरके हाथ टीका लगवानेसे रोकना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १८६ का कोई अपराध नहीं है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफ़ा ९३)

(२) किसी सरकारी नौकरकी उचित चौकसीसे किसी मनुष्यका भागजाना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफ़ा १३४) व गाड़ीके स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी गाड़ी किरायापर देनेसे नाहीं करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ९ सफ़ा १६५) व किसी सरकारी क्लर्कसे बिना रुपया दिये रसीद ले लेना (पश्चिमोत्तर देश हाईकोर्ट रिपोर्ट सन् १८६३ ई० सफ़ा ६३) और किसी सरकारी नौकरके साथ अपने खेतकी माप करानेके लिये जानेसे नाहीं करना (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफ़ा ५१) दफ़ा १८५ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार अपराधमें नहीं है।

(३) साहब जज ज़िलाने किसी अभियोगमें जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी (मुद्दआअलेह) का घर ढुंढ़वा करके कुछ माल अदालतमें लानेकी आज्ञादी, और इस आज्ञाको पूरा करनेके लिये एक मनुष्यको नियत किया- वह मनुष्य घर पर गया, परन्तु उपरोक्त प्रतिवादीने अपने घरके किवाड़ भीतरसे बंद करलिये और स्वयंभी भीतर होरहा-बहुतसे मनुष्य वहां इकट्ठा होगये उस समय उन मनुष्योंने भीड़ भाड़के कारण घरको बलपूर्वक ढुंढवाना उचित नहीं समझा, और बिना बलपूर्वक घरका ढूंढना भी असम्भव था-इस घटनापर प्रतिवादीपर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १८६ का अपराध लगाया गया और इसी दफ़ाके अनुसार उसे दंड दिया गया-हाईकोर्टकी रायमें इस घटनाके अनुसार कोई अपराध दंडसंग्रहहिंदके अनुसार नहीं उत्पन्न हो सकता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १५ सफ़ा २२१)

(४) जिस मनुष्यको, कलक्टर दफ़ा ६९ ऐक्ट काश्तकारी बंगालके अनुसार ज़मींदार व काश्तकारकी फ़सलका बटवारा करनेके लिये नियतकरे वह दफ़ा १८६ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर नहीं है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफ़ा ५१८)

(५) नाज़िरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारंट उसकी कार्रवाईके लिये किसी चपरासीको दे दे-जिस चपरासीको समर्पित उपरोक्त वारंट किया जावे वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २१ ज़िमन ४ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर समझा जावेगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २२ सफ़ा ७५९)

(६) अपराधीका लड़का घरसे निकल भागा और एक पोलीसकी चौकीपर जो थानेके निकट थी मिला और चौकीदारके साथ थानेपर भेजदिया गया—राहमें चौकीदारको अपराधी मिला और उसने अपना लड़का चौकीदारसे मांगा परंतु चौकीदारने न दिया, और जब चौकीदार उसको थानेके भीतर लेजाने लगा तब अपराधी उसको छीन ले गया और चौकीदारको भी भला बुरा कहा—तजवीज़ हुई कि अपराधीने वास्तवमें ही दफ़ा १८६ का अपराध किया (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफ़ा १७०)

किसी सरकारी नौकरको सहायता देनेसे चूकना, जब कि सहायता देना क़ानूनानुसार अवश्य हो ।

(१८७) जब कोई मनुष्य, जिसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकारी कामके करनेमें सहायता देना या पहुँचाना क़ानूनानुसार अवश्य हो, जानबूझकर ऐसी सहायता देनेमें चूक करे तो उसको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे—

और यदि ऐसी सहायता उस मनुष्यसे किसी सरकारी नौकरने मांगी हो जो ऐसी सहायता मांगनेका क़ानूनानुसार अधिकारी है, करने कार्रवाई किसी हुक्मनामेके जिसे किसी कोर्टआफ़जस्टिसने उचित रीतिपर जारी किया हो, या किसी अपराधके होनेको रोकने या किसी बलवा या लड़ाईको दबा देनेके लिये या किसी ऐसे मनुष्यको पकड़नेके लिये जिसपर कोई अपराध लगाया गया हो, या जो किसी अपराधका या उचित चौकसीसे भाग जानेका अपराधी ठहराया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे (दफ़ा ४० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती (३) समन (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१—मजिस्ट्रेटने ज़मींदारको यह आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनके भीतर चोरीका पतालगावो और पोलीसको सहायता दो—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी, इसलिये ज़मींदार दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १८७ व १८८ के अपराधका अपराधी नहीं है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा २०१)

२—ऐसा कोई क़ानून नहीं है कि जिसके अनुसार किसी मालगुज़ार (ज़िमींदार) पर अहलकार पोलीसको मरे हुए मनुष्यकी लाश गड़ानेमें सहायता देना उचित होवे । (मध्यप्रदेश इ० ला० रि० जिल्द ६ सफ़ा ५ फ़ौजदारी)

(१८८) जो कोई मनुष्य यह बात जानबूझकर कि मुझको, किसी सरकारी नौकरकी आज्ञानुसार जो क़ानूनानुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रसिद्ध करनेका अधिकारी है, कोई काम करना वर्जित है अथवा किसी वस्तुके मध्ये जो मेरे अधिकार अथवा प्रबंधमें है कोई मुख्यप्रबंध करनेकी आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा, तो--

न मानना किसी आज्ञा का जो किसी सरकारी नौकरने क़ानूनानुसार प्रगट की हो.

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे उन मनुष्योंको जो किसी नीतिपूर्वक (जायज़) काममें लगे हुए हैं रोकटोक या क्लेश या हानि या रोकटोक, क्लेश या हानिका डर पहुँचे या पहुँचानेवाला हो, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो दोसौ रुपयातक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे । और,

यदि ऐसी आज्ञाभंगसे मनुष्यके प्राण या आरोग्यता या कुशलताको हानि पहुँचे या पहुँचानेकी ओर झुकती हो या बलवा या लड़ाई (हंगामा) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी ओर झुके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनातक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण--यह अवश्य नहीं है कि अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेहीसे हो या वह यह जानताही हो कि उस आज्ञाभंगसे हानि उत्पन्न होगी, बरन इतनाही बहुत है कि वह उस आज्ञाको जानता हो जिसको वह भंग करता है और यह कि उसका न मानना हानि उत्पन्न करता है या उससे हानि उत्पन्न होनेका भय है ।

उदाहरण ।

कोई आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जो क़ानूनानुसार ऐसी आज्ञाके प्रसिद्ध करानेका अधिकारी है इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई गई, कि कोई मज़हबी (मतका) जमाव किसी विशेष गलीसे होकर न निकले--यदि शिवशंकर जान बूझकर इस आज्ञाको न माने और इसके कारणसे बलवेका भय उत्पन्न करे तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(टीप)--(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट अपराधीको नहीं पकड़सकती (३) समन (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है । (६) मंजूरी दरकार है ।

(इस दफ़ा १८८ को मजमूआज़ाब्ता फ़ौजदारीकी दफ़ा १३३ से १४४ तकके साथ पढ़ना चाहिये ।

१–उमरा एक बछिया चुरानेके अपराधमें दंडित हुवा, मूलाने चोरीकी बछिया अपराधी नं० १ से मोल ली, परन्तु उसको डिप्टी कमिश्नरने यह आज्ञा दी कि बछिया मोललेनेकी सूचना थानेमें देदेना, परन्तु मूलाने ऐसी सूचना नहीं दी, इसलिये उसे दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १८८ के अपराधमें दंड दिया गया हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि मूलाने उपरोक्त दफ़ामें लिखा हुवा अपराध नहीं किया, क्योंकि जो आज्ञा डिप्टी कमिश्नरने दी उसके देनेका अधिकार क़ानूनानुसार उन्हें न था (पंजाब रिकार्ड नं० १७ सन् १८६९ ई०)

२–यादि ऐसी आज्ञा है कि जिसके देनेका अधिकार उस सरकारी नौकरको नहीं है कि जिसने आज्ञा दी है तो उसका न मानना इस दफ़ा १८८ के अनुसार अपराध न होगा, जैसे–

(१) किसी मजिस्ट्रेटको अधिकार नहीं है कि किसी मनुष्यके माल नीलाम किये जानेकी आज्ञादे ।

(२) किसी नम्बरदार व ज़मींदारको किसी मुक़द्दमेका पतालगाने और पोलीसको सहायता देनेकी आज्ञादे (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा २०१)

(३) यह आज्ञादे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोललेवे थानेमें उसकी सूचना दे (पंजाब रिकार्ड नं० १० फ़ौजदारी) या;

(४) यह कि कोई मनुष्य अपने घरसे गाँवके नम्बरदार या पोलीसको बिना सूचना दिये न जावे (पंजाब रिकार्ड नं० १२ सन् १८६८ ई० फ़ौजदारी) या;

(५) यह कि कसाई लोग गोश्तको बेचनेके लिये खुला न रक्खें (पंजाब रिकार्ड नं० १३ सन् १८७२ ई०)

(६) और न लफ्टनन्टगवर्नरको यह आज्ञा देनेका अधिकार है कि किसी सड़कके किसी विशेष भागपर गाड़ियां न चलाई जावें (पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन् १८७३ ई०)

३–माजिस्ट्रेटने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्धकी कि–" चौपायोंके स्वामी उनकी उचित रक्षाकरें. यदि वह आज्ञाभंग करेंगे तो उन्हें क़ानूनानुसार दंड दिया जावेगा–" और कुछ मनुष्योंको दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १८८ के अनुसार आज्ञाभंगके अपराधमें दंड भी दिया–तजवीज़ हुई कि दफ़ा ६२ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार मजिष्ट्रेटको ऐसी सर्व साधारण आज्ञाके देनेका अधिकार न था, इसलिये अपराधियोंको दफ़ा १८८ के अनुसार दंड देना क़ानूनविरुद्ध था । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ३ सफ़ा ४५)

४—मजिस्ट्रेटको दफ़ा ६२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० व दफ़ा १४४ ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० के अनुसार अधिकार है कि किसी विशेष मनुष्यको विशेष स्थानपर विशेष दिनके

लिये जानेको वर्जित करदे यदि उसको दृढ विश्वास हो जावे कि ऐसी आज्ञासे बलवे या हंगामेका होना अवश्यही रुक जावेगा (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १० सफ़ा ४३४)

सरकारी नौकरको हानि पहुंचानेकी धमकी देना.

(१८९) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर को या उस मनुष्यको जिसके मध्ये वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे मनुष्यसे अभिप्रायहै, इसलिये हानि पहुँचानेको कि जिससे उस सरकारी नौकरको किसी ऐसे कामके करने या न करने या देरीसे करनेके लिये कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नौकरसे है धमकावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो साल तक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस बिना वारंट नहीं गिरफ्तार कर सकती (३) समन अपराधीके नाम जारी होना चाहिये (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता ।

१–साहब जजकी तजवीज़ इस बातमें अयोग्य थी कि उन यथार्थ शब्दोंके दरियाफ्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि जिनको अपराधीने वास्तवमें कहा कि जिस समय उसने सरकारी नौकरको धमकी दीथी बरन इसके विरुद्ध इस बातकी आवश्यकता थी कि अपराधीके यथार्थ २ शब्द अदालतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालतको इस बातकी खोजका अवसर मिलता कि यथार्थ मेंही अपराधीने सरकारी नौकरको दुःख पहुँचानेकी धमकी दी या नहीं । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफ़ा ३८०)

हानि पहुँचानेकी धमकी इसलिये कि कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरसे रक्षा मांगनेसे रुकजाय.

(१९०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे हानि पहुँचानेकी धमकी दे कि वह किसी हानिसे रक्षा किये जानेके लिये किसी ऐसे सरकारी नौकरके यहां क़ानूनानुसार प्रार्थनापत्र (दरख्वास्त) न देवे या देनेसे रुक रहे, जो उस सरकारी नौकरीके कारण ऐसी रक्षा करने या करानेका क़ानूनानुसार अधिकारी हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

अध्याय ग्यारहवाँ ११.



झूठी गवाही और सर्व साधारण न्यायके विरुद्ध अपराधोंके बयानमें।

झूठी गवाही देना.

(१९१) कोई मनुष्य जिसपर क़ानूनानुसार शपथके अनुसार या क़ानूनकी किसी विशेष आज्ञासे सच २ बयान करना या क़ानूनके अनुसार किसी कामके मध्ये कुछ बयान करना अवश्य हो, कोई ऐसा बयान करे जो झूठा हो और जिसको वह झूठा जानता हो चाहे झूठा निश्चय करता हो या जिसको वह सच्चा न निश्चय करता हो तो कहा जायगा कि उसने झूठी गवाही दी।

स्पष्टीकरण–१ प्रत्येक बयान इस दफ़ाके अभिप्रायमें गिना जायगा, चाहे वह ज़बानसे किया जाय या और प्रकार पर;

स्पष्टीकरण–२ कोई झूठा बयान जो तसदीक़ (निश्चय) करनेवाला मनुष्य अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये करे, इस दफ़ाके अभिप्रायमें गिना जायगा और जैसे कि कोई मनुष्य यह बयान करनेसे कि मैं अमुक (फलानी) बात जानता हूँ, जिसको वह नहीं जानता है झूठी गवाही देनेका अपराधी है वैसेही वह मनुष्य भी झूठी गवाही देनेका अपराधी होसकता है जो बयान करे कि मैं अमुक बातको निश्चय करता हूँ जिसे वह निश्चय न करता हो।

उदाहरण।

(क)–– यदि शिवशंकर एक उचित दावेके अनुमोदन (ताईद) में जो रमाशंकर एक हज़ार रुपयेके मध्ये उमाशंकर पर रखता हो मुक़द्दमेकी पेशीके समय झूठी शपथकरे कि मेरे सामने उमाशंकरने रमाशंकरके दावे के उचित होनेको स्वीकार किया है तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने झूठी गवाही दी।

(ख)—शिवशंकर कि जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ बयान करना अवश्य है यह बयान करे कि मैं निश्चय करता हूँ कि अमुक (फ़लाने) दस्तख़त रमाशंकरके हाथके लिखे हुए हैं जब कि वह उस दस्तख़तको रमाशंकरके हाथके लिखे हुए निश्चय नहीं करता है तो इस अवस्थामें शिवशंकरने वह बयान किया जिसको वह झूठा जानता है और इसलिये उसने झूठी गवाही दी।

(ग)––शिवशंकर जो रमाशंकरकी लिखावटकी बनावट पहिचानता है यह बयानकरे कि मैं जानता हूँ कि अमुक दस्तख़त रमाशंकरके हाथके लिखे हुए हैं शुद्धभावसे ऐसाही जानताहो

तो इस अवस्थामें शिवशंकरका बयान केवल अपनी जानकारी (दानिस्त) के मध्ये है और वह उसकी जानकारीके मध्ये सच्चा है और इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही नहीं दी, चाहे वह दस्तखत रमाशंकरके हाथके लिखे न हों।

(घ)—शिवशंकर जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ बयान करना उचित है, यह बयान करे कि मैं जानता हूँ कि रमाशंकर अमुक दिन अमुक स्थानपर उपस्थित था, यद्यपि वह इस कामके मध्ये कुछ न जानता हो, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी, चाहे रमाशंकर उसदिन उस स्थानपर उपस्थित था या न था।

(च)—शिवशंकर उलथा करनेवाला या अनुवादक (मुतरज्जिम) है जिसपर शपथके अनुसार अवश्य है कि किसी बयान या लिखतम (लेख दस्तावेज़) का ज़बानी या लिखा हुवा सच्चा अनुवाद करे और वह यदि ज़बानी या लिखा हुवा झूठ अनुवाद (तर्जुमा) करे या उसकी तसदीक़ करे जो सच्चा न हो और जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी।

१—क़ैदीने एक पहिले मुक़द्दमेमें जो बयान मजिस्ट्रेटके सामने किया था उसके विरुद्ध दूसरा बयान सेशन जजके सामने किया, इसलिये उसपर मजिस्ट्रेट या सेशन जजके सामने झूठी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित हुवा—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त आज्ञा सही थी और जो गवाही सेशन जजने लीथी मजिस्ट्रेटके सामने झूठी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी (बंगाल ला रिपोर्ट सफ़ा ५२१)

२—जो मनुष्य दफ़ा ११८ व १७१ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० के अनुसार पुलीसके प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये जो सूचनाके मध्ये हों बुलाये जावें उनपर झूठी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित नहीं होसकता। (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफ़ा १२१)

३—साहब मजिस्ट्रेट दर्जा तीसरे (सोयम) ने जो बयान दफ़ा १६४ मजमूआज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार लिये हों, तो उपरोक्त मजिस्ट्रेटको ऐसे बयान लेनेका अधिकार न होनेके कारण उस बयान देनेवाले पर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १९१ व १९३ का अपराध प्रमाणित नहीं होसकता (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफ़ा ५०२)

४—जानबूझकर झूठी गवाही देना उस अवस्थामें भी अपराध होसकता है कि जब गवाहसे शपथ या प्रतिज्ञा न कराई जाय (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ३५५)

झूठी गवाही बनाना.

(१९२) जो कोई मनुष्य कोई सूरत (अवस्था) उत्पन्न करे या किसी किताब या सर्रिश्तेके काग़ज़में कोई झूठी लिखावट बनावे या कोई दस्तावेज़ जिसमें कोई झूठा बयान लिखा हो बनाए इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान अदालतकी किसी कार्रवाईमें या किसी कार्रवाईमें जो क़ानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने या किसी सालस (प्रतिद्वंदी) के सामने होरही हो प्रमाण (सबूत) की भाँति पेश हो सके और इस अभिप्रायसे कि वह सूरत या झूठी लिखावट या झूठा बयान जो इस प्रकार

प्रमाणके कारणमें पेश होसके किसी ऐसे मनुष्यको जो उस कार्रवाईमें प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के मध्ये राय लगाएगा किसी कामके मध्ये जो उस कार्रवाईके फलके लिये आवश्यक झूठीरायके पहुँचानेका कारण होसके तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने झूठी गवाही बनाई ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, रमाशंकरकी किसी संदूकमें इस अभिप्रायसे कुछ गहना रखदे कि वह गहना उस संदूकसे निकले, और यह सूरत रमाशंकरको चोरीका अपराधी प्रमाणित कराये तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

(ख) शिवशंकर अपनी दूकानके बही खातेमें इस अभिप्रायसे कोई झूठी लिखावट बनाये कि वह उसको किसी अदालतमें प्रमाणकी भाँति पक्षपातीमें काम लाए तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

(ग)–शिवशंकर इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरका विचार संयुक्त अपराधका अपराधी ठहराये इस प्रकार एक चिट्ठी लिखे कि उसमें रमाशंकरके लिखनेमें अपना लिखना मिलावे और वह चिट्ठी उस विचार संयुक्त अपराधके किसी साझेके नाम जानी जाय और उस चिट्ठीको ऐसे स्थान पर रक्खे जहां वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अवश्यही खोज करलेंगे। तो शिवशंकरने झूठी गवाही बनाई ।

१–जब तारीख़ दस्तावेज़ कि जो दूसरी प्रकारपर रजिष्टरीके लिये पेश नहीं होसकती थी रजिष्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई तो वह जालका अपराध नहीं है जबतक कि कोई प्रमाण इस बातका न हो कि उपरोक्त काम बद दियानतीसे या छलछिद्रकी राहसे दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा ४६४ ज़िमन २ के अभिप्रायानुसार किया गया, परंतु गवाहीका अपराध दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १९२ के अभिप्रायानुसार है । इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा ४९२)

२–अपराधीने जो एक वकील था मुंसिफ़ ज़िलाकी अदालतमें एक वकालतनामा पेश किया जिसपर एक दीवानीके मुक़द्दमेमें प्रतिवादी (मुद्दआअलेह) के दस्तख़त थे और जिसके द्वारा अपराधीको प्रतिवादीकी ओरसे पैरवी करनेकी आज्ञा दीगई–वकालत नामामें यह झूठ लिखा था कि वह उस गाँवके अधिकारीके सामने लिखा गया है और उस पर अधिकारीके दस्तख़त भी पाये जाते थे–अपराधीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १९३ के अपराधमें दंड दिया गया–हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि ऐसा मुक़द्दमा इस दफ़ाके अभिप्रायमें नहीं आता है और इसलिये अपराधी दंडके अयोग्य है मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ५ सफ़ा ३७३)

३–किसी अपराधीका अपनी सफाईके लिये झूठी गवाही बनाना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके दफ़ा १९२ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा (पंजाब रिकार्ड नं० १० सन् १८८० ई०)

झूठी गवाहीका दंड.

(१९३) जो कोई मनुष्य अदालती कार्रवाईकी किसी अवस्था (हालत) में जानबूझकर झूठी गवाही दे या इस अभिप्रायसे झूठी गवाही बनाये कि वह अदालतको किसी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें काममें लाई जाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा–

और जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी और अवस्थामें झूठी गवाही दे या बनावे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण–१ जो कोई अभियोग किसी कोर्ट मारशलमें उपस्थित हो उसकी जांच और तजवीज़ अदालतकी एक कार्रवाई है ।

स्पष्टीकरण–२ किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसके हुजूरकी कार्रवाईसे पहले जिस जांच (तहक़ीक़ात) के मध्ये क़ानूनानुसार आज्ञा हो वह जांच अदालती कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी जांचमें जो मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे होरही हो कि रमाशंकर विचार (तजवीज़) के लिये सेशनमें सिपुर्द किया जाय या नहीं शपथसे कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच (तहक़ीक़ात) अदालतकी कार्रवाई की एक अवस्था है इसलिये शिवशंकरने झूठी गवाही दी ।

स्पष्टीकरण–३ कोई जांच जिसके लिये क़ानूनके अनुसार किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसकी ओरसे अनुरोध हो और जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसकी आज्ञाके अनुसार वर्त्तावमें आये अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसके हुजूरमें न हुई हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर एक जांचमें किसी अहलकारके सामने जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसकी ओरसे किसी खेतकी सीमा दरियाफ्त करनेके लिये नियत हुआ हो शपथके अनुसार कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानता हो तो जो कि यह जांच अदालतकी कार्रवाईकी एक अवस्था है, तो शिवशंकरने झूठी गवाही दी ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंज़ूरी दरकार है ।

१–अपराधी दफ़ा १९३ के अनुसार झूठी गवाही बनानेके अपराधमें व दफ़ा ४१४ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार चोरीका माल छिपानेके अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग २ दंड पासकता है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३७९)

२–(क) ने (ख) को बहँकाया कि वह स्टाम्पका काग़ज़ (ग) के नामसे लेवे–इस लिये स्टाम्प बेचने वालेने स्टाम्पके काग़ज़पर (ग) के नाम काग़ज़का बेचना लिखा और यह कार्रवाई (क) ने इस अभिप्रायसेकी कि उपरोक्त काग़ज़को अदालत दीवानीमें (ग) के विरुद्ध किसी मुक़द्दमेमें काम लावे, तजवीज़ हुई कि अपराध झूठी गवाही बनानेका उसपर प्रमाणित हुआ (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ४ सफ़ा १०५)

३–दफ़ा १६१ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार उस मनुष्यको जिसका बयान पोलीसकी तहक़ीक़ातके समयमें अध्याय १४ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार हुवा हो, अवश्य है कि सच २ उत्तर देवे, यदि वह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दंडसंग्रह हिन्दकी दफ़ा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी है (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफ़ा २१६)

४–दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १९३ के अपराधमें इस बातके बयान करनेकी आवश्यकता नहीं है कि शपथके अनुसार दिये हुए दो बयानोंमेंसे कौन बयान झूठा है यही बात बहुत है कि अपराधीने शपथके अनुसार एक समयमें एक बयान और दूसरे समयमें दूसरा झूठा बयान किया (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७)

५–दंडसंग्रह हिंदकी दफ़ा १८१ व १९३ के अहकामोंका झूठी गवाहीसे सम्बंध नहीं है जो दफ़ा १६१ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार किये जांय, पोलीसके अहलकारको जो बयान दफ़ा १६१ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार लिखे दस्तख़त उन मनुष्योंके कराना कि जिनके सामने बयान लिखा गया हो क़ानूनविरुद्ध नहीं है परंतु अनावश्यक है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा ११)

६–हाईकोर्टको ऐसे हुक्मकी सूरतमें दस्तन्दाज़ी करनेका अधिकार है जो किसी अदालतने दफ़ा ४०६ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार प्रचारित किया हो और इस कामकी भी पूरी तजवीज़ करनेका अधिकार है कि उस इख़्तियार तमीजीका निफ़ाज़ (योग्य अधिकारोंका बर्त्ताव) जो उस दफ़ाके अनुसार किया गया है, उचित रीतिपर हुआ है या नहीं (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ३२९)

७–झूठी गवाही देनेके मुक़द्दमोंमें ऐसे बयानके प्रमाणित करनेके लिये, कि जिसके मध्ये झूठ होना कहा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत है–दंड देना अदालतकी इच्छापर है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १४ सफ़ा ५३)

८–जो गवाह दूसरेके नामसे झूठा बयान देवे उसपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १९३ का अपराध ठहराया जावेगा न कि दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा ४१५ व ४१९ के अनुसार (बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द १ सफ़ा ८९)

९–जब कोई मनुष्य किसी मुक़द्दमेमें बयान लिखकर पेश करे और क़ानूनानुसार उक्त मनुष्यको सच २ बयान करना उचित हो और यदि वह उस लिखावटी बयानमें ऐसा लिखावे

जिसे वह झूठा जानता या झूठ निश्चय करता हो या सच न निश्चय करता हो तो वह दंडसंग्रह-हिंदकी दफ़ा १९१ के अनुसार अपराधी गिना जायगा । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा ६२६)

१०—सेशन जजको झूठी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मजिस्ट्रेटके सामने हुवा हो अधिकार किसी मनुष्यको फ़ौजदारी सिपुर्द करनेका नहीं है परन्तु वह उस मनुष्यको जो स्वयं उसीकी अदालतमें झूठी गवाही दे सिपुर्द फ़ौजदारी करसकता है (बंगाल ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफ़ा ३५)

११—क़ैदीकी तजवीज़में जो ज्ञातघातका अपराधी था एक गवाहने शपथ पर सेशन जजके सामने बयान किया कि उपरोक्त अपराधको एक दूसरे मनुष्यने किया है और उसी गवाहने मजिस्ट्रेटके सामने क़ैदीको उस अपराधका अपराधी ठहराया था तजवीज़ हुई कि गवाह दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १९३ का अपराधी था न कि दफ़ा १९४ का ।

१२—जिन सूरतोंमें झूठी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके लिये अदालती आज्ञाकी आवश्यकता है उनमें यदि मुक़द्दमा बिना उपरोक्त आज्ञाके क़ायम किया जावे और अपराधीको दंड होजावे तो दंडकी आज्ञा रद्द होनी चाहिये । (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ७ सफ़ा २६)

१३—जब किसी मनुष्यका विचार (तजवीज़) इस अपराध पर होवे कि उसने शपथ दिलाये जाने पर भी झूठी गवाही दी तो इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधीको शपथ दी गई (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ९२)

१४—दफ़ा ३१८ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार जो तहक़ीक़ात की जावे वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा १९३ के लिये एक अदालती कार्रवाई है । (वीक्ली रिपोर्ट जिल्द ७ सफ़ा १०४)

१५—जब कोई असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिट्ठीका पतालगानेके लिये कि जिसमें कुछ मनुष्योंपर वधका अपराध लगाया गया था, कोई तहक़ीक़ातकरे तो वह कार्रवाई अदालती नहीं है (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ७२)

१६—अपराधीने समन तामीलकी कैफ़ियत शपथके अनुसार झूठी लिखी तजवीज़ हुई कि, वह दफ़ा १९३ के अनुसार झूठी गवाही देनेका अपराधी था कि दफ़ा १८१ के अनुसार (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा २७)

१७—कुछ मनुष्योंको एक ही अदालती कार्रवाईमें झूठी गवाही देनेके मध्ये एक साथ तजवीज़ करना क़ानूनविरुद्ध है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफ़ा ४२)

१८—इस अभिप्रायसे झूठे हिसाबका बनाना कि वह अफ्सर जंगलके सामने जिसको तहक़ीक़ात करनेका अधिकार न था पेश कियाजावे, दंडसंग्रह हिन्दकी दफ़ा १९३ का अपराध न ठहराया गया (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १२ सफ़ा १)

१९—झूठी गवाही देना उस अदालतके अपमानमें गिना जायगा कि जिसमें वह दी जावे इसलिये वह अदालत दफ़ा ४७३ ऐक्ट १० सन् १८७२ ई० (ज़ाब्ता फ़ौजदारी) के अनुसार स्वयं अपराधका विचार नहीं करसकती (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १० सफ़ा ७३)

२०–अपराधीने रेलकी चुराई हुई पटरियां अपने शत्रुके घरमें इस अभिमायसे छिपवा दीं कि वह चोरीके अपराधमें दंड पावे तजवीज़ हुई कि मजिस्ट्रेटका अपराधीको दो अपराधोंमें अलग २ दंडित करना अर्थात् एक झूठी गवाहीका बनाना इस अभिप्रायसे कि वह अदालती कार्रवाईमें काम आसके दफ़ा १९३ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार और दूसरे जानबूझकर चोरी का माल छिपानेमें सहायता करना दफ़ा ४१४ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार बहुत उचित था (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १ सफ़ा ३७६)

२१–अपराधी झूठी गवाही देनेपर इसलिये अपराधी ठहराया गया कि उसने एक प्रश्नमें जो दफ़ा १९ ऐक्ट ९ सन् १८६९ ई० क़ानून इन्कमटैक्सके अनुसार तहसीलदारके सामने पेश हुवा था और जिसपर तस्दीक़की इबारत लिखी हुई थी जानबूझकर झूठा बयान किया था तजवीज़ हुई कि तहसीलदारको उपरोक्त प्रश्नके सुननेका अधिकार न था इसलिये उस मनुष्यसे कोई अपराध नहीं हुवा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ५ सफ़ा ३२६)

वध दंडके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिप्रायसे झूठी गवाही देना या बनाना.

(१९४) जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये, इस अभिमायसे या इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस झूठी गवाही के कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी प्रमाणित कराये जिसके बदलेमें ब्रिटिश इंडियाके क़ानून द्वारा (दफ़ा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० देखो) या इंगलिस्तानके क़ानूनद्वारा वधका दण्ड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाला या कठिन क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और—

यदि निर्पराधी मनुष्य उसके कारणसे अपराधी प्रमाणित होजावे और वधका दंड पा जावे.

यदि कोई निर्पराधी मनुष्य उस झूठी गवाहीके कारणसे अपराधी ममाणित होजावे और वधका दंड पा जावे तो उस मनुष्यको जिसने ऐसी झूठी गवाही दी हो बधका दंड दिया जावेगा या वह दंड जो इस दफ़ामें ऊपर लिख आये हैं । (दफ़ा ४० को देखो)

देश निकाले या दंड क़ैदके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके अभिमायसे झूठी गवाही देना या बनाना.

(१९५) शुद्ध किया गया दफ़ा १२९ ऐक्ट ९ सन् १८९० ई० रेलवे क़ानूनके अनुसार—जो कोई मनुष्य झूठी गवाही दे या बनाये इस अभिमायसे या इस बातके होनेको सम्भवितजानकर कि उस झूठी गवाहीके कारण किसी मनुष्यको ऐसे अपराधका अपराधी ममाणित कराये जिसके बदलेमें ब्रिटिश इंडियाके क़ानूनद्वारा (दफ़ा ७ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को) या इंग्लिस्तानके क़ानूनद्वारा वधका दंड तो नहीं ठहराया गया परंतु देश निकालेका दंड या क़ैद जिसकी मीआद सात वर्ष या अधिक

है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको वह दंड दिया जावेगा जिसके योग्य वह मनुष्य है जो उस अपराधका अपराधी प्रमाणित होजावे । (देखो दफ़ा ४०)

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी कोर्टआफ़जस्टिसमें इस अभिप्रायसे झूठी गवाही दे कि उसके द्वारा रमाशंकरको डकैतीका अपराधी प्रमाणित कराये तो जो कि डकैतीके लिये देश निकाले या कठिन कैदका दंड नियत है जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है जुर्माने सहित या बिना जुर्मानेके, इस लिये शिवशंकर उस देश निकाले या उस कठिन कैदका जुर्मानेसहित या बिना जुर्मानेके, योग्य है ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधी के नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं हो सकता ।

१—जब कोई मनुष्य अपनाघर स्वयंही जला दे और दूसरे मनुष्यपर अपराध लगावे तो उसको इस अपराधमें दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २११ के अनुसार दंड होना चाहिये न कि दफ़ा १९५ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा २६५)

२—एक मनुष्य दंडसंग्रह हिन्दकी दफ़ा १९५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी ठहराया गया कि उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित करानेके लिये झूठी गवाही बनाई थी अपराधीने इस उक्त कामको एक अत्यंतही प्रगटरीतिपर किया था और उससे उपरोक्त मनुष्यको दंड हो जानेका भय न था और न यह बात प्रमाणित हुई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी ठहरानेके लिये कोई यत्न किया था तजवीज़ हुई कि अपराधीको ऐसी अवस्थामें दंड नहीं हो सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ५ सफ़ा १८८)

झूँठी जानी हुई वजह सबूत (प्रमाणके कारण) को काममें लाना.

(१९६) जो कोई मनुष्य किसी प्रमाणके कारणको जिसे वह जानता हो कि झूठ या बनाया हुआ है सच्चे या यथार्थ प्रमाणके कारण (वजह सबूत) के समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे तो उसको उसी प्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूँठी गवाही दी या बनाई ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे०म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुक़द्दमेकी हैसियतसे ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधी एक दीवानी मुक़द्दमे में ऐसी दस्तावेज़को जिसे वह जाली जानता था सच्ची दस्तावेज़के समान काममें लाया था तजवीज़ हुई कि यह अपराध दंडसंग्रहहिंद की दफ़ा ४७१ के अनुसार है इसलिये अपराधी पर दफ़ा ४७१ का ही अपराध ठहर ना चाहिये था न कि दफ़ा १९६ का (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ७१७)

२—जब कोई मनुष्य अदालतमें झूठी गवाही वकील द्वारा पेश करे और आप ग़ैरहाज़िर रहे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १९६ के अनुसार दंड योग्य है । (रिसाला मोरली साहब जिल्द १ सफ़ा १०४)

३—एक मनुष्य (ल) ने दस्तावेज़के अनुसार नालिश दायरकी और तहक़ीक़ातके समय एक चिट्ठी अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिप्रायसे पेशकी, कि जो इस कामके अभिप्रायके लिये बनाई गई थी कि (ल) को दस्तावेज़पर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले—(ल) को दंड-संग्रहहिंदकी दफ़ा १९६ के अनुसार दंड दिया गया तजवीज़ हुई कि यदि चिट्ठी रजिष्ट्रारके सामने पेश करनेके लिये बनाई गई थी तो कोई उक्त दंडकी तजवीज़के मध्ये नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा २८९)

झूँठा सार्टीफ़िकट जारी करना या उसपर दस्तखत करना.

(१९७) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सार्टीफिकट जारी करे या उसपर दस्तखत करे जिसका दिया जाना या जिसपर दस्तखत किया जाना क़ानूनानुसार अवश्य है या जो किसी ऐसे काम वाक़ई (यथार्थ) से सम्बन्धित हो जिसके प्रमाणके कारण की भांति वह सार्टीफिकट क़ानूनानुसार ले लिये जानेके योग्य है और यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस सार्टीफ़िकटमें कोई आवश्यकता की बात झूँठ लिखी है; तो उस मनुष्यको उसीप्रकारका दंड दिया जायगा कि मानों उसने झूंठी गवाही दी।

१—यदि कोई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीलके मध्ये झूंठी कैफ़ियत बयान करे और इसप्रकार जानबूझकर नाज़िरसे झूठी इबारत दफ़ा ४६ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार एक झूठ बातके लिखवानेका कारण हो तो वह चपरासी दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १९७ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी होगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ३७)

२—अपराधीने जो अदालत मतालबा ख़फ़ीफ़ाके दफ्तरमें नक़लनवीस था किसी एक दस्तावेज़की नक़ल जो किसी मिसलके साथ अदालतमें दाख़िल हुई थी; इसप्रकार पर ग़लत बनाई कि उसमें एक ऐसा नाम बढ़ादिया जो वास्तवमें नथा और जब क़ानूनके अनुसार उस नक़लकी तस्दीक़ होगई तब उसके सायल (जिसने उसके लेनेको दरख्वास्त दी थी) को दे दी गई जो कदाचित अपराधीसे विरुद्धता रखता था, इसके पश्चात् वह नक़ल एक मुक़द्दमेमें उस मनुष्यके मुक़ाबिले काममें लाई गई कि जिसका नाम छलसे उसमें बढ़ा दिया गया था और उस समय छल पकड़ा गया—मजिस्ट्रेटने अपराधीको दफ़ा १६७ के अपराधका अपराधी ठहराकर सौ रुपया जुर्माना किया—चीफ़कोर्टसे तजवीज़ हुई कि दफ़ा १६७ का सम्बंध मुक़द्दमेसे न था क्योंकि यह बात प्रमाणित नथी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता था या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामसे किसी मनुष्यको हानि पहुँचायेगा वरन अपराधीने झूठा सार्टीफिकट जारी करने या उसपर दस्तख़त करनेका अपराध दफ़ा १९७ के अनुसार किया था और यह भी तजवीज़ हुई कि दस्तावेज़की नक़ल करना "दस्तावेज़ बनाने या अनुवाद करने" में नहीं गिना जायगा। (पंजाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७९ ई०)

(१९८) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे सार्टीफिकटको सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लावे या काममें लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उस सार्टीफिकटमें कोई आवश्यकताकी बात झूठ लिखी हुई है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

किसी सार्टीफिकटको जिसमें कोई झूँठ बात जानी हुई हो सच्चे सार्टीफिकटके समान काममें लाना.

(१९९) जो कोई मनुष्य किसी बयानमें जो उसने दिया या जिसपर उसने दस्तखत किये हो और जिस बयानको किसी घटना (वाकिआ) के प्रमाणके कारण (वजह) सबूत की भांति ले लेना किसी कोर्टआफ़जस्टिस या किसी सरकारी नौकर या किसी और मनुष्यपर कानूनानुसार उचित या उसके लिये क़ानूनानुसार अवश्य हो उस अभिप्रायके किसी आवश्यकता के काम (अम्र अहम) के मध्ये जिसके लिये वह बयान दिया गया या काममें लाया गया है कुछ बयान करे जो झूठा हो या जिसका झूठा होना या तो वह जानता या निश्चय करता हो या जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करता हो तो उस मनुष्यको उसीप्रकार दंडदिया जायगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

झूंठ बयान करना किसी इज़हारमें, जो क़ानूनानुसार प्रमाणके कारणकी भांति लिये जानेके योग्यहो.

१—ऐक्ट काश्तकारी बंगालमें अधिकार किसी कार्रवाईका नहीं है कि जिसके अनुसार कोई मनुष्य मूल कारण बतलानेके लिये बुलाया जावे कि वह दस्तावेज़ात व कागज़ात ऐसी जायदादके सिपुर्द क्यों न करदे कि जिसका कोई सर्वसाधारण (आ) प्रबंधकर्त्ता (मुहतमिम) नियत कियागया है, यदि ऐसी कार्रवाईमें जो कोई मनुष्य झूंठी गवाही देवे उसपर दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा १९३ या १९९ के अनुसार अपराध न प्रमाणित होगा (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ७२४)

(२००) जो कोई मनुष्य झूठे तौरसे किसी ऐसे बयानको सच्चे बयानकी भांति काममें लाए या लानेका उद्योग करे यह जानकर कि उसमें कोई आवश्यकताकी बात झूठी है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया जावेगा कि मानों उसने झूठी गवाही दी ।

झूंठ जाने हुए किसी बयानको सच्चेकी भांति काममें लाना.

स्पष्टीकरण—१ प्रत्येक ऐसा बयान जो केवल किसी क़ानूनकी विरुद्धतांके कारण ले लिये जानेके योग्य न हो दफ़ा १९९ और २०० के अभिप्रायमें गिनाजायगा ।

(नोट) (इस दफ़ा तककी टीप अर्थात् अदालतसेशन आदि तथा ज़मानत आदिका ब्यौरा दफ़ा १९६ के अनुसार समझना चाहिये)

(२०१) जो कोई मनुष्य यह जानकर या उस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके होनेके किसी प्रमाणको इस अभिप्रायसे छुपावे कि अपराधीको उचित दंडसे बचावे या इसी अभिप्रायसे उस अपराधके मध्ये कुछ समाचार दे जिसका झूठा होना वह जानता या निश्चय करता हो

अपराधीको अपराधसे बचानेके हेतु प्रमाणको छुपाना अथवा झूठा समाचार देना.

यदि वधके दंड योग्यहो.

तो यदि उस अपराधके बदलेमें जिसको वह जानता या निश्चय करता है वधका दंड ठहराया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा;—

यदि देश निकालेके दंडके योग्य हो.

और यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका या ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा;—

यदि क़ैदका दंड दश वर्षसे कम हो.

और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहराया गया है और जिसकी मीआद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफ़ा ४० को देखो)

उदाहरण।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने उमाशंकरको मारडाला है लाश छुपानेमें इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी सहायताकरे कि रमाशंकरको दंडसे बचाए तो शिवशंकर सात वर्षके लिये दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदके योग्य है और जुर्मानेके भी योग्य है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २०१ उन प्रमाण छुपानेवाले मनुष्योंसे सम्बंध रखती है जो स्वयं अपराधी नहीं। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ७१४)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०१ के अनुसार अपराधीको दंड देनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि प्रमाण छुपानेके जिस अपराधमें दंड दियागया वह वास्तवमें सचमुचही किया गया था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा २७९)

३—जो मनुष्य अपराध होनेमें असल मनुष्यके समान सम्बंध रखता हो वह उपरोक्त अपराधके प्रमाण छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ७४९)

४—यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने किये हुए अपराधके प्रमाणके कारणको छुपावे तो उसको दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २०१ के अनुसार दंड नहीं हो सकता (रि. हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफ़ा १२६)

५—पहिले इसके कि अपराधी दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २०१ का अपराधी ठहराया जावे, प्रमाणित होना इस बातका आवश्यक है कि वह अपराध जिसके प्रमाणके कारणके छुपानेका दोष लगाया गया है वास्तवमें हुवा था और यह कि अपराधी उस वृत्तांतको जानता था या उसको ऐसी जानकारी हुई थी कि जो इस अपराधके होनेको निश्चय करनेके लिये बहुत थी (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफ़ा ६१९)

६—कैदी ज्ञातघातके अपराधके समय उपस्थित था परंतु उसको पहिलेसे यह जानकारी न थी कि उपरोक्त अपराध होनेवाला था उसने डरके कारणसे केवल उस अपराधके होनेको रोकनेमें ही यत्न नहीं किया बरन लाशके छुपानेमें भी घातकोंके साथ रहा। तजवीज़ हुई कि कैदी ज्ञातघातमें सहायता करनेका अपराधी न था बरन अपराधके प्रमाणके कारणको छुपाने का अपराधी था (वीक्ली रि. जि. ६ सफ़ा १६०)

७—एक स्त्री अपने लड़के समेत अपने स्वामीके घरसे निकल गई और फिर खोज करनेके पश्चात् अपने एक रिश्तेदारके घरमें मिली परंतु उस लड़केका पता न लगा, इसलिये उस स्त्रीपर लड़केके मार डालनेका अपराध लगाया गया और उसने उस लड़केके मध्ये तीन अलग २ बयान किये पहिले यह कि वह उस लड़केको अपने स्वामीके यहां छोड़गई थी दूसरे यह कि एक मनुष्य रकील नामक उससे वह लड़का उसके बापके यहां पहुंचानेको ले गया था तीसरे यह कि एक मनुष्य हिदायतउल्लानामक ने उस लड़केको नदीमें बहादिया था—सेशन जजने इस तीसरे बयानको सही समझकर उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारणके छुपानेका अपराधी निश्चय किया तजवीज़ हुई कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २०१ उस अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कोई मनुष्य जो अपराधी ठहरायागया हो अपनेको बचानेके लिये दूसरेको अपराधी ठहराये (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा १८९)

किसी अपराधका समाचार देनेमें वह मनुष्य जान बूझकर चूक करे जिसपर समाचार देना अवश्य है.

(२०२) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा, जानबूझकर उस अपराधके मध्ये किसी ऐसे समाचारके देनेमें चूककरे जिसका देना क़ानूनानुसार उसपर अवश्य है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफ़ा ४० देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) समन (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—किसी मनुष्यपर दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०२ के अनुसार अपराध लगानेके पहिले निम्नलिखित बातोंका प्रमाण होना आवश्यक है (१) यह कि अपराधीको अपराधके होनेकी जानकारी थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (२) यह कि उसने जान बूझकर उपरोक्त अपराधकी सूचना नहीं की (३) यह कि अपराधीको उपरोक्त सूचना का देना क़ानूनानुसार अवश्य था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफ़ा ३१)

किसी अपराधके मध्ये झूठा समाचार देना.

(२०३) शुद्ध हुई दफ़ा ६ ऐक्ट ३ सन् १८९३ ई० के अनुसार—जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि कोई अपराध हुवा है उस अपराधके मध्ये कोई समाचार दे जिसका झूँठा होना वह जानता या निश्चय करता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (दफ़ा ४० को देखो)

स्पष्टीकरण—दफ़ा २०१ और २०२ में और इस दफ़ामें "अपराध" के शब्दमें प्रत्येक काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके किसी बाहरी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफ़ाओं अर्थात् दफ़ा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, ४६० मेंसे किसी दफ़ाके अनुसार दंड योग्य हों।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) वारंटजारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०३ का अपराध प्रमाणित करनेमें केवल यही बात काफ़ी नहीं है कि अपराधी अपराधके होनेका निश्चय करता था, बरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि वास्तवमेंही अपराध हुवा था और अपराधी उससे जानकार था या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफ़ा ६६)

प्रमाणक कारणकी भांति किसी दस्तावेज़को पेश किये जानेसे रोकनेके लिये उसे नष्ट करना.

(२०४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेज़को छुपाए या नष्ट कर डाले जिसको वह किसी कोर्टआफ़जस्टिसके इजलासमें या किसी कार्रवाईमें जो क़ानूनानुसार किसी सरकारी नौकरके सामने उसकी सरकारी नौकरीके अधिकारसे होरही हो प्रमाणकी भांति पर पेश करनेके लिये क़ानूनानुसार विवश हो सके या उस सब दस्तावेज़ या उसके किसी भागको मिटाडाले या ऐसा कर दे कि पढी न जाए इस अभिप्रायसे कि

उस कोर्ट या उस उक्त सरकारी नौकरके सामने उस दस्तावेज़का प्रमाणके कारण की भांति पेश होना या काममें आना रुकजावे या इसके पश्चात् ऊपर लिखे हुए अभिप्रायको दस्तावेज़के पेश करनेके लिये क़ानूनानुसार आज्ञा या हिदायत हो चुकी हो, उपरोक्त कामोंमें से किसी कामका अपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) वारंट (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—वादी (मुद्दई) ने नालिशमें जो रज़ामंदीसे पंचायतके सिपुर्द हुई थी दस्तावेज़को जो पंचके यहां थी छीन लिया और वह उसको लेकर चलागया और उसको पेश करनेसे इन्कार किया—तजवीज़ हुई कि वास्तवमें अपराध हुआ परंतु वह चोरीका अपराध न था वरन दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०४ का अपराध था॥ (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफ़ा २६१)

किसी मुक़द्दमेमें किसी काम या अमलदरामदके अभिप्रायसे झूठमूठ कोई और मनुष्य बनना.

(२०५) जो कोई मनुष्य झूठमूठ कोई और मनुष्य बनकर उस बनी हुई सूरतमें कोई प्रतिज्ञा (इक़रार) या बयान करे या कोई इक़बाल दावा दाख़िल करे या कोई आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी कराए या हाज़िरज़ामिन या मालज़ामिन होजाए या दीवानी या फ़ौजदारीके किसी मुक़द्दमेमें कोई और काम करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०५ का अपराध हो सकता है जब कि कोई मनुष्य अपनी कल्पित सूरत बनावे। (इंडियन ज्यूरिष्ट सफ़ा १२२)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०५ का अपराध उस अवस्थामें प्रमाणित होगा कि जब अपराधीने उस मनुष्यके नाम और वस्त्र आदिका धारण किया हो जिसके बननेका दोष उसपर लगाया गया हो, इसलिये दूसरे मनुष्यके नामसे कोई सवाल देना और जबतक उससे पूछा न जावे तब तक अपना नाम प्रगट न करना उपरोक्त अपराधके प्रमाणित करनेके लिये काफ़ी नहीं है।

(२०६) जो कोई मनुष्य छलछिद्रसे किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो इस अभिप्रायसे दूर करे या छिपाए या किसीके नाम कर दे या किसी मनुष्यके सिपुर्द कर दे कि उस आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्टआफ़जस्टिस या किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञाका होना संभवित है वह माल या अधिकार जो उस मालमें है, ज़ब्ती या जुर्मानेके बदलेमें या उस डिगरी या आज्ञाके पूरे होनेमें जो दीवानीके किसी मुक़द्दमेमें किसी कोर्टआफ़जस्टिसने जारी की हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भव है लिया न जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

छलछिद्रसे उठा लेजाना अथवा छुपादेना किसी वस्तुका इस अभिप्रायसे कि जब्ती अथवा इजराय डिगरीमें उसका कुर्क किया जाना रुक जाय.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) वारंट (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—जो मनुष्य छलसे किसी जायदादको दूसरेके नाम कर देवे, इस अभिप्रायसे कि वह इजराय डिगरीमें नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २०६ का अपराध उसे लगाकर उसे दण्डित करें, यद्यपि इस अपराधका फ़ैसला दफ़ा ४५ ऐक्ट १० सन् १८५९ ई० के अनुसार होसकता है। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द २ रुफ़ा ४)

२—दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २०६ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि जायदाद छल छिद्र द्वारा इस अभिप्रायसे अलग करदी गई थी कि वह ज़ब्त न होसके या डिगरी या जुर्मानेके बदले जब्त होनेसे बच जावे। वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफ़ा ६५)

(२०७) जो कोई मनुष्य किसी मालको या किसी अधिकारको जो उस मालमें हो छलसे स्वीकार करे या अपनी सिपुर्दगीमें ले या उसका दावा करे यह जानकर कि उस माल या अधिकारमें उसका कुछ अधिकार या उचित दावा नहीं है या किसी माल या उस अधिकारके किसी सत्वके मध्ये जो उस मालमें है कोई धोखा देवे इस अभिप्रायसे कि उसके कारण वह माल या अधिकार जो उस मालमें है ऐसी आज्ञाके अनुसार जो किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस या किसी और अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उस आज्ञाका होना सम्भव है ज़ब्ती या जुर्मानाके बदलेमें या किसी ऐसी डिगरी या हुक्मकी तामीलमें जो किसी कोर्टआफ़जस्टिसकी ओरसे दीवानीके किसी मुक़द्दमेमें जारी

ज़ब्तीकी भाँति या किसी डिगरीके मध्ये किसी मालका कुर्क किया जाना रोकनेके लिये छलसे उसका दावा करना.

हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होना सम्भवित है, लिया न जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी जारी होने देना.

(२०८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावामें ऐसे रुपयेके लिये जो पटाने योग्य न हो या उस रुपयेसे जो उस मनुष्यके पटाने योग्य है अधिक हो, या किसी माल या अधिकारके लिये जो उस मालमें हो जिसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छलसे अपने ऊपर डिगरी या हुक्मजारी कराए या जारी होनेसे या किसी डिगरी या हुक्मको उसकी कार्रवाई होचुकनेके पश्चात् अपने ऊपर या किसी ऐसी वस्तुके लिये जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई होचुकी हो छलसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

शिवशंकर, रमाशंकरपर दावा करे और रमाशंकर यह जानकर कि मुझपर शिवशंकरका डिगरी पाना अति सम्भवित है उमाशंकरके दावेमें जिसका उसपर कुछ उचित दावा नहीं है इस अभिप्रायसे अपने ऊपर छल द्वारा अधिक तादादके मध्ये फैसला होने दे कि उमाशंकर अपने लिये चाहे उसीके लिये रमाशंकरके मालके ज़रनीलाममें से जो शिवशंकर की डिगरीके अनुसार नीलाम हो हिस्सा पावे तो रमाशंकरने इस दफ़ाके अनुसार अपराध किया।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

कोर्ट आफ जस्टिसमें बद दियानती से झूठा दावा करना।

(२०९) जो कोई मनुष्य छलसे या बद दियानतीसे या किसी मनुष्यको हानि पहुँचाने या कष्ट देनेके अभिप्रायसे किसी कोर्टआफ़जस्टिश में कुछ दावा करे जिसका झूठा होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) वारंट (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—जब कोई मनुष्य ऐसी डिगरीको जारी करानेके लिये दरख्वास्त देवे कि जिसका रुपया पट चुका है तो उसके कामसे दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २१० का सम्बंध है न कि दफ़ा २०९ का—दफ़ा २०९ उन झूठे और छली दावियोंसे सम्बंध रखती है जो कोर्टआफ़-जस्टिसमें किये जांय और उस अदालत दीवानीके साथ सम्बंध रखती है जिसमें आरम्भकीही नालिश दायर की गई हो। (वीकली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा ३७)

(२१०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे रुपयेके मध्ये जो उचित नहीं है या जो उचितसे अधिक है या किसी ऐसे माल या अधिकारके मध्ये जो उस मालमें हो और जिसका वह अधिकारी नहीं है कोई डिगरी या हुक्म छलसे प्राप्त करे या कोई डिगरी या हुक्म उसकी कार्रवाई हो चुकनेके पश्चात् किसी मनुष्य पर जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके लिये जारी कराए जिसके मध्ये उसकी कार्रवाई होचुकी हो या छलसे इस प्रकारका कोई काम अपने नामसे होने दे या उसके करनेकी आज्ञा दे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्ष हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

अनुचित रुपयेके लिये छलसे डिगरी प्राप्त करना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—फ़रियाद करनेवाले (मुस्तग़ीस) ने कहा कि तीन मनुष्योंने मेरे हाथ और टाँगें पकड़कर धरतीपर गिरादिया और घूँसा, पत्थर और जूते मेरी छातीपर मारे, उनमेंसे एकने दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे (फ़रियादी) चुभोदे तजवीज़ हुई कि ऐसे मुक़द्दमेमें दस्तबरदारीकी इजाज़त देना न चाहिये थी। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ५ सफ़ा ३७८)

२—यदि कोई मनुष्य ऐसी डिगरीके जारी करानेकी दरख्वास्तकरे जिसका रुपया पट चुका हो तो दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २१० के अपराधका वह मनुष्य अपराधी होगा। (वीकली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा ३७)

३—एक डिगरीदारने अपनी डिगरी इजरायकी एक दरख्वास्तदी, यह दरख्वास्त इस लिये खारिजकी गई कि डिगरीका रुपया पट गया था—मदयून को दफ़ा २१० के अनुसार डिगरीदारपर मुक़द्दमा चलानेकी आज्ञा हुई—तजवीज़ हुई कि डिगरी इजरा नहीं होने पाई थी इसलिये दफ़ा २१० के अनुसार कोई अपराध नहीं ठहर सकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २३ सफ़ा ९७१)

(२११) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसपर फ़ौजदारीमें नालिश दायर करे या कराये या किसी मनुष्य पर किसी अपराध होने के मध्ये झूठ मूठ दोष लगाए यह जानकर कि न्यायानुसार या क़ानूनानुसार उस मनुष्यपर उस नालिश या दावे की कुछ जड़ नहीं है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे–और यदि वह फ़ौजदारीकी नालिश किसी ऐसे अपराधके झूठे दावेसे दायर कीजाए जिसके बदलेमें दंड वध या देश निकाला या सात वर्ष या अधिक मीआ़दकी क़ैद ठहराई गई है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे झूठ मूठ अपराध लगाना

टीप––(अ़दालत सेशन या प्रे० म० या० म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१––हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २११ का अपराध क़ायम करनेके लिये केवल झूठा दोषही लगाना बहुत है, चाहे नालिश न कीजाय (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ४९७)

२––डिप्टी मजिस्ट्रेटको ऐसी आज्ञाके मध्ये दलील करनेका अधिकार नहीं है जो उसके अफ्सरने दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा १८२ व २११ के अभिप्रायानुसार फ़ौजदारीकी नालिश करनेकी मंजूरी दी हो वह मंजूरी चाहे सही दी गई हो चाहे ग़लत, परंतु अपराधी दलीलकर सकती है (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफ़ा ८६९)

३––पहिले इसके कि तजवीज़ किसी मनुष्यकी दफ़ा २११ दंडसंग्रहहिन्दके अपराधकी होवे उसको मुक़द्दमेकी असलियत (यथार्थता) को प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावेगा जब कि वह मनुष्य उससे लाभ उठानेकी प्रार्थना करे, और यह अवसर न पोलीसके सामने बरन मजिस्ट्रेटके सामने मिलना चाहिये । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द६ सफ़ा ४९७)

४––बिना गवाहोंका बयान सुने कि जिनको अपराधी पेश किया चाहता है, दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २११ के अभिप्रायानुसार फ़ौजदारीकी नालिशकी आज्ञा देना अनुचित है । इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा ५८४)

५––अपराधके विचारके लिये यह बात अवश्य है कि झूठका अपराध उस अ़दालत या हाकिमके सामने जिसको जांच करने तथा दौरा सिपुर्द करनेका अधिकार प्राप्त है क़ायम किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा ६६२)

६––अकस्टरा असिस्टन्ट कमिश्नरको पोलीसकी रिपोर्टके आनेपर रिपोर्टरके मज़मूनसे अपराधीको सूचना कर देनी थी और उसको अपने मुक़द्दमेके प्रमाण (सबूत) के लिये अवसर

देना चाहिये था तब मुक़द्दमेको फ़ैसल करना उचित था । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफ़ा ८७)

७—जब कोई मनुष्य विशेष करके इस बातकी नालिशकरे कि दूसरे मनुष्यने कोई अप-राध किया है और उपरोक्त मनुष्य ऐसा काम ऐसे दूसरे मनुष्यको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे करे तो वह दफ़ा २११ दंडसंग्रहहिंदके अपराध का अपराधी होगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ७ सफ़ा १८४)

८—यदि दोष कुभावसे न लगायाजावे बरन केवल बेपरवाईसे लगाया जावे तो दोष लगानेवाला दंडके योग्य नहीं है चाहे उसका वर्त्ताव ऐसा समाचार पानेपर हुवा हो जो किसी बुद्धिमान् मनुष्यके माननेके लिये पूरा न था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा १०)

९—एक पोलीसके अहलकारने यह रिपोर्टकी कि अमुक मनुष्यने अमुक अपराध किया था और फिर अपने अफसरकी आज्ञानुसार जो उसकी रिपोर्टसे हुई उस मनुष्यपर झूठा अपराध लगाया तजवीज़ हुई कि उपरोक्त अफसर दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २११ के अपराधका अपराधी हुआ था और उसका यह कहना कि उसने अपने अफसरकी आज्ञानुसार वर्त्ताव किया था उसको कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ४५)

१०—यदि कोई मनुष्य अपना घर स्वयंही जलादे और दूसरेपर उसका दोष लगावे तो वह दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफ़ाके अनुसार दंडके योग्य है दफ़ा १९५ के अनुसार नहीं । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ६५)

११—एक मनुष्यने पोलीसमें यह झूठी फ़रियादकी कि अमुक मनुष्य उसके लड़के के मार डालनेका कारण हुवा था तजवीज़ हुई कि फ़रियादीके कामसे दफ़ा २११ का सम्बंध था न कि दफ़ा १८२ का (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ६७)

१२—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २११ केवल उन्हीं लोगोंसे सम्बंध नहीं रखती जो सरकारी नौकर नहीं हैं बरन पोलीसके अफसरसे भी सम्बंध रखती है जो किसीको हानि पहुँचा-नेके अभिप्रायसे उसपर झूठा अपराध लगावे । (वीक्ली रिपोर्टर ११ सफ़ा २)

१३—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २११ का अपराध दफ़ा १८२ के अपराधमें गिना जायगा इसलिये मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि चाहे जिस दफ़ाके अनुसार वर्त्ताव करे परंतु भारी मुक़द्दमोंमें दफ़ा २११ का ही वर्त्ताव करना उचित है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफ़ा १३४)

१४—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २११ के अपराधके अपराधीने सेशनजजके सामने बयान किया कि जो नालिश उसने की थी वह झूठी थी और बिना सोचे समझे उसने कर दी थी, सेशनजजने उस बयानको अपराधकी स्वीकारता समझकर अपराधीको ८ महीनेकी कठिन क़ैदके दंडकी आज्ञा दी परंतु उसका उज्र दफ़ा २३७ ज़ाब्ता फौजदारी (ऐक्ट १० सन् १८७२ ई०) के अनुसार नहीं लिखा गया था और न उसको फ़र्द करारदादजुर्म (अपराधके मान लेनेकी स्वीकारता) सुनाई और समझाई गई—तजवीज़ हुई कि दंडकी आज्ञा अनुचित थी क्यों-कि मिस्लसे यह बात प्रमाणित नहीं होती थी कि अपराधीने एक काम जो दफ़ा २११ दंडसंग्रह

हिंदके अपराधमें अत्यंत आवश्यक है मान लिया था अर्थात् दूसरेको हानि पहुँचानेका अभिप्राय और यह बयान उसका कि उसने बिना सोचे समझे नालिश कर दी थी अपराध स्वीकार करनेकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ रुफ़ा ९६)

१५—ज्वाइंट मजिस्ट्रेटके सामने एक सवाल इस प्रकारका दिया गया कि पोलीसने इस तहक़ीक़ातके मध्ये जिसकी हिदायत उसको सायलकी दरख्वास्तपर हुई थी झूठी रिपोर्टकी थी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेटने पोलीसकी रिपोर्ट सुननेके पश्चात् वह सवाल अस्वीकार कर दिया और यह आज्ञाकी कि सायलपर झूँठा दोष लगानेके अपराधमें दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २११ के अनुसार मुक़द्दमा क़ायम किया जावे तजवीज़ हुई कि मजिस्ट्रेटको अपराधकी तहक़ीक़ातकी जांच करनेके पहिले दफ़ा ४७६ जाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाहिये थी। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफ़ा ३१५)

१६—जब कोई मनुष्य कुछ फ़रियाद करे और वह पोलीसकी रायमें झूँठी ठहरे तो मजिस्ट्रेटको उचित नहीं है कि केवल पोलीसकीही रिपोर्टपर निश्चयकर एक साधारण तौरपर शीघ्रतासे कार्रवाई करे बरन् उसको दफ़ा २११ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफ़ा ५७५)

१७—क़ैदीको जिसके मध्ये झूठी नालिश करनेके अपराधमें ज़िमन २ दफ़ा २११ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुई उसे क़ैदका दंड जुर्माने समेत होना चाहिये न कि केवल जुर्मानेहीका दंड हो। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा ३४)

१८—वसूल हुए रुपयोंके मध्ये स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करना क़ानूनानुसार कोई अपराध नहीं है इसलिये नाहीं करनेवालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेसे नाहीं करनेके मध्ये झूठी नालिश करना भी कोई अपराध दंड योग्य नहीं है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा ९२)

१९—यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिशको झूठी या बेजड़ (अमूलक) समझे तो उसे समन या वारंट जारी करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक नालिश करनेवालेका बयान लेना उसे अवश्यही उचित है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफ़ा २७२)

२०—अपराधीने एक मनुष्यपर झूठी नालिश दफ़ा ३२४ दंडसंग्रहहिंदके अनुसार दायर की और इसी अदालतसे उसको दफ़ा २११ दंडसंग्रहहिंदके अपराधमें दंड हुआ तजवीज़ हुई कि उपरोक्त अदालतको अपराधीकी तजवीज़ करनेका अधिकार न था। (पंजाब रिकार्ड नं० ३ सन् १८७७ ई०)

२१—अपराधीने केवल सहायपर यह अपराध लगाया कि उसने अपराधीपर आक्रमण करके उसका दांत तोड़डाला था और केवल सहायने उस अपराधसे छूटकर अपराधीपर दफ़ा २११ के अपराध की नालिशकी और अपराधीको अदालत सेशन से दंड मिला हाईकोर्टसे सेशन जजकी इस इबारतसे कि "यद्यपि केवल सहायने स्वयं अपराधीपर आक्रमण करके उसका दाँत नहीं तोड़ा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोंको बहँकाया था और उन्होंने वह काम किया था" तजवीज़ हुई कि केवल सहाय उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहां-

पर उपस्थित था इस कारण क़ानूनानुसार उस अपराधका करनेवाला हुवा इसलिये अपराधीने जो उसपर नालिश की थी वह दफ़ा २११ के अभिप्रायसे झूठी न थी इसलिये अपराधीके दंडकी आज्ञा रद्द कीगई । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८३ ई० सफ़ा ३१)

अपराधीको आश्रय देना.

(२१२) शुद्ध हुआ दफ़ा ७ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार–जिस अवस्थामें कि कोई अपराध हुवा हो तो जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे किसी मनुष्यको आश्रय दे या छिपाए जिसका अपराधी होना वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि उस अपराधीको उचित दंडसे बचाए,–

यदि वध दंडके योग्य हो

तो यदि उस अपराधके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और–

यदि देश निकाला या क़ैदके दंड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकाले या ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गया हो जिसकी मीआद एक वर्षसे अधिक और दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस क़ैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकती है जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(१) शब्द "अपराध" में इस दफ़ामें प्रत्येक ऐसा काम गिना जायगा जो ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी स्थानमें हुवा हो और जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर होनेकी अवस्थामें निम्नलिखित दफ़ों अर्थात् दफ़ा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३ ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८, ४५९, व ४६० मेंसे किसी दफ़ाके अनुसार दंड योग्य होवे और ऐसा प्रत्येक काम इस दफ़ाके अभिप्रायोंके लिये दंड योग्य समझा जायगा इसप्रकार-

पर कि मानों अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त कामका अपराधा हुवा था ।

छूट ।

इस दफ़ाकी आज्ञा उस अवस्थामें सम्बन्ध न रक्खेगी कि जब आश्रय देना या छुपाना अपराधीके शौहर (स्वामी) या उसकी स्त्रीसे हुवा हो ।

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरने डाका डाला है, जानबूझकर रमाशंकरको उचित दंडसे बचानेके लिये छिपाए तो इस अवस्थामें जो कि रमाशंकर देश निकालेके दंड योग्य है इसलिये शिवशंकर दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या ० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २१२ के अपराधकी तजवीज़को क़ायम रखनेके अभिप्रायसे इस बातकी आवश्यकता है कि गवाह इन बातोंकी होनी चाहिये । (१) कोई अपराध किया गया (२) उस अपराधके अपराधीको आश्रय दिया गया या वह छिपाया गया । (इ०ला० रि० जिल्द १२ सफ़ा ४३२)

अपराधीको दंडसे बचानेके लिये इनाम आदि लेना.

(२१३) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपावे या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दंडसे बचावे या किसी मनुष्यको उचित दंड दिलानेका उपाय न करनेके बदले अपने लिये या किसी और मनुष्यके लिये कुछ इनाम या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार करे या प्राप्त करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर राज़ी हो तो,—

यदि वध दंडके योग्य हो.

(यदि उस अपराधके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और—

यदि देश निकाले अथवा क़ैदके दंड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका दंड या ऐसी क़ैद ठहराई गई है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा

और यदि उस अपराधके बदलेमें ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उस मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जो उस अपराधके लिये ठहराई गई है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराई गई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे (देखो दफ़ा ४०)

टीप-(१) अदालत सेशन या मै० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) राज़ी नामा नहीं है ।

अपराधीको दंडसे बचानेके बदले इनाम देना या कुछ वस्तु फेर देनी.

(२१४) जो कोई मनुष्य कोई अपराध छिपाने या किसी मनुष्यको किसी अपराधके उचित दंडसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित दंड करानेसे रुके रहनेके बदलेमें किसी मनुष्यको कुछ इनाम दे या पहुँचाये या देने या पहुँचानेको कहे या देने या पहुँचाने-पर राजी होवे या किसी मनुष्यको कोई माल फेरे या फिराये, या फेरने या फिरानेको कहे या फेरने या फिराने पर राज़ी हो, तोः–

यदि अपराध वधके दंड योग्य होवे.

यदि उस अपराधके लिये वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, औरः–

यदि अपराधका दंड देश निकाला या कैदका होवे.

यदि उस अपराधके लिये देश निकाले या ऐसी कैद का दंड ठहराया गया है जो दश वर्षतक होसकती है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। और यदि उस अपराधके लिये ऐसी कैदका दंड ठहराया गया है जो दश वर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकार का दंड दिया जावेगा जो उस अपराधके लिये ठहरा है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाई तक होसकती है जो उस अपराधके लिये निश्चित कीगई है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (दफ़ा ४० को देखो)

छूट ।

दफ़ा २१३ व २१४ की आज्ञाएँ (अहकाम) किसी ऐसी अवस्था (सूरत) से सम्बन्ध नहीं रखतीं, जिसमें अपराधके मध्ये कानूनानुसार राज़ीनामा होसकता हो । (दफ़ा ६ ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० को देखो)

(नोट) टीप दफ़ा २१३ के अनुसार समझना चाहिये ।

१---हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २१४ के अनुसार जो मुक़द्दमा तसफ़ियाके लायक़ न हो वह तसफ़ियाकीरूसे खारिज होजाय तो वह तसफ़िया नई नालिश करनेको नहीं रोक सकता (० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफ़ा ६४)

२---जान बूझकर भारी दुःख पहुँचानेके मुक़द्दमे में दंडसंग्रहहिन्दकी दफ़ा २१४ के अभिप्रायानुसार राज़ीनामा नहीं हो सकता, राज़ीनामा उन फ़ौजदारीके मुक़द्दमोंमें होसकता है जिनमें नियतका लिहाज़ (अभिप्रायका विचार) न हो और जिनके मध्ये नालिश फ़ौजदारीके स्थानपर नालिश दीवानी होसके (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफ़ा १४७)

३---अपराधीने सामीनाथ पिल्लेको इसलिये दश रुपये देने कहे कि वह कोलन्डाविलूके विरुद्ध जिसपर रातके समय सेंध लगानेका अपराध लगाया गया था गवाही न देवे---परंतु सामीनाथ पिल्ले ने कोलण्डाविलूके विरुद्ध गवाही दी लेकिन् वह अपराधसे छोड़ दियागया। अपराधीपर दंडसंग्रहहिंदकी दफ़ा २१४ का अपराध लगाया गया परंतु छोड़ दिया गया, तजवीज़ हुई कि अपराधीका छोड़ देना उचित था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफ़ा ४००)

४---आक्रमण (हमले) के अभियोगमें राज़ीनामा होसकता है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा १६)

५---उस स्त्रीके स्वामीने जिसके साथ व्यभिचार (ज़िना) हुआ था मुक़द्दमेकी पैरवी से नाहीं की इस कारण अपराधी छोड़ दिया गया, इसलिये हाईकोर्टने भी दस्तन्दाज़ी करनेसे इन्कार किया। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफा २७)

(२१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी ऐसे स्थावरधन (मालमनकूला) क जो इस संग्रहके अनुसार दंड दिये जानेके योग्य किसी अपराधके द्वारा उसके पाससे जाता रहा हो फिरसे पानेमें सहायता करनेके मिस या कारणसे कुछ इनाम ले या लेनेपर राज़ी हो या लेना स्वीकार करे तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपराधीके पकड़वाने और उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करानेके लिये अपनी सामर्थ्य भर सब यत्नोंको काममें लाये, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

चोरीका माल आदि फिरसे पानेमें सहायता करने के लिये कुछ इनाम लेना.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(२१६) जब कभी कोई मनुष्य जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुवा हो या जिस पर उस अपराधका दोष लगाया गया हो उस अपराधके लिये उचित चौकसी (हिरासत) में होकर उस चौकसीसे भाग जाए, या जब कभी कोई सरकारी नौकर अपने ओहदेका नीतिपूर्वक अधिकार वर्त्तनेमें किसी अपराधके लिये किसी विशेष मनुष्यको पकड़े जानेकी आज्ञा दे तो जो कोई मनुष्य उस भाग जाने या उस पकड़ने (गिरफ्तारी) की आज्ञाको जानकर उस मनुष्यको न पकड़े जानेके अभिप्रायसे आश्रय दे या छुपावे तो उपरोक्त मनुष्यको नीचे लिखे हुए नियमके अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्;–

ऐसे अपराधीको आश्रय देना जो चौकसीसे भागा हो या जिसके पकड़नेकी आज्ञा हो चुकी हो.

यदि उस अपराधके बदलमे जिसके लिये वह मनुष्य चौकसीमें था या जिसके लिये उसके पकड़े जानेकी आज्ञा दीगई है वधका दंड नियत (मुकर्रर) है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, और;–

यदि अपराध वधके दण्ड योग्य हो.

यदि उस अपराधके बदलेमें देश निकालेका दंड या दश वर्षकी कैद नियत हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है जुर्मानेसहित या बिनाजुर्मानेके दी जावेगी और यदि उस अपराधके बदलेमें–ऐसी कैदका दंड नियत है जो एक वर्षसे अधिक और दशवर्षसे कम हो तो उपरोक्त मनुष्यको उस प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया गया है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाईतक होसकेगी जो उस अपराधके लिये ठहराईगई है, या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे। (देखो दफ़ा ४०)

यदि देश निकालेके दंड या कैदके योग्य हो.

"अपराध" के शब्दमें इस दफ़ामें प्रत्येक ऐसा काम या चूक कामभी शामिल है, जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इंडियाके बाहर किसी ऐसे मनुष्यके मध्ये बयान किया गया है जो ब्रिटिश इंडियाके भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामें अपराध करनेकी भांति दंड़योग्य होता और जिसके लिये उपरोक्त मनुष्यको अन्य रियासतोंके अपराधियोंके पकड़नेके क़ानूनानुसार या भागे हुए अपराधियोंके ऐक्ट सन् १८८१ ई० के अनुसार या और प्रकार पर ब्रिटिश इंडियाके भीतर पकड़ा जाना या चौकसीमें रक्खा जाना उचित है और ऐसा हर काम या चूक काम इस दफ़ाके अभिप्रायोंके लिये

इस प्रकार पर दंड योग्य समझा जावेगा कि मानों वह अपराधी मनुष्य ब्रिटिश इंडियाके भीतर उपरोक्त काम या चूक कामका अपराधी हुआ ।

(दफ़ा २३ ऐक्ट नं० १० सन् १८८६ ई० को देखो)

छूट

इस दफ़ाकी आज्ञा उस अवस्थासे सम्बन्ध न रक्खेगी जहां आश्रय देना या छुपाना उस मनुष्यके शौहर (पति) या स्त्रीसे हो, जिसके पकड़े जानेका अभिप्राय है।

टीप-(१) अदालत सेशन या मे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२१६) (अ) बढ़ाया गया दफ़ा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार

डाकुओंको आश्रय देने बदलेमें दंड.

जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बातके जाननेका कारण रखकर कि कोई मनुष्य बलपूर्वक चोरी या डकैती करनेवाले हैं या हालमें उन्होंने बलपूर्वक चोरी या डकैती की है, उन सबको या उनमें से किसी मनुष्यको इस अभिप्रायसे आश्रय दे कि वैसी बलपूर्वक चोरी या डकैतीका होना सहज होजावे या वह मनुष्य या उनमेंसे कोई मनुष्य दंडसे बचजावे, तो उसको कठिन क़ैदका दंड ।जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण-इस दफ़ाके अभिप्रायोंके लिये यह बात विचारके योग्य नहीं है-कि ब्रिटिश इंडियाके भीतर या बाहर बलपूर्वक चोरी या डकैतीके करनेकी इच्छा कीगई है या नहीं, या इसप्रकारकी घटना हुई है या नहीं ।

छूट ।

यह आज्ञा उस अपराधसे सम्बंध न रक्खेगी कि जिसम अपराधीके स्वामी (पति) या स्त्रीकी ओरसे आश्रय दिया जावे ।

(२१६) (ब) बढ़ाया गया दफ़ा ८ ऐक्ट ३ सन् १८९४ ई० के अनुसार दफ़ा

दफ़ा२१२व२१६व२१६ (अ)में आश्रयका लक्षण.

२१२ व २१६ व २१६ (अ) में शब्द "आश्रय" में किसी मनुष्यका आश्रय देना या उसको खाने पीनेकी वस्तु या रुपया या वस्त्र या युद्धका सामान पहुँचाना या बोझा ढोनेका यत्न कर देना या किसी मनुष्यको किसी प्रकारकी गिरफ्तारीसे निकल भागने में सहायता देना गिना जायगा ।

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा।

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालकी ज़ब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे नीतिपूर्वक आज्ञाको न मानना.

(२१७) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, क़ानूनकी किसी आज्ञाको जो उस ओहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है जिसपर उसको उस सरकारी नौकरीके कारणसे चलना चाहिये जानबूझकर भंग करे इस अभिप्रायसे या इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि–उसके कारण किसी मनुष्यको नीतिपूर्वकके दंडसे बचाए या वह मनुष्य जितने दंडके योग्य है उससे कम दंड दिलाए या किसी मालकी ज़ब्ती या किसी ख़र्चसे जिसका वह क़ानूनानुसार अधिकारी है, बचाए तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप–(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१–दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २१७ का अपराध प्रमाणित होनेके लिये केवल इतनाहीं बहुत है कि अपराधी मनुष्य अर्थात् सरकारी नौकरने किसी क़ानूनी आज्ञाको अपराधीके बचानेके लिये भंग किया यह अवश्यकता नहीं कि यह प्रमाणित कियाजावे कि वह मनुष्य जिसके बचानेके लिये आज्ञाभंग की गई वास्तवमें क़ानूनानुसार दंड पानेके योग्य था या नहीं–(इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफ़ा ४१२)

२–अपराधी पर दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २१७ का अपराध लगाया गया परन्तु स्पष्ट २ यह नहीं दरियाफ्त किया गया कि वह कौनसी क़ानूनी आज्ञा थी जिसको अपराधीने भंग किया था और किस प्रकार भंगकी थी तजवीज़ हुई कि जब किसी अपराधीको ऐसे अपराधके मध्ये दंडकी आज्ञा हुई हो जो स्पष्ट लेख (ग़ैरमुईन इबारत) में बयान की गई हो तो मुक़द्दमे की पैरवी मुद्दईकी ओरसे अपीलमें उसी अर्थके सीमाबद्ध (महदूद) रहना चाहिये जिसमें उपरोक्त अपराध तजवीज़के समय समझा गया हो (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफ़ा १४२)

सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको दंडसे या मालको ज़ब्तीसे बचानेके अभिप्रायसे गलत लिखतम या मिसल बनावे.

(२१८) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो और सरकारी नौकरी होनेके कारणसे किसी सरिश्ते के काग़ज़ या किसी और लिखतमका बनाना उसका कर्त्तव्य कर्म हो और वह उस सरिश्तेके काग़ज़ या लिखतमको इस ढंगसे बनावे जिसको वह झूँठ जानता हो इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण सर्व साधारणको या किसी मनुष्यको हानि

पहुँचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मनुष्यको उचित दंडसे बचावे या इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी मालको ज़ब्ती या किसी और खर्चेसे जिसका वह माल क़ानूनानुसार उचित है बचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—सरकारी नौकरको जिसकी सिपुर्दगीमें कुछ दस्तावेजें थीं, उपरोक्त दस्तावेज़ोंके पेश करनेको कहा गया परन्तु उसने पेश नहीं किया, वरन् उसी प्रकारकी दस्तावेजें इस अभिप्रायसे बनाकर पेशकीं कि जिससे वह दंडसे बचजावे—तजवीज़ हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेजें सरिश्तेके काग़ज़ या लिखतम न थीं जिनके तयार करनेका अपराध लगाया था इसलिये अपराधीको दफ़ा २१८ के अभिप्रायानुसार दंड नहीं होसकता और न उपरोक्त दस्तावेज़ें जाली (कल्पित) प्रमाणित होती हैं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफ़ा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफ़ा ४७१ के भी अभिप्रायानुसार दंड नहीं होसकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा ५५३)

२—जब कोई पोलीसका अफसर असावधानीसे या अनुचित रीतिपर किसी तहक़ीक़ात मौक़ेके मध्ये झूठी रिपोर्ट करे तो उसको दफ़ा २९ ऐक्ट ५ सन् १८६१ ई० के अनुसार दंड होसकता है यदि उसके कामको दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २१८ के अपराधमें लानेके लिये यथोचित प्रमाण न हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा १७)

सरकारी नौकर जो अदालतकी कार्रवाईमें झूठी तौरसे ऐसी आज्ञा दे या ऐसी कैफ़ियत आदि बनावे जिसे वह क़ानूनविरुद्ध जानता हो.

(२१९) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदालतकी कार्रवाई की किसी अवस्थामें कुप्रयोजनसे या ईर्षासे कोई कैफ़ियत तय्यार करे या कोई आज्ञा दे या कोई तजवीज़ या फ़ैसला करे जिसका क़ानूनविरुद्ध होना वह जानता हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआ़द सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अ़दालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) वारंट (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२२०) यदि कोई मनुष्य जो किसी ऐसे ओहदेपर है जिसके अनुसार उसको कानूनानुसार मनुष्योंको तजवीज़ या क़ैदके लिये सिपुर्द करने या क़ैद करनेका अधिकार प्राप्त है उस अधिकारके वर्त्तावमें किसी मनुष्यको कुप्रयोजन या ईर्षासे तजवीज़ या क़ैदके लिये सिपुर्द करे या कैद रक्खे यह जानकर कि ऐसा करनेमें मैं क़ानूनविरुद्ध वर्त्ताव करता हूं तो उसको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

उस अधिकारी मनुष्यकी तजवीज़, मुक़द्दमा या क़ैदके लिये सिपुर्द करना यह जान बूझकर कि मैं क़ानूनविरुद्ध करता हूं.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—एक क़ैदीको जो तजवीज़के लिये भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्ट्रेटने छोड़दिया और सब इन्स्पेक्टरने उसको उसी अपराधके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालान करादिया। डिप्टी मजिस्ट्रेटने दूसरी गिरफ्तारीको क़ानूनविरुद्ध समझा और इसलिये उपरोक्त सब इन्स्पेक्टर पर अनुचित क़ैद (हब्स बेजा) में रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुर्माना किया—तजवीज़ हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटकी आज्ञा बहुत ठीक थी। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफ़ा २६)

(२२१) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौकरी करनेके कारण किसी ऐसे मनुष्यका गिरफ्तार करना या क़ैदमें रखना क़ानूनानुसार अवश्य है जिसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया है या जो किसी अपराधके मध्ये गिरफ़्तार किये जानेके योग्य है उस मनुष्यके गिरफ्तार करनेमें जानबूझकर चूक करे या जानबूझकर उस मनुष्यको उस क़ैदसे भाग जाने दे या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्,—

जिस सरकारी नौकरपर किसीका पकड़ना क़ानूनानुसार अवश्य हो उसकी ओरसे पकड़नेमें जानबूझ कर चूक करना.

दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैद जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा, यदि उस मनुष्यपर जो क़ैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य था जिसके बदलेमें वधका दंड ठहराया गया है या,—

दंड.

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है जुर्मानेके सहित या विना जुर्माने, यदि उस मनुष्यपर जो क़ैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना, उचित था ऐसे अपराधका दोष लगाया गया

हो या ऐसे अपराधके लिये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकालेका दंड या ऐसी क़ैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीआद दश वर्ष-तक हो सकती है, या—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यपर जो क़ैदमें था या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित था ऐसे अपराध का दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह गिरफ्तार किये जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें दश वर्षसे कम मीआदके क़ैदका दंड ठहराया गया है। (देखो दफ़ा ४०)

टीप—(१)अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ी-नामा नहीं होसकता।

१—यदि कोई चौकीदार किसी ज्ञातवातके अपराधीको अपने मौज़ेके बाहर किसी विशेष मनुष्यके कहनेपर गिरफ्तार करनेसे नाहीं करे तो वह हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २२१ के अभिप्रायानुसार (हस्बमंशाय) दंड योग्य नहीं है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ६०)

किसी सरकारी नौकरकी ओरसे जानबूझकर किसी ऐसे मनुष्यकी गिरफ्तारीमें चूक करना कि जिसके मध्ये कोर्टआफ़-जस्टिसने दंडकी आज्ञाकी हो और उस सरकारी नौकरको भी जिसका गिरफ्तार करना क़ानूनानुसार अवश्य हो।

(२२२) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर अपनी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका पकड़ना या क़ैदमें रखना क़ानूनानुसार उचित है, जिसको किसी कोर्ट आफ़जस्टिसने दंडकी आज्ञादी हो या जो क़ानूनानुसार चौक-सीमें रक्खा गया हो उस मनुष्यके पकड़नेमें जान बूझकर चूककरे या उस मनुष्यको जानबूझकर क़ैदसे भाग जाने दे या उस क़ैदसे भाग जाने या भाग जानेके उद्योगमें जानबूझकर उस मनुष्यकी सहायता करे तो उसे नीचे लिखे अनुसार दंड दिया जावेगा, अर्थात्,—

दंड — देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है जुर्माने सहित या विना जुर्मानेके, यदि उस मनुष्यके मध्ये: जो क़ैदमें था या जिसका पकड़ा जाना उचित था वधके दंडकी आज्ञा होचुकी हो; या;—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद जिसकी मीआद सात वर्षतक हो-सकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्मानेके, यदि वह मनुष्य जो क़ैदमें था या जिसका

पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्टआफ़जस्टिसके दंडकी आज्ञा या उस दंडकी आज्ञाके तबादिलेके अनुसार जन्म भरके देश निकाले या कैदकी अवस्थामें जन्म-भरकी दंड सेवा या दश वर्ष अथवा अधिक मीआदके देश निकालेका दंड या कैदकी अवस्थामें दंड सेवा या कैदके योग्य हो; या,—

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैद जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है जुर्मानेसहित या विना जुर्माने या दोनों दंड, यदि वह मनुष्य जो कैदमें थी या जिसका पकड़ा जाना उचित था किसी कोर्टआफ़जस्टिसकी दंड आज्ञाके अनुसार ऐसी कैदके योग्य हो जिसकी मीआद दश वर्षसे कम हो यदि वह मनुष्य कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो। (दफ़ा ४० को देखो) (दफ़ा ८ ऐक्ट नं० २७ सन् १८७० ई० को भी देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) मुक़द्दमेकी छोटाई बड़ाईके अनुसार ज़मानत होसकती है और नहीं भी होसकती (५) राज़ीनामा नहीं होसकता।

सरकारी नौकर असावधानीसे कैदसे भाग जाने दे।

(२२३) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है और जिसपर उसकी सरकारी नौकरी करनेके कारणसे किसी ऐसे मनुष्यका कैदमें रखना कानूनानुसार उचित है जिसपर किसी अपराधका दोष लगाया गया हो या जो किसी अपराधका अपराधी प्रमाणित हुआ हो या जो कानूनानुसार चौकसीमें रक्खा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यको कैदसे भाग जाने दे तो उसको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—वाजिदहुसेन कानूनानुसार पोलीसके सिपुर्द चौकसीमें किया गया अशरफ़ अली को उचित था कि वह उस समयतक वाजिदहुसेनको चौकसीमें रखता जबतक कि वह कानूनानुसार छूट न जाता—इसलिये अशरफ़ अलीको जिसने वाजिदहुसेन को चौकसीमें रखनेकी असावधानी की दफ़ा २२३ के अपराधमें नीतिपूर्वक दंड दिया गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा १२९)

२—दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २२३ का केवल ऐसे मुक़द्दमोंसे सम्बन्ध है जिनमें कि वह मनुष्य जिसको भाग जाने दिया हो चौकसी (हिरासत) में किसी अपराधके मध्ये हो या सिपुर्द किया गया हो न कि उन मुक़द्दमोंसे सम्बंध है जिनमें कि ऐसे मनुष्यकी केवल

गिरफ्तारी दीवानीके हुक्मनामेके अनुसार कीगई हो । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफ़ा १९०)

(२२४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर लगायागया हो या जिसका वह अपराधी प्रमाणित होचुका हो अपने नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें जान बूझकर किसी प्रकारका सामना करे या, क़ानूनविरुद्ध रोक टोककरे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह क़ानूनानुसार बंदी है भाग जाए या भाग जानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे । (देखो दफ़ा ४०)

कोई मनुष्य जो अपनी उचित गिरफ्तारीमें सामना या रोक टोक करे ।

स्पष्टीकरण—इस दफ़ाका दंड उस दंडके अतिरिक्त है जिसका वह मनुष्य जो गिरफ्तार किये जानेको हो या जो चौकसीमें बंदी हो, उस अपराधके बदलेमें दंड योग्य हो, जिसका दोष उसपर लगाया गया या जिसका वह अपराधी प्रमाणितहो ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—एक मनुष्य जब कि उसको मजिस्ट्रेटके सामने इस अभिप्रायसे लिये जाते थे कि उससे नेक चाल चलनकी ज़मानत ली जावे, चौकसीसे भाग गया तजवीज़ हुई कि वह दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २२४ या २२५ के अपराधका अपराधी न था, क्योंकि वह किसी अपराधके मध्ये चौकसीमें न रक्खा गया था । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा ३३१)

२—अपराधी चोरीमें पकड़ा जाकर देहाती मजिस्ट्रेटके सिपुर्द हुआ जिसने उसको देहाती नौकरोंकी चौकसीमें थाने पुलीसको भेज दिया, अपराधी रास्तेमें भाग गया, उसकी तजवीज़ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २२४ के अपराधमें हुई । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफ़ा ४८०)

३—जिस मनुष्यको गांवके चौकीदारने चोर समझकर पकड़ा हो और उसकी हाज़रीकी पोलीसमें आवश्यकता हो और वह उस चौकीदारकी चौकसीसे भाग जावे तो हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २२४ के अपराधका अपराधी नहीं है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा २२)

(२२५) जो कोई मनुष्य, किसी अपराधके मध्ये किसी दूसरे मनुष्यके नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें जानबूझकर किसी प्रकारका सामना करे या क़ानूनविरुद्ध रोक टोक करे या किसी चौकसीसे जिसमें उपरोक्त अपराधके कारण वह मनुष्य क़ानूनानुसार बंदी है छुड़ाले जाए या छुड़ा लेजानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों

किसी दूसरे मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमें सामना या रोक टोक करना.

मेंसे किसी प्रकारके अपराधका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक हो-सकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे; या,—

यदि वह मनुष्य जो पकड़े जानेको हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकड़े जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें देश निकाले, या क़ैदका दंड ठहरा हुआ है जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होया; या—

यदि उस मनुष्यपर जो पकड़े जानेको हो या छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, उसपर ऐसे अपराधका दोष लगाया गया हो या ऐसे अपराधके मध्ये वह पकड़े जानेके योग्य हो जिसके बदलेमें वधका दण्ड ठहरा हुआ है तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा; या,—

यदि वह मनुष्य, जो पकड़े जानेको हो या जो छुड़ाया गया या जिसके छुड़ानेका उद्योग किया गया हो, किसी कोर्टआफ़जस्टिसकी दंडाज्ञा या उस दंडाज्ञा (सज़ाका हुक्म) के तबादिलेके अनुसार देश निकाले या दशवर्ष अथवा इससे अधिक मीआदके देश निकाले या क़ैदकी अवस्थामें सेवादंड या क़ैदके योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा; या,—

यदि वह मनुष्य, जो पकड़े जानेको हो या छुड़ाया गया या जिसके छुडानेका उद्योग किया गया हो उसके मध्ये वधदंडकी आज्ञा होचुकी हो तो उसको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा (दफ़ा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० मक़द्दमेके अनुसार (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है और नहीं भी होसकती, इसका होना न होना मुक़द्दमेकी छोटाई बड़ाईपर निर्भर है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि चौकसी जिससे अपराधी छुड़ा लिया जावे पोलीसकीही चौकसी हो, इतनाहीं प्रमाण

बहुत है कि ऐसी चौकसी हो जो काननानुसार उचित हो इसलिये किसी मनुष्यकी साधारण चौकसीसे छुड़ा लेजाना जिसने चोरको चोरी करनेमें पकड़ा है एक अपराध है । (इंडियन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफ़ा ४४१)

२—इसके पहिले कि जब किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २२५ का अपराध प्रमाणित किया जावे इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि वह मनुष्य, जिसके बचानेका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, बचाए जानेके समय उचित चौकसीमें था । (वीकली रिपोर्टर जिल्द २१ सफ़ा २२)

ऐसी अवस्थामें सरकारी नौकरकी ओरसे पकड़े जानेकी चूक या भाग जाने देना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

(२२५ *) (अ †) जो कोइ मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनी सरकारी नौकरीके ओहदेसे क़ानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी ऐसी अवस्थामें पकड़ने या क़ैदमें रखनेका अधिकारी है, जिसके मध्ये दफ़ा २२१ या दफ़ा २२२ या दफ़ा २२३ या किसी और समयके प्रचलित क़ानूनमें कोई आज्ञा नहीं लिखी तो ऐसे मनुष्यको गिरफ्तार करनेमें चूककरे या उसको क़ैदसे भाग जानेदे तो उसको निम्न लिखित दंड दिया जायगा ।

(क) यदि उपरोक्त नौकर जानबूझकर उस कामको करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(ख) यदि उससे वह काम असावधानीसे होजाए तो उसको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

---

* दफ़ा २४ (१) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो ।

† इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ उन अपराधोंसे सम्बंध रखते हैं जो इस दफ़ाके अनुसार दंड योग्य हैं (दफ़ा १३ ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० को देखो)

(२२५)* (ब)—जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसी अवस्थामें जिसके मध्ये दफ़ा २२४ या दफ़ा २२५ में या किसी और समयके प्रचलित क़ानूनमें कुछ आज्ञा नहीं लिखी अपने या किसी और मनुष्यके नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें सामना या क़ानून विरुद्ध रोक टोक करे या उस चौकसीसे भाग जावे या भाग जानेका उद्योग करे जिसमें वह नीतिपूर्वक बंदी हो या किसी और मनुष्यको छुड़ा ले या छुड़ा लेनेका उद्योग करे जिसमें वह मनुष्य नीति पूर्वक बंदी हो तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

ऐसी अवस्थामें, नीतिपूर्वक पकड़े जानेमें सामना या रोक टोक करना या भागजाना या छुडा लेना जिसके मध्ये और प्रकारकी आज्ञा न हो.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (१) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(२२६) यदि कोई मनुष्य जिसको क़ानूनानुसार देश निकालेका दंड हो-चुका हो वह जब कि अपनी ठहराई हुई मीआद भुगतजानेसे पहिले या अपना दंड माफ़ किये जानेके बिना लौट आवेगा तो उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका दंड दिया जायगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और इस देश निकालेके दंडको वर्त्तावमें लानेसे पहिले कठिन क़ैदके योग्य होगा जिसकी मीआद तीन वर्षसे अधिक न हो।

अनुचित रीतिसे देश निकालेसे लौट आना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं होसकती (४) राज़ीनामा नहीं है।

(२२७) कोई मनुष्य, जिसने दंड माफ़ होनेके लिये कोई नियम स्वीकार किये हों जानबूझकर किसी नियमके विरुद्ध करे जिसपर वह माफ़ी स्वीकार कीगई है तो उसको वही दंड दिया जावेगा जिसकी आज्ञा उसके मध्ये पहले होचुकी हो, यदि उसने उस दंडका कोई भाग भुगता न हो और यदि वह उस दंडका कोई भाग (जुज़) भुगतचुका हो तो उपरोक्त दंडके उतनेही भागका दंड दिया जावेगा जो उसने नहीं भुगता।

दंडकी माफ़ीके नियमोंका तोड़ना.

टीप—(१) वह अदालत जिसने असली अपराधकी तजवीज़की हो (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

---

* दफ़ा २४ (१) ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० को देखो।

(२२८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करे या किसी प्रकारसे किसी नौकर सरकारीका विघ्नकारक (हारिज) हो जब कि वह सरकारी नौकर अदालतकी कार्रवाईकी किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो तो उसको साधारण क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो १०००) रु० तक होसकता है या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

जानबूझकर किसी सरकारी नौकरका अपमान करना या विघ्न डालना जब कि वह अदालतकी किसी कार्रवाई की किसी अवस्थामें इजलास कर रहा हो ।

टीप—(१) वह अदालत जिसमें अपराध किया गया (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने जानबूझकर मुंसिफ देहीको मजिस्ट्रेटी अधिकारकी कार्रवाई करनेमें भला-बुरा कहा, मजिस्ट्रेट दर्जा दोयमने अपराधीपर दफ़ा २२८ का अपराध पोलीसकी रिपोर्टपर क़ायम करके उसपर अपराध प्रमाणित किया—तजवीज़ हुई कि अपराधकी तजवीज़ ठीक थी और दफ़ा ४८० व ४८४ मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारीका देही मुंसिफोंसे सम्बंध नहीं है (इं० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफ़ा १३१)

२—पहिले इसके कि अपराधीपर दफ़ा २२८ का अपराध प्रमाणित कियाजाय, इस बातका प्रमाणित होना आवश्यक है कि अपराधी रंज पहुँचानेका अभिप्राय रखता था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १५ सफ़ा ६२)

३—प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेसे नाहीं करना दंडसंग्रह हिन्दुस्थानकी दफ़ा २२८ के अपराध में न गिना जायगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफ़ा ७)

(२२९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनजानेसे या किसी और प्रकारसे जानबूझकर यह बात कराए या जानबूझकर यह बात होने दे कि उसका नाम उन लोगोंकी फ़िहरिस्तमें लिखा हो जो ज्यूरी बननेकी योग्यता रखते हैं या वह ज्यूरी हो या उससे ज्यूरी या असेसरकी भाँतिपर शपथ लिया जावे किसी ऐसे मुक़द्दमेमें जिसमें वह जानता है कि वह क़ानूनानुसार ऐसी ज्यूरीकी फ़िहरिस्तमें लिखे जाने या ज्यूरी बनाये जाने या शपथ लिये जानेका अधिकारी नहीं है या यह जानकर कि वह क़ानूनविरुद्ध ऐसी ज्यूरीकी फ़िहरिस्तमें लिखा गया या ज्यूरी बनाया गया है या उससे शपथ लीगई है, जानबूझकर ऐसे ज्यूरीमें या ऐसे असेसरका काम दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दियाजावेगा जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

ज्यूरी या असेसर बनना.

(१) प्रे० म० या म० अ० । और सब कार्रवाई दफ़ा २२८ के अनुसार हो सकती है ।

अध्याय बारहवाँ १२.

सिक्कों और गवर्नमेंटके स्टाम्प सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें।

सिक्का.

(२३०)* शुद्ध हुआ दफ़ा १ ऐक्ट ६ सन् १८९६ ई० । सिक्का वह धातु है जो कि मौजूद होनेके समय द्रव्यकी भाँति काममें आवे और किसी सरकार अथवा उस समयके राजाकी आज्ञासे इस प्रकार प्रचलित होनेके अभिप्रायसे मुहर किया गया और जारी किया गया हो।

श्रीमती महारानीका सिक्का वह धातु है जो श्रीमती महारानी या गवर्नमेंट हिंद या किसी प्रेजीडेंसीकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटकी जो श्रीमती महारानीकी राज्यमें हो, आज्ञानुसार द्रव्यकी भाँति प्रचलित होनेके लिये ठप्पा किया और जारी किया गया हो—और वह धातु जो इस प्रकारपर ठप्पा किया और जारी किया गया हो इस अध्यायके अभिप्रायके लिये श्रीमती महारानीका सिक्का ठहरेगा यह संभवित मानकर कि इस कामके लिये उसका प्रचलित होना बंद होगया हो।

उदाहरण।

(क) कौड़ियां सिक्का नहीं हैं।

(ख) बिना ठप्पा किये हुए तांबेके टुकड़े सिक्का नहीं हैं चाहे वह द्रव्यकी भाँति काममें आते हों।

(ग) तमगे सिक्का नहीं हैं क्योंकि वे द्रव्यकी भाँति काम आनेके अभिप्रायसे नहीं बनाये जाते।

(घ) सिक्का जो कम्पनीका रुपया कहलाता है श्रीमती महारानीका सिक्का है।

(च) फर्रुखाबादी रुपया जो गवर्नमेंट हिन्दकी आज्ञानुसार पहले रुपयाकी भांति प्रचलित था श्रीमती महारानीका सिक्का है परंतु अब ऊपर लिखे अनुसार उनका चलन नहीं रहा है।

खोटा सिक्का बनाना.

(२३१) जो कोई मनुष्य खोटा सिक्का बनावेगा, अथवा खोटा सिक्का बनानेके कामोंमेंसे जानबूझकर कोई काम करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

---

* ऐक्ट नं० १९ सन् १८७२ ई० को देखो।

स्पष्टीकरण-वह मनुष्य इस अपराधका अपराधी होगा जो धोखा देनेके अभिप्रायसे या इस जानकारीसे कि उसके द्वारा धोखेका चल जाना सम्भव है किसी असली सिक्केको ऐसा कर दे कि वह किसी और सिक्केके समान जानपड़े ।

टीप—(१) अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं होसकती (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—यदि किसी सिक्केके बदले बाज़ारमें मालमिलना सम्भव हो तो कहाजायगा कि वह सिक्का नक़द है, अकबर बादशाहके समयका सिक्का बनाना दफ़ा २३० व २३१ के अपराधमें न गिना जायगा क्योंकि वह सिक्का सर्व साधारणके काममें नहीं आता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ११ सफ़ा १७२)

(२३२) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम जानबूझकर करेगा तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनाना.

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार है ।

१—इस दफ़ाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके लिये इस अभिप्रायका होना कि जो सिक्का खोटा बनाया गया वह श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आवेगा या यह जानकर कि उस सिक्केका श्रीमती महारानीके सिक्केके समान काममें आनेका सम्भव है, अवश्य है । जानकारी या अभिप्राय उपरोक्त सिक्केके खोटेपन परही निर्भर है, सिवाय उन अवस्थाओंके कि जो भली भांतिसे उसको रद करती हों—परंतु जब कि ऐसी धोखेबाज़ी केवल नुमायश (शोभा) के लिये ही की गई हो और जब कि ऐसा धोखा अनुचित लाभ या हानिके लिये किया गया हो, तो इन दोनों अवस्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो धोखा केवल नुमायशके लिये किया गया हो उसमें अपराध नहीं होसकता । (पंजाब रिकार्ड नं० २६ सन् १८६८ ई०)

(२३३) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औज़ार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमें से कोई कामकरे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें आए या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

खोटा सिक्का बनानेके लिये औज़ार बनाना या बेचना.

टीप—(१) अदालतसेशन या म० अ०—और सब शेष बातें दफ़ा २३१ के अनुसार हैं ।

(२३४) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या औज़ार बनाए या उसकी मरम्मत करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामोंमसे कोई काम करे या उसको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये काममें लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनानेके निमित्त काममें आनेके अभिप्रायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का बनानेके लिये औज़ार बनाना अथवा बेचना.

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार समझो।

(२३५) जो कोई मनुष्य कोई औज़ार या सामान अपने पास रखता हो, इस अभिप्रायसे कि वह खोटा सिक्का बनानेके काममें लाया जावे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका उस प्रयोजनके लिये काममें लाए जानेका अभिप्राय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा— और यदि सिक्का जो खोटा बनाए जानेको है श्रीमती महारानीका सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

औज़ार या सामानको खोटा सिक्का बनानेके अभिप्रायसे अपने पास रखना.

टीप—(१) अदालतसेशन या प्रे० म० या म० अ० यदि सिक्का महारानीका है तो अदालतसेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(२३६) कोई मनुष्य जो ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर हो ब्रिटिश इंडियाकी सीमासे बाहर खोटा सिक्का बनानेमें सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकार दंड दियाजावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश इंडियाकी सीमाके भीतर उस खोटे सिक्केके बनानेमें सहायताकी।

हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दुस्थानके बाहर खोटा सिक्का बनानेके लिये सहायता देना।

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार समझने।

(२३७) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश इंडियाके भीतर लाए या उससे बाहर लेजाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख कर कि वह खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं होसकती (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२३८) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है ब्रिटिश इंडियाके भीतर लाये या उससे बाहर ले जाये, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दियाजावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको भीतर लाना या बाहर लेजाना।

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार समझो ।

(२३९) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोटा सिक्का हो और जिसको उसने अपने अधिकारमें लेते समय खोटा जाना हो उस सिक्केको छलसे या छल किये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह खोटाहै उसे किसी दूसरेके सिपुर्द करना।

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

१—(क) और (ख) दोनों मनुष्योंको साथही दफ़ा २३९ के अपराधमें दण्ड हुवा, (क) ने कहा कि मैंने सिक्का (ख) से पाया है और उपरोक्त सिक्का कुछ मनुष्योंको (ख) के ही कहनेसे दिया—तजवीज़ हुई कि (क) के बयानोंका (ख) से सम्बंध है जब वह अपराधी मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकही मामलेसे हों करें तो एक मनुष्यका बयान दूसरे मनुष्यके मुक़ाबिले काममें आसकता है चाहे उससे वह स्वयंही फँसता हो और उससे उसके मध्ये दूसरा अपराध क़ायम होता हो (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ८ सफ़ा २२३)

२—दफ़ा २३९ का सिक्का बनाने वालेसे सम्बंध नहीं है बरन दूसरे मनुष्यसे सम्बंध है, जो कोई खोटा सिक्का लेकर या प्राप्त करके किसीको सिपुर्द करे । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफ़ा १५०)

(२४०) कोई मनुष्य जिसके पास कोई ऐसा खोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है और जिसको उसने अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का जाना हो उस सिक्केको छलसे या छलके किये जानेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह श्रीमती महारानीका खोटा सिक्का है. उसे किसी औरके सिपुर्द करना.

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४१) जो कोई मनुष्य कोई खोटा सिक्का जिसको वह खोटा जानता हो, परन्तु उसको अधिकारमें लेते समय खोटा न जाना हो, खरे सिक्केके समान किसी दूसरे मनुष्यको देवे या उसके देनेका उद्योग करे या उसको उसके लेनेके लिये फुसलावे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा या उस जुर्मानेका दंड जो उस खोटे सिक्केसे दश गुणेतक हो दियाजायगा या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

खरे सिक्काकी भांति देना किसी मनुष्यको कोई ऐसा सिक्का जिसको देने वालेने अपने पास आनेके समय खोटा न जाना हो.

उदाहरण ।

शिवशंकर किसी सराफ़ने कम्पनीके खोटे रुपये अपने साझी रमाशंकरको चलानेके लिये दिये और रमाशंकरने वे रुपये उमाशंकरको बेचे और उमाशंकरने यह जानबूझकर कि ये खोटे हैं मोल ले लिये फिर उमाशंकरने वे रुपये हरशंकरको जिन्सके बदले दिये और हरशंकरने खोटे न जानकर ले लिये और लेलेनेसे पीछे हरशंकरने जान लिया कि ये रुपये खोटे हैं परंतु फिर भी खरेकी भांति कहीं चला दिये तो यहां हरशंकर इसी दफ़ाके अनुसार दण्ड योग्य होगा परंतु रमाशंकर और उमाशंकर दफ़ा २६१ या २४० के अनुसार जैसी अवस्था होगी दंड पावेंगे ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीके पास एक खोटा सिक्का था उसने वह सिक्का अपने दोस्तको इस अभिप्रायसे दिया कि पोलीसको वह सिक्का अपराधीके अधिकारमें न मिलसके—तजवीज़ हुई कि क़ैदीने कोई अपराध नहीं किया था क्योंकि उसने वह सिक्का खरे सिक्केके समान नहीं दिया था और हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २४१ का अपराध केवल उसी अवस्थामें उत्पन्न होता है कि जब कोई खोटा सिक्का खरे सिक्काके समान दिया जावे । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ४ सफ़ा ६२)

(२४२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे, खोटा सिक्का अपने पास रखता हो और उसको उस सिक्केके लेते समय यह जानकारी थी कि वह खोटा सिक्का है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा.

उस मनुष्यका खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसको लेते समय खोटा जाना हो.

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार है ।

(२४३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे कोई खोटा सिक्का अपने पास रखता हो जो श्रीमती महारानी का खोटा सिक्काहो और उसको लेते समय यह जानकारी थी कि वह सिक्का खोटा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके खोटे सिक्केको अपने पास रखना जिसने उसको लेते समय खोटा जाना हो.

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार है ।

(२४४) जो कोई मनुष्य किसी टकसालमें जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर नियतकी गई है नौकर हो, और वह मनुष्य कोई कामकरे या किसी ऐसे काममें चूककरे जिसका करना उसपर क़ानूनानुसार अवश्य है इस अभिप्रायसे कि कोई सिक्का जो उस टकसालसे निकले उस तौल या ढंगसे जो क़ानूनानुसार ठहरा हुआ है दूसरी तौल या ढंगका हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जो मनुष्य टकसालमें नौकर होकर कोई सिक्का क़ानूनानुसार ठहराई तौल या धातुसे दूसरी तौल या ढंगका बनावे.

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४५) जो कोई मनुष्य किसी टकसालसे जो ब्रिटिश इंडियामें उचित रीतिपर नियतकी गई हो, सिक्का बनानेका कोई औज़ार या सामान बिना उचित अधिकारके निकाल लेजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

अनुचित रीतिसे किसी टकसालसे सिक्का बनानेका कोई औज़ार ले जाना.

टीप—दफ़ा २३१ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४६) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम हो जावे या उस सिक्केका ढंग बदलजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारों-मेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

छल या बददियानतीसे किसी सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढंग बदलना.

स्पष्टीकरण—जो मनुष्य किसी सिक्केमेंसे खोदकर कोई भाग निकालले और गढ़ेमें कोई और वस्तु रख दे तो उसने उस सिक्केके ढंगको बदल दिया ।

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४७) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्केपर छल या बददियानतीसे कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी तौल कम हो जावे या उसका ढंग बदल जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

छल या बददियानतीसे श्रीमती महारानीके सिक्केकी तौल घटाना या उसका ढंग बदलना.

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

(२४८) जो कोई मनुष्य किसी सिक्केपर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाए, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भांतिसे चलजाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

किसी सिक्केकी सूरतको इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चलजाय ।

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२४९) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके किसी सिक्के पर कोई ऐसा वर्त्ताव करे जिससे उस सिक्केकी सूरत बदल जाय, इस अभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का किसी और प्रकारके सिक्केकी भाँतिसे चल जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

श्रीमती महारानीके सिक्केकी सूरत को इस अभिप्रायसे बदलना कि वह किसी और प्रकारके सिक्केकी भांति चल जाय ।

टीप—दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५०) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये दफ़ा २४६ या २४८ में बयान किया हुआ अपराध होचुका है और जिस समय वह सिक्का उसके पास आया उस समय यह जानबूझकर कि वही अपराध उसके मध्ये होचुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए किसी दूसरे मनुष्यके सिपुर्द करे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय जिस सिक्केके मध्ये जाना गया हो कि यह बदला हुवा है. उसे किसी और के सिपुर्द करना.

टीप--दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

(२५१) कोई मनुष्य जिसके पास ऐसा सिक्का हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफ़ा २४७ या २४९ में किया गया है और जिसने उस सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उस सिक्केके मध्ये उपरोक्त अपराध हो-चुका है उस सिक्केको छलसे या इस अभिप्रायसे कि छलका काम किया जाय किसी दूसरे मनुष्यको देदेवे या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ले लेनेके लिये फुसलानेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

अधिकारमें लेते समय श्रीमती महारानीके जिस सिक्केको जाना गया हो कि यह बदला हुवा है उसे किसी औरके सिपुर्द करना.

टीप---दफ़ा २३७ के अनुसार समझो ।

(२५२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे, कोई ऐसा सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफ़ा २४६ या २४८ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

उस मनुष्यका बदले हुए सिक्केको पास रखना जिसने उस अधिकारमें लेते समय जाना हो कि यह बदला हुवा है.

टीप---दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

उस मनुष्यका श्रीमती महारानीके सिक्केको पास रखना जिसने उसको अधिकारमें लेते समय बदला हुआ जाना हो.

(२५३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि छल किया जाए, कोई सिक्का अपने पास रखता हो जिसके मध्ये वह अपराध होचुका है जिसका बयान दफ़ा २४७ या २४९ में किया गया है और उसने उपरोक्त सिक्केको अधिकारमें लेते समय जान लिया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध होचुका है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांच वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप--दफ़ा २३७ के अनुसार जानो ।

ऐसे सिक्केको खरे सिक्केकी भांति किसी औरको देना जिसको देनेवालेने पहिले अधिकारमें लेते समय बदला हुवा न जानाहो.

(२५४) जो कोई मनुष्य कोई सिक्का जिसके मध्ये वह जानता है कि कोई ऐसा वर्त्ताव, जिसका बयान दफ़ा २४६ या २४७ या २४८ या २४९ में हुवा है, हो चुका है परंतु जिसके मध्ये अपने अधिकारमें लाते समय वह नहीं जानता था कि वह वर्त्ताव हो चुका है खरे सिक्केकी भांतिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भांति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको इस बातके फुसलानेका उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिक्केको खरे सिक्केकी भांतिसे या जिसप्रकारका वह है उससे दूसरे प्रकारके सिक्केकी भातिसे अपने अधिकारमें ले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो उस बदले हुए अथवा बदलनेका उद्योग किये हुए सिक्केके मोलके दशगुनेतकहो सकेगा किया जायगा ।

टीप—दफ़ा २४१ के अनुसार जानो ।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनाना.

(२५५) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे स्टाम्पको जिसको गवर्नमेंटने अपनी आमदनीके निमित्त चलाया हो खोटा बनावेगा या जानबूझकर खोटा बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करे गा तो उसको जन्मभरके देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला कहलावेगा जो एक प्रकारके सच्चे स्टाम्पको और प्रकारके सच्चे स्टाम्पकी सूरतका कर देनेसे खोटा करे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२५६) जो कोई मनुष्य कोई औज़ार या सामान इस अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता हो कि वह किसी ऐसे खोटे स्टाम्पके काममें आवे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो कि यह किसी ऐसे खोटे स्टाम्प बनानेके काम आनेके अभिप्रायसे है, जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बनानेके अभिप्रायसे कोई औज़ार या सामान पास रखना.

टीप—दफ़ा २५५ के अनुसार है ।

(२५७) जो कोई मनुष्य कोई औज़ार बनाए या उसके बनानेके कामोंमेंसे कोई काम करे या उस औज़ारको मोलले या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे इस अभिप्रायसे कि वह किसी खोटे स्टाम्पके बनानेमें काम आवे या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रख कर कि यह ऐसा खोटा स्टाम्प बनानेमें काम आनेके अभिप्राय से है जो गवर्नमेंट की ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंट स्टाम्पको खोटा करनेके अभिप्रायसे औज़ारका बनाना या बेचना.

टीप—दफ़ा २५५ के अनुसार है ।

(२५८) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प बेचे या बेचनेके वास्ते रक्खे यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

गवर्नमेंटका खोटा स्टाम्प बेचना.

टीप—दफ़ा २५५ के अनुसार है ।

(२५९) जो कोई मनुष्य कोई स्टाम्प जिसको वह जानता हो कि किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठ बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है अपने पास रखता हो इस अभिप्रायसे कि उस स्टाम्पको सच्चे स्टाम्पकी भाँतिसे काममें

गवर्नमेंटके खोटे स्टाम्पको पास रखना.

लाए या अपने अधिकारसे अलग करे या इस अभिप्रायसे कि वह असली स्टाम्पकी भाँतिसे काममें लाया जाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

सच्चे स्टाम्पकी भाँति काममें लाना गवर्नमेंटके किसी स्टाम्पका जो जान लिया हो कि झूँठा है.

(२६०) जो कोई मनुष्य सच्चे स्टाम्पकी भाँतिसे कोई स्टाम्प काममें लाए यह जान कर कि वह स्टाम्प किसी ऐसे स्टाम्पसे झूठा बनाया गया है जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये ज़ारी किया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जाँयगे।

टीप—दफ़ा २५९ के अनुसार है।

गवर्नमेंटको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे किसी वस्तुसे किसी लेखका मिटाना जिसपर गवर्नमेंटका कोई स्टाम्प लगा हो या दूर करना किसी दस्तावेज़से वह स्टाम्प जो उसके लिये काममें लाया गया है.

(२६१) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए किसी वस्तुसे जिसपर कोई ऐसा स्टाम्प लगा हो जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई लेख या दस्तावेज़ दूर करे या मिटा डाले जिसके लिये वह स्टाम्प काममें लाया गया था या किसी लेख या दस्तावेज़से कोई स्टाम्प जो इस लेख या दस्तावेज़के लिये काममें लाया गया हो इस अभिप्रायसे दूर करे कि वह स्टाम्प किसी और लेख या दस्तावेज़ के लिये काममें लाया जाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २५९ क अनुसार है।

काममें लाए हुए गवर्नमेंट स्टाम्पको जानबूझकर काममें लाना.

(२६२) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंट की हानि कराए, कोई स्टाम्प जो गवर्नमेंटसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया हो किसी प्रयोजनसे काममें लाए यह जानकर कि वह पहले काममें आचुका है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

उस चिह्नको छीलना जिससे यह प्रगट होता है कि स्टाम्प काममें आ चुका है.

(२६३) जो कोई मनुष्य छलसे या इस अभिप्रायसे कि गवर्नमेंटकी हानि कराए किसी स्टाम्पपरसे जो गवर्नमेंटकी ओरसे सरकारी आमदनीके लिये जारी किया गया है कोई ऐसा चिह्न छील डाले या दूर करे जो इस बातके प्रगट करनेके लिये उस स्टाम्पपर लगाया गया या छापा गया हो कि वह स्टाम्प काममें आचुका है या ऐसा स्टाम्प कि जिसको वह जानता हो कि काममें आचुका है और जिसपरसे वह चिह्न छीला गया या दूर किया गया हो जानबूझकर अपने पास रक्खे या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जाँयगे ।

टीप—दफ़ा २५९ के अनुसार समझना चाहिये ।

(२६३) (अ) बढ़ाया गया दफ़ा २ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार

जाली स्टाम्पकी मनाही.

(१) जो कोई मनुष्य (अ) कोई जाली स्टाम्प बनाए या जानबूझकर चलाए या उसका कारबार करे या बेचे या जानबूझकर कोई जाली स्टाम्प किसी डाक संबन्धी अभिप्रायसे काममें लाए या—

(ब) विना उचित उज्रके कोई जाली स्टाम्प अपने अधिकारमें रक्खे या,—

(ज) कोई ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औज़ार या सामान जाली स्टाम्प तैयार करनेके लिये बनाए, या विना उचित उज्रके अपने अधिकारमें रक्खे उसको जुर्मानेका दंड दिया जायगा जो दोसौ रुपयेतक होसकता है ।

(२) उचित है कि ऐसा स्टाम्प या ठप्पा या धातुकी खोदी हुई तख्ती या औज़ार या सामान जो किसी मनुष्य के अधिकारमें किसी जाली स्टाम्पकी तैयारीके अभिप्रायसे पाया जावे वह गिरफ्तार कर लिया जाए और वह सामान आदि ज़ब्त कर लिया जाए ।

(३) इस दफ़ामें शब्द "जालीस्टाम्प" से प्रत्येक ऐसे स्टाम्पका अभिप्राय है जिससे यह ग़लत बात प्रगट होती हो कि उसको गवर्नमेंटने महसूल डाकके कोई नियम प्रगट करनेके अभिप्रायसे जारी किया है या ऐसे स्टाम्पकी कोई नक़ल या सूरत शकलसे अभिप्राय है जिसे गवर्नमेंटने ऊपरके अभिप्रायसे जारी किया हो चाहे वह काग़ज़ पर हो चाहे और भांति पर—

(४) " गवर्नमेंट " के शब्दमें इस दफ़ा में और इसके अतिरिक्त दफ़ा २२५ से लेकर दफ़ा २६३ में दोनों दफ़ा मिलाकर, जब कि उसे किसी ऐसे सम्बंधी स्टाम्पके साथ काममें लाया जावे जो किसी डाक सम्बंधी नियमके प्रगट करनेके लिये जारी किया गया हो, विना लिहाज़ किसी मज़मून दफ़ा ७ में लिखे हुएके वह मनुष्य या वे मनुष्य दाख़िल समझे जावेंगे जो क़ानूनकारक गवर्नमेंटका प्रबंध करनेके लिये हिन्दुस्थानके किसी भागमें और श्रीमती महारानीके राज्यके किसी भागमें या किसी दूसरे देशमें नीतिपूर्वक अधिकारी हों।

टीप—दफ़ा २६२ के अनुसार है।

अध्याय तेरहवाँ १३.

नाप तौल सम्बंधी अपराधोंके विषयमें.

तौलनेके झूठे औज़ारको छलछिद्रसे काममें लाना।

(२६४) जो कोई मनुष्य तौलनेके किसी औज़ारको जिसे वह झूठा जानता हो छलसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(१) तौलके झूठे औजारोंको छलसे काममें लानेका अपराध अपराधीकी बदनियतीपर निर्भर है इसलिये जब मुक़द्दमेमें ऐसी नियतके मध्ये कोई गवाही न थी तो हाईकोर्टसे जुर्मानेकी वापसीकी आज्ञा हुई। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफ़ा ६०)

झूठे बाट या पैमानेको छलसे काममें लाना।

(२६५) जो कोई मनुष्य किसी झूठे बाटको या तौल या लम्बाई नापनेके झूठे पैमानेको छलसे काममें लाए या किसी बाट या तौल या लम्बाई नापनेके किसी पैमानेको किसी और बाट या पैमानेकी भाँतिसे जो उससे दूसरा हो छलसे काममें लाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २६४ के अनुसार जानो।

(२६६) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औज़ार या कोई बाट या तौल या लम्बाई जाँचनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो अपने पास रखता हो और उसका यह अभिप्राय हो कि वह छलसे काममें लाया जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे।

झूठे बाटों या पैमानों-का अपने पास रखना।

टीप—दफ़ा २६४ के अनुसार समझो।

१—नियत किये हुए नाप तौलसे बढ़कर नाप तौलको अपने पास रखनाही कोई अपराध नहीं है, अपराधीके छल छिद्रके अभिप्रायको प्रमाणित करना चाहिये। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १८१)

(२६७) जो कोई मनुष्य तौलनेका कोई औज़ार या कोई बाट या तौल या लम्बाई नापनेका कोई पैमाना जिसे वह झूठा जानता हो इस अभिप्रायसे बनाए या बेचे या अपने अधिकारसे अलग करे कि वह सच्चेके भाँतिसे काममें लाया जावे या यह जानकर कि सच्चेकी भाँतिसे उसका काममें लाया जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

झूठे बाट या पैमाने बनाना या बेचना।

(टीप)—दफ़ा २६४ के अनुसार समझो।

अध्याय चौदहवा १४.



सब सम्बंधी आरोग्यता और कुशलता और सुगमता और सुलज्जिता और सज्जनता और सुशीलतामें विघ्न डालनेवाले अपराधोंके विषयमें।

(२६८) वह मनुष्य सब साधारण मनुष्यको कष्ट देनेका अपराधी होगा। जो कोई ऐसा काम करे या किसी ऐसी अनुचित चूकका अपराधी हो जो सर्व साधारणको या मुख्यकर उन मनुष्योंको जो उसके आस पास समीप में रहते या किसी धरती अथवा घरपर अधिकार रखते हों

सर्व सम्बंधी कष्टके कारणका काम।

कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुँचाए या जो उन मनुष्योंको जिन्हें किसी सर्व साधारण अधिकारके काममें लानेकी आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हानि या विपत्ति या क्लेश पहुँचाए या रोक टोक करे ।

कोई काम सर्व साधारणके कष्टका कारण इससे क्षमाके योग्य न होगा कि, उससे कुछ आराम या लाभ देख पड़ता हो ।

१—कुछ मनुष्य कि जिन्होंने बांसका बांध एक घटने बढ़नेवाली नदीके आरपार बांधा था उस नदीसे नावें भी जाती थीं, यद्यपि उन्होंने ऐसे बांधमें एक तंग रास्ता नावोंके आने जानेके लिये छोड़ दिया था जो नावके आनेके समयके सिवाय बंद रहता था—सब डवीज़नल अफ्सरकी दरख्वास्तसे उसपर दफ़ा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानका अपराध लगाया गया—तजवीज़ हुई कि—यह बात संदेहकी है कि दफ़ा २८३ का मुक़द्दमेसे सम्बंध है परंतु उन्होंने दफ़ा २६८ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अपराध किया और वह दफ़ा २९० के अनुसार दण्ड योग्य हैं । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफ़ा ६५६)

२—एक गांवके कुछ मुसलमानोंने मुहर्रमके दिनोंमें उस धरतीपर जो गांवके समीप थी एक पिंडल क़ायम की और भी वहांपर मज़हबी चिह्न अर्थात् एक बट रक्खी, साहब मजिस्ट्रेटने हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह की दफ़ा २९० का अपराध उनपर लगाकर यह बात प्रमाणितकी कि उनका यह काम उस गांवके सर्व साधारण हिन्दुओंके दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे कि जिनके मंदिर उस धरतीके निकटही थे किया गया है तजवीज़ हुई कि अपराधकी तजवीज़ अयोग्य थी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा ५९०)

३—जो मनुष्य जानबूझकर चौपायेको किसी सर्व साधारण मार्गमें इस प्रकारसे काटे कि मार्ग चलनेवालोंको काटना सुनाई और दिखाई दे वह मनुष्य दफ़ा २९० हिन्दुस्थानके दंडसंग्रह का अपराधी होगा परंतु जब कि कुछ मुसलमानोंने मज़हबी वर्त्तावके अभिप्रायसे दो गायोंको सूर्योदयसे पहिले किसी विशेष घरमें जो सर्व साधारण मार्गसे कुछ २ दिखाई देता था, काटा और दो गायोंमेंसे एकका काटा जाना केवल एक हिंदूने देखा—तजवीज़ हुई कि ऐसा काम किया जाना सर्व साधारणको कष्ट पहुँचानेकी सीमातक नहीं पहुँचता जैसा कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २६८ में कहा गया है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफ़ा ४४)

४—एक अपराधीने अपने बरामदेमें गोश्त जो महमानोंके लिये पकनेवाला था उसको उन मनुष्योंकी दिखावटमें जो सड़कके ऊपरसे जा रहे थे जिनमें कुछ जैनी थे जिनका मंदिर समीपही था कटवाया—तजवीज़ हुई कि कोई अपराध उस मनुष्यपर प्रमाणित नहीं होता । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफ़ा ४३७)

५—जब किसी नदी या खाड़ीमें कि जहांसे नाव या जहाज़का आना जाना होता है किसी रोक टोकके मध्ये किसीपर कोई अपराध लगाया जावे तो उसमें ऐसी गवाहीके होनेकी आवश्यकता है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि वहांसे नाव या जहाज़के आने जानेमें कोई रोक या किसी

मनुष्यके आने जानेमें किसी प्रकारकी हानि या क्लेश पहुँचता है। बिना इस बातके प्रमाणित हुए दफ़ा २६८ का अपराध किसीपर क़ायम नहीं होसकता। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ६६५)

असावधानीसे वह काम करना जिससे किसी घातक रोगका फैलना अतिसंभवित हो.

(२६९) जो कोई मनुष्य क़ानूनविरुद्ध या असावधानीसे कोई ऐसा काम करे कि जिसको वह जानता है अथवा जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना संभवित है कि जिससे प्राणोंको हानि पहुँच सकती है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है, या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) मै० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—(क) यह जानकर कि मुझे हैज़ा हुआ है एक रेलगाड़ीके दर्जेमें बैठ गया और अपनी बीमारीकी दशाकी सूचना रेलवे कम्पनीके नौकरोंसे न की–(म) ने (क) की दशा जानकर (क) का टिकट मोल लिया और वह (क) के साथ रवाना हुआ—तजवीज़ हुई कि (क) को दफ़ा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्ड दिया जाना उचित हुवा क्योंकि वह जानता था कि इस बीमारीसे घातक बीमारीके फैलनेका भय है और (म) को अपराधमें सहायता करनेके अपराधमें दण्ड दिया जाना उचित हुवा (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा २७६)

२—कोई रंडी, जब कि उसे गर्मीका रोग हो गया हो और उसीके द्वारा उपरोक्त रोग उस मनुष्यको हो जावे जिसने उसके साथ प्रसंग किया है, दफ़ा २६९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार दण्डके योग्य नहीं हो सकती परंतु उसपर धोखा देनेकी नालिश दफ़ा ४१७ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहके अनुसार होसकती है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफ़ा ५९)

दुर्भावसे उस कामका करना कि जिससे किसी घातक रोगका फैलना अति संभवित हो।

(२७०) जो कोई मनुष्य दुर्भावसे ऐसा काम करे जो ऐसा है और जिसको वह जानता है या जिसके मध्ये वह निश्चय करनेका कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे रोगका फैलना सम्भवित है जिससे प्राणोंको हानि पहुँचे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि दो वर्षतक होसकती है—या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २६९ के अनुसार समझनी।

(२७१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी ऐसे क़ायदेकी आज्ञाको भंग करे जो हिन्दुस्थानकी गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंटने किसी जहाज़को कारन्टाइनकी अवस्थामें रखनेके लिये या उन जहाज़ोंके बीचमें आने जानेके प्रबंधके लिये कि जो कारन्टाइनकी अवस्थामें है और नदी अथवा समुद्रके किनारे अथवा और जहाज़ोंके या ऐसे स्थानोंमें आनेजानेके प्रबंधके लिये कि जहां कोई छूनेसे फैलनेवाला रोग फैला हुआ है और २ स्थानोंमें जारी और प्रसिद्ध किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी कारन्टाइनका आज्ञाको न मानना.

(ऐक्ट नं० १ सन् १८७० ई० को देखो)

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(२७२) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके किसी पदार्थमें इस प्रकारसे मिलावट करे कि वह पदार्थ खाने या पीनेमें हानिकारक होजाए, इस अभिप्रायसे कि उस पदार्थको खाने या पीनेके पदार्थकी भाँति बेचे या इस जानकारीसे कि खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे उस पदार्थका बिकजाना सम्भावित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद १०००) एक हज़ार रुपयेतक होसकती है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी बेचनेवाले खाने पीनेके पदार्थमें मिलावट करना.

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है।

(अदालतको अधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पातेही दफ़ा २७२ या २७३ या २७४ या २७५ के अनुसार यह आज्ञा दे कि वह पदार्थ या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुवा है नष्ट कर दिया जावे। (ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ५२१ को देखो।)

(२७३) जो कोई मनुष्य खाने या पीनेके पदार्थकी भाँतिसे किसी ऐसे पदार्थको बेचे या बेचनेके निमित्त बाहर रक्खे या बेचनेके लिये निकाले जो हानिकारक बना दिया गया हो या ऐसी अवस्थामें हो कि खाने या पीनेके योग्य न हो, यह जानकर या इस कामके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उपरोक्त पदार्थ खाने या पीनेके लिये हानिकारक है तो

खाने या पीनेके हानिकारक पदार्थको बेचना.

उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हज़ार रुपयेतक होसकती है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप–दफ़ा २७१ के अनुसार जाननी ।

१—अपराधीने कुछ आटा फ़ी रुपया सत्रह सेरके भावसे बेचा, यद्यपि अच्छे आटेका भाव पन्द्रह सेर था—डाक्टरने बयान किया कि वह आटा पुराना और रेग मिला हुवा था और यदि खाया जाता तो रोग होनेका भय था—अपराधीने आटा लेनेवालेसे आटा बेचनेके समय कह दिया था कि वह आटा बुरा होनेके कारण सस्ता बेचा गया था तजवीज़ हुई कि इस अपराधमें फ़ा २७३ दंडसंग्रहहिन्दके अनुसार दण्ड देना अनुचित हुआ । (पंजाब रिकार्ड नं० १५ सन् १८७३ ई०)

(२७४) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या विना बनी हुई ओषधिमें इस प्रकारसे मिलावट करे कि उसके द्वारा उस बनी हुई या विना बनी हुई ओषधिका गुण कम करदे या उसका अमल बदल दे या उसको हानिकारक बना दे, इस अभिप्रायसे या इस बातके होनेका सम्भव जानकर कि वह किसी रोगमें देनेके लिये इस प्रकारसे बिक जावे या काममें आवे कि मानों उसमें मिलावट नहीं हुई तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद एक हज़ार रुपये तक होसकती है, या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

ओषधियोंमें मिलावट करना.

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है ।

(२७५) जो कोई मनुष्य यह जानकर कि किसी बनी हुई या विना बनी ओषधिमें इस प्रकारपर मिलावट कीगई है कि उसके कारणसे उसका गुण कम होगया या अमल बदल गया या वह हानिकारक बना दीगई है, उसको बेंचे या बेंचनेके लिये सामने रक्खे या बेंचनेके लिये निकाले या औषधालय (दवाखाना) से रोगके ऊपर देनेके लिये ऐसी ओषधिकी भाँतिसे जिसमें मिलावट नहीं कीगई, बांटे; या किसी मनुष्यसे जो उस मिलावटसे जानकार न हो रोगके ऊपर उसका वर्त्ताव करावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

मिलावट कीहुई ओषधियोंको बेचना.

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है ।

(अदालतोंको अधिकार है कि दफ़ा २७२, २७३, २७४, २७५, के अपराधका प्रमाण पातेही यह आज्ञा दें कि वह सामान या दूसरा पदार्थ जिसके मध्ये वह अपराध हुआ, नष्टकर दिया जावे। (ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ५२१ को देखो)

किसी ओषधिको किसी बनी हुई या विना बिनी ओषधिकी भांतिसे बेचना.

(२७६) जो कोई मनुष्य किसी बनी हुई या विना बनी हुई ओषधिको किसी और बनी हुई या विना बनी हुई ओषधिकी भाँतिसे जानबूझकर बेचे या बेचनेके लिये सामने रक्खे या बेचनेके लिये निकाले या औषधालयसे रोगके ऊपर देनेके लिये बांटे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारामसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हजार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है।

किसी सर्वसम्बन्धी कुआँ या कुंड इत्यादिके पानीको बिगाडना.

(२७७) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बन्धी कुआँ, नदी अथवा कुण्डके पानी को जानबूझकर खराब या गदला करे इसमकारपर कि उसको ऐसा करदे कि जिस अभिप्रायके लिये वह काममें आता है जैसा था वैसा उसके योग्य न रहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है या जुर्मानेका दंड जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३ अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—शब्द कुआं, नदी अथवा कुंड दफ़ा २७७ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानमें सर्व सम्बंधी नदी न गिनी जायगी, इसलिये मछलियें पकड़नेके अभिप्रायसे डालियोंका नदीमें डालना इस दफ़ाके अनुसार अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफ़ा ३८३)

२—शब्द "सर्व सम्बंधी कुंड" में सदैव बहनेवाली पानीकी धार जो किसी नदीमें बहती हो न गिनी जायगी (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा २२९)

हवाको आरोग्यताके लिये हानिकारक करदेना.

(२७८) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको जानबूझकर बिगाड़ दे इस प्रकारपर कि वह उन मनुष्योंकी आरोग्यताके लिये हानिकारक हो जो विशेषकर उस स्थानके आसपास रहते या कारोबार करते हों या किसी सर्वसम्बन्धी मार्गसे होकर आवाजाही रखते हों तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जो पांचसौ रुपयेतक हो सकता है।

टीप—दफ़ा २७७ के अनुसार है।

(२७९) जो कोई मनुष्य किसी सर्व सम्बंधी मार्गमें ऐसी लापरवाही अथवा असावधानीसे कोई गाड़ी चलावे या सवार होकर निकले कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो अथवा किसी दूसरे मनुष्यको चोट या हानि पहुँचना अति सम्भवित हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी सर्व सम्बंधी मार्गमें लापरवाहीसे गाड़ी चलाना या सवार होकर निकलना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है । (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—यदि लापरवाहीसे गाड़ी हांकनेमें वह गाड़ी किसी दूसरी गाड़ीसे भिड़ जावे और उस दूसरी गाड़ीको हानि पहुँचे तो गाड़ी हांकनेवाला न कि उसका मालिक दफ़ा २७९ दण्डसंग्रह हिन्दुस्थानके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द १४ सफ़ा ३२)

(२८०) जो कोई मनुष्य किसी नाव या जहाज़को इस प्रकार पर लापरवाही या असावधानीसे चलाए कि उससे मनुष्यके प्राणकी हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट या हानि पहुँचना अति सम्भवित हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

लापरवाहीसे नाव या जहाज़को चलाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२८१) जो कोई मनुष्य कोई झूठा प्रकाश (रोशनी) या झूठा चिह्न या पानी पर तैरनेवाला चिह्न दिखलाए, इस अभिप्रायसे या इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस दिखानेके कारणसे किसी चलाने वालेको मार्ग भुला दे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है या जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

झूठी रोशनी या झूठा चिह्न या पानी पर तैरने वाला चिह्न दिखाना.

टीप—(१) सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ीकर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(२८२) जो कोई मनुष्य पानीके मार्गसे किसी मनुष्यको किसी नावमें जब कि वह नाव ऐसी अवस्थामें हो या इतनी लदी हो कि उसमें उस मनुष्यके प्राणोंका भय हो, जानबूझकर या असावधानी करके भाड़ेपर लेजावे या लिवा लेजावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

पानीके मार्ग पहुँचाना किसी मनुष्यका भाड़ेके लिये किसी ऐसी नावसे जो अति बोझित या जोखिम की हो.

टीप—दफ़ा २८० के अनुसार है।

१—कुछ मनुष्योंको अपराधी एक नदीसे नावपर पार उतारता था नाव बोझिल होनेके कारण बैठ गई कि जिससे वह मनुष्य डूब गये—तजवीज़ हुई कि अपराधीके मध्ये ज्ञातवत् घातके अपराधका प्रमाण जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुँचे नहीं होसकता था, क्योंकि यह बात प्रगट नहीं होती थी कि उसने कोई काम यह जानकर किया था कि इस कामसे दफ़ा २९९ हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावको भाड़ेपर ले जानेके लिये दफ़ा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य होसकता है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफ़ा ३)

२—जो मल्लाह टूटी नाव किरायेपर चलावे और उससे मुसाफ़िरोंको अपने प्राणोंका अंदेशा हो तो उस मल्लाहपर दफ़ा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न कि अपराध दफ़ा ३३६ का। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १३७)

(२८३) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी मालके मध्ये जो उसके अधिकार या प्रबन्धमें हो, चौकसीमें चूक करनेसे किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गपर किसी मनुष्यको हानि या रोकटोक पहुँचाए तो उस मनुष्यको जुर्मानेका दंड दिया जावेगा जिसकी तादाद दोसौ रुपयेतक होसकती है।

जोखिम अथवा रोक डालना किसी सर्व सम्बन्धी मार्ग अथवा नावके मार्गमें.

टीप—दफ़ा २८० के अनुसार है।

१—किसी शहरके मार्गके निकट मछलीका जाल फैलाना दफ़ा २८३ दंडसंग्रह हिन्दुस्थानके अभिप्रायानुसार अपराध नहीं जबतक कि यह न प्रमाणित किया जावे कि इस कामसे किसी विशेष मनुष्य या समूहको रोक पहुँचाई गई। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा २३५)

(२८४) जो कोई मनुष्य किसी विषैले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणको हानि हो या किसी और मनुष्यको चोट पहुँचनेका सम्भव हो या किसी विषैले पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानीसे ऐसी

किसी विषैले पदार्थके मध्ये असावधानी करना.

चौकसीमें चूककरे जो उस अंदेशेके मिटानेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस विषैले पदार्थसे है काफ़ी हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७५ के अनुसार है।

अग्नि अथवा जलनेवाली वस्तुके मध्ये असावधानी करना.

(२८५) जो कोई मनुष्य आग या किसी जलनेवाले पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी और मनुष्यको दुःख पहुँचना सम्भवित हो या किसी आग या किसी जलनेवाले पदार्थके मध्ये जो उसके निकट हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस दुःखके दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस आग या जलनेवाले पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दंड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७९ के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २८५ में आये हुए शब्द "दुःख" का सम्बंध केवल मनुष्यके शरीरसेही नहीं बरन् मालसे भी है (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ६७)

भकसे उड़जानेवाले पदार्थके मध्ये असावधानी करना.

(२८६) जो कोई मनुष्य भकसे उड़जानेवाले किसी पदार्थसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो या जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुँचनेका सम्भव हो या भकसे उड़नेवाले किसी पदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जान बूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस भयको दूर करनेके लिये जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस भकसे उड़जानेवाले पदार्थसे है काफ़ी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७९ के अनुसार है।

१—अपराधी अपने खेतकी फ़सल रातके समय देखने भालनेको गया था सबेरे एक भरी हुई बंदूक लिये हुए अपने घरको लौटा और उसने अपने घरके द्वारपर ताला लगा हुआ देखकर वह

भरी हुई बंदूक जिसका घोड़ा टोपीपर गिरा हुआ था एक चारपाई पर रख दी जो द्वारपर पड़ी हुई थी, और आप थोडी देरके लिये अपने पड़ोसीके घर चला गया यकायक वह बंदूक छूट गई और अपराधीके एक पड़ोसीका लड़का जो चार वर्षका था इससे मरगया, इस कारण अपराधीपर दफ़ा २८६ का अपराध ठहराया गया और हाईकोर्टसे दंडकी आज्ञा क़ानूनविरुद्ध ठहराई गई। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ८ सफ़ा ४२१)

किसी कलके मध्ये जो अपराधीके पास हो या उसकी सिपुर्दमें हो असावधानी करना.

(२८७) जो कोई मनुष्य किसी कलसे कोई काम ऐसी लापरवाही या असावधानीके साथ करे कि जिससे मनुष्यके प्राणका भय हो अथवा जिससे किसी दूसरे मनुष्यको दुःख या हानि पहुँचना सम्भावित हो अथवा किसी कलके मध्ये जो उसके पास हो अथवा उसकी सिपुर्दगीमें हो जानबूझकर अथवा असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो उस भयके दूर करनेमें जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस कलसे है काफ़ी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है।

किसी मकानके गिराने अथवा उसके बनानेके मध्ये असावधानी करना.

(२८८) जो कोई मनुष्य किसी घरके गिरादेने या उसके बनानेमें जानबूझकर या असावधानीके साथ उस मकानकी चौकसी करनेमें चूक करे जो उस डरसे कि जिसके पहुँचनेका सम्भव मनुष्यके प्राणको उस मकान या उसके किसी भागके गिरनेसे है, काफ़ी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार जानो।

किसी पशुके मध्ये असावधानी करना।

(२८९) जो कोई मनुष्य किसी पशुके मध्ये जो उसके पास हो जानबूझकर या असावधानी करके ऐसी चौकसी करनेमें चूककरे जो मनुष्यके प्राणके भय अथवा भारी दुःखके डरको रोकनेके लिये जिसके पहुँचनेका संभव उस पशुसे है काफ़ी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयातक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २७१ के अनुसार है

१—यदि जानवरका चंचल तथा बदलगाम होना प्रमाणित न हो तो उसका स्वामी असावधानीके अपराधका अपराधी होगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ५१)

२—जब किसी घोड़े, टट्टू, बैल अथवा कुत्तेसे कोई हानि पहुँचे और यह प्रमाणित न हो कि वह जानवर चंचल था या यह कि उसकी चञ्चलतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके स्वामीपर कोई अपराध प्रमाणित नहीं होसकता अतिरिक्त उस अवस्थामें कि उसने यथोचित् चौकसी जो प्रत्येक मनुष्य ऐसे जानवरसे रखते हैं न रक्खी हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १९ सफ़ा १)

सर्व दुःखदायी कामका दण्ड ।

(२९०) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा सर्व दुःखदायी काम जो इस संग्रहके अनुसार और किसी भांति दण्डके योग्य नहीं है करेगा उसको दण्ड जुर्मानेका जो दोसौ रुपयेतक होसकेगा किया जायगा ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२)पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—तजवीज़ चौदह मनुष्योंकी जिनपर पृथक् २ अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९० व २९१ के अभिप्रायानुसार ठहराये गये थे वर्त्तावमें आये । तजवीज़ हुई कि उपरोक्त क़ानूनविरुद्धता अपराधियोंकी हक़तलफ़ीका कारण है, इसलिये तजवीज़ सज़ा मंसूख़ हुई । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा २०)

२—सर्व दुःखदायी कामके दण्डमें जुर्माना किया गया हो और यदि वह जुर्माना न अदा किया जावे तो उसके बदलेमें कठिन क़ैदके दण्डकी आज्ञा नहीं होसकती । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफ़ा ५७)

३—किसी कुँएका, जो सरकारी धरतीमें हो और सर्व सम्बंधी मार्गसे आठ गज़के अंतरपर बना हो घेरा न बनाना हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९० का अपराध नहीं है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफ़ा २८०)

४—कुछ मनुष्योंने बांसका बांध एक घटने बढनेवाली नदीके आरपार नाव अथवा जहाज़के निकल जाने योग्य बनाया था यद्यपि उन्होंने ऐसे बांधमें एक छोटा रास्ता नावोंके निकल जानेके योग्य छोड़ दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त बंद रहता था सब डिवीज़नल अफसरकी दरख्वास्तके अनुसार उन मनुष्योंपर हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा २८३ का अपराध रोक (मुज़ाहिमत) करनेका लगाया गया—तजवीज़ हुई कि इस बातमें संदेह है कि दफ़ा २८३ का मुक़द्दमेसे सम्बंध है, परंतु उन्होंने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २६८ का अपराध किया है और वह दफ़ा २९० के अनुसार दण्डके योग्य हैं । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफ़ा ६५६)

५—एक किरायेदार मनुष्यने अपना घर क़ायदेके विरुद्ध जुवा खेलनेके लिये जुवारियोंको दिया था और उसके कारणसे सर्व सम्बंधियोंको हानि पहुँचती थी उसपर हिन्दुस्थानके दण्डसं-

ग्रहकी दफ़ा २९० का अपराध प्रमाणित किया गया—यह बात मालूम होती है कि अपराधीने उस घरको जुवा खेलनेके लिये नहीं ठहराया था—तजवीज़ हुई कि अपराधका दण्ड ठीक २ था। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १४ सफ़ा ३६४)

६—किसी नदी या खाड़ीसे जहाज़ या नावका आना जाना सर्व सम्बंधी दुःखदायी काममें नहीं गिना जायगा परंतु यह बात अवश्य है कि जहाज़ या नावके चलनेमें अथवा कोई भय या दुःख किसी मनुष्यके किसी सर्व सम्बंधी मार्गमें नाव या जहाज़के चलनेके समय न पहुँचाया जावे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ६६५)

७—वे मनुष्य जो सर्व सम्बंधी मार्गमें बैठकर गांवमें आने जानेवालोंको पत्ता खेलनेके लिये बहँकावें और उनसे रुपया जीतें वह इस दफ़ा २९० हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अपराधी हैं। (कार्रवाई मदरास हाईकोर्ट २८ जनवरी सन् १८८७ ई०)

किसी सर्व दुःखदायी कामके न करते रहनेकी आज्ञा पाकर उस करते रहना.

(२९१) यदि कोई मनुष्य किसी सर्व दुःखदायी कामको करे अथवा उसे करता रहे जिसको किसी ऐसे सरकारी नौकरकी ओरसे उस सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा उसे न करते रहनेकी आज्ञा होचुकी हो जो ऐसी आज्ञाके देनेका उचित अधिकार रखता हो, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा २८० के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा २९१ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवश्य है कि अपराधीके नाम असालतन एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुवा था कि जिसके द्वारा उसको उसी सर्व दुःखदायी कामके न करने अथवा न करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी। (इं० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ९९)

अश्लील (फ़हश) पुस्तकोंका बेचना आदि.

(२९२) जो कोई मनुष्य अश्लील पुस्तक अथवा संग्रह (रिसाला) अथवा लिखावट (तहरीर) अथवा सादा चित्र अथवा रंगदार अथवा मूर्त्ति अथवा प्रतिमा बेंचे या बाँटे या बेंचने या भाड़ेपर चलानेके लिये दूसरे देशसे लाए या छापे या जानबूझकर सर्वसाधारणको दिखलाए या ऐसा करनेका उद्योग करे या ऐसा करनेको स्वयं कहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

छूट।

यह दफ़ा किसी ऐसे चित्रसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो किसी मंदिरके ऊपर या भीतर या प्रतिमा निकालनेके रथपर हो अथवा किसी मज़हब या मत संबन्धी कामके

लिये रक्खीगई हो या काममें आती हो चाहे वह मूर्त्ति कटकर बनी हो चाहे खुदकर और चाहे रंगदार हो चाहे और प्रकारकी ।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर-सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९२ व दफ़ा २९४ का अपराध प्रमाणित करनके लिये यह अवश्य है कि उन चित्रों और शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवश्य है जिनका अश्लील होना वर्णन किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १ सफ़ा ३५६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार जिस पुस्तकमें थोड़ी भी अश्लील इबारत हो वह अश्लील है । (इ० ल० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ८३७)

(नोट) अदालतोंको अधिकार है कि दफ़ा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेपर वह यह आज्ञा दें कि वह पदार्थ जिसके मध्ये अपराध हुआ है नष्ट करें दिये जावें । (ऐक्ट नं० १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ५२१)

(२९३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसी अश्लील पुस्तक या कोई और पदार्थ जैसा कि पिछली दफ़ामें वर्णन किया गया है बेचने या बाँटने या सर्व साधारणको दिखलानेके लिये अपने पास रखता हो तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

अश्लील पुस्तकको बेचने या दिखानेके लिये पास रखना.

टीप—दफ़ा २९२ के अनुसार समझो ।

(२९४) तबदील हुवा दफ़ा ३ ऐक्ट ३ सन् १८९५ ई० के अनुसार जो कोई मनुष्य इस प्रकारसे कि औरोंको रंज पहुँचे—

अश्लील काम और गीत.

(अ) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें कोई अश्लील काम करे ।

(ब) सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें या उसके निकट कोई अश्लील गीत गावे अथवा कोई अश्लील शेर (छंद चौपाई) पढे अथवा अश्लील बातें बके तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीने तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—दफ़ा २९२ के अनुसार समझो ।

१—अपराधीके ऊपर लावनी गानेका अपराध जो सदैव अश्लील नहीं हुआ करती परंतु बहुधा हुवा करती है लगायागया--और मजिस्ट्रेटने उसे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९४ के अनुसार अश्लील गीत गानेका अपराधी ठहराया परंतु जो कि गवाही इस बातकी कि जो लावनी अपराधीने गाई थी वह अश्लील थी मौजूद न थी इस कारण वह दण्ड की आज्ञा से बरी किया गया । रिपोर्ट बम्बई हाईकोर्ट जिल्द ४ सफ़ा २५)

चिट्ठी डालनेका दफ्तर रखना.

(२९४) * (अ) जो मनुष्य कोई दफ्तर या घर ऐसी चिट्ठी डालनेके अभिप्रायसे रक्खे जिसकी आज्ञा सरकारसे नहीं है उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जाँयगे ।

जो मनुष्य किसी घटना या इत्तिफ़ाक़के होनेपर जो निस्बत या ताल्लुक़ किसी टिकट अथवा कुरअ अथवा नम्बर या हिन्दुसा (अंक) आदिसे ऐसी चिट्ठी डालनेमें रखता हो किसी मनुष्यके लाभके लिये कुछ रुपया चुकाने या कोई सामान सिपुर्द करने अथवा किसी कामके वर्त्तावमें लाने अथवा किसी कामके करने देनेके लिये कोई यत्न प्रगट करे उसको जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपया तक हो सकेगा दिया जायगा ।

(टीप)—दफ़ा २९० के अनुसार है ।

१—जुवा खेलना क़ानूनानुसार मुफ़स्सिलातमें मना नहीं है जो रुपया इस प्रकारका जुवा खेलनेके लिये उधार दिया जावे वह नालिशसे वसूल होसकता है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा ३०१)

२—शब्द "चिट्ठी डालने" मुन्दर्जेफ़िकरा (टुकड़ा)२ दफ़ा २७४ (अ) हिन्दुस्थानके दण्ड-संग्रहसे अभिप्राय प्रत्येक चिट्ठी डालनेका है जिसकी आज्ञा गवर्नमेंटने न दी हो और उसमें चिट्ठी अन्यदेशकी भी संयुक्त हैं और शब्द "प्रगट करनेवाले" मुन्दर्जे फ़िकरे मज़कूरमें दोनों वह मनुष्य जो दरख्वास्त करता है और मालिक अख़बार भी जो दरख्वास्त इश्तिहारको छापता है शामिल है । मालिक अख़बार बंबई जिसने एक इश्तिहार अपने अख़बारमें माल सम्बन्धी व वजन चिट्ठी डालनेका मुश्तहर (प्रगट) किया था वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९४ की मंशासे दण्ड योग्य ठहराया गया । (अंगरेजी इंडियन ला रिपोर्ट सिलसिला बम्बई जिल्द १० सफ़ा ९७)

* ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० की दफ़ा १४ व ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १९६ को देखो ।

इस संग्रहके अध्याय ४२५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बंध रखते हैं जो इस दफ़ाके अनुसार दंड योग्य हैं ऐक्ट २७ सन् १८७० ई० दफ़ा १३ को देखो)

अध्याय पन्द्रहवां १५.

उन अपराधोंके विषयमें जो मतसे सम्बन्ध रखते

किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दाके अभिप्रायसे पूजाके किसी स्थानको हानि पहुँचाना अथवा अपवित्र करना.

(२९५) जो कोई मनुष्य किसी पूजाके स्थानको अथवा किसी पदार्थको जिसको किसी सम्प्रदायके मनुष्य पूज्य मानते हों तोड़ फोड़े अथवा हानि पहुँचाए अथवा अपवित्र करे जिसके द्वारा मनुष्याक किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे अथवा उस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि मनुष्योंका कोई सम्प्रदाय उस तोड़ फोड़ या हानि पहुंचाने अथवा अपवित्र करनेको अपने मतकी एक प्रकारसे निन्दा समझेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दियाजावेगा । जिसकी मीआद दोवर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम सम्मनजारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राजीनामा नहीं है।

१---एक हिन्दूने एक स्त्रीके साथ एक मुसलमान फकीरकी कबरके हातेके भीतर व्यभिचार किया हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ तजवीज़ हुई कि इस बातका प्रमाण न होनेकी अवस्थामें कि उपरोक्त स्थान पूजाके लिये काम में लाया जाता था अथवा किनी और दूसरी रीतिपर पाक था अपराधीकी तजवीज़ अनुचित है वरन उसका दण्ड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९७ के अनुसार होना ठीक है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफ़ा १२६)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ में लिखे हुए शब्द "पदार्थ" से जानदार पदार्थका अभिप्राय नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १० सफ़ा १५०)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ में लिखे हुए शब्द "पदार्थ" में जानदार पदार्थ न गिने जायँगे, कोई सांड़ जो किसी हिन्दूकी श्राद्धमें स्वाधीन कर दिया जावे, इस दफ़ामें लिखे हुए शब्द पदार्थसे सम्बन्ध न रक्खेगा—और जबकि ऐसे जानवरको मुसलमान छिपाकर गोश्त और चमड़ेके लालचसे मार डालें तो उन्होंने दफ़ा २९५ का कोई अपराध नहीं किया और सांड़ स्थावरधन (जायदाद मनकूला) दफ़ा ३७८ या ४०३ या ४२५ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायमें नहीं है । (इ० ला० रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ७ सफ़ा ७५२ मवर्रुखे २७ मार्च व १५ अप्रैल सन् १८९० ई०)

(२९६) जो कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी इच्छापूर्वक किसी समाजको दुःख पहुँचाए, जो अपने मतकी पूजा अथवा मतकी रीतोंको पूरा करनेमें उचित रीतिसे तत्पर हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है या जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

किसी मत सम्बन्धी समाजको छेड़ना.

टीप–दफ़ा २९५ के अनुसार है।

१—मुसलमानोंकी एक सर्व सम्बन्धी मसजिदमें कुछ खेफ़ी मतके मुसलमान जिनकी रीति के अनुसार शब्द "आमीन" धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज़ पढ़ते थे, वहां पर एक और मुसलमान दूसरे मतका मसजिदमें आया और नमाज़ पढ़तेमें अपनी रीतिके अनुसार शब्द "आमीन" बड़ी ज़ोरसे कहा। इस कामके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९६ के अनुसार अपराधी प्रमाणित हुआ। इजलास कामिलसे हुक्म हुआ कि मुक़द्दमेकी तजवीज़ दुबारा कीजावे और नीचे लिखी हुई बातोंपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह (समाज) मतकी पूजाके लिये उचित रीतिपर इकट्ठा हुआ था या नहीं और वास्तवमें ऐसे गिरोहको अपराधीने हानि पहुँचाई या नहीं और अपराधीका अभिप्राय हानि पहुँचानेका था या नहीं। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ४६१)

(२९७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका दिल दुखाए अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा करनेके अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यका दिल दुःखेगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूजाके स्थान अथवा क़बरस्थान अथवा ऐसे स्थानमें जो मृतक क्रियाओंको करनेके लिये अथवा मरे हुओं को गाड़नेके लिये ठहराया गया हो, मदाख़लत बेजाकरे अथवा किसी मृतमनुष्यके शव (लाश) की अप्रतिष्ठा करे अथवा उन मनुष्योंको हानि पहुँचावे जो मृतक क्रिया करनेको इकट्ठा हुए हों तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे।

क़बरस्थान आदिमें मदाख़लत बेजा करना।

टीप–दफ़ा २९५ के अनुसार है।

१—धरतीके एक टुकड़ेमें (क) (ख) (ग) (घ) आपसमें साझी थे जिसमें वे अपने मृतकोंको गाड़ा करते थे। (क) और (ख) ने (घ) के नातेदारोंकी क़बरोंके निकट एक गढ़ा खोदा परन्तु किसी क़बरको कुछ हानि न पहुँचाई–तजवीज़ हुई कि (क) और (ख) के मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९७ के अनुसार दण्ड देना अनुचित था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफ़ा १७८)

(२९८) जो कोई मनुष्य सोच विचारकर मतके विषयमें किसी मनुष्यका अंतःकरण दुखानेके अभिप्रायसे कोई बात कहे अथवा कोई शब्द निकाले जिसको वह मनुष्य सुनसके अथवा उस मनुष्यके सामने कोई काम करे अथवा उसकी दृष्टिके सामने कोई पदार्थ रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी मनुष्यके अंतःकरणको मतके विषयमें जानबूझकर दुःख देनेके अभिप्रायसे कुछ कहना इत्यादि.

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन ज़ारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

अध्याय सोलहवाँ १६.



उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके शरीरमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

उन अपराधोंके विषयमें जो मनुष्यके प्राणोंमें प्रभाव (असर) रखते हैं ।

(२९९) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे अथवा शरीरको ऐसा दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे जिससे मृत्युका होना अति संभवित है अथवा यह जानकर कि कदाचित् उस कामके करनेसे वह मृत्युका कारण होगा, कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न करे तो वह ज्ञातवत् घातका अपराध करनेवाला कहलावेगा ।

ज्ञातवत्घात (क़तल इंसान मुस्तलज़िम सज़ा)

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी गढ़के ऊपर कुछ लकड़ियां और घास फूस इस अभिप्रायसे पाट दे कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीसे कि उसके द्वारा मृत्यु होना सम्भवित है और रमाशंकर उसको ठोसधरती जानकर उसपर चले और उसमें गिरकर मर जावे तो शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी होगा ।

(ख) शिवशंकर यह जानता हो कि रमाशंकर किसी झाड़ीके पीछे है और उमाशंकर यह न जानता हो और शिवशंकर उमाशंकरको उस झाड़ीपर बंदूक चलानेके लिये बहँकावे इस अभिप्रायसे अथवा इस बातके होनेको सम्भव जानकर कि वह बहँकाना रमाशंकरकी मृत्युका

कारण होगा–उमाशंकर बंदूक चलावे और रमाशंकरको मार डाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि उमाशंकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हुआ।

(ग) शिवशंकर किसी चिड़ियाको मारने अथवा चुरानेके अभिप्रायसे चिड़ियापर बंदूक चलाए और रमाशंकरको जो किसी झाड़ीके पीछे हो मारे और शिवशंकरको यह न ज्ञात हो कि रमाशंकर वहां है तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी न होगा यद्यपि वह एक अनुचित काम करता था। क्योंकि उसने रमाशंकरको मार डालनेके अभिप्रायसे बंदूक नहीं छोड़ी थी और न उसका यह अभिप्राय था कि ऐसे कामके करनेसे मृत्यु कीजावे जिससे वह जानता था कि मृत्यु होनेका भय है।

स्पष्टीकरण--१ जब कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको जो किसी रोग अथवा शारीरिक (जिस्मानी) निर्बलतामें फँसा हो, शारीरिक दुःख पहुँचाए और उसके द्वारा उसकी मृत्यु शीघ्रही हो जावे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मृत्युका कारण समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई हो तो जो मनुष्य उस दुःखको पहुँचानेवाला हो मृत्यु उत्पन्न करनेवाला गिना जायगा जब कि उचित यत्नों और सावधानीके साथ औषधि करनेसे उसकी मृत्यु रुकसकती हो।

स्पष्टीकरण--३ किसी बालकका मारना उसकी माताके गर्भमें ज्ञातवत् घात न गिना जायगा परंतु किसी ऐसे जीवित बालकका मारना कि जिसका कोई अंग बाहर निकल आया हो ज्ञातवत्घात होसकेगा चाहे उस बालकने श्वास भी न ली हो और उसका जन्म भी न होचुका हो।

१—अपराधी एक मनुष्यके मारनेका कारण इस प्रकारपर हुआ कि उसने उसके पहलूमें एक पैतला बांस मारा जो मोटाईमें एक इञ्चसे अधिक न था और उसकी चोटसे उस मनुष्यकी तिल्ली फट गई जिसमें कोई रोग था, अपराधी भारीचोट (ज़ररशदीद) पहुँचानेका अपराधी प्रमाणित हुआ (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ३८)

२—अपराधियोंने एक चोरपर उसके पकड़े जानेके पश्चात् आक्रमण (हमला) किया और किसी २ ने उसे लात और घूंसोंसे मारा और दो मनुष्योंने एक छोटे पीढ़ेसे उसको दो एक चोटें लगाई और उसकी नाक तोड़ डाली। वह चोर दो घंटेके पश्चात् मरगया–सेशन जजने अपनी तजवीज़में लिखा कि वह पीढ़ा भारी न था और डाक्टरकी गवाहीसे जान पड़ा कि उस चोरकी मृत्यु किसी चोटके कारण न हुई थी बरन बराबर कई एक चोटोंके लगनेसे हुई थी जो इस योग्य न थीं कि मृत्युका कारण हों। तजवीज़ हुई कि प्रतिवादी (मुद्दआअलेहुम) केवल भारी चोट पहुँचानेके अपराधी होगये थे क्योंकि उनके कामोंसे यह न प्रगट होता था कि उनका अभिप्राय ऐसी चोटके पहुँचानेका था कि जिससे मृत्युका होना सम्भव हो और न यह प्रगट होता

था कि उनको यह जानकारी थी कि वे अपने कामोंसे कदाचित् मृत्युके कारण होंगे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ४१)

३—एक सपेरेने इस बातको जानकरभी कि उसने अपने सांपका दाँत न तोड़ा था उस सांपको एक तमाशा देखनेवालेके शिरपर रखदिया जिसको उसने काट खाया और वह तमाशा देखनेवाला मरगया। इसलिये वह सपेरा ज्ञातघातके अपराधका अपराधी हुआ और उसके मध्ये दफ़ा ३०४ व ३०४ (अ) के अनुसार इस बातपर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया था कि उस कामसे मृत्युके होनेका सम्भव था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ३५१)

४—अपराधीने अपनी स्त्रीको धरतीपर गिराकर अपना घुटना उसकी छातीपर रख दिया और दो तीन घूंसे ऐसे ज़ोरसे उसके शिरपर मारे कि उसके दिमाग़से रक्त बहने लगा और वह तत्कालही अथवा थोड़ी देरके पश्चात् मरगई—तजवीज़ हुई कि अपराधीकी इच्छा उसे मार डालनेकी न थी और जो शारीरिक चोट उसको पहुँचाई गई थी वह साधारण रीतिपर मृत्यु होनेके योग्य थी इसलिये अपराधी ज्ञातघातकी मृत्यु (क़तल अम्द) का अपराधी न हुवा था बरन् ज्ञातवत् घातका अपराधी हुवा था जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुँचता था। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १ सफ़ा ३४२)

(३००) उन अवस्थाओंके अतिरिक्त जो नीचे मुस्तसना (छूट) की जाती ज्ञातघात. } हैं ज्ञातवत्घात ज्ञातघात होगा।

पहिले—यदि वह काम जिसके कारणसे मृत्यु हुई हो इस अभिप्रायसे किया गया कि मृत्युका कारण हो, अथवा—

दूसरे—यदि काम ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेके अभिप्रायसे किया गया हो जिससे अपराधीकी जानकारीमें उस चोट पाए हुए मनुष्यका मरजाना सम्भवित है, अथवा—

तीसरे—यदि काम किसी मनुष्यको कोई शारीरिक दुःखके पहुँचानेके अभिप्रायसे किया गया हो और वह शारीरिक दुःख जिसके पहुँचानेका अभिप्राय किया गया हो ऐसा हो कि प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफ़ी हो, अथवा—

चौथे—यदि वह मनुष्य जिसने उस कामको किया है यह जानता हो कि वह काम ऐसा भारी जोखिमका है कि उससे मृत्यु अथवा शरीरका ऐसा दुःख होना अति संभवित है कि जिससे मृत्युके होनेका भय है और उस कामके करनेमें मृत्युका भय अथवा उपरोक्त दुःख (ज़रर) का भय उत्पन्न करना बिल्कुल विनाकारण हो।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उससर बन्दूक चलाई और रमाशंकरकी उससे मृत्यु हुई तो शिवशंकरने ज्ञातघातका अपराध किया ।

(ख) शिवशंकर यह बात जानबूझकर कि रमाशंकर किसी ऐसे रोगमें फँसा है जिसके कारण और एकही घूंसेसे उसकी मृत्युका होजाना सम्भव है; उसको शारीरिक चोट पहुँचानेके अभिप्रायसे मारे और रमाशंकर उस घूंसेके कारण मर जावे तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा । चाहे ऐसा घूंसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यकी मृत्युके लिये काफ़ी न होता परन्तु यदि शिवशंकर यह न जानकर कि रमाशंकर किसी बीमारीमें फँसा हुआ है उसको एक ऐसा घूँसा मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी निरोगी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफ़ी नहीं है तो इस अवस्थामें शिवशंकर, चाहे उसका अभिप्राय शारीरिक चोटके पहुँचानेका हो, ज्ञातघातका अपराधी नहीं परन्तु नियम (शर्त) यह है कि जब उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा ऐसी शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्युका कारण होती ।

(ग) शिवशंकर तलवार या लट्ठसे रमाशंकरको जानबूझकर ऐसी चोट पहुँचाकर जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किसी मनुष्यको मार डालनेके लिये काफ़ी हो और रमाशंकर उस चोटके कारणसे मर जावे तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा चाहे रमाशंकरको मार डालना उसके अभिप्रायमें न हो ।

(घ) शिवशंकरने बिना कारण मनुष्योंकी भीड़में भरी हुई तोप चलादी और उसमेंसे एक मनुष्य मरगया तो इस अवस्थामें शिवशंकर ज्ञातघातका अपराधी हुआ यद्यपि उसने पहिले किसी विशेष मनुष्यको मारडालनेका मनोरथ न किया हो ।

छूट १.

ज्ञातवत्घात किसी अवस्थामें ज्ञातघात न होगा.

ज्ञातवत् घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न होगा जब कि अपराधीने किसी बड़े और तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामके कारण अपने आपेमें न रहकर उस मनुष्यको, जिसने वह क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया हो, मारडाला हो अथवा भूलसे या अकस्मात्से किसी दूसरे मनुष्यकी मृत्युका कारण हुआ हो—

परंतु ऊपर लिखी हुई छूट नीचे लिखे नियमोंके आधीन रहेगी;—

पहिले.—यह कि, अपराधीने स्वयं उस तत्काल क्रोध दिलानेवाले कामको न चाहा हो अथवा जानबूझकर इस अभिमायसे उस क्रोध दिलानेवाले कारणको न ढूंढा हो कि उसे किसी मनुष्यके मार डालने अथवा उसको हानि पहुँचानेका कारण होजावे ।

दूसरे.—यह कि, वह तत्काल क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामसे न हुआ हो जो क़ानूनके वर्त्ताव करनेमें किया गया है अथवा जिसको किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके अधिकारके उचित वर्त्तावमें किया हो ।

तीसरे.—यह कि, वह क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसे कामके कारणसे न दिलाया गया हो जो निज रक्षाका अधिकार क़ानूनानुसार वर्त्तनेमें किया गया हो ।

स्पष्टीकरण—यह बात कि उस क्रोध दिलाने का कारण ऐसा बड़ा और एकाएकी (तात्कालिक)था या नहीं कि जिससे अपराधका ज्ञातघातकी सीमातक पहुँचना रुकजावे, एक अम्र (काम) जांच करनेके योग्य है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने क्रोधकी अवस्थामें, जिसके दिलानेका कारण रमाशंकरने उत्पन्न किया जानबूझकर रमाशंकरके बालक हरशंकरको मारडाला--तो यह ज्ञातघातका अपराध हुआ; क्योंकि बालकने क्रोध नहीं दिलाया था और न उस बालककी मृत्यु उस क्रोधकी अवस्थामें किसी कामके करनेसे अकस्मात् अथवा दैवगतिसे हुई ।

(ख) शिवशंकरने रमाशंकरको अचानक और भारी क्रोध दिलानेका कारण उत्पन्न किया रमाशंकरने उस क्रोधके होतेही शिवशंकरपर पिस्तौल चलाया--परन्तु उसकी इच्छा उमाशंकरके मारडालनेकी, जो उसके समीपही खड़ा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी और न वह यह जानता था कि उमाशंकरका माराजाना सम्भव है--रमाशंकरने उमाशंकरको मार डाला तो इस अवस्थामें रमाशंकरने ज्ञातघातका अपराध नहीं किया वरन् केवल ज्ञातवत् घातका किया ।

(ग) शिवशंकर कि जो नाज़िरका पियादा है क़ानूनानुसार रमाशंकरको पकड़े और रमाशंकर पकड़नेके कारण यकायक क्रोधमें आकर शिवशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है क्योंकि वह क्रोध एक ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नौकरकी ओरसे उसके अधिकारके वर्त्तनेमें किया गया था ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाहकी रीति (तौर) पर उपस्थित (हाज़िर) हो और रमाशंकर यह कहे कि मैं शिवशंकरकी गवाहीके एक शब्दपर भी विश्वास नहीं करता और शिवशंकरने झूँठी शपथ (हलफ़ दरोग़ी) की है--और शिवशंकर इन बातोंसे यकायक क्रोधमें आजावे और रमाशंकरको मार डाले तो यह ज्ञातघात है ।

(च) शिवशंकर रमाशंकरकी नाक मरोड़नेका उद्योग करे और रमाशंकर निज रक्षाका अधिकार वर्त्तनेमें शिवशंकरको इसलिये पकड़ले कि उसको इस कामके करनेसे रोके और शिवशंकर इस कारणसे यकायक भारी क्रोधमें आकर रमाशंकरको मारडाले तो यह ज्ञातघात है ।

क्योंकि वह क्रोध ऐसे कामके द्वारा दिलाया गया जो निज रक्षाके अधिकारके वर्त्तनेमें किया गया था ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको मारे और रमाशंकर उस क्रोध दिलानेके कारणसे अचानक क्रोधमें भर जावे और उमाशंकर जो समीपही खड़ा हो इस इच्छासे कि इस क्रोधमें शिवशंकरको रमाशंकरसे मरवा डालनेका सुयोग मिल जावे रमाशंकरके हाथमें एक छुरी देदे और रमाशंकर उस छुरीसे शिवशंकरको मारडाले तो इस अवस्थामें सम्भव है कि रमाशंकर केवल ज्ञातवत्घातका अपराधी हो परन्तु उमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी होगा ।

छूट २.

ज्ञातवत् घात ज्ञातघात न होगा; यदि अपराधी शुद्धभावसे अपने तन अथवा धनके मध्ये निज रक्षाके अधिकारको वर्त्तनेमें उस अधिकारसे बढ़जावे जो उसको क़ानूनानुसार प्राप्त है । और उस हानिसे, जो उस रक्षाके लिये अवश्य है, अधिक हानि पहुँचानेका पहिलेसे कोई शोच या विचार न करके उस मनुष्यको मारडाले जिस के रोकमें वह उस निज रक्षाके अधिकारको वर्त्तताहै ।

उदाहरण ।

शिवशंकर रमाशंकरको कोड़े मारनेका उद्योग करे इस प्रकारपर कि, रमाशंकरको भारी दुःख (ज़रररशदीद) पहुँचे, और रमाशंकर तमंचा निकालले और शिवशंकर उस उद्योगसे न रुके तब रमाशंकर शुद्ध भावसे यह समझ कर कि वह अपनेको किसी और यत्नसे कोड़े खानेसे नहीं बचा सकता शिवशंकरको तमंचा मारकर मारडाले तो रमाशंकर ज्ञातघातका अपराधी नहीं हुआ बरन् केवल ज्ञातवत्घातका हुआ ।

छूट ३.

ज्ञातवत्घात ज्ञातघात न होगा यदि अपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा किसी ऐसी सरकारी नौकरकी सहायता कर रहा हो, जो सर्व संबन्धी न्यायके प्रचलित करनेका वर्त्ताव कर रहाहो उन अधिकारोंसे जो उसको क़ानूनानुसार प्राप्त हैं बढजाए और किसी ऐसे कामके करनेसे मृत्युका कारण हो जिसको वह शुद्धभावसे उचित और अपनी सरकारी नौकरीका काम यथोचितके भुगतानेके लिये अवश्य समझता हो और उस मनुष्यसे जो मरा है कुछ शत्रुता न रखताहो ।

छूट ४.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न गिना जायगा जब कि वह एकाएकी झगड़ा होकर लड़ाईमें क्रोधकी अधिकताके कारण बिना पहिलेसे विचार किये होजाय और अपराधी ने कोई अनुचित लाभ न उठाया हो, अथवा निर्दयीपनसे अथवा असाधारण रीतिसे कुछ काम न किया हो ।

स्पष्टीकरण—ऐसी अवस्थाओंमें इस बातके विचारनेकी आवश्यकता नहीं है कि वह क्रोध किस ओरवालेने दिलाया अथवा पहिले किसने आक्रमण (हमला) किया।

छूट ५.

ज्ञातवत्घात उस अवस्थामें ज्ञातघात न होगा जब कि वह मनुष्य जो मारा गया है अठारह वर्षसे अधिक अवस्थाका हो और वह अपनी प्रसन्नतासेही माराजाए अथवा मारे जानेकी जोखिम उठाए।

उदाहरण।

शिवशंकर रमाशंकरको जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कम है, बहँकाकर उसके हाथ जान-बूझकर आत्महत्या (खुदकुशी) करावे; तो इस अवस्थामें रमाशंकर न्यून अवस्था होनेके कारण अपनी मृत्युके मध्ये प्रसन्नता करनेके प्रकट योग्य न था, इस कारण शिवशंकरने ज्ञातघातमें सहायता की।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०० की छूट ५ का, ऐसे झगड़ेके मुक़द्मेंसे सम्बन्ध नहीं है जो कि मुक़द्मा दूसरी क़िस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ३१)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०० का "क्रोधदिलाना" उस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे अपराधी अपने अधिकारसे बाहर होजावे और इस बातकी जांच करनेमें कि वह क्रोध उपरोक्त प्रकारका था या नहीं अपराधीकी उस दिली हालत (अन्तःकरणकी अवस्था) पर विचार करना उचित है जो उपरोक्त क्रोध दिलानेके समयमें हो। (इ० ला० रि० मद-रास जिल्द २ सफ़ा १२२)

३—झगड़ेके समयका बयान किसी मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नहीं तो प्रमाण (सबूत) में वह बयान सुननेके योग्य न होगा। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा २११)

४—अपराधी पर उसकी स्त्रीके वधका अपराध लगाया—गवाहीसे यह प्रमाणित हुआ कि अपराधीकेजीमें इस बातका पूरा सन्देह उत्पन्न होगया था कि उसकी स्त्री किसी दूसरे मनुष्यसे फँसी हुई है—एक रातको उसकी स्त्री यह जानकर कि उसका स्वामी सोया हुआ है चोरीसे उसके पाससे उठकर चली गई; अपराधीभी एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे २ गया। उसने अपनी स्त्रीको उसके आशनाके साथ सर्वसाधारण मार्गपर बातचीत करते पाया यह देख कर तत्काल उसने उस स्त्रीको जानसे मारडाला—तजवीज़ हाईकोर्टकी यह हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया है क्योंकि इस घटनासे "भारी और एकाएक क्रोध" का पहुँचना हस्वमंशाय दफ़ा ३०० छूट नं० १ से प्रगट नहीं होता है कि जिससे ज्ञातघातका अपराध बदल कर ज्ञातवत्घातका होजावे। (इ० ला० रि० जिल्द ८ इलाहा-बाद सफा ६२२)

५—दो क़ैदियोंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एक स्त्रीके साथ उस मारे गए हुए मनुष्यको व्यभिचार करते देखकर उसको उसी समय और उसी स्थान पर मारडाला था—तजवीज़ हुई कि एकाएक क्रोध हो आनेके कारण ज्ञातघात कम होकर ज्ञातवत्घात होगया था जो ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा ७)

६—जब अपराधीने यह समझकर कि अमुक (फलां) मनुष्य उसकी स्त्री के साथ आशनाई रखता था उस मनुष्यको मार डालनेका भय दिलाया और फिर उसको मारडाला तो तजवीज़ हुई कि अपराधीने ज्ञातघातका अपराध किया था और उसका काम दफ़ा ३०० की छूट १ में नहीं गिना जासकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा ४६)

७—तीन भाइयोंने एक मनुष्यको अपनी बहिनके साथ लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला तजवीज़ हुई कि उनका काम दफ़ा ३०० की छूट १ में गिना जायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफ़ा ३८)

८—यदि कोई अठारह वर्षसे अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुंसक (नामर्द) कराए और नपुंसक किये जानेमें वह मर जावे तो नपुंसक करनेवाला ज्ञातघातका अपराधी नहीं बरन् ज्ञातवत्घातका है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ७)

९—यदि कुछ मनुष्य लठबंद इकट्ठे होवें और उनका अगुवा एक ऐसा मनुष्य हो कि जिसके यहां बंदूक़ हो और यह वृत्तान्त वह सब मनुष्य जानते हों और उनका अभिप्राय किसी मनुष्यका धन बलपूर्वक ले जानेका हो। तो यदि उन मनुष्योंमसे कोई मनुष्य बंदूक़ उठाकर उस मनुष्यको मारडाले जो उचित रीतिपर अपने मालके ले जानेमें रोक टोककर रहा हो तो ऐसी अवस्थामें कुल मनुष्य हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा १४९ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधी गिने जासकते हैं। (कलकत्ता ला० रिपोर्ट जिल्द ३ सफ़ा ४९)

१०—वधके अभियोगोंमें जज्जोंको फाँसीका दण्ड देनेमें कुछ आगा पीछा न करना चाहिये जब कि साक्षी (शहादत) पर विश्वास कर लिया जावे और उससे अपराध प्रमाणित समझा जावे। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ६४)

जिस मनुष्यके मारनेका अभिप्राय था उसके अतिरिक्त किसी और को मारनेसे ज्ञातवत्घातका अपराध होना.

(३०१) यदि कोई मनुष्य कोई ऐसा काम करनेसे जिससे उसकी यह इच्छा हो अथवा जिससे इस कामका सम्भव उसकी जानकारीमें हो कि वह मृत्युका कारण होगा किसी ऐसे मनुष्यकी मृत्युका कारण होकर ज्ञातवत्घातका अपराध करे जिसकी मृत्युके कारण होनेकी न तो उसने इच्छाकी न उस कामका संभव उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण हो तो यह ज्ञातवत्घातका अपराध जिसका वह अपराधी हुआ है उसी प्रकारका है जो उस अवस्थामें होता जब कि अपराधी उस मनुष्यकी मृत्युका कारण हुवा होता जिसकी मृत्यु उसकी इच्छामें थी अथवा उस कामका संभव उसकी जानकारीमें था कि वह उसकी मृत्युका कारण होगा।

१—किसी मनुष्यने अपनी आशनाके स्वामीको मारनेके अभिप्रायसे अंधेरी रातमें घात लगाई और भूलसे किसी राहगीरको मार दिया तो ऐसी अवस्थामें उसे ज्ञातघातके अपराधमें फाँसीका दण्ड दिया गया । (देखो मोरले साहबकी डायजेस्ट जिल्द ३ सफ़ा १२५)

(३०२) जो कोई मनुष्य ज्ञातघातका अपराधी हो उसको वधका दण्ड अथवा देश निकालेका दण्ड दिया जायगा और वह जुर्माने-के भी योग्य होगा ।

दण्ड ज्ञातघात.

टीप—(१) अदालत सेशन, (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—यदि कोई मनुष्य जो किसी दूसरे देशमें रहता हो ब्रिटिश इंडियामेंसे किसी मनुष्यको भगा ले जाए और दूसरे देशमें उसको मारडाले तो ब्रिटिश इंडियामें उसकी तजवीज़ केवल भगा ले जानेके अपराधके मध्ये होसकती है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा ३९)

२—जब कभी कोई गर्भिणी स्त्री ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको वधका दण्ड न देना चाहिये । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा १५)

३—केवल इस बातसे कि वध किये मनुष्यकी लाश नहीं मिली कोई कारण अपराधीको ज्ञातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ३८३

४—अपराधीपर जो गांजाका पीने वाला था ज्ञातघातका अपराध अपनी स्त्री व छोटे बच्चेके मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया कि मैंने अपनी स्त्रीको मारडाला है इस कारण कि वह मुझसे झगड़ा करती थी और दूसरे गांवमें चलनेके लिये मना करती थी जहां मैंने अपनी दरिद्रता (ग़रीबी) के कारण जानेका निश्चय किया था साहब जजने इस बयानसे अपराधीपर ज्ञातघातका अपराध निश्चय किया और उसे फाँसीकी सज़ाकी आज्ञा बमंजूरी हाईकोर्टकेदी तजवीज़ हुई कि अपराधीका बयान ज्ञातघातके अपराधकी सीमातक नहीं है उसने एकाएकी क्रोधके आजानेका बयान किया—इस बातकी जांच करनी चाहिये—और यह भी तजवीज़ हुई कि गांजापीनेके कारण अपराधीकी दशा एक रोगीकीसी होगई थी जिससे वह अपने काम अथवा कामके अपराधका फल जानने योग्य न रहा था—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ८४ उससे सम्बन्ध नहीं है । । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १४ सफ़ा ५६४)

(३०३) जो कोई मनुष्य जिसके मध्ये जन्मभरके लिये देश निकालेके दण्डकी आज्ञा होचुकी हो ज्ञातघातका अपराध करे तो उसको वध का दण्ड दिया जावेगा ।

दण्ड उस ज्ञातघातका जो कोई जन्म मीआदी बँधुआ कर डाले.

टीप—दफ़ा ३०२ के अनुसार है ।

नोट—(प्रत्येक मनुष्यको, चाहे वह प्रेसीडेंसी शहरके भीतर रहता हो अथवा बाहर, जो अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०२ व ३०३ व ३०४ के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा होनेका वृत्तान्त उसे ज्ञात होजावे, उचित है कि ऐसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी सूचना सबसे निकटके मजिस्ट्रेट अथवा अफसर पोलीसको दे दे। (दफ़ा ४४ मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारीको देखो।)

दण्ड ज्ञातवत्घातका जो ज्ञातघाततक न पहुँचे.

(३०४) जो कोई मनुष्य ऐसे ज्ञातवत्घातका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमातक न पहुँचता हो तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा परंतु नियम यह है कि वह काम जिससे मृत्यु हुई मृत्युका कारण होनेकी इच्छासे या ऐसी शारीरिक चोटका कारण होनेकी इच्छासे कियागया हो कि जिससे मृत्युके होनेका संभव है;—अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे परंतु नियम यह है कि उपरोक्त काम इस जानकारीसे किया गया हो कि उससे मृत्युका होना संभव है परंतु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचे कि जिससे मृत्युका होना संभव है।

टीप—दफ़ा ३०२ के अनुसार है।

१—एक छोटेसे झगड़ेमें अपराधीने मारे गए हुए मनुष्यकी पीठमें ऐसे ज़ोरसे धक्का मारा कि वह सड़कपर जो टाई हाथ नीचे थी गिरपड़ा और उससे ऐसी चोट पहुँची कि वह पांचवें दिन मरगया तजवीज़ हुई कि अपराध ज्ञातवत्घातका है ज्ञातघातकी समितक नहीं पहुँचता (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफ़ा २२४)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०४ शब्द (अ) ऐसे मुक़द्मेंसे सम्बान्धित नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी मनुष्यकी ओरसे कोई अपराध किया जावे (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द सफ़ा ७६४)

३—हाकिम अदालतको ज्ञातवत्घातके अपराधमें केवल इसही बातपर भरोसा न करना चाहिये कि मारा गया हुआ मनुष्य तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था, बरन् उसको इस बातपरभी विचार करना चाहिये कि अपराधी इस बातसे जानकार था या नहीं कि उस मारे गए हुए मनुष्य-को उपरोक्त रोग है और उसको चोट पहुँचानेसे बीमारीके कारण उसके प्राण निकल जानेका भय है अथवा नहीं। इ०ला०रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफ़ा ८१५)

४—जब कि मांने जानबूझकर अपने लड़केको इस अभिप्रायसे छोड़ दिया कि वह छोड़नेके कारण मृत्युको प्राप्त हो और वह लड़का छोड़नेके कारण मरजावे तो उसको केवल दफ़ा ३०४

के अनुसार दण्ड दिया जासकता है न कि दफ़ा ३१७ व ३०४ दोनोंकेही अनुसार । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३३९)

५—एक सपेरेने सर्व साधारणके सामने एक विषैले साँपका तमाशा किया जिसके विषैले दाँत उसकी जानकारीमें नहीं निकाले गये थे परन्तु किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेकी इच्छा बिना उसने साँपको तमाशा देखनेवाले एक मनुष्यके शिरपर बिठा दिया उस मनुष्यने साँपके हटानेका यत्न किया साँपने उसको काट खाया और वह मरगया—तजवीज़ हुई कि सपेरेके ज्ञातवत्‌घातका अपराध ज्ञातघातकी सीमातक नहीं पहुँचता । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ३५१)

६—शामको (म) ने एक कारीगर (न) को अपनी स्त्रीके साथ व्यभिचार करते हुए देखा और सुबहको जब बदचलनीके कारण उसके हृदयमें क्रोध आया तब वह (न) के निकट आया और एक हथियारसे उसको उसीस्थानपर मारडाला तजवीज़ हुई कि वह क्रोध उचित रीतिपर था जिसके कारण वह अपने आपेसे बाहर होगया और ज्ञातघातका अपराध घटकर ज्ञातवत् घात का हो गया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफ़ा ३३)

७—(न) रेलवे कम्पनीका नौकर था उसके सिपुर्द चक्रोंके चलानेका काम कुलियोंके द्वारा था, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ किया और इस कारण चक्र उससे छूट गया । उसके आज्ञा देनेके अनुसार कुलियोंमेंसे एक कुलीने चक्रके ठहरा देनेका यत्न किया और वह उसकामके करनेमें मरगया—तजवीज़ हुई कि (न) का काम असावधानीके कारण दफ़ा ३०४ (अ) के अभिप्रायानुसार हुआ जिससे उस कुलीकी मृत्यु हुई । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा २४८)

८—एक कविराजने बवासीरके मस्से काटनेमें साधारण चाकूसे एक मनुष्यपर डाक्टरी वर्त्ताव किया परन्तु वह मनुष्य मरगया—तजवीज़ हुई कि अपराधी चीड़ फाड़के काममें अशिक्षित था और उसको इस काममें भली प्रकारसे जानकारी न थी इसलिये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०४ (अ) के अनुसार यथोचित दण्डकी आज्ञा हुई थी । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफ़ा ५६६)

९—एक बुड्ढी स्त्रीने जिसकी अवस्था ७० वर्ष की थी अठारह वर्षके लड़केको इस प्रकार मारा कि उस मारसे वह मरगया—असिस्टण्ट कमिश्नरकी यह राय थी कि उस स्त्रीने लड़केको शिक्षा देनेके अभिप्रायसे मारा था जैसा कि बहुधा माँ बाप अपने नालायक लड़कोंके साथ किया करते हैं तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि असिस्टण्ट कमिश्नरको मुक़द्दमेके निबटानेका अधिकार न था उसका काम अदालत सेशनमें अपराधीको दफ़ा ३०४ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार सिपुर्द करनेका है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफ़ा २३)

असावधानी करनेसे मृत्युका कारण होना.

(३०४) (अ) यदि कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा ग़फ़लतके कामसे किसी मनुष्यकी ऐसी मृत्युका कारण हो जो ज्ञातवत् घातकी सीमातक न पहुँचे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड उस मीआदतक होगा जो दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या मे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(इस संग्रहके अध्याय ४ व ५ व २३ उन अपराधोंसे सम्बन्ध रखते हैं जो इस उपरोक्त दफ़ाके अनुसार दण्डके योग्य है।)

१—अपराधियोंने एक चोरको इतना मारा कि वह मर गया—उसकी लाश पर मारके १४१ चिह्न थे—उसकी कई पसलियांभी टूट गई थीं—तजवीज़ हाईकोर्टकी यह हुई कि ऐसे मुक़दमेमें दफ़ा ३०४ (अ) का सम्बन्ध नहीं है बरन् अपराधीको दफ़ा ३०४ के अनुसार दण्ड होना चाहिये। (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द ५ सफ़ा २३५)

२—सरकारी घाटके एक ठेकेदारने जिसका काम मुसाफ़िरोंको नदीसे आरपार करनेका था एक टूटी फूटी नावसे काम निकालता था नाव टूटी फूटी होनेके कारण, जबकि वह नदीके पार होरही थी डूब गई और कुछ मनुष्य जो उसमें सवार थे डूबकर मर गये। तजवीज़ हुई कि ठेकेदार घाट दफ़ा ३०४ (अ) के अपराधका अपराधी है। (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द १६ सफ़ा ४७२)

३—अपराधीको दफ़ा ३०४ (अ) के अनुसार क़ैदका दण्ड दिया जाकर जुर्मानेकाभी दण्ड दिया गया और वह जुर्मानेका रुपया मारे गए हुए मनुष्यकी विधवा स्त्रीको दिलाया गया, तजवीज़ हुई कि यह रुपया विधवाको दिया जाना अनुचित है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफ़ा ३५२)

बच्चे अथवा सिड़ीकी आत्महत्यामें सहायता करना.

(३०५) यदि कोई मनुष्य जिसकी अवस्था अठारह वर्षसे कमहो अथवा कोई सिड़ी, अथवा बेहोश, अथवा जन्ममूर्ख अथवा ऐसा मनुष्य जो नशा पिये हो आत्मघातका अपराध करे तो जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको वधका दंड अथवा जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा ऐसी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ३०२ के अनुसार है।

आत्महत्यामें सहायता करना.

(३०६) यदि कोई मनुष्य आत्मघातका अपराध करे तो जो कोई मनुष्य उस आत्मघातके अपराधमें सहायता करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ३०२ के अनुसार है।

र्थ—हेसुतक्ष्ण गाणपत्य, शैव, शाक्त, सौर इन मंत्र व-
विष्णुका मंत्र श्रेष्ठ कह्या है और सो विष्णुका मंत्र वां-
छित फलकुं देवे है और सर्व विष्णुके मंत्रोंमेंभी राम मंत्र श्रेष्ठ है. और तिन वैष्णव मंत्रोंसें राममंत्र अधिक फल देवे है क्योंकि, यह राममंत्र सर्वमंत्रोंका राजा है, तिसते मंत्रराज इसका नाम कह्या है, और यह मंत्रराज सर्वमंत्रोंमें उत्तमसे भी उत्तम है मूल श्लोकमें अति श्रेष्ठ और प्रधान यह दो वि-
शेषण राममंत्रके कहे है, वे दो विशेषण इस अगस्त्य संहिताके प्रमाण करके सिद्ध भये । अब बृहद्ब्रह्म संहिताके प्रमाण कूं कहते हैं ।

श्रीराममंत्रराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः ।
जानाति भगवांच्छंभुर्ज्वलत्पावकलोचनः ॥

अर्थः—श्रीराममंत्रराजके माहात्म्यकूं गिरिजाके पति शंभु भगवान जानते हैं और हारित स्मृतिमेंभी ऐसा कहा हैं की–(अनंता भगवन्मंत्रा नानेन तु समाकृताः) भगवतके मंत्र अनंत हैं परंतु इस राममंत्रके समान कोईभी मंत्र नहीं हैं । और शारदातिलकमेंभी कहा है कि–

वेदानां च यथा सामवेदज्ञो जायते वरम् ।
तथा समस्तमंत्राणां राममंत्रः प्रकीर्तितः ॥

अर्थ–जैसे चार वेदोंमेंसे सामवेदका पढनेवाला श्रेष्ठ होवे है, तैसें समस्त मंत्रोंमें राममंत्र श्रेष्ठ कह्या है–स्कंदपुराणमेंभी–

धरे अथवा रमाशंकरके नौकरोंको देदे कि वह उसको रमाशंकरके आगे रख दें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यके शिरमें तीन लाठियाँ उसके मारडालनेके अभिप्रायसे मारीं, वह मनुष्य बेहोश होकर धरतीमें गिरपड़ा, अपराधीने यह निश्चयकरके कि वह मरगया, उस झोंपड़ेमें जिसमें वह पड़ा हुआ था, इस अभिप्रायसे आग लगादी कि जिससे अपराध होनेका प्रमाण न मिल सके। डाक्टरकी गवाहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने जो चोटें मारी थीं वह मृत्युका कारण न थीं और न वह मृत्युका कारण हुई यथार्थमें मृत्यु जलादेनेके कारण ही हुई । तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधी दफ़ा ३०७ के अनुसार ज्ञातघातका अपराधी है पारसन्स साहब जस्टिसकी यह राय थी कि अपराधी दफ़ा ३०२ के अनुसार ज्ञातघातके अपराधका अपराधी है (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफ़ा १९४)

ज्ञातवत् घातके अपराधका उद्योग.

(३०८) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसी इच्छा अथवा ऐसी जानकारीसे अथवा ऐसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारासे मृत्युका कारण हो तो वह उस ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी हो जो ज्ञातघातकी सीमाको नहीं पहुँचता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

और यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुँचे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने एकाएकी किसी भारी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण रमाशंकरके ऊपर ऐसी पिस्तौल चलाई जब कि कदाचित् रमाशंकरकी मृत्यु होजाती तो शिवशंकर उस ज्ञातवत्घातके अपराधका अपराधी गिना जाता जो कि ज्ञातघातके तुल्य नहीं है तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

आत्मघात करनेका उद्योग.

(३०९) जो कोई मनुष्य आत्मघातके अपराधका उद्योग करे और कोई ऐसा कामकरे जो उपरोक्त अपराधके किये जानेकी ओर झुकता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—एक स्त्री कुएमें गिरकर आत्मघात करनेके अभिप्रायसे कुएके समीपतक दौड़ी गई वहां वह पकड़ लीगई उसको आत्मघात करनेके उद्योगमें दफ़ा ३०९ के अनुसार दण्ड दिया गया तजवीज़ हुई कि अपराधिनी का दंड अनुचित है । ((इ० ला० रि० मदरास जिल्द ८ सफ़ा ५०)

ठग. (३१०) जिस मनुष्यने इस ऐक्टके जारी होनेके पीछे किसी समय, किसी और मनुष्य अथवा और मनुष्योंके साथ स्वाभाविक (आदतन) इस अभिप्रायसे मिलाप रक्खाहो कि ज्ञातघातके द्वारा अथवा ज्ञातघात समेत बलपूर्वक चोरी (सरक़ा बिलजब्र) अथवा बालकोंकी चोरीका अपराध करे वह ठग कहलाया जावेगा ।

दंड. (३११) जो कोई मनुष्य ठग हो उसको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ३०२ के अनुसार है ।

गर्भ गिराने; बिना उत्पन्न हुए बच्चोंको हानि पहुँचाने; बच्चोंको बाहर डाल देने और पैदायश छुपाने के विषयम ।

गर्भ गिराना. (३१२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी स्त्रीके गर्भ गिरानेका कारण हो तो यदि वह गर्भपात शुद्धभावसे उस स्त्रीका जीव बचानेके लिये न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनोंही दण्ड दिये जावेंगे और यदि उस स्त्रीके पेटके बच्चेमें जान पड़गई हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

स्पष्टीकरण—वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस दफ़ाके अभिप्रायमें गिनी जायगी ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—प्रत्येक स्त्री हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३१२ के अभिप्रायानुसार तत्कालही जब कि वह गर्भिणी हो जावे बच्चा उत्पन्न करनेवाली समझी जायगी । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफ़ा ३६९)

बिना स्त्रीकी प्रसन्नताके गर्भ गिराना.

(३१३) जो कोई मनुष्य स्त्रीकी प्रसन्नता बिना उस अपराधका अपराधी हो जिसका वर्णन इसके पहिलेकी पिछली दफ़ामें किया गया है, चाहे उस स्त्रीके पेटके बच्चेमें जीव पड़गया हो अथवा नहीं— तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं हो सकती (५) राज़ीनामा नहीं है ।

मृत्यु जो किसी ऐसे कामके कारण हो जो गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे किया जाय.

(३१४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे कोई ऐसा काम करे जो उस स्त्रीकी मृत्युका कारण हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

यदि काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके किया गयाहो.

और यदि वह काम बिना प्रसन्नता उस स्त्रीके कियाजाय तो या तो उसे जन्मभरके देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा अथवा वह दंड दिया जावेगा जिसका वर्णन पहिले किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके लिये अपराधीको यह जाननेकी आवश्यकता नहीं है कि उस कामसे मृत्युके होनेकी सम्भावना है ।

टीप—दफ़ा ३१३ के अनुसार है ।

१—अपराधीने एक स्त्रीका गर्भ गिरानेके अभिप्रायसे उसको दवादी और वह स्त्री उसके खानेसे मर गई परंतु यह बात न प्रमाणित हुई कि अपराधी इस बातको जानता था कि इस दवासे मृत्युके हो जानेका भय है । हाईकोर्टने अपराधीको ज्ञातघातके अपराधसे बरी किया परंतु हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३१४ के अपराधमें उसको दण्ड दिया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा ५९)

(३१५) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेके उत्पन्न होनेसे पहिले कोई काम इस अभिप्रायसे करे कि वह उसके कारणसे उस बच्चेको जीवित उत्पन्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्पन्न होनेके पीछे उसकी मृत्युका कारण हो और यथार्थमें ही उसके ऐसे कामके द्वारा वह बच्चा जीवित उत्पन्न होनेसे रुक जावे अथवा उत्पन्न होनेके पीछे मरजावे तो यदि वह काम मांका प्राण बचानेकी इच्छासे न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दशवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

कोई काम जो इस अभिप्रायसे किया जाय कि बालक जीवित न उत्पन्न होने पावे अथवा उत्पन्न होनेसे पीछे मर जाय.

टीप—दफ़ा ३१३ के अनुसार है ।

(३१६) जो कोई मनुष्य ऐसी अवस्थामें कोई कामकरे कि यदि उसके द्वारा मृत्यु हो जाती तो वह ज्ञातवत्घातका अपराधी होता और उस कामके द्वारा किसी जीवित बच्चेकी मृत्यु करे जो अभीतक उत्पन्न नहीं हुआ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

मृत्यु करनी किसी ऐसे बच्चेकी जो उत्पन्न न हुवा हो परंतु पेटमें जीव पड़गया हो कोई ऐसा काम करके जो ज्ञातवत्घातकी सीमा तक पहुँचताहो.

उदाहरण ।

शिवशंकर यह जानकर कि इस कामके करनेसे किसी गर्भवती स्त्रीकी मृत्यु होनी अति सम्भवित है कोई ऐसा काम करे कि कदाचित उससे उस स्त्रीकी मृत्यु हो जाती तो वह काम ज्ञातवत्घातके समान गिना जाता, उस कामसे उस स्त्रीको दुःख तो हुआ परंतु मरी नहीं हां उसके गर्भमें जो बालक था और उसमें जीव पड़ गया था वह उस दुःखके कारण मर गया तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

टीप—दफ़ा ३१३ के अनुसार है ।

(३१७) जो कोई मनुष्य किसी बारह वर्षसे न्यून आयु वाले लड़केका बाप अथवा मां अथवा रक्षक होकर उस लड़केको किसी स्थानमें इस अभिप्रायसे डाल दे अथवा छोड़दे कि उसका सम्बंध छूट जाय तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

मां बाप अथवा किसी रक्षक मनुष्यका बारह वर्ष से न्यून आयुके बच्चेको डाल देना अथवा छोड़ देना.

स्पष्टीकरण--इस दफ़ासे यह अभिप्राय नहीं है कि यदि इस प्रकारपर डाल देनेसे वह लड़का मर जावे तो अपराधीका विचार ज्ञातघात अथवा ज्ञातवत्घातके अपराधमें जैसी कि अवस्था होवे न किया जावे।

टीप—दफ़ा ३१३ के अनुसार है।

१—अपराधिनीने अपने बच्चेको इस अभिप्रायसे छोड़ दिया कि उसका इस प्रकारसे छोड़ा जाना मृत्युका कारण होगा और बच्चा भी उसी प्रकारसे छोड़े जानेके कारण मर गया तजवीज़ हुई कि, उस स्त्रीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित करना चाहिये था न कि दफ़ा ३०४ व ३१७ के अनुसार। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३४९)

२—एक स्त्रीके उस समय बच्चा उत्पन्न हुआ जब वह अपने मायकेमें रहती थी और उस समय उसका पति कश्मीरमें था—उपरोक्त स्त्रीकी मां उस बच्चेको उस स्त्रीके पतिकी बहिनके यहां ले गई और वह बच्चा नंगा उसकी गोदमें रख दिया और कहा कि यह तेरे भाईका लड़का है उस स्त्रीकी मां चली आई और वह बच्चा कुछ घंटोंके पीछे मर गया तजवीज़ हुई कि उस स्त्रीकी मांने कोई अपराध दफ़ा ३१७ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार नहीं किया और न उस स्त्रीने ही उस अपराधके करनेमें सहायताकी। (पंजाब रिकार्ड नं० ३३ सन् १८७२ ई०)

किसी बालककी लाश को चुपकेसे अलग करके उसकी पैदायशको छुपाना.

(३१८) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेकी लाशको गुपचुप गाड़ करके अथवा और किसी भांति अलग करके उसका उत्पन्न होना जान बूझकर छुपावेगा अथवा छुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह बालक उत्पन्न होनेसे पहिले मरा हो चाहे पीछे—उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकेगी अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—किसी मनुष्यपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३१८ के अनुसार उस अवस्थामें अपराध नहीं ठहराया जा सकता जब कि उसने चार महीनेके पुतलेको छिपाया हो (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास एंडकस जिल्द ४ सफ़ा ६३)

दुःख (ज़ररके) बयानमें ।

दुःख. (३१९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको शारीरिक पीड़ा अथवा शारीरिक रोग अथवा शारीरिक निर्बलता पहुँचावे तो कहा जायगा कि उसने दुःख पहुँचाया ।

भारी दुःख. (३२०) नीचे लिखे प्रकारोंका दुःख भारी दुःख कहलावेगा ।

पहिले--किसीको हिजड़ा बना देना--

दूसरे--किसी एक आंखको सदैवके लिये फोड़ देना--

तीसरे--किसी एक कानकी श्रवणशक्तिको सदैवके लिये रहित कर देना--

चौथे--किसी अंग अथवा जोड़को नष्टकर देना--

पांचवें--किसी अंग अथवा जोड़को सदैवके लिये तोड़ डालना अथवा निर्बल कर देना--

छठवें--शिर अथवा चेहरेको सदैवके लिये कुरूप कर देना--

सातवें--किसी हड्डी अथवा दांतका तोड़ डाला जाना अथवा उखाड़ डाला जाना--

आठवें--कोई दुःख जो जीवको जोखिममें डाले अथवा उस मनुष्यको जिसको दुःख दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीड़ा सहावे अथवा उसको अपने साधारण उद्यमके करनेके अयोग्य कर दे ।

जानबूझकर दुःख पहुँचाना. (३२१) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे कोई काम करे कि उसकेद्वारा किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाए अथवा इस कामके होनेको सम्भावित जानकर कि उस कामके द्वारा वह किसी मनुष्यको चोट पहुँचावेगा और उसकेद्वारा वह किसी मनुष्यको दुःख (ज़रर) पहुँचावे तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर दुःख पहुँचाया ।

जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाना. (३२२) जो कोई मनुष्य जानबूझकर दुःख (ज़रर) पहुँचावे तो यदि वह दुःख जिसका पहुँचाना उसकी इच्छामें हो अथवा जिसको वह जानता हो कि उससे उसके पहुँचनेका सम्भव है भारी दुःख (ज़रर शदीद) हो और जो दुःख (ज़रर) उसने पहुँचाया है वह भारी दुःख है तो कहा जायगा कि उसने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया ।

स्पष्टीकरण-यह बात कि एक मनुष्यने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया, न कही जायगी सिवाय इसके कि वह भारी दुःख पहुँचाए और उसकी यह भी इच्छा हो अथवा इस कामके होनेका सम्भव उसकी जानकारीमें हो कि उस कामकेद्वारा भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचेगा परंतु यदि वह यह इच्छा करके अथवा इस कामके होनेका सम्भवजानकर कि वह एक प्रकारका भारी दुःख पहुँचावेगा वास्तवमें किसी और प्रकारका भारी दुःख पहुँचाए तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया।

उदाहरण।

शिवशंकर इस अभिप्रायसे अथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके चेहरेको सदैवके लिये कुरूप करदे रमाशंकरके एक चोट लगाए जो रमाशंकरके चेहरेको सदैवके लिये तो कुरूप न करे परंतु उसके कारणसे बीश दीन तक रमाशंकरको कठिन शारीरक पीड़ामें फँसाया रक्खे तो शिवशंकरने जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाया।

१—(क) ने (ख) और (ग) को आज्ञादी कि तुम (घ) को बलपूर्वक पकड़ ले जाकर उसपर आक्रमण करो—इसपर (घ) इतना मारा गया और उसे दुःख पहुँचाया गया कि जिसके कारण वह मर गया—हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि (क) जान बूझकर भारी दुःख पहुँचानेके अपराधकी सहायताका अपराधी है। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ६१)

जान बूझकर दुःख पहुँचानेका दण्ड।

(३२३) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफ़ा ३३४ में आज्ञा है जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा हो सकता है।

१—अपराधीने, कि जिसे उसकी स्त्रीने भारी क्रोध दिलाया, दोनों हाथोंसे बल पूर्वक पृथ्वीपर उस स्त्रीको गिरा दिया; और जब वह नीचे गिर गई तब उसको कई एक थप्पड़ मारे—इस दुःखसे स्त्री मर गई—डाक्टरके बयानसे जाना गया कि उसकी लाशपर कोई भारी मारके चिह्न थे, परंतु उसकी तिल्ली बढ़ी हुई थी और उसकी मृत्यु तिल्ली फटनेके कारण हुई ऐसी अवस्थामें अपराधी केवल दुःख पहुँचानेका अपराधी ठहराया गया न कि ज्ञातवत्‌घातका। (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा १७)

२—जब किसी मनुष्यकी तजवीज़ जब मुजरिमानाके मध्ये की जावे और वह उस अपराध से छूट जावे तो फिर उसपर उसी कामके मध्ये दुःख (ज़रर ख़फ़ीफ़) पहुँचानेका अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द १६ सफ़ा ३)

३—अपराधीके पंखा झलनेवाले मनुष्यकी तिहाल (तिल्ली) में कोई रोग था और अपराधी इस बातको न जानता था—अपराधीने उस मनुष्यको उसकी सुस्ती के कारण दो एकबार मारा और जो चोट कि उसको पहुँची वह उसकी मृत्युका कारण हुई—यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी नथी—तजवीज़ हुई कि अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३२३ के अनुसार दुःख (जरर) पहुँचानेका अपराधी है (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ५२२)

४—एक ओर चिरंजी और दूसरी ओर इन्दर और बचामें लड़ाई हुई चिरंजीने इन्दरको गालीदी इसलिये इन्दरने उसको एक छड़ी मारी और बचाने चिरंजीके शिरमें कुल्हाडी मार कर उसको गिरा दिया इसके अतिरिक्त चिरंजीके शरीरमें और भी दो चोटें कुल्हाड़ीकी थीं—चिरंजी शिरकी चोटके कारण मरगया—शेसन जज्जने इन्दर और बचाको दफ़ा ३०४ का अपराधी ठहगया और फिर उन्हें दश वर्षकी कठिन क़ैदका दण्ड दिया गया—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि इन्दरका काम बचाके कामसे अलग था इसलिये मुक़द्दमा हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३८ में दाखिल था—इसलिये इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीनेके कठिन क़ैदका दण्ड देना चाहिये । (वीक्लीनोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन् १८८२ ई० सफ़ा २३)

(३२४) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफ़ा ३३४में आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोडने अथवा भोंकने अथवा काटनेके किसी हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा, जिसको हथियारकी भाँति काममें लाएं तो उसके कारणसे मृत्युका होना अति सम्भवित है अथवा आग अथवा किसी गर्म किये हुये पदार्थके द्वारा अथवा विष अथवा शरीरको गलित करनेवाले पदार्थ द्वारा अथवा भकसे उड़जानेवाले किसी पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने अथवा निकालने अथवा रुधिरमें पहुँचानेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो, अथवा किसी पशुके द्वारा जान बूझकर दुःख पहुँचाये तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

जोखिम हथियारों अथवा उपायों द्वारा जान बूझकर दुःख पहुँचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन, अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल अथवा मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा हो सकता है जब कि उस अदालतसे आज्ञा लीजाय कि जिसके सामने मुक़द्दमा पेश है ।

१—जब कुछ मनुष्य मिलकर किसी मनुष्य पर आक्रमण (हमला) करें और फल यह हो कि उस मनुष्यका हाथ टूट जाए तो भारी दुःख (ज़ररशदीद) के पहुँचानेका अपराध समझा जायगा न कि आक्रमणका । (वीक्लीरिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा १२)

२—किसी क़ानूनविरुद्ध जमावको जिसके दूसरी साझी भारी दुःख (ज़ररशदीद) के अपराधी हुए हों बलवा के अपराध और ज़ररशदीदके अपराधमें अलग २ दंड नहीं दिया जा सकता (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा १२१)

३—भारी दुःख (ज़ररशदीद) के अपराधमें केवल जुर्मानेकाही दण्ड न होना चाहिये वरन् क़ैद और जुर्माना दोनों होना चाहिये।

४—जिस मनुष्यपर ज़ररशदीदका अपराध ठहराया जावे वह तजवीज़के लिये सेशनमें सिपुर्द होना चाहिये। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १०१)

जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाने का दण्ड.

(३२५) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफ़ा ३३५ में आज्ञा है जानबूझकर भारी दुःख (जररशदीद) पहुँचावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्ष-तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—अपराधीने एक स्त्रीके शिर और कन्धेको जिसकी गोदमें बच्चा था दुःख पहुँचाया जिसकी चोटसे बच्चा मरगया—तजवीज़ हुई कि वह मनुष्य भारी दुःख (ज़ररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ३ सफ़ा ६२३)

२—(ब) ने जानबूझकर (न) को जो तिल्लीकी बीमारीमें फँसा था इस निश्चयसे कि उसको ज़ररशदीद पहुँचे दुःख (ज़रर) पहुँचाया परंतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा शारीरिक चोटके पहुँचानेका न था—(न) उस दुःखके कारण मरगया—तजवीज़ हुई कि विचार अपराधीका जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेके अपराधमें होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ७६६)

३—एक मनुष्यने एक टुकड़ा ईंटका एक मनुष्यको मारा जो उसकी तिल्लीपर लगा और जिसके कारण वह मरगया—यद्यपि अपराधीकी इच्छा उसके मार डालनेकी न थी तजवीज़ हुई कि अपराध जानबूझकर दुःख पहुँचानेका है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ५९७)

४—जब कोई मनुष्य दूसरेको एक ऐसा घूंसा जो मृत्युका कारण हो विना इच्छा मृत्युके मारे वह जान बूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) के पहुँचानेका अपराधी है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ७७६)

५---किसी क़ानूनविरुद्ध जमावको जिसके कुछ साझियोंने भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाया हो—क़ानूनानुसार बलवेके अपराध और ज़ररशदीदके अपराधमें दण्ड नहीं होसकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा १२१)

६—तीन मनुष्योंको, जो अपराधी बलवा करनेके थे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा १४७ के अनुसार और उपरोक्त बलवाके समय भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचानेके हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफ़ा ३२५ के अनुसार ठहराए गए थे—छह २ महीनेका दण्ड दफ़ा १४७ में और तीन तीन महीनेका दण्ड दफ़ा ३२५ के अपराधमें हुआ पिथरम साहब चीफ़ जस्टिस और स्ट्रेट साहब व टरल साहबने तजवीज़की कि मिसलकी गवाहियोंसे जान पडता था कि तीनों अपराधियोंने अलग २ कामोंका अपराध किया था जिनसे अलग २ भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचानेका अपराध विना सम्बंध बलवेके अपराधके उत्पन्न हुआ था-इसलिये दफ़ा १४७ व ३२५ के अपराधमें अलग २ दण्द दिया जाना अनुचित न था । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ७५७)

जोखिम हथियारों अथवा उपायोंके द्वारा जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना.

(३२६) जो कोई मनुष्य उस अवस्थाके अतिरिक्त जिसके मध्ये दफ़ा ३२५ में आज्ञा है तीर अथवा गोली आदि छोड़ने अथवा भोंकने या काटनेके हथियार अथवा किसी ऐसे हथियारके द्वारा, जिसको हथियार की भाँति काममें लाएं तो उसके कारणसे मृत्युके होने की सम्भावनाहो अथवा आग या किसी गर्म किये हुये पदार्थके द्वारा अथवा विष या शरीरको गलित करनेवाले पदार्थके द्वारा अथवा भकसे उड़ जानेवाले पदार्थके द्वारा अथवा किसी ऐसे पदार्थके द्वारा, जिसको श्वासके द्वारा लेने या रुधिरमें पहुँचाने या निगलनेसे मनुष्यके शरीरको अचेतना होती हो अथवा किसी पशुके द्वारा जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए तो उस मनुष्यको जन्म भरके देश निकालेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप-(१) अदालत सेशन या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेटने दफ़ा ३२६ के अपराधमें अपराधीको दो वर्षकी कठिन क़ैदका दण्ड दिया—लोकल गवर्नमेंटने दण्डको मुनासिब न समझकर हाईकोर्टसे दुबारा तजवीज़ होनेका विचार किया—तजवीज़ हुई कि दफ़ा ३२६ के अपराधमें जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा १० वर्षकी कठिन क़ैद या जुर्मानेका दण्ड नियत है—प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेटको चाहिये था कि अपराधीको तजवीज़के लिये हाईकोर्टके सिपुर्द करते । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफ़ा ५८)

दबाकर कोई माल लेनेके लिये (मालका इस्तेहसाल बिलजब्र) अथवा किसी अनुचित काम पर विवश करनेके लिये जानबूझकर दुःख(ज़रर)पहुँचाना.

(३२७) जो कोई मनुष्य, जानबूझकर इस अभिप्रायसे दुःख पहुँचाए कि उस दुःख सहनेवाले मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखताहो, किसी माल अथवा किफ़ालतुलमाल को दबाकर प्राप्त करे अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको, जो उस दुःख सहनेवालेसे स्वार्थ रखता हो, कोई ऐसा काम करने पर विवश करे जो क़ानूनविरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होजाना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा (दफ़ा ४० को देखो)

टीप-(१) अ़दालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—एक मनुष्यने दूसरे मनुष्यको एक कांटेदार पेड़की डालीसे इस इच्छासे कोड़े मारे कि उससे कोई धन बलपूर्वकले-मजिस्ट्रेटने दफ़ा ३२३ के दुःख (ज़रर ख़फ़ीफ़) का अपराध और दफ़ा ३८४ के अन्यायपूर्वक धन लेने (इस्तहसालबिलजब्र) का अपराध उसपर प्रमाणित किया, यद्यपि उस पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३२७के अनुसार अभियोगका विचार करना चाहिये था । (वी० रि० जिल्द १८ सफ़ा ८)

दुःख (ज़रर) आदि पहुँचानेके अभिप्रायसे अचेत करनेवाली ओषधि खिलाना.

(३२८) जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका विष अथवा कोई अचेत करनेवाली अथवा नशा लानेवाली अथवा आरोग्यतामें हानि पहुँचानेवाली ओषधि अथवा दूसरा पदार्थ इस अभिप्रायसे, किसी मनुष्यको खिलाए अथवा खिलवाए कि, उस मनुष्यको दुःख (ज़रर) पहुँचे अथवा इस अभिप्रायसे, कि, किसी अपराधको करे अथवा इस अभिप्रायसे कि, किसी अपराधका होना उससे सहल होजावे अथवा यह जानकर कि उससे दुःख पहुँचनेका संभव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड किया जावेगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । (दफ़ा ४० को देखो)

टीप-(१) अ़दालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिला ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपने ताड़ीके बर्त्तनोंमें थूहड़का दूध यह जानकर रखदिया कि यदि उसको कोई मनुष्य पीजावेगा तो उसको दुःख पहुँचेगा—और अभिप्राय उसका यह था कि उसके द्वारा वह उस चोरको पकड़ पावे जो चुराकर उन बर्त्तनोंसे ताड़ी लेजाया करता था-कुछ

सिपाहियोंने वह दूध मिली ताड़ी एक मनुष्यसे मोल लेकर पीली और उससे उनको हानि पहुँची हाईकोर्टकी तजवीज़ हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३२८ के अनुसार उचित रीति पर दण्ड दिया गया है और दफ़ा ८१ का ऐसे अभियोगसे सम्बन्ध नहीं है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ५९)

धनको दबाकर लेने अथवा किसी अनुचितकामपर विवश करनेके लिये जान बूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना.

(३२९) जो कोई मनुष्य जान बूझकर इस अभिप्रायसे भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए, कि, दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी मनुष्यसे जो दुःख सहने वालेसे सम्बन्ध रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालको दबाकर प्राप्त करे अथवा इस अभिप्रायसे कि, दुःख सहनेवाले मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो दुःख सहनेवाले मनुष्यसे स्वार्थ रखता है कोई ऐसा काम करनेपर विवश करे जो क़ानूनके विरुद्ध है अथवा जिससे किसी अपराधका होना सहल होजावे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये काले पानीका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफ़ा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं हो सकती (५) राज़ीनामा नहीं है।

दबाकर इक़रार कराने अथवा दबाकर किसी धनके लौटानेपर विवश करनेके लिये जान बूझकर दुःख पहुँचाना।

(३३०) जो कोई मनुष्य जान बूझकर इसलिये दुःख पहुँचावे कि, दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो दबाकर कोई ऐसा इक़रार अथवा मुखबिरी (समाचारका देना) कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इसलिये कि, दुःख सहने वालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहने वालेसे स्वार्थ रखता हो, दबाकर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई दावा अथवा तगादा चुकावे अथवा ऐसी मुखबिरी जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगमहो, करावे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दंड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफ़ा ४० को देखो)

उदाहरण।

(क) शिवशंकर कि जो ओहदेदार पोलीस है, रमाशंकरको इसलिये दुःख देवे कि वह (रमाशंकर) यह इक़रार करे कि उसने कोई अपराध किया है–तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

(ख) शिवशंकर कि, जो एक ओहदेदार पोलीस है, रमाशंकरको यह बात दबाकर पूछनेके लिये दुःख दे कि चोरीका अमुक माल कहां रक्खा है तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

(ग) शिवशंकर, कि जो एक ओहदेदार माल है, रमाशंकरको इस कारण दुःख दे कि उससे दबाकर मालगुज़ारीकी बाक़ीका वाजिबी रुपया वसूल करे तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

(घ) शिवशंकर, कि जो एक ज़मींदार है किसी काश्तकारको लगानका रुपया देनेपर विवशकरनेके लिये दुःख पहुँचावे, तो शिवशंकर इस दफ़ाके अनुसार एक अपराधका अपराधी है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—अपराधीने अपनी स्त्रीको इस बातपर दबाकर विवशकरनेके लिये जानबूझकर दुःख पहुँचाया कि वह उसके घर चले—वह हिन्दुस्थानके दंड संग्रहकी दफ़ा ३३० के अनुसार दोषी प्रमाणित हुआ तजवीज़ हाईकोर्ट हुई कि तजवीज़ अनुचित थी। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफ़ा २५७)

दबाकर इक़रार कराने अथवा कुछ माल फेर लेनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना.

(३३१) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इसलिये भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए कि दुःख सहनेवालेसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो दुःख सहनेवालेसे अभिप्राय रखता हो, दबाकर कोई ऐसा इक़रार अथवा मुख़बिरी कराए जिससे किसी अपराधका अथवा चालचलन सम्बन्धी अपराधका पता लगसके अथवा इसलिये कि दुःख सहनेवालेसे अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रखता हो उससे दबा कर कोई माल अथवा किफालतुलमाल फेरे अथवा फिरावे या कोई तगादा चुकावे अथवा दबाकर ऐसी मुखबिरी करानेमें जिससे किसी माल अथवा किफालतुलमालका फेर पाना सुगम हो, विवश करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफ़ा ४० को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ४) जमानत नहीं होसकती (६) राज़ीनामा नहीं हो सकता।

(३३२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका जो सरकारी नौकर है और जब कि वह अपनी नौकरीके कारण अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए या इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसकी सरकारी नौकरीके कारण उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए जानबूझकर दुःख पहुँचाए या किसी कामके कारण, जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीके कारण अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारको क़ैदका दंड दिया जायगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

सरकारी नौकरको, उसके काम करनेमें डराकर न करनेके अभिप्रायसे जानबूझकर दुःख पहुँचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(३३३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जो सरकारी नौकर हो और वह अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेका काम कररहा हो जान बूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह उस मनुष्यको अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसके ओहदेका काम करनेसे रोके अथवा डराए वा जानबूझकर भारी दुःख पहुँचाए, अथवा किसी कामके कारण जो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिपर अपने ओहदेके उचित काममें किया हो अथवा करनेका यत्न किया हो, जान बूझकर भारी दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्माने के भी योग्य होगा।

सरकारी नौकरको, अपने ओहदेका काम भुगतानेमें डराकर न करनेके लिये जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना.

टीप—दफ़ा ३३१ के अनुसार है।

(३३४) जो कोई मनुष्य भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेके कारण जानबूझकर किसीको दुःख पहुँचावे तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त, कि जिसके कारण वह क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे मनुष्यको दुःख पहुँचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे दुःख पहुँचानेकी होनहारीको वह न जानता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर दुःख पहुँचाना.

प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पांचसौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा होसकता है ।

१—क्रोध दिलानेके कारण, उस मनुष्यको दुःख पहुँचाना जिसने क्रोध उत्पन्न कराया दफ़ा ३३४ के अनुसार दण्ड योग्य है न कि दफ़ा ३२४ के अनुसार । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १७)

क्रोध दिलानेपर जानबूझकर भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना.

(३३५) जो कोई मनुष्य किसी भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेवाले कामके कारण जानबूझकर किसीको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचावे तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त कि जिससे वह क्रोध पहुँचा, किसी दूसरे मनुष्यको भारी दुःख पहुँचाना उसकी इच्छामें न हो अथवा ऐसे भारी दुःख (ज़ररशदीद) के पहुँचाने की होनहारी को वह न जानता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद चारवर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दो हज़ार रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—पिछली दोनों दफ़ायें उन्हीं नियमोंके आधीन हैं, जिनके आधीन ३०० की पहिली छूट है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा, अदालतकी आज्ञा लिये जाने पर होसकता है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यको जब कि वह रातके समय अपराधीके कमरेमें उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेके अभिप्रायसे घुसता था, एक घातक हथियारकी चोटसे मार डाला तजवीज़ हुई कि अपराधीने भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचानेका अपराध किया कि जो एकाएकी और भारी क्रोधके कारण किया गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ५५)

उस कामका दण्ड जो प्राण अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें विघ्न डाले ।

(३३६) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधडकपने अथवा असावधानीसे करे कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारिरिक कुशलताको जोखिम पहुँचे तो उस मनुष्य को दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो अढ़ाई सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दियेजावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट, (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—जो मल्लाह ऐसी नाव चलावे जो नदीमें चलने योग्य न हो और उसके कारण मुसाफिरोंके प्राणोंकी जोखिम हो तो उसपर दफ़ा २८२ हिं० दं० के अपराधको ठहराना चाहिये न कि दफ़ा ३३६ के अपराधको। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १३७)

ऐसे कामसे दुःख पहुँचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले.

(३३७) जो कोई मनुष्य कोई काम ऐसे निधड़कपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको दुःख (ज़रर) पहुँचाए-तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद छः महीनेतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पांच सौ रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा ३३५ के अनुसार है।

ऐसे कामसे भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाना जो जान अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलतामें जोखिम डाले.

(३३८) जो मनुष्य कोई काम ऐसे निधड़कपने अथवा असावधानीके साथ करनेसे, कि उससे मनुष्यके प्राणको अथवा औरोंकी शारीरिक कुशलताको जोखिम हो, किसी मनुष्यको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दियेजावेंगे।

टीप—दफ़ा ३३५ के अनुसार है।

१—अपराधीको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचानेके अपराधमें दफ़ा ३३८ हिं० दं० के अनुसार दण्ड दिया गया-गवाहीसे यह जान पड़ा कि अपराधी गाड़ीमें सवार होकर अपने घरको शहरकी सड़कोंमें होकर रातके ७ आठ बजे जारहा था; गाड़ी साधारण चालसे सड़कके बीचोंबीच जाती थी, रात अंधेरी थी और गाड़ीमें लेम्प न थे परन्तु कोचवान और साईस सड़क पर आने जानेवाले मनुष्योंको सावधान करनेके अभिप्रायसे चिल्लाते थे; इतनेमें अपराधीकी गाड़ीने एक मनुष्यसे टक्कर खाई जो एक बुड्ढा और बहरा आदमी था, वह मनुष्य गिरपड़ा और उसके ऊपरसे गाड़ी चली गई और इस कारण उसके प्राण निकल गए-तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि अदालतको इस बातका फ़ैसला करना था कि गवाही इस प्रकारकी है अथवा नहीं कि जिससे उस मनुष्यका मरना ऐसे कामसे पाया जावे कि जो अपराधीके निधड़कपने अथवा असावधानीसे हुवा हो, परन्तु इस मुक़द्दमेमें ऐसी गवाही नहीं है इसलिये अपराधी छोड़ा गया। (मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफ़ा ३१ अपील)

अनीति रोक (मुज़ाहिमतबेजा और अनीतिबन्धन (हब्सबेजा) के विषय म ।

(३३९) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको जानबूझकर इसप्रकार रोकेगा कि जिससे वह मनुष्य ऐसी दिशाकी ओर जानेसे रुकारहे कि जिसमें वह जानेका अधिकार रखता हो, तो कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यकी अनीति रोक (मुज़ाहिमतबेजा) की ।

अनीतिरोक (मुज़ाहिमतबेजा):

रोकना किसी ऐसे निजके रास्तेका, चाहे थलका हो चाहे जलका, जिसके मध्ये कोई मनुष्य शुद्धभावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अधिकार रखता है, इस दफ़ाके अभिप्रायके अनुसार अपराध नहीं है ।

उदाहरण

शिवशंकरने एक रास्तेको, जिसमें रमाशंकरके चलनेका अधिकार है रोका, और शिवशंकर शुद्ध भावके साथ यह निश्चय नहीं करता था कि वह उस रास्तेके रोकनेका अधिकारी है- इस कारण रमाशंकर उस रास्तेमें चलने फिरनेसे रोकाजावे–तो ऐसी अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरकी अनीति रोक की ।

१--जब कोई पोलीसका ओहदेदार किसी एक मनुष्यको उसके घर न जाने दे जबतक कि वह ज़मानत न दाखिल करे तो यदि वह ओहदेदार शुद्धभावसे इस कार्रवाईको न करे तो कहा जायगा कि उसने इस दफ़ाके अनुसार अनीति रोकका अपराध किया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा २०)

(३४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी इस प्रकार पर अनीतिरोक करे कि उस मनुष्यको किसी मुख्य नियत की हुई सीमाके बाहर जानेसे रोके तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने उस के मध्ये अनीतिबंधन (हब्सबेजा) किया ।

अनीतिबंधन (हब्सबेजा)

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको दीवार खिंचे हुए किसी घरके भीतर करके ताला लगा दे इससे रमाशंकर उस घरकी दीवारके बाहर किसी ओर जानेसे रुक जाए तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधन में रक्खा ।

(ख) यदि शिवशंकर किसी घरके द्वारपर गोली मारनेके हथियार लिये हुए मनुष्योंको बिठा देवे और रमाशंकरसे कहे कि जो तू घरके बाहर निकलनेका यत्न करेगा तो वे मनुष्य तुझे गोली मारेंगे–तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधनमें रक्खा ।

१—किसी मुक़द्दमेमें अफ्सर पोलीसको दफ़ा १५२ ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० ज़ाबता फ़ौजदारीके अनुसार किसी मनुष्यको एक घंटा भी रोक रखनेका अधिकार नहीं है, सिवाय उस अवस्थामें कि जब मुक़द्दमेमें कोई उचित कारण हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ८८)

२—किसी मनुष्यको बलपूर्वक उसकी इच्छाके विरुद्ध किसी मुख्य स्थानपर रोक रखना अथवा किसी मुख्य रास्तेसे जानेपर विवश करना अनीतिबंधनमें गिना जायगा । (रिपोर्ट हाई-कोर्ट मदरास जिल्द २ सफ़ा ३९६)

३—कीना अर्थात् डाह अपराध "अनीतिबंधन" के लिये जिसका लक्षण दफ़ा ३४० हिं० दं० में कहा गया है, आवश्यकीय जुज़ (टुकड़ा) नहीं है--अपराधका होना उस समय कहा जावेगा कि जब कोई मनुष्य इस प्रकारपर अनुचित रीतिसे रोका जावे कि जिससे वह एक नियत की हुई सीमाके बाहर न जासके--और किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकाजाना उस अवस्थामें कहा जावेगा कि जब वह जानबूझकर इस प्रकारसे रोकाजावे कि जिससे वह किसी ऐसी ओर जानेसे रुका रहै कि जिधर जानेका वह अधिकार रखता है । (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द १३ सफ़ा २७७)

अनीतिरोक का दण्ड.

(३४१) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी अनीति रोक करे तो उसको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारीहोगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा है ।

१—एक मनुष्यने ले जानेके लिये कुछ माल गाड़ीपर रक्खा--अपराधीने बैलोंको जुएसे खोलकर मालको गाड़ीसे सड़कपर गिरा दिया तब वह मनुष्य मालको छोड़कर चलागया--तजवीज़ हुई कि अपराध दफ़ा ३४१ का नहीं होसकता परंतु उपरोक्त अपराध दफ़ा ४१५ हिं० दं० में गिना जायगा । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफ़ा ५५)

२—अपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाड़ी समेत एक मुख्य दिशाकी ओर जानेसे रोका और उसपर एक झूठा दोष लगाकर उससे कुछ रुपया अनुचित रीतिपर लिया--तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधीने अनीतिरोकका अपराध किया न कि चोरीका । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा ३५)

अनीतिबंधनका दण्ड.

(३४२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रक्खे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है अथवा जर्मानेका दण्ड जो १००) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है।

१—यदि कोई अफसर पोलीस किसी मनुष्यको स्वयं पकड़नेके बदले किसी बिना नौकर सरकारको उसको पकड़ने और अपनी चौकसीमें रखनेकी आज्ञा दे तो वह अफसरही उस बातका ज़िम्मेदार है क्योंकि जो मनुष्य उसकी आज्ञानुसार पकड़ा जावे वह क़ानूनानुसार उसीकी चौकसीमें समझा जावेगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ४)

२—फरियादी (मुस्तग़ीस) ने अपराधीपर अनीतिरोक और अनीतिबंधनके मध्ये अदालतमें नालिश की—जवाब यह था कि फरियादीने अपराधीपर आक्रमण (हमला) किया और उस कारणसे वह पकड़ा गया—और जबतक पोलीस इन्स्पेक्टरने नहीं छोड़ा तबतक अनीतिबंधनमें रहा; साहब मजिस्ट्रेटने ४ महीनेका दण्ड दिया—तजवीज़ हुई कि अपराधका विचार अनुचित था, जो कि अपराधीको मुक़द्दमेकी दशा देखकर इस बातका दृढ़ संदेह होगया था कि जो कपड़ा फरियादीके यहां है वह चोरीका माल है, इसलिये उसके मध्ये फरियादीसे पूछना उसका उचित काम था जिनके उत्तरोंसे उसका संदेह दूर होता—और उसने ऐसे उत्तरपाए कि जो माननेके योग्य न थे। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १२ सफ़ा ३७७)

तीन या अधिक दिन-तक अनीतिबंधन.

(३४३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिन अथवा अधिक दिन तक अनीतिबंधनमें रक्खे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

दश अथवा अधिक दिन तक अनीतिबंधन.

(३४४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दश अथवा अधिक दिनोंतक अनीतिबंधनमें रक्खे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—जो मनुष्य अनीतिबन्धनका अपराधी दफ़ा ३४४ के अनुसार ठहराया जावे उसको केवल जुर्मानेकाही दण्ड न होना चाहिये, बरन् क़ैद भी होना चाहिये। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा ३९)

(३४५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबंधनमें रक्खे यह जान कर कि उस मनुष्यका छोड़ देनेके लिये क़ानूनानुसार आज्ञापत्र (हुक्मनामा) जारी होचुका है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और यह उस क़ैदकी मीआद के अतिरिक्त होगी जिसका वह इस संग्रहकी किसी और दफ़ाके अनुसार योग्य होगा।

उस मनुष्यको अनीतिबंधनमें रखना जिसके छुटकारेकी आज्ञा होचुकी है.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन् जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(३४६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस प्रकारसे अनीतिबंधनमें रक्खे कि जिस से यह इच्छा प्रगट हो कि उस मनुष्य का अनीतिबंधनमें रक्खा जाना किसी मनुष्यको जो अनीतिबंधनमें रक्खे गए मनुष्यसे अभिप्राय रखता हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न मालूम होसके अथवा यह कि उस अनीतिबंधनका स्थान ऐसे मनुष्य या सरकारी नौकरको जिसका वर्णन इस दफ़ामें पहिले किया गया ज्ञात या सूचित न हो जावे तो उपरोक्त मनुष्यको किसी और दण्डके सिवाय जिसका वह उस अनीतिबंधनके बदलेमें योग्य हो दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है ।

गुप्त अनीतिबंधन.

टीप—दफ़ा ३४४ के अनुसार है ।

१-किसी मनुष्यको दफ़ा ३४६ के अपराधका अपराधी प्रमाणित करनेमें इस बातका जानना आवश्यकीय है कि अनीतिबन्धन उस प्रकारका था जिससे यह इच्छा प्रगट होती है कि अनीतिबन्धनमें रक्खा हुआ मनुष्य प्रगट न किया जावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ९ सफ़ा २२१)

(३४७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबंधनमें रक्खे कि अनीतिबंधनमें रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिबंधनमें रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किफ़ालतुलमालको दबाकर लेवे अथवा अनीतिबंधनमें रक्खे हुए मनुष्यको या किसी और मनुष्यको जो अनीतिबंधनमें रक्खे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है, कोई ऐसा काम करनेपर जो क़ानूनविरुद्ध है, अथवा ऐसी मुख़बिरी करनेपर जिससे किसी अपराधका होना सहल हो जावे, विवश-करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी

दबाकर माल ले लेने अथवा किसी अनुचित कामपर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीति बंधन.

क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफ़ा ४० को देखो।)

टीप—दफ़ा ३४४ के अनुसार है।

१—जब किसी मनुष्यपर हि० दं० की दफ़ा ३४७ का अपराध लगाया जावे और फरियादी (मुस्तग़ीस) तथा उसके गवाहोंका बयान अपराधीके सामने लिखा जाकर मुक़द्दमा गवाहोंके बयानोंकी सफ़ाईके लिये रुकजाय और उस दूसरी तारीख़पर फरियादी न आवे तो मुक़द्दमा उसके न आनेपर डिसमिस नहीं हो सकता। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १२ सफ़ा २७)

दबाकर इक़रार कराने अथवा मालके फेर देने पर विवश करनेके अभिप्रायसे अनीतिबन्धन.

(३४८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये अनीतिबन्धनमें रक्खे कि उस अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यसे अथवा किसी और मनुष्यसे जो उस अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है बलपूर्वक दबाकर कोई ऐसा स्वीकार या मुखबिरी कराए जो किसी अपराध अथवा चालचलन सम्बंधी अपराधके पता लगानेकी ओर झुकता हो अथवा इसलिये कि अनीतिबन्धनमें रक्खे हुए मनुष्यको अथवा किसी और मनुष्यको जो अनीतिबन्धनमें रक्खे गए मनुष्यसे स्वार्थ रखता है किसी माल अथवा किफालतुलमालके लौटाने या लौटवानेके लिये या किसी दावे या तगादेके चुकाने अथवा ऐसी मुखबिरी करनेके लिये जो किसी माल अथवा किफालतुलमालके लौटाये जानेकी ओर झुकती हो, विवश करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। (दफ़ा ४० को देखो)

टीप—(१) अ़दालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—चोरने जब वह पोलीसकी चौकसीमें था, कुछ माल चोरीका फ़रियादी (मुस्तग़ीस) को लौटा दिया—इसलिये उपरोक्त फरियादीका विचार दफ़ा ३४८ के अनुसार हुआ परन्तु वह इस बातपर छोड़ दियागया कि उपरोक्त चोर क़ानूनानुसार पकड़ा गया था इसलिये उसका चौकसीमें रहना अनुचित न था।

अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) और आक्रमण (हमले) के विषयमें ।

(३४९) जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको चलायमानकरे अथवा उसकी चलायमानता (हरकत) को बदले अथवा उसकी चलायमानताको ठहरावे अथवा किसी पदार्थको ऐसा चलायमान करे या उसकी चलायमानताको बदले या उसकी चलायमानताको ठहरावे कि जिससे वह पदार्थ उस दूसरे मनुष्यके शरीरके किसी भागसे छू जाय अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जिसको वह दूसरा मनुष्य पहिने हुए अथवा लिये हुए हो अथवा किसी ऐसे पदार्थसे छू जाय जो ऐसे स्थानमें हो कि जिसके कारण उस छूनेसे उस दूसरे मनुष्यकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर बल किया परन्तु नियम यह है कि वह मनुष्य जो चलायमानताके करने या चलायमानताको बदलने या चलायमानताके ठहरानेका कारण हो, नीचे लिखे हुए तीन प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार पर उस चलायमानताके करने या बदलने या ठहरनेका कारण हो ।

बल (जब्र)

पहिले—स्वयं अपनेही शारीरिक बलसे,

दूसरे—किसी पदार्थको इस प्रकारपर रखनेसे कि वह चाल अथवा चालका बदलाव अथवा चालकी रुकावट किसी और कामके बिना हुए उस मनुष्यकी ओरसे अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी ओरसे होवे ।

तीसरे—किसी पशुको चलायमान करके अथवा उसकी चलायमानताको बदलकर अथवा उसकी चलायमानताको ठहराकर ।

(३५०) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये किसी मनुष्यपर उसकी प्रसन्नताके बिना जानबूझकर बल (जब्र) करे अथवा इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जान कर कि ऐसा बल (जब्र) करनेसे वह उस मनुष्यको जिस पर बल किया गया है हानि या डर या दुःख पहुँचाएगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर अनीति बल (जब्रमुजरिमाना) किया ।

अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना)

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर किसी नावपर जो नदीमें रस्सोंसे बँधी है बैठा है, यदि रमाशंकर रस्सोंको खोल दे और इस प्रकार जानबूझकर नावको धारमें बहावे तो इस अवस्थामें रमाशंकर जानबूझकर शिवशंकरकी चलायमानताका कारण हुआ और उसने यह काम पदार्थको इस प्रकार

रखनेसे किया कि बिना किये किसी और कामके किसी मनुष्यकी ओरसे चाल उत्पन्न हो गई तो इसलिये रमाशंकरने, शिवशंकरपर जानबूझकर बल किया और यदि उसने किसी अपराधके करनेके लिये या इस इच्छासे या यह काम अति सम्भवित जानकर कि वह बलकरके शिवशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाये, शिवशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया तो कहा जायगा कि रमाशंकरने शिवशंकरपर अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) किया ।

(ख) रमाशंकर चरट गाड़ीपर सवार है, शिवशंकरने रमाशंकरके घोड़ोंको चाबुक-मारकर भगाया तो यहां शिवशंकरने घोड़ोंसे उनकी चाल बदलकर रमाशंकरकी चालको बदला और इसलिये शिवशंकरने रमाशंकर पर बल किया; यदि शिवशंकरने यह काम रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवितजानकर किया हो कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचे, तो कहा जावेगा कि शिवशंकरने रमाशंकर पर अनीति बल (जब्र मुजरिमाना) किया ।

(ग) ईश्वरीप्रसाद पालकीमें चढ़ा जाता है, रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादको लूटनेके अभि-प्रायसे पालकीका डंडा पकड़कर पालकीको रोक लिया, तो इस अवस्थामें रामप्रसाद, ईश्वरी-प्रसादकी चाल रोकनेका कारण हुआ और यह उसने स्वयं अपने शारीरिक बलसे किया, इसलिये रामप्रसादने ईश्वरीप्रसादपर बल किया और जो कि रामप्रसादने अपराध करनेके अभिप्रायसे बिना प्रसन्नता ईश्वरीप्रसादके जानबूझकर ऐसा किया तो रामप्रसादने ईश्वरीप्रसाद पर अनीतिबल किया ।

(घ) यदि शिवशंकर गलीमें रमाशंकरको जानबूझकर धक्का लगाए तो इस अवस्थामें शिवशंकरने अपने शरीरको अपनेही बलसे ऐसा चलायमान किया कि वह रमाशंकरसे छूगया, इसलिये शिवशंकरने जानबूझकर रमाशंकरपर बल किया और यदि शिवशंकरने बिना प्रसन्नता रमाशंकरके इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचेगा, ऐसा किया तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति-बल किया ।

(च) शिवशंकर एक पत्थर इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर फेंके कि वह रमाशंकरके शरीरसे अथवा रमाशंकरके कपड़ेसे अथवा किसी वस्तुसे जो रमाशंकर लिये हुए है, लगजावे अथवा यह कि वह पत्थर पानीमें लगकर रमाशंकरके कपड़ोंपर अथवा किसी वस्तुपर जो रमाशंकर लिये हुए है छींटे डाले तो इस अवस्थामें यदि उस पत्थरका फेंकना ऐसा फल उत्पन्न करे जिसके कारण कोई पदार्थ रमाशंकरसे अथवा रमाशंकरके कपड़ोंसे लगजावे, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर बल किया और यदि उसने रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके ऐसा किया इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया ।

(छ) शिवशंकर जानबूझकर किसी स्त्रीका घूंघट खोले तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जानबूझकर उस स्त्रीपर बल किया और यदि उसने उस स्त्रीकी बिना प्रसन्नता, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया, कि उसके द्वारा वह उस स्त्रीको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए तो कहा जायगा कि शिवशंकरने उस स्त्रीपर अनीतिबल किया ।

(ज) रमाशंकर नहा रहा हो और शिवशंकर हौज़में ऐसा पानी जिसको वह खौलता हुवा जानता हो डाल दे तो इस अवस्थामें शिवशंकरने स्वयं अपने शारीरिक बलसे खौलते हुए पानी को इस प्रकारसे जानबूझकर चालदी कि वह पानी रमाशंकरके शरीरसे छू गया अथवा दूसरे पानीसे छू गया जो पानी ऐसे स्थान पर है कि उसका छूना रमाशंकरकी त्वचा इन्द्रियको खेद पहुँचावेगा इसलिये शिवशंकरने रमाशंकरपर जानबूझकर बल किया और यदि उसने रमाशंकर की बिना प्रसन्नता इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर, ऐसा किया कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुंचाए तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीति बल किया।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके रमाशंकरपर एक कुत्ता ललकार दे तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि रमाशंकरको हानि या डर या क्लेश पहुँचाए, तो शिवशंकरने रमाशंकरपर अनीतिबल किया।

नीचे लिखी हुई बातें, जो कानून इंगलिस्तानके अनुसार आक्रमण (हमला) के अपराधमें गिनी जाती हैं वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अनीतिबलमें गिनी जाती हैं।

"गुरूको अपनी शिष्या लड़की की अनुचित स्वतंत्रताको लेना, बिना उसकी प्रसन्नताके चाहे वह नाहीं न करती हो; किसी डाक्टरका बिना आवश्यकता रोगी स्त्रीका वस्त्र हटाकर उसे नंगा कराना, इस मिषसे कि बिना वस्त्र खोले उसके रोगका वर्त्ताव नहीं जाना जा सकता; किसी अफसरका कंगाल खानेमें किसी कंगालके बाल बलपूर्वक तथा बिना प्रसन्नता उसके कटवाना किसी मनुष्यके मुँहपर थूकना; किसी घोड़ेको जिसपर कोई मनुष्य सवार है मारकर उस मनुष्यको नीचे गिरा देना; क्रोधकी अवस्थामें बदला लेनेके अभिप्रायसे अथवा शत्रुतासे किसी मनुष्यके शरीर अथवा वस्त्रको छूना अथवा पकड़ लेना;" परंतु छोटे आक्रमणोंमें दफ़ा ९५ हि० दं० का सम्बंध रहेगा।

आक्रमण (हमला)

(३५१) जो कोई मनुष्य कोई सूरतबनाए अथवा कोई तैयारी करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस सूरत बनाने अथवा तैयारी करनेसे कोई मनुष्य जो उस स्थानपर उपस्थितहो यह समझे कि सूरत बनानेवाला अथवा तैयारी करनेवाला मनुष्य मेरे साथ अनीतिबल करनेको हो—तो कहा जायगा कि उसने आक्रमण (हमला) किया।

स्पष्टीकरण—केवल शब्दोंका कहनाही आक्रमण (हमला) की सीमा तक नहीं पहुँचता परंतु सम्भव है कि उन शब्दोंसे, जिनका कोई मनुष्य वर्त्ताव करे, उस मनुष्यकी सूरत बनानेका अथवा तैयारी करनेके मध्ये ऐसा अभिप्राय प्रगट हो कि वह सूरत बनाना अथवा तैयारी करना आक्रमण (हम्ला) की सीमाको पहुँच जावे।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर रमाशंकरपर घूँसा उठाए कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह उसको मारने वाला है तो कहा जायगा कि शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ख) शिवशंकर किसी कटहे कुत्तेकी भँवरकली खोलना आरंभ करे इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह रमाशंकर पर शीघ्रही उस कुत्तेको दौड़ाने वाला है—तो शिवशंकरने रमाशंकरपर आक्रमण (हमला) किया ।

(ग) शिवशंकर एक लकड़ी उठाकर रमाशंकरसे कहे कि मैं तुझको मारूंगा, इस रतमें यद्यपि यह शब्द जिनका उच्चारण शिवशंकरने किया किसी दशामें आक्रमण (हमला) की सीमा को नहीं पहुँच सकते—और भी केवल यह सूरत बनाना बिना किसी और बातके हुए आक्रमण (हमला) की सीमाको न पहुँचेगा, तथापि वह सूरतका बनाना जिसका अभिप्राय शब्दोंसे प्रगट किया गया, आक्रमण (हमला) की सीमाको पहुँच सकता है ।

दण्ड अनीति बलका सिवाय इसके कि जो भारी क्रोध दिलाए जानेके कारण किया जाय.

(३५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) करे, सिवाय इसके कि जब उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलाए जानेका कारण उत्पन्न किया जावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो ५००) रु० तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—भारी और एकाएकी क्रोधका कारण होनेसे, इस दफ़ाके अनुसार अपराधके दण्डमें कमी न होगी; कदाचित ऐसे क्रोधको अपराधीने कोई अपराध करनेके बहानेसे स्वयं आपही ढूंढा हो अथवा जानबूझकर कराया हो; या—

यदि वह क्रोध किसी ऐसे कामसे हुआ जो क़ानूनानुसार किया गया हो अथवा जो किसी सरकारी नौकरने अपनी सरकारी नौकरीके अधिकारोंके उचित वर्त्तावमें किया हो, या—

यदि उपरोक्त क्रोध किसी ऐसे कामसे दिलाया गया हो जो निजरक्षाके अधिकारको क़ानूनानुसार वर्त्तनेमें किया गया हो—

यह बात देखना कि क्रोध ऐसा भारी और एकाएकी था, जो दण्ड घटानेके लिये काफ़ी हो विचारके आधीन होगा ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा है।

१—जो मनुष्य, आक्रमण ('हमला) दफ़ा ३५२ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अपराधसे जांच होनेके पश्चात् छोड़ दिया जावे तो फिर उसका विचार उसी कामके मध्ये दफ़ा ३२३ के अपराधमें नहीं होसकता। (बंगालला रिपोर्ट जिल्द ७ सफ़ा २५)

२—जो आक्रमण (हमला) का अपराध भारी दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे किया जावे उसमें राज़ीनामा नहीं हो सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफ़ा ३०२)

किसी सरकारी नौकर को अपने ओहदेका काम करनेसे डराकर रोक रखनेके लिये अनीतिबलको काममें लाना.

(३५३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर जो सरकारी नौकर है, जब कि वह अपने ओहदेके कामको भुगता रहा हो, आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल (जब्रमुजारिमाना) करे, अथवा इस अभिप्रायसे कि उस सरकारी नौकरको अपनी नौकरीका काम भुगतानेसे रोके या डराए, आक्रमण अथवा अनीतिबल करे; अथवा किसी कामके कारण जो उस सरकारी नौकरने अपने ओद-देका काम भुगतानेमें उचित रीतिपर किया हो या करनेका उद्योग किया हो आक्र-मण अथवा अनीतिबल करे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ी-नामा नहीं है।

१—म्यूनिसिपल इन्स्पेक्टर दफ़ा ४१ म्यूनिसिपलिटी ज़िलेके अनुसार सरकारी नौकर है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफ़ा १३१)

२—एक पोलीस स्टेशनके अफ्सरने दूसरे पोलीस स्टेशनके अफसरको लिखा कि वह अपनी सीमामें एक घरकी तलाशी कराए—दूसरे अफसरने उस लिखनेके अनुसार घरकी तलाशीके लिये अपने दो सिपाही नियत कर दिये—परन्तु उनको दफ़ा ३७९ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार कोई आज्ञापत्र लिखकर न दिया—अपराधियोंने उस तलाशीमें रोकटोककी—तजवीज़ हुई कि अपराधि-योंपर दफ़ा १४३ व ३५३ हि० दं० का अपराध नहीं ठहराया जासकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ७ सफ़ा २०९)

(३५४) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीपर आक्रमण (हमला) या अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना) करे, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात सम्भवित जानकर कि उसके द्वारा उसकी लज्जा बिगड़ेगी तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी स्त्री की लज्जा बिगाड़नेके अभिप्रायसे आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना.

टीप—दफ़ा ३५२ के अनुसार है ।

(३५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य पर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे यह इच्छा करके कि उसके द्वारा उस मनुष्यकी अप्रतिष्ठा करे, सिवाय इसके कि उस मनुष्यकी ओरसे कोई भारी और एकाएकी क्रोध दिलानेका कारण प्रगट हुआ हो; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

भारी क्रोधके अतिरिक्त और प्रकार पर किसी मनुष्यको बेइज्जत करनेके अभिप्रायसे उसपर आक्रमण (हमला) अथवा अनीतिबल करना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर-सकती (३) अपराधीके नाम समनजारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है ।

(३५६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर किसी ऐसी वस्तुके छीन लेनेके उद्योगमें आक्रमण अथवा अनीतिबल करे जिसको वह मनुष्य उस समय पहिने या लिये हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

कुछ वस्तु जिसे कोई मनुष्य लिये जाता हो, उसके छीन लेनेका उद्योग करनेमें आक्रमण अथवा अनीतिबल (जब्रमुजरिमाना)करना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वॉरंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं हो सकती (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(३५७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिबन्धनमें रखनेके उद्योगमें उसपर आक्रमण अथवा अनीतिबल करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

अनीतिबंधनके उद्योग में आक्रमण अथवा अनीतिबल (जब्र मुजरिमाना) करना.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

भारी क्रोधपर आक्रमण अथवा अनीतिबल करना.

(३५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर ऐसे भारी और एकाएकी क्रोधके कारण, कि जो उस मनुष्यने दिलाया हो, आक्रमण अथवा अनीतिबळ करे, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीनातक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दोसौ रुपयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

स्पष्टीकरण—यह पिछली दफ़ा उसी स्पष्टीकरणके आधीन है जिसके आधीन दफ़ा ३५२ है ।

टीप—दफ़ा ३५२ के अनुसार है ।

मनुष्यको ले भागने; भगा ले जाने; ग़ुलाम बनाने और बेगार करानेके विषयमें ।

मनुष्यको ले भागना.

(३५९) मनुष्यको ले भागना दो प्रकारका है—ब्रिटिश इंडियामेंसे मनुष्यको ले भागना और किसी रक्षककी उचित रक्षामेंसे ले भागना—

ब्रिटिश इंडियासे मनुष्य को ले भागना.

(३६०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको विना प्रसन्नता उस मनुष्यके अथवा किसी और मनुष्यके जो उस मनुष्यकी ओरसे प्रसन्नता प्रगट करनेका क़ानूनानुसार अधिकारी है, ब्रिटिश इन्डियाकी सीमाके बाहर ले जाए, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्य उस मनुष्यको ब्रिटिश इन्डियामेंसे ले भागा ।

रक्षककी उचित रक्षा मेंसे मनुष्यको ले भागना.

(३६१) जो कोई मनुष्य किसी बालक लड़केको, जिसकी अवस्था १४ वर्षसे नीची और लड़कीको, जिसकी अवस्था १६ वर्षसे नीची हो अथवा किसी मनुष्यको, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई हो (अर्थात् जो सिड़ी हो) ऐसे न्यून अवस्थाके बालकके या उस मनुष्यके, कि जो सिड़ी हो, उचित रक्षककी रक्षामेंसे विना प्रसन्नता उस रक्षकके ले जाए अथवा फुसला ले जाए तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य उस बालक अथवा उस मनुष्य को उचित रक्षामेंसे ले भागा ।

स्पष्टीकरण--इस दफ़ामें "उचित रक्षक" का शब्द प्रत्येक किसी मनुष्यको शामिल है जिसके सिपुर्द उचित रीतिपर ऐसे बालक या दूसरे मनुष्यकी चौकसी या रक्षाका भार हो।

छूट।

यह दफ़ा किसी ऐसे मनुष्यके कामसे सम्बन्ध न रक्खेगी जो अपनेको शुद्धभावसे किसी कमअसल (हराम) बालकका बाप निश्चय करता हो अथवा जो शुद्धभावसे अपनेको ऐसे बच्चेकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो; सिवाय उस सूरतके कि जब ऐसा काम लुचपन अथवा अनुचित अभिप्रायके लिये किया जावे।

१--दशवर्षसे नीची अवस्थाका बच्चा रक्षकके अधीन रहता है-जो मनुष्य ऐसे बच्चेको बिना प्रसन्नता उसके रक्षकके ले जाए वह अपने कामके फलका उत्तरदाता है-दफ़ा ३६१ (हि० दं०) के अपराधमें यह उत्तर माननेके योग्य न होगा कि अपराधीने इस बातकी खोज नहीं की कि उपरोक्त बच्चेका कोई रक्षक है अथवा नहीं। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ३ सफ़ा १७८)

२--कमअसल बच्चेकी मां उसके लड़कपनके समय तक उसकी रक्षक है-इसलिये यदि ऐसी मां मरते समय अपना बच्चा किसी मनुष्यको सौंप जाय और यदि ऐसा मनुष्य उपरोक्त बच्चेकी रक्षाका भार स्वीकार करले तो कहा जावेगा कि उस मनुष्यकी "उचित रक्षा" में वह बच्चा है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा ९७१)

३--१५ वर्षकी अवस्था वाली किसी हिन्दू लड़कीका पति अपनी स्त्रीका उचित रक्षक होगा; यदि नाबालिग़का बाप उस लड़कीको बिना प्रसन्नता उसके स्वामीके उसके यहांसे लेजावे तो ऐसा लेजाना भगा लेजानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे बापकी कोई अनुचित इच्छा ऐसे काममें न हो। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफ़ा २९८)

मनुष्यको भगा ले जाना.

(३६२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे जानेके लिये बलपूर्वक विवश करे अथवा धोखा देनेके यत्नोंद्वारा बहँकावे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यको भगा ले गया।

मनुष्यको ले भागने का दण्ड.

(३६३) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ब्रिटिश इंडियामेंसे अथवा किसी रक्षक की उचित रक्षासे ले भागे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

टीप--(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—यदि कोई नाबालिग़ बच्चा अपने पड़ोसीके घर जाता हो और उस समय उसको कोई मनुष्य भगा ले जाए तो कहा जायगा कि वह मनुष्य उस बच्चेको उसके उचित रक्षककी चौकसीसे भगा ले गया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ४ सफ़ा ७)

२—नाबालिग़की गवाही यदि मानने योग्य हो तो वह दफ़ा ३६३ के अपराधके प्रमाणके लिये काफ़ी है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ९८)

३—उचित रक्षाका अभिप्राय उस मनुष्यकी रक्षासे भी है जिसकी सिपुर्दगीमें नाबालिग़ उचित रीतिपर छोड़ दिया गया हो । (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफ़ा २८६)

४—अपराधीको एक नौ वर्षकी लड़की और एक बकरी उसके बच्चे समेत और कुछ आटा इस अभिप्रायसे मिला कि वह उनको उस लड़कीके बापके यहां जो छः मीलकी दूरी पर था पहुँचादे, परंतु वह उनको अपने घर ले गया जो चालीस मीलकी दूरीपर था, और वहीं पर पकड़ा गया, दफ़ा ३६३ के अपराधमें अदालत सेशन ने उसको ४ वर्ष की कठिन क़ैदका दण्ड दिया—हाईकोर्टसे तजवीज़ हुई कि—जो कि अपराधी उस लड़कीको उसके रक्षकोंकी इच्छाके विरुद्ध उनकी उचित चौकसीसे बाहर ले गया था इसलिये वह दफ़ा ३६३ के अपराधका अपराधी अवश्यही हुवा परंतु जो कि अपराधीके काममें कोई अधिकता नहीं पाई जाती इसलिये दण्डकी आज्ञा बहुत कठिन है—आज्ञा हुई कि अपराधी अठारह महीने कठिन क़ैदमें रहे । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह मई सन् १८८४ ईस्वी सफ़ा १०६)

५—एक हिन्दू स्त्री ने अपने स्वामीके घरको छोड़ दिया, वह अपने साथ अपनी छोटी लड़कीको लेकर (अ) के घरमें गई और उसी दिन उस लड़कीका व्याह (ब) के साथ जो (अ) का भाई था, बिना प्रसन्नता उसके बापके कर दिया—तजवीज़ हुई कि (अ) का दण्ड भगा ले जानेमें सहायता करनेके अपराधमें दफ़ा ३६३ व १०९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार उचित रीतिपर किया गया । इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा ९६९)

वध (क़तल करने के अभिप्रायसे मनुष्यको ले भागना या भगा ले जाना.

(३६४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा ले जावे कि वह मनुष्य मार डाला जावे अथवा ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह मारे जानेकी जोखिममें पड़े तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके देश निकाले का दण्ड दिया जावेगा अथवा कठिन क़ैदका दण्ड जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है दिया जायगा और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको ब्रिटिश इंडियामेंसे ले भागे, और उसकी यह इच्छा हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि रमाशंकरपर किसी देवताके सामने बलिदानमें चढ़ाया जावे—तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका लक्षण इस दफ़ामें वर्णन किया गया है ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको उसके घरसे इसलिये बलपूर्वक ले जाए अथवा फुसला ले जाए कि रमाशंकर मार डाला जावे–तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इस दफ़ामें वर्णन किया है।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

किसी मनुष्यको छुपा छुपी और अनीतिरीतिसे बंधनमें रखनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा ले जाना.

(३६५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ले भागे अथवा भगा ले जाए इस अभिप्रायसे कि वह मनुष्य छुपा छुपी और अनीति रीतिपर रोकमें रक्खा जाए, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ३६३ के अनुसार है।

किसी स्त्रीको व्याह आदिपर विवश करनेके लिये ले भागना या भगा ले जाना.

(३६६) जो कोई मनुष्य किसी स्त्री को ले भागे अथवा भगा ले जाए इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि वह अपनी इच्छाके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विवाह करनेके लिये विवश कीजावे अथवा उसकी यह इच्छा हो कि वह व्यभिचार करनेके लिये विवश कीजावे या फुसलाई जावे अथवा इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह व्यभिचारके लिये विवशकी जावेगी अथवा फुसलाई जावेगी, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ३६४ के अनुसार है।

१—धीरासिंहके दो स्त्रियें (न) और (म) थीं, (न) के गर्भसे उसके दो लड़कियां हुई–धीरासिंह अपनी स्त्री (म) को साथ लेकर किसी व्याह में एक गांवपर चला गया और अपनी दूसरी स्त्री (न) को अपनी दोनों लड़कियों समेत घरमें छोड़ गया–धीरासिंहके चले जानेपर (न) ने उन दोनों लड़कियोंको अपने बहनोई (क) के घर भेज दिया और तीन मनुष्योंकी सहायतासे बड़ी लड़कीका व्याह (ख) के साथ कर दिया–तजवीज़ हुई कि शब्द "स्त्री" मुन्दरजा दफ़ा ३६६ में कोई नाबालिग़ लड़की भी शामिल है यह भी तजवीज़ हुई कि (न) की प्रसन्नता होनेपर भी भगा ले जानेका अपराध दफ़ा ३६१ व ३६६ के अनुसार हुआ, क्योंकि धीरासिंह की कुछ दिनोंकी ग़ैरहाज़िरीमें भी वह उसके ही अधिकारमें बनी रही और वही उसका उचित रक्षक था और (न) उसकी रक्षक न थी। (पंजाब रिकार्ड नं० ८ सन् १८७८ ई०)

२—वादीने अपराधी पर, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३६६ के अनुसार अपनी स्त्रीके मध्ये, अपराध ठहराया—डिप्टी मजिस्ट्रेटने दफ़ा ४९८ के अनुसार तजवीज़ करके अपराधीको एक महीनेकी काठिन क़ैदका दण्ड दिया—तजवीज़ हुई कि डिप्टी मजिस्ट्रेटको दफ़ा ४९८ के अनुसार दण्ड देनेका अधिकार न था, क्योंकि मजमूआज़ाब्ता फ़ौजदारीकी दफ़ा १९९ के अनुसार पतिकी ओरसे कोई नालिश नहीं हुई तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि, क़ानूनका यह अभिप्राय है कि कोई मजिस्ट्रेट अपनीही ओरसे ऐसे अपराधोंकी जांच न करे जो व्याहसे सम्बन्ध रखते हों जब तक कि पति अथवा कोई दूसरा मनुष्य ऐसे अपराधोंके जांचकी इच्छा न प्रगट करे—परन्तु जब पति स्वयंही फ़रियादी हो और वह फ़रियाद दफ़ा ३६६ के अनुसार पेश करता है तो अपराधीका दण्ड दफ़ा ४९८ के अनुसार उचित है, यदि गवाही छोटे अपराधके लिये पूर्ण और बड़े अपराधके लिये अपूर्ण हो। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफ़ा ३८३)

किसी मनुष्यको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाने अथवा गुलाम बनानेके लिये ले भागना अथवा भगा ले जाना.

(३६७) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसलिये ले भागे अथवा भगा लेजावे कि वह भारी दुःख (ज़ररशदीद) उठाए, अथवा वह गुलाम बनाया जावे अथवा उससे कोई मनुष्य स्वभाव विरुद्ध प्रसंग करके आनंद उठाए, अथवा इसलिये कि वह मनुष्य ऐसी अवस्थामें रक्खा जावे कि वह भारी दुःख (ज़ररशदीद) उठाने, या गुलाम बनाए जाने या किसी मनुष्यकी स्वभावविरुद्ध कामातुरता सहनेकी जोखिममें पड़े या इस बातका होना उसकी जानकारीमें हो कि वह वर्त्ताव उस मनुष्यको सहने पड़ेंगे अथवा वह ऐसी अवस्थामें रक्खा जावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ३६४ के अनुसार है।

ले भागे हुए मनुष्यको छिपाना या बंधनमें रखना.

(३६८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको यह जानकर कि उसको कोई ले भागा है, अनुचित रीतिपर छिपाए अथवा अनीतिबंधनमें रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको उसी प्रकारपर दण्ड दिया जावेगा कि मानों वह स्वयं ही उस मनुष्यको उसी इच्छा या जानकारी या उसी अभिप्रायसे जिससे उसने उस मनुष्यको छुपाया या अनीतिबंधनमें रक्खा है ले भागा अथवा भगा लेगया।

टीप—दफ़ा ३६४ के अनुसार है।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३६८ उस मनुष्यसे सम्बन्ध रखती है जो किसी ऐसे मनुष्यके छुपानेमें सहायता करे जिसको कोई लेभागा हो या भगा लाया हो इसका सम्बन्ध स्वयं ले भागनेवाले या भगा लेजानेवाले मनुष्योंसे नहीं है। (वी० रि० जि० ६ स० १७)

२—दफ़ा ३६८ का अपराध ठहरानेके लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्य जिसको कोई लेभागा या भगा ले गया हो, इस अभिप्रायसे छुपा रक्खा जावे कि उसको कोई देख न ले और उपरोक्त मनुष्यके मध्ये केवल झूँठाही समाचार देना काफ़ी नहीं है । (पंजाब रिकार्ड नं० १० सन् १८७४ ई०)

दशवर्षसे कम अवस्था के बच्चेको उसके शरीरपर से कुछ माल चुरा लेनेके अभिप्रायसे ले भागना या भगा लेजाना.

(३६९) जो कोई मनुष्य किसी बच्चेको, जिसकी अवस्था दशवर्षसे कमहो, इस अभिप्रायसे ले भागे अथवा भगा लेजाए कि अधर्मसे उसके शरीरपरसे कुछ वस्तु उतार ले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ३६३ के अनुसार है ।

जिस मनुष्यको, गहना आदि चुरानेके अभिप्रायसे बच्चा ले भागनेके अपराधमें दण्डकी आज्ञा होचुकी हो, उसको चोरीके अपराधमें अलग दण्ड नहीं होसकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट मदरास जिल्द ७ सफ़ा ३७५)

किसी मनुष्यको गुलामकी रीतिपर मोल लेना अथवा उसको अपने अधिकारसे अलग करना.

(३७०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अन्य देशसे गुलामकी रीतिपर लाए अथवा अन्य देशमें ले जाए अथवा दूसरे स्थानमें पहुँचाए अथवा मोल ले अथवा बेचे अथवा अपने अधिकारसे अलग करे अथवा किसी मनुष्यको, उसकी इच्छाके विरुद्ध गुलामकी रीतिपर स्वीकार करे अथवा अधिकारमें ले अथवा रोक रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—शिवशंकरने एक लड़कीको जिसकी अवस्था ११ वर्षकी थी अपने अधिकारमें लाकर एक मनुष्यके हाथ, क़ीमत लेकर इस अभिप्रायसे बेंच डाला कि वह उससे अपना व्याह करे तजवीज़ हुई कि शिवशंकरने जो लड़की बेची वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७० के अनुसार गुलाम बनाकर बेंचनेमें नहीं गिनी जासकती । (इ० ला० रिपोर्ट इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ७२४)

२—(स) ने (अ) के हाथ एक लड़की (ब) को जो तेरह वर्षकी थी बेचकर उससे अपना अधिकार अलग कर लिया—दस्तावेज़में जिसमें उपरोक्त मामला लिखा गया था (ब) लड़की गुलामी लिखी गई जिसको (स) ने (प) से मोल लिया था, तजवीज़ हुई कि (अ) (ब) को गुलामकी रीति पर मोल लेनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७० के अनुसार है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ७ सफ़ा १७०)

स्वभावसेही गुलामीका व्यवहार करना.

(३७१) जो कोई मनुष्य गुलामोंको व्यवहारके लिये अन्य देशसे इस देशमें लावे अथवा अन्य देशमें ले जावे अथवा दूसरे स्थानमें पहुँचावे अथवा मोल ले अथवा बेचे अथवा उनका व्यवहार या व्यवसाय करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी नाबालिग को बेचना या किराये पर देना.

(३७२) जो कोई मनुष्य किसी नाबालिग़ (बालक) को, जिसकी अवस्था सोलह वर्षसे कम हो बेचे अथवा किराये पर भेजे अथवा किसी और रीतिपर अपने अधिकारसे अलग करे, इस अभिप्रायसे कि वह नाबालिग़ वेश्यापन या किसी अनुचित काम या लुचपनेके लिये काममें लाया जाए अथवा यह जानकर कि उस नाबालिग़के ऐसे काममें लगाए जाने या उससे ऐसा काम लिये जानेका सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७२ का अपराध ठहरानेके लिये यह अवश्य नहीं है कि लड़की इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे लड़कीपरके कुल अधिकार किसी मनुष्यके नाम कर दिये जावें। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द २ सफ़ा २१४)

२—कुछ मनुष्योंने एक नीच ज़ातकी लड़कीको ऊंची ज़ातके एक मनुष्यको दिखाकर-झूठ मूठ निश्चय कराया कि वह लड़कीभी ऊंची ज़ातकी है वह उसको मोल लेकर उससे अपना व्याह करे—तजवीज़ हुई कि अब उपरोक्त लड़की व्याह करनेके लिये बेची गई तो यद्यपि उसका व्याह शास्त्रके अनुसार ठीक नहीं है तथापि अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७२ व ३७३ के अनुसार दण्ड नहीं पा सकते। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ६९५)

३—अपराधीने अपनी लड़कीको जिसकी अवस्था पाँच छः वर्षकी थी, मन्दिरकी नौकरीमें बतौर नाचने वाली लड़कीके भेटकी—गवाहीसे पाया गया कि, नाचनेवाली लड़कियां जो मन्दिरसे सम्बन्ध रखती हैं वे सब वेश्यापनके कामोंको करती हैं, तजवीज़ हुई कि यह सब बातें, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७२ के अपराधमें दण्ड देनेके लिये काफ़ी हैं। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफ़ा ७३७)

४—एक मन्दिरकी नाचनेवाली स्त्रीने उपरोक्त मन्दिरके अधिकारीसे यह बात कही कि एक छोटी लड़की, जिसको उसने झूठ मूठ अपनी बेटी प्रसिद्ध की उसकी "कोठू" मीरास पर नियत की जावे—अधिकारीने आज्ञादी कि वह लड़की दूसरी नाचनेवाली लड़कियोंके समान तनख्वाह पर नियत कीजावे—वह मन्दिरके लिये नियत कीगई, यद्यपि "कुठ" बांधनेकी रीति नहीं कीगई (इस रीतिके पश्चात् लड़कीका व्याह किसीके साथ नहीं होसकता) तजवीज़ हुई कि गवाहीसे पाया जाता है कि दफ़ा ३७२ का अपराध नाचनेवाली स्त्री, अधिकारी और लडकीके माँ बापकी ओरसे हुआ । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफ़ा ४१)

५—अपराधीने अपनी एक नाबालिग़ लड़कीका व्याह मन्दिरके देवतासे करदिया—चलनके अनुसार उस व्याहका यह फल होता है कि ऐसी लड़की किसी दूसरे मनुष्यसे उचित व्याह नहीं करसकती परन्तु जिस मनुष्यसे चाहे उससे प्रसंग करा सकती है और उसके लड़के उस लड़कीके बापके धनके अधिकारी होते हैं—तजवीज़ हुई कि अपराधीने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७२ के अनुसार अपराध किया । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफ़ा ७५)

वेश्यापन इत्यादि कामों के लिये किसी बालकको मोल लेना या अधिकारमें लाना.

(३७३) जो कोई मनुष्य किसी बालकको जिसकी अवस्था १६ वर्षसे कम हो मोल ले अथवा किराए पर ले अथवा किसी और प्रकार पर अपने अधिकारमें लाए इस अभिप्रायसे कि वह बालक वेश्यापनके काम अथवा किसी अनुचित काम अथवा लुचपने के काममें लगाया जावे अथवा काममें लाया जावे अथवा यह जानकर कि उस बालकके ऐसे काममें लगाए जाने अथवा ऐसा काम लिया जाना सम्भव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ३७२ के अनुसार है ।

अनीति बिगार.

(३७४) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद्ध अनीति रीतिसे दबाकर काम करानेपर विवश करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एकवर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा है ।

बलपूर्वक व्यभिचारके विषयमें ।

(३७५) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे लिखी छूटके, किसी स्त्रीके साथ नीचे लिखे पांच प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार भोगकरेगा तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने "बलपूर्वक व्यभिचार" किया ।

बलपूर्वक व्यभिचार.

पहिले—स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध;

दूसरे—स्त्रीकी बिना सम्मति;

तीसरे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह सम्मति मृत्यु अथवा दुःखका डर दिखाकर प्राप्त कीगई हो;

चौथे—स्त्रीकी सम्मतिके साथ, जब कि पुरुष यह जानता हो कि वह उस स्त्रीका पति नहीं है और यह कि स्त्रीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण प्रगट कीगई हो कि वह निश्चय करती थी कि यह पुरुष वही पुरुष है जिसके साथ उसका व्याह उचित रीतिपर हुआ है अथवा जिसके साथ वह अपना उचित व्याह होना निश्चय करती है ।

पाँचवें—स्त्री की सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जबकि उसकी अवस्था बारहवर्षसे कम हो ।

स्पष्टीकरण—उस सम्भोगमें जो बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधके लिये अवश्य है, प्रवेशका होजानाही काफ़ी समझा जायगा ।

किसी पुरुषका अपनीही स्त्रीके साथ भोग करना, जबकि उस स्त्रीकी अवस्था बारह वर्षसे कम न हो, बलपूर्वक व्यभिचार नहीं है ।

(३७६) जो कोई मनुष्य बलपूर्वक व्यभिचार करनेका अपराधी हो, उसको जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वषतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

बलपूर्वक व्यभिचारका दण्ड.

यदि किसी पुरुषपर उसीकी स्त्रीके साथ बलपूर्वक व्यभिचारका अपराध लगाया जावे ते नीचे लिखी कार्रवाई होगी

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस विना वारण्ट अपराधीको न पकड़ सकेगी (३) अपराधीके नाम समनजारी होगा (४) जमानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

यदि कोई दूसरी स्त्री हो तो नीचे लिखी कार्रवाई होगी।

(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्टजारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधमें क़ानूनानुसार पांचवर्षका दण्ड नियत है इसलिये वह सात वर्षका दण्ड कालेपानीके साथ दफ़ा ५९ हि० दं० के अनुसार नहीं बदला जासकता। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द १ सफ़ा ५)।

स्वभावविरुद्ध अपराधोंके बयानमें।

स्वभावविरुद्ध अपराध.

(३७७) जो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्त्री अथवा पशुसे जानबूझकर प्रकृतिकी रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा; उस मनुष्यको जन्मभरके किये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्पष्टीकरण—जो सम्भोग कि इस दफ़ामें वणन किये हुए अपराधके लिये अवश्य है, उसमें प्रवेशका होना काफ़ी समझा जायगा।

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा

१—अपराधीको स्वभावविरुद्ध अपराध करनेके विषयमें दण्ड दियागया परन्तु मुक़द्दमेकी मिसलमें इन बातोंका बयान न था कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान और किस मनुष्यके साथ किया था और न यह बातें साबितही हुई थीं, अपराधीके विरुद्ध जो साबित हुआ, उससे केवल इतना जाना गया कि वह स्त्रियोंके कपडे पहिना करता था और उसके शरीर पर ऐसे चिह्न थे, जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अपराधका करना पाया जाता था—तजवीज़ हुई कि ऐसे सबूत पर अपराधी को दण्ड नहीं दिया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा २०४)

सत्रहवां अध्याय।

(धन सम्बन्धी अपराधोंके विषयमें)

सरक़ा अर्थात् चोरीका बयान *।

---

(३७८) जो कोई मनुष्य अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मनुष्यके अधिकार-मेंसे उसकी बिना प्रसन्नताके लेनेकी इच्छासे. ऐसे लेनेके लिये उस धनको हटावे तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने चोरीका अपराध किया।

चोरी.

स्पष्टीकरण--१-कोई वस्तु जबतक कि वह धरतीसे लगी हुई हो स्थावर धन नहीं है, इसलिये उसके मध्ये चोरी न होसकेगी, परन्तु जिस समय वह धरतीसे अलग कर दीजावे उस समय वह वस्तु चुरानेके योग्य होजावेगी।

स्पष्टीकरण--२ जिस कामके द्वारा कोई वस्तु जुदा की जाए, यदि उसी कामसे वह वस्तु हटाई जाए तो वह चोरी गिनी जासकेगी।

स्पष्टीकरण--३ जिस प्रकार किसी मनुष्यके मध्ये कहा जाता है कि वह किसी वस्तुके हटानेका कारण हुआ जब कि वह वास्तवमें उस वस्तुको हटाता है; उसी प्रकार उस अवस्थामें भी ऐसाही कहा जावेगा, जब कि वह किसी रोकको जिसके द्वारा वह वस्तु हटनेसे रुक जाय, हटावे अथवा उपरोक्त वस्तुको किसी और वस्तुसे अलग करदे।

स्पष्टीकरण--४ जो कोई मनुष्य किसी यत्नसे किसी पशुके हटाए जानेका कारण हो, उसके मध्ये कहा जावेगा, कि उसने उस पशुको हटा दिया, और भी उस वस्तुको हटाया, जिसे उस पशुने ऐसे हटाए जानेके कारणसे हटाया।

स्पष्टीकरण--५ वह प्रसन्नता कि जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है शब्दोंके द्वारा होसकती है अथवा अर्थोंके द्वारा--और वह चाहे अधिकारी मनुष्यकी ओरसे दी गई हो, अथवा ऐसे मनुष्यकी ओरसे जिसको प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे इसके मध्ये आज्ञा प्राप्त हो।

---

* सब मनुष्योंको उचित है कि वे उन अपराधोंका समाचार दें जो तहत दफ़ा ३८२ के दण्ड योग्य हैं। (देखो दफ़ा ४४ ऐक्ट १० सन् १८८२ ई०)

उदाहरण.

(क) शिवशंकर रमाशंकरकी पृथ्वीमेंसे एक पेड़ इस अभिप्रायसे काटे कि उसको रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी बिना प्रसन्नता अधर्मसे लेले तो इस अवस्थामें शिवशंकरने जिस समय पेडको इस अभिप्रायसे ले जानेके लिये जुदा किया उसही समय वह चोरीका अपराधी हुआ ।

(ख) शिवशंकर कुत्तोंके फुसलानेकी वस्तु अपनी जेबमें रक्खे और इस प्रकारसे रमाशंकरके कुत्तेको अपने पीछे लगा लेवे तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरका यह अभिप्राय हो कि वह अधर्मसे रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरकी बिना प्रसन्नताके उसका कुत्ता लेले तो जिसही समय कि रमाशंकरके कुत्तेने शिवशंकरके पीछे चलना आरंभ किया उसही समय शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकरको एक बैल जिसपर ख़ज़ानेका संदूक लदा हुवा हो मिलजाए और वह उस बैलको इस अभिप्रायसे एक मुख्य दिशाको हांक लेजाए कि अधर्मसे ख़जाना लेले तो जिसही समय कि बैल हटाया गया उसही समय शिवशंकर ख़ज़ानेकी चोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर जो रमाशंकरका नौकर है और जिसकी सिपुर्दगीमें रमाशंकरके चांदी या मुलम्मेके वर्तन रमाशंकरकी ओरसे रक्खे गये हैं बिना प्रसन्नता रमाशंकरके उन वर्तनोंको अधर्मसे लेकर भाग जाए तो शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(च) हरशंकर देशाटनके लिये तैयार होकर अपने चांदी व मुलम्मेके वर्तनोंको अपने लौट आने तक उमाशंकरको कि वह गोदामका मालिक है, सौंप दे और उमाशंकर उन वर्तनोंको सुनारके पास ले जाकर बेच डाले तो इस अवस्थामें जो कि वे वर्तन हरशंकरके अधिकारमें न थे, इसलिये वे हरशंकरके अधिकारमेंसे नहीं लिये जासकते थे और उमाशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ, परन्तु सम्भव है कि वह धरोहरके अनीति व्यय (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे ।

(छ) लक्ष्मीशंकर गिरिजाशंकरकी अंगूठी किसी मेज़पर रक्खी हुई उस घरमें पावे जहां गिरिजाशंकर रहता हो, तो इस अवस्थामें अंगूठी गिरिजाशंकरके अधिकारमें है और यदि लक्ष्मीशंकर उसको अधर्मसे उठा ले जाए तो लक्ष्मीशंकर चोरीका अपराधी होगा ।

(ज) शिवशंकर एक अंगूठी जो किसीके अधिकारमें न हो सर्व सम्बन्धी मार्गमें पड़ी पावे तो उसके लेनेसे शिवशंकर चोरीका अपराधी न होगा यद्यपि सम्भव है कि वह धनके अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ मुजरिमाना) का अपराधी ठहराया जावे ।

(झ) शिवशंकर उमाशंकरकी अंगूठी उसके घरमें मेज़पर पड़ी हुई देखे और शिवशंकर तलाशी होने तथा पास निकल आनेके डरसे उसी समय उस अंगूठीके अनीति व्यय करनेका साहस न पाकर उसको ऐसे स्थानमें छिपाए जहांसे मिल जाना उसका उमाशंकरके ध्यानमें बिलकुल न आसके इस अभिप्रायसे कि जब अंगूठीका खोजाना उमाशंकरकी यादसे जाता रहे तब शिवशंकर उस अंगूठीको उस छुपे हुए स्थानसे निकालकर बेच डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर पहिलीबार अंगूठीके हटातेही चोरीका अपराधी हुआ ।

(ट) शिवशंकर अपनी घड़ीकी चाल ठीक कर देनेके लिये उसको रमाशंकर घड़ीसाज़को दे और रमाशंकर उसको अपनी दूकान पर ले जाए, और शिवशंकर, जिसको रमाशंकर घड़ीसाज़का कोई ऋण देना नहीं है जिसके बदलमें घड़ीसाज़ उस घड़ीको ज़मानतकी रीतिपर उचित तौरसे रोक रख सकता हो, रमाशंकरकी दूकानमें खुलाखुली चला जाए और रमाशंकरके हाथसे वह घड़ी छीन लेकर चल दे तो इस अवस्थामें यद्यपि सम्भव है कि शिवशंकर मदाख़लतबेजा मुजरिमाना और हमलेका अपराधी हो परन्तु चोरीका अपराधी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने किया अधर्मसे नहीं किया ।

(ठ) यदि शिवशंकरको घड़ीकी मरम्मत करनेके मध्ये रमाशंकरका कुछ रुपया देना हो और रमाशंकर उस ऋणकी ज़मानतके तौर पर घड़ीको उचित रीतिसे रोक रक्खे और शिवशंकर रमाशंकरके अधिकारमेंसे उस घड़ीको इस अभिप्रायसे ले ले कि वह शिवशंकरसे उस मालको छीनकर ऋणकी ज़मानतको मेट दे तो शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उस घड़ीको अधर्मसे लेता है ।

(ड) फिर, यदि शिवशंकर अपनी घड़ी रमाशंकरके यहां रेहन करे और बिना उस रुपयेके अदा किये जो उसने रमाशंकरसे घड़ी पर ऋण लिया है, घड़ीको रमाशंकरके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले तो यद्यपि घड़ी शिवशंकरका माल है परन्तु तौभी शिवशंकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि वह उसको अधर्मसे लेता है ।

(ढ) शिवशंकर इस अभिप्रायसे रमाशंकरकी कोई वस्तु उसके अधिकारमेंसे उसकी बिना प्रसन्नता लेले कि जबतक रमाशंकरसे, उसके वापिस करनेके इनामके तौरपर कुछ रुपया न प्राप्त करे उपरोक्त वस्तुको वह अपने पास रक्खे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अधर्मसे लेता है; इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी हुआ ।

(ण) शिवशंकर जो रमाशंकरके साथ मित्रताका व्यवहार रखता है रमाशंकरकी ग़ैरहाज़िरीमें उसके पुस्तकालयमें जाए और उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीति पर कोई पुस्तक केवल पढ़नेके लिये ले जाए और उसका लौटाना शिवशंकरकी इच्छामें हो तो इस अवस्थामें सम्भव है कि शिवशंकरने यह समझा हो कि उसको रमाशंकरकी ओरसे रमाशंकरकी पुस्तके पढ़नेकी अप्रगट आज्ञा है, परन्तु यदि शिवशंकरकी यह इच्छा थी तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुवा ।

(त) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीसे ख़ैरात मांगे और वह शिवशंकरको रुपया खाना और वस्त्र दे जिसको शिवशंकर जानता हो कि वह उसके पतिका धन है तो इस अवस्थामें सम्भव है कि शिवशंकर यह समझता हो कि रमाशंकरकी स्त्री ऐसी ख़ैरात देनेकी अधिकारिनी है–अतएव यदि शिवशंकरका यही विचार था तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं हुआ ।

(थ) शिवशंकर रमाशंकरकी स्त्रीका यार है वह शिवशंकरको मूल्यवान पदार्थ दे, जिसको शिवशंकर जानता हो कि उसके पति रमाशंकर का है और वह ऐसा पदार्थ है कि रमाशंकरकी ओरसे वह उसके देनेकी अधिकारिनी नहीं है पस यदि शिवशंकर अधर्म से वह पदार्थ ले ले तो चोरीका अपराधी हुवा ।

(द) शिवशंकर रमाशंकरके मालको अपना माल समझकर शुद्धभावसे उसके अधिकारमेंसे लेले तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर अधर्मसे नहीं लेता है इसलिये शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है ।

१—लकड़ीपर इन्स्पेक्टर जनरलका अधिकार सरकारी अधिकारके तौरपर है और उसके अधिकारसे लकड़ीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसन्नतासे अलग की जाए हिन्दुस्थानके दंड संग्रहकी दफ़ा ३७८ के अनुसार चोरीमें दाखिल है, यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता बिना अधिकार व कल्पित हो । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द २ सफ़ा ६१०)

२—यदि किसी मनुष्यकी सिपुर्दगीसे कोई धन उसकी इच्छाके विरुद्ध जिसको प्रगट अधिकार अथवा कुछ अधिकार उपरोक्त धनके मध्ये प्राप्त हो, दूर कर दिया जाए, तो चोरीका अपराध ठहराना काफ़ी है । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफ़ा १३५)

३—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ म लिखे हुए "वस्तु" शब्दमें जानदार पदार्थ नहीं गिने जाँयगे । कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्ध में छोड़ दिया जावे, उस दफ़ाके अभिप्राया-नुसार "वस्तु" नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुपाकर गोश्त और चमड़ेके लालचसे मारडालें तो कोई अपराध दफ़ा १९५ का नहीं कियागया और सांड स्थावर धन दफ़ा ३७८ या ४०३ या ४२५ की मुरादके भीतर नहीं है । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १७ सफ़ा ८५२)

४—अपराधीने जो महकमे डाकखानेमें सरकारी नौकर था, जब कि चिट्ठीयोंके बांटने में सहायता दे रहा था दो चिट्ठीयोंको इस अभिप्रायसे छुपादिया कि उनको डिलेवरी वाले चपरासी को दे देगा और उसके साथ कुछ रुपयोंमें हिस्सा लगालेगा जो उनके मध्ये चुकाने योग्य है, उसपर ऐक्ट डाकखाना हिन्दकी दफा ४८ के अनुसार अपराध लगाया गया–तजवीज़ हुई कि जो कि अपराधीकी इच्छा उस चिट्ठीपाने वालेकी चिट्ठियोंके रोकनेकी नथी, इसलिये वह इस दफ़ा ४८ के अनुसार चिट्ठी छुपानेका अपराधी नहीं था वह चिट्ठियोंके चुराने और अनीतिव्यय (तसर्रुफ़बेजा) करनेका अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफ़ा २२९)

५—अपराधी अपने बापसे लड़ाईकर, अपने घरानेकी जायदादका एक भाग लेकर, बिना अपने बापकी आज्ञाके जो उस जायदादका प्रबंधक था, चला गया तो ऐसी अवस्थामें अपराधीनें चोरीका अपराध किया । (सी. पी. ला. रि. जिल्द ४ सफ़ा १७४)

चोरीका दण्ड.

(३७९) जो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—बिना गवर्नमेंटकी आज्ञाके ऐसे स्थानसे नमकका लेना जहांसे मनाही हो चोरीका अपराध है (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ४ सफ़ा २२८)

२—किसी गढ़ेसे अनुचित रीतिपर मछलीका लेना चोरी नहीं है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा ३९०)

३—जब कि अपराधी एक तालाबमें, जो कि शहरके भीतर था और जिसके आसपास घेरा खिंचा हुवा था, और जिसमें शहरकी म्यूनिस्पिल कमेटीका अधिकार था, बिना आज्ञा म्यूनिस्पिल कमेटीके मछली मारते हुए पकड़ा गया तो अपराधीपर चोरीका अपराध ठहराया जा सकता है। (इ० ला० रि० बम्बई १० सफ़ा १९३)

४—अपराधियोंपर मछली मारनेका अपराध एक तालाबसे जो वादीके अधिकार में था लगाया गया। वह दफ़ा ३७९ व ४४७ के अपराधी ठहराए गए—तजवीज़ की गई कि वह तालाब चारों ओरसे बिना घेरेका था और एक नहरके पानीसे भरा रहता था जो एक बहती हुई नदीसे मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमें आजाती थीं और तालाब में मछलियां पाली और रक्खी नहीं जाती थीं और यह मछलियां उस समय मारी गई थीं कि जब पानी बढ़ा और तालाब नदीसे मिला हुआ था इसलिये मछलियां उससे अपने आपही निकल पड़ीं—तजवीज़ हुई कि मछलियां स्वयं स्वाधीन थीं और उनपर वादीका अधिकार भी न था, इसलिये अपराधियोंने कोई अपराध नहीं किया। यदि मछलियां अपनी स्वाधीनतासे रहित कीजातीं और स्वामीकी आज्ञासे मारे जानेके योग्य होतीं और ऐसी अवस्थामें वह मारी जातीं तो अपराधी दण्ड योग्य होते। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा ४०२)

५—यदि हिन्दूजातकी स्त्री अपना स्त्री धन अपने पतिके अधिकारसे बिना उसकी प्रसन्नताके अलग करे तो वह चोरीकी अपराधिनी नहीं ठहराई जा सकती और जो मनुष्य ऐसे धनके हटानेमें उस स्त्रीका साझी हो वह चोरीमें सहायता करनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ८ सफ़ा ११)

६—चोरीके अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना आवश्यकीय है कि उपरोक्त माल, लेनेके समय वादीकेही अधिकारमें था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २० सफ़ा ८०)

७—मुसलमान जातकी ब्याही हुई स्त्री उस धनके मध्ये जो मुहम्मदी (मुसलमानी) शरह (शास्त्र) के अनुसार उसके ही पतिका धन समझा जाता है, चोरी अथवा चोरीमें सहायता करनेकी अपराधिनी ठहराई जा सकती है। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफ़ा ९)

८—अपराधियोंने सरकारी पेड़ काटकर बेच डाले—तजवीज़ हुई कि उनको चोरी और दुःख पहुँचाने (ज़रररसानी) का अपराधी ठहराकर दण्ड दिया जाना क़ानूनविरुद्ध न था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द २ सफ़ा ३९२)

(३८०) जो कोई मनुष्य किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें, जो मनुष्य के रहनेके स्थानकी भाँति अथवा माल असबाब रखनेके लिये काममें आता हो चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरी किसी घर अथवा तम्बू अथवा नावमें.

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(३८१) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या गुमाश्ता अथवा नौकर के कामपर तैनात हो किसी मालके मध्ये, जो उसके स्वामी अथवा कामपर लगाने वालेके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

जब कोई गुमाश्ता अथवा नौकर अपने स्वामीके पास से कोई वस्तु चुरावे.

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो)

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—जो मल्लाह कि नौकरी पर रक्खा जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३८१ में लिखे हुए, गुमाश्ते अथवा नौकर शब्दमें न गिना जावेगा और यदि वह नाव पर चोरी करे तो उसको दफ़ा ३८० के अनुसार दण्ड दिया जावेगा (वी० रि० जिल्द ८ सफ़ा ३२७)

२—सिविल स्टेशन राजकोटका इलाक़ा ब्रिटिश इंडियाका हिस्सा नहीं है, इसलिये चोरीका अपराध ब्रिटिश इंडियामें नहीं हुवा—पस अदालत सेशन थानाको अधिकार नहीं था कि वह अपराधीका विचार हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३८१ के अनुसार करे—परन्तु हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४११ के अनुसार चोरीका माल बददियानतीसे रखनेके अपराधमें ऐक्ट ८ सन् १८८२ ई० के अनुसार वह विचार कर सकता था। (इ०ला०रि०बम्बई जिल्द १०सफ़ा ८६)

(३८२) जो कोई मनुष्य चोरीके अपराधके लिये अथवा उस चोरीके पश्चात् अपने भाग जानेके लिये अथवा उस मालके बचा रखनेके लिये जो चोरीके द्वारा लिया जावे, मृत्यु अथवा दुःख अथवा रोक करनेकी, अथवा मृत्यु अथवा दुःख अथवा रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके चोरीका अपराध करे तो उस मनुष्यको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

चोरीका अपराध करनेके अभिप्रायसे वध करने अथवा भारी दुःख पहुँचाने की तैयारी करनेके पश्चात् चोरी करना.

उदाहरण।

(क) शिवशंकर उस मालके मध्ये, जो रमाशंकरके अधिकारमें हो चोरीका अपराध करे और जिस समय कि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके वस्त्रके नीचे एक भरा हुआ तमंचा हो, जो उसने इसलिये ले रक्खा हो कि यदि रमाशंकर रोक टोक करे तो उसको दुःख (ज़रर) पहुँचाए, तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुवा जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

(ख) शिवशंकर अपने कुछ साझियोंको अपने आसपास इसलिये खड़ा करके रमाशंकरकी जेब काटे कि यदि रमाशंकर इस वृत्तान्तको जानकर कुछ रोकटोक करे अथवा शिवशंकरके पकड़नेका उद्योगकरे तो वे रमाशंकरको रोकें तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

टीप-(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर-सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ी-नामा नहीं है।

१-यदि चोरीका अपराध करते समय वास्तवमें किसीको दुःख (ज़रर) पहुँचाया जाय तो उपरोक्त अपराधका दण्ड बल सहित चोरीके अपराधमें दियाजायगा। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ६ सफ़ा ८५)

दबाकर लेनेके विषयमें।

दबा कर लेना (इस्तेह साल बिलजब्र.)

(३८३) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यकी अथवा किसी दूसरे मनुष्यकी हानिका डर दिखाए और उसके द्वारा उस मनुष्यको जिसको इसप्रकार डर दिया गया है, इस बातके लिये धमकी दे कि वह कोई माल अथवा किफालतुलमाल अथवा कोई दस्तख़त की हुई या मुहर कीहुई वस्तु जो किफालतुलमाल बनसकती है, किसी मनुष्यको देदे-तो उपरोक्त मनुष्य दबाकर लेनेवाला कहलावेगा।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि तू मुझको रुपया दे नहीं मैं एक बात जो तेरी प्रतिष्ठामें बट्टा लगाएगी प्रसिद्ध करदूंगा और इसप्रकारसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये धमकी दे तो शिवशंकर दबा कर लेनेका अपराधी होगा।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं तेरे बच्चेको अनीतिबन्धनमें रक्खूंगा नहीं तो एक रुक्केपर दस्तख़त करके उसको मेरे सिपुर्द कर जिसमें तेरी ओरसे मुझको रुपयेकी अमुक तादाद देनेका वादा हो, और रमाशंकर दस्तख़त करके वह रुक्का शिवशंकरको दे दे तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको यह धमकी दे कि मैं लठ्ठबंद आदमी भेजकर तेरा खेत जुतवा लूंगा नहीं तू एक तमस्सुक दस्तख़त करके हरशंकरको दे जिसके अनुसार हरशंकरको किसी विशेष पैदावारका देना और पैदावार न देनें पर जुर्मानेका देना रमाशंकर पर उचित हो—और उसके द्वारा शिवशंकर रमाशंकरसे उस तमस्सुक पर दस्तख़त कराकर ले ले, तो शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचानेका डर बताकर उसको कोरे काग़ज़पर दस्तख़त या मोहर करने और शिवशंकरको दे देनेके लिये अधर्मसे धमकाया—रमाशंकरने उस काग़ज़पर दस्तख़त करके शिवशंकरको दे दिया तो, जो कि इस अवस्थामें वह काग़ज़ कि, जिसपर इस प्रकार दस्तख़त किया गया किफालतुलमाल बन सकता है—इसलिये शिवशंकर दबाकर लेनेका अपराधी हुवा।

(३८४) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करें उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दबाकर लेनेका दण्ड.

टीप—(१) अदालत सेशन प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—केवल यह बात कि, दबाकर लेनेका अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३८४ के अनुसार, गांवके चौकीदारके सामने हुआ, चौकीदारको उपरोक्त अपराधमें सहायता करनेका दोषी नहीं ठहरा सकती। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा ७२८)

२—इस मुक़द्दमेमें अपराधीने मुक़द्दमा फ़ौजदारी दायर करनेकी धमकी देकर कुछ रुपया दबाकर लिया—तजवीज़ हुई कि अपराधीने दबाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मुक़द्दमा जिसके चलानेकी उसने धमकी दी सच हो अथवा झूठ। (वी० रि० जिल्द ७ सफ़ा २८)

(३८५) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेका डर दिखाए अथवा ऐसा डर दिखानेका उद्योग करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको हानि पहुँचानेका डर दिखाना.

टीप—दफ़ा ३८४ के अनुसार है।

(३८६) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको स्वयं उस मनुष्यके अथवा किसी दूसरे मनुष्यके मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर बताकर दबा कर लेनेका अपराधी होगा तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर बताकर दबाकर लेना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधी के नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(३८७) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख (ज़ररशदीद) का डर दिखावेगा अथवा दिखानेका उद्योग करेगा—चाहे वह डर उसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा भारी दुःखका हो चाहे किसी दूसरे की,—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

दबाकर लेनेके लिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःखका डर दिखाना.

टीप—दफ़ा ३८५ के अनुसार है ।

१—किसी मनुष्यसे बलपूर्वक रुपया लेनेके लिये आत्महत्या (खुदकुशी) के उद्योगकी इच्छा प्रगट करना एक अपराध दफ़ा ३८७ के अनुसार है । (इंडियन जूरिस्ट न्यूसेरीज सफ़ा ४२३)

(३८८) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखाकर करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दश वर्षतककी कैद है, अथवा इस बातकी तुहमत लगानेका डर दिखाए कि उस मनुष्यने अथवा दूसरे मनुष्यने किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा अपराध करनेके लिये बहकाया है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध ऐसा हो जिसका दण्ड दफ़ा ३७७ के अनुसार होसकता है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड दिया जासकता है । (दफ़ा ४० को देखो)

ऐसे अपराधमें फँसानेकी धमकी देकर कि जिसके लिये मृत्यु अथवा देश निकाले आदिका दण्ड नियत है दबाकर लेना.

टीप—दफ़ा ३८६ के अनुसार है ।

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो)

(३८९) जो कोई मनुष्य दबाकर लेनेका अपराध करनेके लिये किसी मनुष्यको इस बातका डर दिखावे अथवा दिखानेका उद्योग करे कि मैं तुझको अथवा और किसी दूसरे मनुष्यको, किसी ऐसे अपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत लगाऊंगा, कि जिसका दण्ड वध अथवा जन्मभरका देश निकाला अथवा दशवर्षतककी क़ैद है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा। और यदि वह अपराध ऐसा हो कि उसका दण्ड दफ़ा ३७७ के अनुसार होसकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकालेका दण्ड दिया जावेगा। (दफ़ा ४० को देखो)

दबाकर लेनेके अभिप्रायसे किसी मनुष्यको अपराध लगानेकी तुहमतका डर दिखाना.

टीप—दफ़ा ३८६ के अनुसार है।

जोरी अर्थात् बलसहित चोरी (सरक़ा बिलजब्र) व डकैतीके बयानमें। *

(३९०) प्रत्येक बलसहित चोरीमें या तो चोरी होती है या दबाकर लेना होता है।

बलसहित चोरी.

चोरी, उस अवस्थामें जोरी (सरक़ा बिलजब्र) होगी कि जब चोरी करनेके लिये अथवा चोरी करनेमें, अथवा उस मालके लेजाने या लेजानेका यत्न करनेमें जो चोरीसे प्राप्त कियागया हो, अपराधी उस अभिप्रायसे जानबूझकर, किसी मनुष्यकी मृत्यु अथवा दुःख अथवा अनीति रोक (मुज़ाहिमतबेजा) का कारण हो, अथवा उसके कारण होनेका उद्योग करे अथवा तत्कालही मृत्यु होने अथवा तत्काल दुःख (ज़रर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाये अथवा डर दिखानेका उद्योग करे।

किस अवस्थामें चोरी बलसहित चोरी (जोरी) कही जावेगी.

दबाकर लेना, उस अवस्थामें जोरी कहलावेगा कि जब अपराधी दबाकर लेते समय उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया गया, और उस मनुष्यको, स्वयं उसी मनुष्यकी या किसी दूसरे मनुष्यकी, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख (ज़रर) पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर दिखाकर दबाकर ले, और इस प्रकार डर दिखानेसे उस मनुष्यको

किस अवस्थामें, दबाकर लेना (इस्तेहसाल बिलजब्र) बलसहित चोरी (जोरी) कहलावेगा.

* सब लोगोंको उचित है कि वे दफ़ा ३९३ से लगाकर दफ़ा ३९९ तकके अपराधोंकी सूचना देवें। ऐक्ट नं० १० सन् १८८४ ई० की दफ़ा ४४ को देखो।

कि जिसे डर दिखाया गया, बलपूर्वक प्राप्त कीहुई वस्तु उसी समय और उसी स्थानपर दे देनेकी धमकी दे-

स्पष्टीकरण—यदि अपराधी इतना निकट हो कि जिससे वह उस दूसरे मनुष्यको, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्काल दुःख पहुँचाने अथवा तत्काल अनीति रोक करनेका डर काफ़ी तौरसे दिखासके, तो कहा जावेगा कि अपराधी उपस्थित है ।

उदाहरण ।

(क) रमाशंकर शिवशंकरको दबा बैठे और शिवशंकरके कपड़ोंमेंसे उसका रुपया और गहना बिना प्रसन्नता उसके बलपूर्वक ले ले, तो इस अवस्थामें रमाशंकरने चोरी की है; और जो कि उस चोरीके लिये रमाशंकरने शिवशंकरके मध्ये जानबूझकर अनीति रोक (मुज़ाहिमत बेजा) की, इसलिये वह बल सहित चोरी अर्थात् जोरीका अपराधी हुवा ।

(ख) शिवशंकर सर्वसम्बंधी मार्गपर रमाशंकरसे मिला और रमाशंकरको तमंचा दिखाकर उसकी बसनी माँगी और रमाशंकरने उसके कारण अपनी बसनी विवश होकर छोड़ दी, इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने रमाशंकरको तत्काल दुःख (ज़रर) पहुँचानेका डर दिखाकर उससे बसनी दबाकर लेली, और दबाकर लेनेके समय रमाशंकरके निकट उपस्थित था, इसलिये शिवशंकर जोरीका अपराधी हुआ ।

(ग) शिवशंकर सर्व साधारण सड़कपर रमाशंकर तथा उसके बालकसे मिला, और शिवशंकरने लड़केको पकड़कर रमाशंकरको धमकाया कि यदि तू अपनी बसनी मुझे न दे देगा तो मैं तेरे लड़केको उँचाई परसे गिरा दूंगा, और रमाशंकरने उस कारणसे अपनी बसनी छोड़ दी—तो इस अवस्थामें शिवशंकरने रमाशंकरको इस बातका डर दिखाकर कि बच्चेको जो वहां उपस्थित है तत्काल दुःख पहुँचाएगा, रमाशंकरसे दबाकर बसनी लेली, इसलिये शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुआ ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरसे कुछ माल यह कहकर लेवे कि तेरा लड़का हमारे गिरोहके वशमें है, यदि तू हमको दशहज़ार रुपया न भेज देगा तो वह मारडाला जावेगा, तो यह दबाकर लेना (इस्तेहसालबिलजब्र) है, और उसके बदलेमें दबाकर लेनेकाही दण्ड दिया जायगा परंतु वह बलसहित चोरी नहीं है, सिवाय इसके कि रमाशंकरको लड़केके तत्काल मारडालनेका डर बतलाया जावे ।

१—यदि गहनेके छीन लेनेमें किसीको दुःख पहुँचे तो उस घटनाका अपराध बलसहित चोरी (जोरी) का अपराध गिना जायगा—इसलिये जब एक मनुष्यने नथ निकालनेमें स्त्रीके नथनोंको घायल किया, यहां तक कि उनसे ख़ून बहने लगा तो वह बल सहित चोरीका अपराधी हुआ । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ९५)

२—कुछ मनुष्योंने एक नावको यह कहकर रोक लिया कि मजिस्ट्रेट रामपुर बलियाको उसकी आवश्यकता थी और फिर उसको लूट लिया और मल्लाहोंने कुछ सामना न किया,

तजवीज़ हुई कि वे बलसहित चोरी (सरक़ा बिलजब्र) के अपराधी हुए थे क्योंकि चोरीका अपराध उस समय हुआ था कि जब मल्लाहोंको अनीतिरोकका भय था । वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ५ सफ़ा ११)

डकैती.

(३९१) जब पाँच अथवा अधिक मनुष्य मिलकर जोरी करें अथवा करनेका उद्योग करें अथवा जब कि उन मनुष्योंकी कुलसंख्या जो जोरी अथवा जोरीका उद्योग मिलकर करते हों, उन मनुष्योंकी संख्यासमेत जो वहाँ उपस्थित हों और उसके करने अथवा उद्योगमें सहायता करते हों, पाँच अथवा पाँचसे अधिक हों तो प्रत्येक मनुष्य जोरी करनेवाला अथवा उद्योग करनेवाला अथवा उसमें सहायता करनेवाला "डकैती" करनेका अपराधी कहलावेगा ।

१--जब हिन्दूलोगोंने मिलकर एक बैल और दो गायोंको एक मुसलमानके अधिकारसे दूर कर दिया--उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनीतिलाभ (नाजायज़ फ़ायदा) अथवा पशुओंके स्वामीको अनीतिहानि (नुक़सान नाजायज़) पहुँचाएँ, बरन् उनकी यह इच्छा थी कि वे पशु वध करनेसे बचजाएँ--तो तजवीज़ हुई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराधमें विचार नहीं होसकता बरन केवल बलवाका होसकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा २२)

जोरीका दण्ड.

(३९२) जो कोई मनुष्य जोरीका अपराध करे, उसको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा—और यदि वह जोरी सर्वसाधारण मार्गपर सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके मध्यमें कीजावे तो क़ैदकी मीआद चौदह वर्षतक होसकती है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

बेतके दण्डके लिये ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो ।)

१—जिस मनुष्यपर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जावे वह चोट पहुँचाने (ज़रररसानी) का अपराधी नहीं ठहराया जासकता क्योंकि चोट पहुँचाना जोरीका एक भाग है । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १ सफ़ा ६५)

जोरीके उद्योगका दण्ड.

(३९३) जो कोई मनुष्य जोरीके अपराधका उद्योग करे उस मनुष्यको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ३९२ के अनुसार है ।

ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो ।)

(३९४) यदि कोई मनुष्य जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें किसी मनुष्यको जानबूझकर दुःख पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको तथा किसी दूसरे मनुष्यको जो उस जोरी करने अथवा जोरीके उद्योगमें साझी हो जन्मभरके देशनिकालेका दण्ड अथवा कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जोरी करनेमें जानबूझकर दुःख (ज़रर) पहुँचाना.

टीप—दफ़ा ३९२ के अनुसार है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई०की दफ़ा २ व ३ को देखो ।)

१—दफ़ा ३०७ व ३९४ के दण्डोंमें जन्मभरके देशनिकालेका दण्ड अथवा दशवर्षकी कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा १४ वर्षके लिये कालेपानीका दण्ड नहीं होसकता । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा ४१)

(३९५) जो कोई मनुष्य डकैती करेगा, उसको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैती करनेका दण्ड.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो)

१—जब बहुतसे हिन्दुओंने मिलकर मज़हबी जोशके कारण कुछ मुसलमानोंपर आक्रमण करके सर्व साधारण सड़कपर उनसे पशुओंको छीन लिया तो तजवीज़ हुई । कि हिन्दू लोग हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३९५ के अनुसार डकैतीके अपराधी हैं न कि केवल बलवाके । इ०ला०रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा २९९)

(३९६) उन पाँच अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे जो मिलकर डकैती करें, कोई एक मनुष्य उस डकैतीके करनेमें ज्ञातघातको करे, तो उनमेंसे प्रत्येक मनुष्यको वधका दण्ड अथवा जन्मभरके देशनिकालेका या कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैतीके साथ ज्ञातघात.

टीप—दफ़ा ३९५ के अनुसार है ।

१—जब डकैती करते समय कोई मनुष्य जानसे माराजावे, तो यह बात विचारनेके योग्य न होगी कि वह डकैत, कि जिसपर इस दफ़ाके अनुसार अपराध लगाया गया उस घरके भीतर था अथवा बाहर, जहां डकैती हुई थी अथवा यह कि उस वधका कियाजाना घरके भीतर या बाहर

केवल उस सीमातक था कि जहांतक डाका डाला गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफ़ा ८६)

जोरी अथवा डकैती मृत्यु करने अथवा भारी दुःख पहुँचानेके उद्योगके साथ.

(३९७) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको काममें लाए अथवा किसी मनुष्यको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए अथवा किसी मनुष्यके वध करने या भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे तो वह क़ैद जिसका दण्ड उस अपराधीको दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगा।

टीप–दफ़ा ३९५ के अनुसार है।

चोरी करते समय मृत्युकारी हथियारको काममें लानेसे चोरी जोरी होजाती है और वह अपराधी हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३९७ के अनुसार दण्ड योग्य होगा चाहे इन चोरोंकी संख्या ५ हो अथवा कम। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ४९)

मृत्युकारी हथियार बाँधकर जोरी अथवा डकैतीका उद्योग.

(३९८) यदि जोरी अथवा डकैती करनेके उद्योगके समय अपराधी किसी मृत्युकारक हथियारको लिये हो तो वह क़ैद जिसका दण्ड उस अपराधीको दिया जायगा सात वर्षसे कम न होगी।

टीप–दफ़ा ३९५ के अनुसार है।

डकैती करनेके लिये तैयारी करना.

(३९९) जो कोई मनुष्य डकैती करनेके लिये कोई तैयारी करे उसको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप–दफ़ा ३९५ के अनुसार है।

डकैतोंके झुण्डमें साझी होनेका दण्ड.

(४००) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत ऐसे मनुष्योंके झुण्डमें साझी होगा जो परस्पर डकैती करनेके लिये मेल रखते हों तो उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकाले अथवा कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप–दफ़ा ३९५ के अनुसार है।

१––इस दफ़ा ४०० के अनुसार अपराध ठहरानेके लिये इस बातके प्रमाणित होनेकी आवश्यकता है कि अमुक समयपर डाकुवोंका झुंड कि जिन्होंने डकैती करनेके अभिप्रायसे परस्पर मेल कर लिया था, उपस्थित था और अपराधी उस झुंडमें साझी था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १८ सफ़ा २३)

(४०१) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके उपरांत इधर उधर फिरनेवाले मनुष्योंके झुण्डमें अथवा किसी और झुण्डमें साझी होगा जो चोरी अथवा जोरीके लिये परस्पर मेल रखते हों, परन्तु जो ठगों अथवा डाकुओंका झुण्ड न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

इधर उधर फिरनेवाले चोरोंके झुण्डमें साझी होनेका दण्ड.

टीप---दफ़ा ३९२ के अनुसार है ।

(४०२) जो कोई मनुष्य किसी समय इस ऐक्टके प्रचलित होनेके पश्चात् उन पांच अथवा अधिक मनुष्योंमेंसे होगा, जो डकैती करनेके लिये इकट्ठा हुए हों,--तो उस मनुष्यको कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

डकैती करनेके लिये इकट्ठा होना.

टीप---दफ़ा ३९५ के अनुसार है ।

१---इस बातका प्रमाणित होजाना, कि अपराधी डाकुओंके गिरोहमेंसे एक मनुष्य था और उस गिरोहके अभिप्रायसे जानकार रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफ़ा ४०२ का अपराध ठहरानेके लिये काफ़ी है । (वी० रि० जिल्द ७ सफ़ा ९७)

मालके तसर्रुफ़ बेजा मुजरिमाना (अधर्मसे धनके अनीति-व्यय करने) के वर्णनमें ।

(४०३) जो कोई मनुष्य अधर्मसे, किसी स्थावर धनको अपने अनीति व्यय (तसर्रुफ़बेजा) में अथवा अपने काममें लेआये, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे

अधर्मसे धनका अनीति व्यय (बद दियानतीसे मालका तसर्रुफ़ बेजा)

उदाहरण ।

क) शिवशंकर रमाशंकरके अधिकारमेंसे रमाशंकरका माल ले और शुद्धभावसे उसके लेते समय यह निश्चय करता हो कि वह माल मेरा है तो इस अवस्थामें शिवशंकरने चोरी नहीं की, परंतु यदि शिवशंकर अपनी भूल जान लेनेके पश्चात् उस मालको अधर्मसे व्ययकर डाले तो वह उस अपराधका अपराधी है, जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ख) शिवशंकर जो रमाशंकरसे मित्रताका व्यवहार रखता है, रमाशंकरके पुस्तकालयमें उसकी ग़ैरहाज़िरीमें जाए और बिना स्पष्ट आज्ञा रमाशंकरके एक पुस्तक लेजाए, तो इस अवस्थामें यदि शिवशंकरको यह निश्चय था कि पढ़नेके लिये पुस्तक लेनेकी मुझको रमाशंकरकी स्पष्ट आज्ञा प्राप्त है तो शिवशंकर चोरीका अपराधी नहीं है परंतु यदि शिवशंकर इसके पश्चात् अपने लाभके लिये उस पुस्तकको बेच डाले तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

(ग) यदि शिवशंकर व रमाशंकर साझे किसी घोड़ेके मालिक हों और शिवशंकर घोड़ेको रमाशंकरके पाससे अपने काममें लानेके लिये ले जावे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर उस घोड़ेको काममें लानेका अधिकारी है, इसलिये वह अधर्मसे उसको अनीतिव्ययमें नहीं लाता, परंतु यदि शिवशंकर घोड़ेको बेच डाले और उसकी क़ीमतका सब रुपया अपने काममें ले आये, तो वह उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफ़ामें कियागया है।

स्पष्टीकरण--१ अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ बेजा) जो केवल कुछ समयके लिये अधर्मसे किया जाय, वह भी इस दफ़ाके अनुसार अनीतिव्यय गिना जायगा।

उदाहरण।

शिवशंकरने एक गवर्नमेंट प्रामेसरी नोट जो रमाशंकरका माल था और जिसकी पीठपर बिक्रीकी इबारत बिना नामके लिखी थी, पाया, शिवशंकरने यह बात जानबूझकर कि यह नोट रमाशंकरका है, उसको किसी साहूकारके यहां इस अभिप्रायसे गहने रखदिया कि आगे किसी समय इसको रमाशंकरको फेर दूंगा, तो शिवशंकरने इस दफ़ाके अनुसार अपराध किया।

स्पष्टीकरण--२ जो मनुष्य कोई माल जो किसी मनुष्यके अधिकारमें न हो पाए और उस मालको उसके मालिककी ओरसे प्रबन्ध करने अथवा उसके मालिकको लौटा देनेके लिये अपनी सिपुर्दगीमें लाए तो उपरोक्त मनुष्य उस मालको अधर्मसे अपनी सिपुर्दगी अथवा अनीतिव्यय (तसर्रुफबेजा) में नहीं लाता, और न अपराधका अपराधी है—परन्तु वह मनुष्य उस अपराधका, जिसका लक्षण ऊपर कहा गया है अपराधी होगा यदि वह उस मालको अपने कामके लिये अनीतिव्यय (तसर्रुफबेजा) में लाए जब कि वह उसके मालिकको जानता हो अथवा उसके जान लेनेके उपाय रखता हो अथवा इससे पहिले कि वह मालिकके ढूंढ़ने और उसको सूचित करनेके उचित उपाय काममें ला चुका हो और एक उचित समय तक उस मालको अपनी सिपुर्दगीमें रक्खा हो जिससे कि मालिकको उसके दावा करनेका अवसर मिलता।

यह बात कि ऐसी अवस्थामें कौनसे उपाय वास्तवमें उचित हैं और कौनसा समय वास्तवमें उचित है, निर्णय करनेके योग्य होगी।

यह अवश्य नहीं है कि पानेवाला यह जाने कि उस मालका कौन मालिक है अथवा यह कि अमुक मनुष्य उसका मालिक है—बरन् इतनाही बहुत है कि मालको

अपने व्ययमें लाते समय वह यह निश्चय न करता हो कि वह उसका अपना माल है अथवा शुद्धभावसे यह निश्चय न करे कि उसका असल मालिक नहीं मिल सकता ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर सड़कपर एक रुपया पाये और उसको यह जानकारी न हो कि यह किस का माल है, और शिवशंकर उस रुपयेको उठाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराध का करने वाला नहीं हुआ, जिसका वर्णन इस दफ़ामें कियागया है ।

(ख) शिवशंकर सड़कपर एक चिट्ठी पाए और उसमें एक महाजनी हुंडी हो और लिफाफे तथा चिट्ठीकी लिखावटसे शिवशंकर जानले कि वह हुंडी अमुक मनुष्यकी है फिर शिवशंकर उसको अपने व्ययमें लाए, तो शिवशंकर एक अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ग) शिवशंकर एक रुक्का पाए, जिसका रुपया धनीको मिल सकता हो, परन्तु उसे यह निश्चय न होवे कि इसका खोनेवाला कौन है—तथापि जिस मनुष्यने रुक्का लिखा हो उसका नाम निकल आवे और शिवशंकर यह जानले कि इसका लिखनेवाला इसके मालिकका पता बतला सकेगा परन्तु फिरभी उसके ढूँढनेका कुछ उपाय किये बिना उस रुक्केको अपने काममें ले आवे तो वह इस दफ़ाके अनुसार अपराधका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर रमाशंकरके पाससे उसकी बसनी जिसमें रुपये हों गिरते देखे और शिवशंकर रमाशंकरको फेर देनेके अभिप्रायसे बसनीको उठा ले और उस बसनीको अपने कामके लिये व्ययमें लावे तो शिवशंकरने उस अपराधको किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(च) शिवशंकर एक बसनी जिसमें रुपये हों पाये, यह न जानकरके कि वह किसका धन है; परन्तु पीछेसे जान लेवे कि वह रमाशंकरका धन है, और फिर उस बसनीको अपने काममें व्यय कर डाले तो इस अवस्थामें शिवशंकर उस अपराधका अपराधी है जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(छ) शिवशंकर एक बड़े मोलकी अंगूठी पाए, यह न जान करके कि वह किसका धन है और फिर उसके मालिकके ढूंढनेका कोई यत्नकरके उसको तत्काल बेच डाले तो शिवशंकर एक अपराधका करनेवाला हुवा जिसका वर्णन इस दफ़ामें कियागया है ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—जो सांड किसी मूर्त्ति या देवताके लिये छोड़ा जावे और स्वाधीनता पूर्वक फिरने दिया जावे वह इसलिये मिलकियत (धन) से खारिज नहीं है । कि उस मन्दिरको जहां कि देवता अथवा मूर्त्तिकी पूजा होती है कुल अधिकार और ज़िम्मेदारियां उसके सम्बन्धमें प्राप्त हैं । (इंडियन ला रिपोर्ट मदरास जिल्द ११ सफ़ा १४५)

२—एक मनुष्यको इस अपराधके मध्ये विचार होकर दण्डकी आज्ञा हुई कि उसने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४११ के अनुसार यह अपराध किया था कि उसने अधर्मसे एक सांड को यह जानबूझकर लिया कि उसके मध्ये तसर्रुफ़बेजा मुजरिमाना (अनीति व्यय) किया गया है। तजवीज़ हुई कि तसर्रुफ़बेजा (अनीति व्यय) करते समय वह सांड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अभिप्रायानुसार " वस्तु (माल) " में नहीं गिना जा सकता था, क्योंकि पहिले तो उसका कोई मालिकही नहीं रहा और दूसरे यह कि असली मालिकने अपने कुल अधिकार मिलकियतके छोड़ दिये इसलिये ऐसे सांडकी चोरी नहीं की जासकती है, और इसलिये अपराधी छोड़ा गया। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ८ सफ़ा ५१)

३—एक सरकारी नौकर था, जिसका यह काम था कि रुपया लेकर उसको खज़ानेमें रसीद लेनेके बाद जमाकरदे—उसने स्वीकार किया कि मैंने कई महीने तक रुपयेकी दो रक़में अपने यहां रक्खी, जब मुझे पकड़ जानेका डर हुवा तब मैंने उनको ख़ज़ानेमें दाखिल कर दिया और संदेह दूर करनेके लिये अपने रजिष्टरमें झूठमूठ इबारत लिखली—उसने अपने यहां रुपया रखनेका जो कारण बतलाया, उस पर साहब मजिस्ट्रेटने निश्चय नहीं किया और जिन्होंने हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४०३ के अनुसार अनीति व्यय (तसर्रुफ़ बेजा) के अपराधमें उसका विचार किया—तजवीज़ हुई कि अपराधका विचार ठीक था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफ़ा ४९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ के अनुसार शब्द " वस्तु " में जानदार वस्तुएँ नहीं गिनी जासकती—कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड़ा जावे, इस दफ़ाके अभिप्रायके भीतर नहीं है और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान छुआकर गोश्त और चमडेके लोभसे मार डाले तो दफ़ा २९५ के अनुसारका कोई अपराध उन्होंने नहीं किया—और सांड हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धन नहीं है। इ० ला० रि० कलकता जिल्द १७ सफ़ा ८५२)

५—अपराधीने सड़कपर एक सोनेकी मुहर पाई—दूसरे दिन उसने उस मुहरको किसी सराफ़के हाथ पूरे दामोंपर बेचडाला और वह उसका रुपया अपने खर्चमें लाया—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि—उन बातोंके न मालूम होनेकी अवस्थामें, कि जिनमें उपरोक्त मुहर खो गई, और जो कि यह कदाचित् सम्भव हो कि उस मुहरका अधिकार असली मालिकने बिल्कुल छोड़ दिया हो, अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४०३ के अनुसार अनीतिव्ययके अपराधमें दण्ड नहीं दिया जा सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफ़ा २१२)

अधर्मसे किसी ऐसे धन (माल) को व्यय (तसर्रुफ़) कर डालना कि जो मरनेके समय किसी मर हुए मनुष्य के अधिकारमें था.

(४०४) जो कोई मनुष्य कोई माल अधर्मसे अपने अनीति व्यय अथवा काममें यह जानकर लाए कि वह माल किसी मनुष्यके मरते समय उस मरे हुए के अधिकारमें था, और यह कि वह माल उस समयसे किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें नहीं रहा है जो उस अधिकारका क़ानूनानुसार अधिकारी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक हो सकती है और वह

जुर्मानेकेभी योग्य होगा और यदि अपराधी उस मरे हुए मनुष्यकी ओरसे उसके मरनेके समय गुमाश्ता अथवा नौकर हो तो कैदकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर कुछ माल और रुपयेपर अधिकारी होनेकी अवस्थामें मरजाए और रमाशंकर उसका नौकर, इसके पहिले कि वह रुपया किसी ऐसे मनुष्यके अधिकारमें आजाए जो उस अधिकारका अधिकारी है, उपरोक्त रुपयेको अधर्मसे अपने अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ बेजा) में लाए तो इस अवस्थामें रमाशंकरने वह अपराध किया, जिसका वर्णन इस दफ़ामें कियागया है ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (६) राज़ीनामा नहीं है ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४०४ अनस्थावर धन (ग़ैर मनकूला माल) से सम्बंध नहीं रक्खेगी । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ६ सफ़ा ३३)

२—कोई मनुष्य उस रुपयेके अनीतिव्यय करडालनेमें दफ़ा ४०४ के अपराधका अपराधी होगा, जिसको मरे हुए मनुष्यने उसकी सिपुर्दगीमें रक्खा हो चाहे उस रुपयेको वह अपने काममें न लाया हो । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ११ सफ़ा १)

दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) के बयानमें ।

दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना.)

(४०५) कोई मनुष्य जिसको किसी प्रकारसे कोई माल अथवा किसी मालका प्रबंध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, क़ानूनकी किसी आज्ञाको जिसमें ऐसी सिपुर्ददारीके वर्त्तनेकी रीति ठहराई गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट उचित कौल करारको, जो उस सिपुर्ददारीके मध्ये वह करचुका हो तोड़कर उस मालको अधर्मसे व्ययकरेगा अथवा अपने काममें लावेगा अथवा अधर्मसे उससे काम निकालेगा अथवा अलग करेगा अथवा जानबूझकर किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा करने देगा तो वह दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराधी कहलावेगा ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने जो किसी मरेहुए मनुष्यके मालका अधिकारी था, उस क़ानूनका उल्लंघन करके जिसमें उसको आज्ञा थी कि वसीअतनामेके अनुसार माल असबाबको बांट दे, अधर्मसे उस माल असबाबको अपने काममें व्ययकिया, तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात किया ।

(ख) शिवशंकर गोदामका मालिक हो और रमाशंकर, जो देशाटनको जाता हो शिवशंकरको अपना असबाब इस नियमपर सौंपजाय कि जिस समय गोदाम घरके मध्ये भाड़ेका इतना रुपया दे दियाजाए उसे कुल असबाब लौटा दिया जायगा—और शिवशंकर उस असबाबको अधर्मसे बेच डाले तो शिवशंकरने दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) किया ।

(ग) यदि कलकत्तेका रहनेवाला शिवशंकर देहलीके रहनेवाले रमाशंकरका गुमाश्ता हो और उन दोनोंमें प्रगट अथवा अप्रगट रीतिसे यह क़ौल क़रार हो कि रमाशंकर जो रुपया शिवशंकरको हुंडी करे उसको शिवशंकर रमाशंकरकी आज्ञाके अनुसार लाभके लिये लगाले—रमाशंकर एक लाख रुपया इस आज्ञासे शिवशंकरके पास हुंडी करे कि शिवशंकर उसको कम्पनीके प्रामेसरी नोटके मोल लेनेमें लगावे परंतु शिवशंकर अधर्मसे उस आज्ञाके विरुद्ध अपने काममें व्ययकरे तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानतमुजरिमाना) का अपराधी होगा ।

(घ) परंतु ऊपरके पिछले उदाहरणमें यदि शिवशंकर अधर्मसे नहीं वरन् शुद्धभावसे यह निश्चय करके कि बेंक बंगालके हिस्से मोललेना रमाशंकरके लिये अधिकतर लाभदायक होगा—रमाशंकरकी आज्ञाके विरुद्ध करे और बेंकके प्रामेसरी नोट मोल लेनेके बदले बेंक बंगालके हिस्से रमाशंकरके नाम मोल ले तो इस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकर हानि उठाए और उस हानिके मध्ये शिवशंकर पर दीवानीमें नालिश करनेका अधिकारी हो, तथापि जो कि शिवशंकरने अधर्मसे वर्त्ताव नहीं किया इसलिये शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी नहीं है ।

(च) यदि शिवशंकर जो सरिश्ते मालका ओहदेदार है सरकारी रुपयेका सिपुर्ददार हो और उस पर चाहे क़ानूनकी आज्ञाके अनुसार चाहे किसी क़ौल क़रारके अनुसार जो गवर्नमेंटके साथ प्रगट अथवा अप्रगट रीति पर हुआ हो, उचित हो कि वह कुल रुपया सरकारी जो उसके अधिकारमें है किसी मुख्य ख़ज़ानेमें दाखिल करे—परन्तु शिवशंकर उस रुपयेको अधर्मसे अपने व्ययमें लाए तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराधी है ।

(छ) रमाशंकरकी ओरसे, शिवशंकरको जो माल व असबाब पहुँचानेका पेशा रखता है, कोई माल धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द किया गया कि वह उसे थल अथवा जलके मार्गसे पहुँचा दे और शिवशंकर उस मालको अधर्मसे अपने काममें व्ययकर डाले तो शिवशंकर दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराधी होगा ।

१—यदि कोई मनुष्य किसी रुपयाको जो उसने किसी विशेष काममें व्यय करनेके लिये पाया हो उस काममें व्यय न करे और उसका हिसाब माँगे जानेपर हिसाब देनेसे नाहीं करे

अथवा झूंठ हिसाब दे तो वह दण्ड योग्य विश्वासघातका अपराधी होगा । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफ़ा २८)

२—नाज़िर एक बड़े सरिश्तेका अफसर है और जिस कामके मध्ये वह रिपोर्ट करे अथवा उसको स्वीकार करे उसकी सचाईका ज़िम्मेदार है और वह अपनी ज़िम्मेदारीसे इस बात पर नहीं बच सकता कि उसके मुहर्रिरने उसको धोखा दिया था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ सफ़ा १०९)

दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का दण्ड.

(४०६) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य विश्वासघातको करे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० मजिस्ट्रेट या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीपर जो सब इन्स्पेक्टर पोलीस था, इसबातका अपराध लगाया गया कि उसने एक घोड़ा कांजीहौसमेंसे मोल लिया था—तजवीज़ हुई कि मजिस्ट्रेटको ऐक्ट १ सन् १८७१ ई० की दफ़ा १९ व हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा १६९ के अनुसार वर्त्ताव करना चाहिये था, उस पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४०६ के अपराधमें दण्ड होना चाहिये था । (वी० रि० जिल्द १६ सफ़ा ५२)

माल पहुंचानेवाले (ढोईदार) और घटवार इत्यादिकी ओरसे दण्डयोग्य विश्वासघात.

(४०७) यदि कोई मनुष्य, जिसको ढोईदार या घटवार या गोदामके मालिककी रीतिसे कोई माल सिपुर्द हो, उस मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वास घात (खयानत मुजरिमाना) का अपराध करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन, प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

गुमाश्ते अथवा नौकर की ओरसे विश्वासघात.

(४०८) कोई मनुष्य जो गुमाश्ता अथवा नौकर हो या जो गुमाश्ता अथवा नौकरके कामपर तैनात हो और जिसको किसी प्रकार गुमाश्ता अथवा नौकरके कामके कारण कोई माल अथवा किसी मालका प्रबंध धरोहरकी रीतिपर (अमानतन) सिपुर्द हो, उपरोक्त मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासघात (खयानत मुजरिमाना) का अपराधी हो, तो उपरोक्त

मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ४०६ के अनुसार है ।

१—जब एक सिब इन्स्पेक्टरने जिसकी चौकसीमें कुछ सरकारी रुपया था वह रुपया अनुचित रीतिपर एक कानिस्टेबिलकी सिपुर्दगीमें रख दिया और अपनेको हानिसे बचानेके अभिप्रायसे निजकी तौर पर उस कानिस्टेबिलसे ज़मानत लेली और उपरोक्त कानिस्टेबिल अधर्मसे उस रुपये को अपने काममें ले आया, यद्यपि फिर उसने पीछेसे उस रुपयेको लौटा दिया—हाईकोर्टने मुक़द्दमे को दफ़ा ४०८ (न कि दफ़ा ४०९) के अनुसार समझा और अपराधीको १० वर्षके काले पानी और ५००) रु० जुर्मानेके दण्डके स्थानपर बिनाजुर्माना एकवर्षकी कठिन क़ैदका दण्ड दिया । वी० रि० जिल्द ८ सफ़ा १)

२—जब कोई नौकर किसी विशेष कामके लिये कुछ रुपया पावे और वह उसी काममें वह रुपया न लगावे और जब उससे उपरोक्त रुपयेका हिसाब मांगाजावे तो वह झूठ मूठ यह कहे कि उसने उस रुपयाको उसी काममें लगाया है तो ऐसी अवस्थामें उपरोक्त मनुष्य दफ़ा ४०८ के अनुसार अपराधका अपराधी होगा । (बं० ला० रि० जिल्द १ सफ़ा २१)

सरकारी नौकर या महाजन या सौदागर या आढतिये की ओरसे विश्वासघात.

(४०९) जो कोई मनुष्य किसी भाँति सिपुर्ददार किसी मालका अथवा मालके प्रबंधका सरकारी नौकरीके कारण अथवा महाजन या सौदागर या आढ़तिये या दलाली या कारिन्दगरीके कारण होकर उस मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासघात करेगा उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ४०७ के अनुसार है ।

१—अपराधीने उस निश्चयको जो सरकार उसके मध्ये रखती थी पूरा कर दिया, और उस का कुछ समय तक रुपयेका रोकना, दफ़ा ४०९ के अनुसार अपराधमें न गिना जायगा जबतक कि अधर्मकी गवाही न पाई जावे । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफ़ा २५६)

२—एक कानिस्टेबिल एक घरकी चौकसी करता था, जिसमें सरकारी माल रक्खा था—उसने उस घरसे वह माल चुरा लिया—तजवीज़ हुई कि अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३८० के अनुसार दण्ड देना चाहिये था नाकि दफ़ा ४०९ के अनुसार । (वी० रि० जिल्द ३ सफ़ा ३०)

चोरीका माल लेनेके बयानमें ।

चोरीका माल (मालम सरूका.)

(४१०) वह माल, कि जिसपर चोरी अथवा दबाकर लेने अथवा जोरीसे, अधिकार किया गया हो और वह माल, कि जो दण्ड योग्य अनीतिव्यय (तसर्रुफ़ बेजा मुजारिमाना) में लाया गया हो अथवा जिसके मध्ये दण्डयोग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराध किया गयाहो "चोरीका माल" कहा जायगा-चाहे वह चोरी अथवा जोरी या अनीतिव्यय या दण्ड योग्य विश्वासघात ब्रिटिश इंडियाके भीतर हुवा हो अथवा बाहर;-परंतु वह माल यदि पीछेसे उस मनुष्यके अधिकारमें आ जाए कि जो उसके अधिकारका उचित रीतिपर अधिकारी है तब फिर वह माल "चोरीका माल" न कहा जावेगा ।

१—जो रुपया जाली मनीआर्डरोंके द्वारा प्राप्त किया जावे वह दफ़ा ४१० में लिखे हुए चोरीके मालमें न गिना जायगा । वी० रि० जिल्द २४ सफ़ा ३३)

२—जब कोई हिन्दू किसी रिश्तेदारके मरनेके उपरांत कोई सांड़ अपने हिन्दूधर्म शास्त्रके अनुसार मृतककी आत्माके सुखके लिये स्वाधीन करदेता है, तब उसके पश्चात् वह उसका धन नहीं रहता-जो कोई अधर्मसे उसको अपने अधिकारमें लाए उसपर हिन्दुस्थानके दण्ड-संग्रहकी दफ़ा ४१० व ४११ का अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफ़ा ३४८)

अधर्मसे चोरीके मालको लेना.

(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह माल चोरीका माल है अधर्मसे ले अथवा ले रक्खे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अधर्मसे चोरीका माल लेना चोरीके अपराधके समान नहीं है, इसलिये दफ़ा ४११ के अपराधमें बेतका दण्ड देना अनुचित है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ६२६)

२—यह बात क़ानूनके विरुद्ध है कि किसी मनुष्यपर चोरीमें सहायता करनेका अपराध प्रमाणित किया जावे और साथही उसके उसपर चोरीका माल लेनेका अपराध ठहराया जावे । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ३७९)

३—किसी अपराधीकी एकही तजवीज़ दफ़ा ४११ के अपराधके मध्ये (चोरीका माल लेने) व दफ़ा ४१३ (आदतन चोरीकी जायदाद लेने) के मध्ये नहीं हो सकती। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ़ा ६३४)

४—जब कोई मनुष्य दफ़ा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जावे तो इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है कि उस मनुष्यने उस मालको चोरीका माल समझ कर अधर्मसे लिया; बिना इस बातके प्रमाणित हुए, केवल इसही बातपर कि वह उपरोक्त माल अपराधीके अधिकारमें है, अपराधी पर दफ़ा ४११ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा २२४)

५—एक पानी पीनेका गिलास अक्टूबर सन् १८८३ ई० में चुराया गया और सितम्बर सन् १८८४ ई० में अपराधीके यहां निकला-अर्थात् उसके अधिकारमें ग्यारह महीनेतक चोरी हो जानेके उपरांत रहा—इसलिये यह क़यास अपराधीके विरुद्ध इतना कम होजाता है कि केवल इसी बातपर उससे यह भी नहीं पूँछा जाना चाहिये कि वह चोरीका माल उसके अधिकारमें कैसे आया—यह बात कि किन २ अवस्थाओंमें वर्त्तमानका अधिकार विचारा जाना चाहिये एक ऐसी बात है कि जिसका फैसला चोरीके मालके ऊपर होना आवश्यकीय काम है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ११ सफ़ा १६०)

६—पोलीसको, बिना किसी क़ानूनी सूचनाके, ऐसे मनुष्यके पकड़ने (गिरफ्तार) का अधिकार है कि जिसके यहां चोरीका माल पाया जावे-पोलीसको किसी ऐसे घरकी तलाशी करनेका भी अधिकार है कि जिसमें चोरीका माल होनेका संदेह होवे। (वी० रि० जिल्द ८ सफ़ा २८)

७—जब मिसलमें इस बातकी गवाही न हो कि वह माल, कि जिसके लेने के मध्ये अपराधीपर दफ़ा ४११ का अपराध ठहराया गया है, वास्तवमें चोरीका माल है—तब अपराधीको इस दफ़ाके अपराधमें दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। (रिपोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफ़ा १८७)

८—एक मनुष्यके विरुद्ध, कि जिसपर हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ४११ का अपराध लगाया गया था, केवल इस बातकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं वह स्थान बतला दिया कि जहां कुछ चोरीका माल किसी दूसरे मनुष्यके खेतमें छुपा रक्खा था—तजवीज़ हाईकोर्ट यह हुई कि ऊपर लिखी हुई दफ़ाके अपराधमें दण्ड देनेके लिये केवल इतनीही गवाही काफ़ी न समझी जावेगी। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफ़ा ५७६)

९—दफ़ा ४११ का अपराध प्रमाणित करनेमें यह बात स्पष्ट २ मालूम होना चाहिये कि जो माल अपराधीके यहां था उसका स्वामी (मालिक) अमुक मनुष्य था। (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा ९५)

१०—जिस मनुष्यको किसी मालके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) के अपराधमें हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४०९ के अपराधमें दण्ड हो चुका हो उसको उसी

मालके मध्ये दफ़ा ४११ के अपराधमें दूसरा दण्ड नहीं दिया जा सकता । (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफ़ा ३१२)

११—जो मनुष्य डकैतीके अपराधमें दण्ड पा चुका हो वह उसी मालके मध्ये चोरीका माल लेनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता (वीक्ली रिपोर्टर सन् १८६४ ई० सफ़ा २७)

१२—चोरने (अ) का माल चुराकर (ब) के यहां रेहन रख दिया जिसने वह माल बिना किसी अधर्मसे रख छोड़ा—चीफ़कोर्टने वह माल ऐक्ट ८ सन् १८६९ ई० की दफ़ा १३२ के अनुसार (अ) को लौटवा दिया । (पंजाब रिकार्ड न० ३७ सन् १८७० ई०)

१३—जाब्ता फ़ौजदारी ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० की दफ़ा ३१ के अनुसार मजिस्ट्रेटको किसी ऐसे दफ़ा ४११ के अपराधीका विचार करनेका अधिकार नहीं है जो दूसरी रियासतका रहनेवाला है । परन्तु जब कि चोरीका माल लेनेका अपराध सरकारी राज्यसे बाहर हुआ हो (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द ४ सफ़ा ३८)

१४—यदि कोई कम अवस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ८५ के अनुसार क़ैदसे छूट जावे तो इस बातपर वह मनुष्य जो उस चोरीके मालको उस कम अवस्था वाले चोरसे लेवे, दफ़ा ४११ के अपराधमें दण्ड पानेसे नहीं छूट सकता । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ६ सफ़ा ३७३)

जो माल डकैतीमें चुराया गया हो, उसे अधर्मसे लेना.

(४१२) जो कोई मनुष्य कोई चोरीका माल अधर्मसे ले अथवा ले रक्खे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डकैतीके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा किसी मनुष्यसे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह डाकुवोंके समूहमें साझी है अथवा साझी रहा है, कोई माल अधर्मसे ले जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की० दफ़ा २ व ३ को देखो)

१—कुछ मनुष्योंके यहां, जो अंगरेज़ी राज्यके रहनेवाले नहीं प्रमाणित किये गए थे, रियासत हिन्दुस्थानीमें डकैतीका माल पाया गया कि जो डकैती अंगरेजी राज्यमें की गई थी, उनका डकैतीमें साझी होना नहीं प्रमाणित किया गया और कोई गवाही इस बातकी नहीं पाई गई कि उन्होंने कोई चोरीका माल ब्रिटिश इंडियामें प्राप्त किया अथवा रक्खा उन्हें दफ़ा ४१२ के अपराधमें दण्ड दिया गया—तजवीज़ हुई कि अंगरेजी राज्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना प्रमाणित नहीं है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ९ सफ़ा ५२३)

(४१३) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माल जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है स्वभाविक (आदतन) लिया करता हो, उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द दश वर्षतक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

स्वाभाविक (आदतन) चोरीके मालका व्यवहार करना.

टीप—दफ़ा ४१२ के अनुसार है।

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ को देखो)

१—कोई मनुष्य स्वभावसेही चोरीका माल लेनेवाला नहीं कहलाया जासकता जब कि उसने कुछ चोरियोंका माल कुछ चोरोंसे एकही दिनमें लिया हो दफ़ा ४१३ का अपराध ठहरानेमें यह प्रमाणित करना चाहिये कि अलग २ की चोरियोंका माल अलग अलग २ समयोंपर लिया गया। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा १९०)

(४१४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको छुपाने अथवा अलग करने अथवा नष्ट करनेमें जानबूझकर सहायता करे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह माल चोरीका माल है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

चोरीका माल छुपानेमें सहायता देना.

टीप—दफ़ा ४११ के अनुसार है।

१—अपराधी हि० दं० की दफ़ा १९३ (झूठी गवाहीके बनाने) के अपराधमें व दफ़ा ४१४ (चोरीका माल छुपाने) के अपराधमें अर्थात् दोनों अपराधोंमें अलग अलग दण्ड पा सकता है। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३७९)

छल (दग़ा) के विषयमें।

(४१५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको धोखा देकर उस धोखा खानेवाले मनुष्यको छलसे अथवा अधर्मसे ऐसा फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट करे कि कोई मनुष्य कोई माल ले रक्खे अथवा धोखा खानेवाले मनुष्यको किसी ऐसे कामके करने अथवा न करनेके लिये जानबूझकर फुसलावे, जिसको वह कभी न करता

छलना.

अथवा करनेमें न चूकता, जब कि उसको इस प्रकार धोखा न दिया जाता और जो काम अथवा चूक उस मनुष्यके शरीर या चित्त या नेकनामी या मालको हानि पहुँचाए अथवा उसका पहुँचना अति सम्भावित हो, तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने छल किया ।

स्पष्टीकरण—अधर्मसे किसी बातको छुपाना एक धोखा देना है जो इस दफ़ाके अर्थमें गिना जासकता है ।

उदाहरण ।

(क) देवदत्त झूँठ मूठ प्रतिज्ञा किया हुआ मुल्की नौकर बना और यज्ञदत्तको जानबूझकर धोखा दिया और उस धोखेके कारण अधर्मसे कुछ माल जिसके लौटानेकी इच्छा न थी यज्ञदत्तसे उधार लिया तो देवदत्तने छल किया ।

(ख) शिवशंकर किसी वस्तुपर कोई झूँठा चिह्न लगाकर जानबूझ कर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराए कि वह वस्तु अमुक नामवर कारीगरकी बनाई हुई है और इस प्रकार पर धर्मसे रमाशंकरको उपरोक्त वस्तुके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरको किसी वस्तुका झूठानमूना दिखाकर जानबूझकर धोखा देके रमाशंकरको यह निश्चय कराये कि वह वस्तु नमूनाके अनुसार है और इस प्रकार रमाशंकरको उसके मोल लेने और दाम देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(घ) यदि शिवशंकर किसी वस्तुके मोलमें किसी कोठीपर जिसमें शिवशंकरका रुपया जमा नहीं है, एक बिल पेश करे, और उसको यह निश्चय हो कि उस कोठीमें यह बिल न पटेगा, और इस प्रकार रमाशंकरको जानबूझ कर धोखा दे और इस प्रकारसे उसको, उपरोक्त वस्तुके देनेके अधर्मसे फुसलावे और उसका मोल न देना शिवशंकरकी इच्छामें हो तो शिवशंकरने छल किया ।

(च) यदि शिवशंकर ऐसी वस्तुओंको हीरोंके समान गिरोंरखकर जिनको वह जानता है कि हीरा नहीं है, जानबूझकर रमाशंकरको धोखा दे और इस प्रकार रमाशंकरको रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, तो शिवशंकरने छल किया ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखादेके यह निश्चय कराए कि जो रुपया तू मुझको ऋण देगा उसके चुकानेकी मैं इच्छा रखता हूँ और इस प्रकारसे रमाशंकरको अधर्मसे रुपया ऋण देनेके लिये फुसलावे, और शिवशंकरकी रुपया चुकानेकी इच्छा न हो, तो शिवशंकरने छल किया ।

(ज) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मैं तुझको इतनी नीलकी लांक दूंगा जिसका देना उसकी इच्छामें न हो और उसके द्वारा इस देनेके निश्चय पर, रमाशंकरको कुछ रुपया पेशगी देनेके लिये अधर्मईसे फुसलावे तो शिवशंकरने छल किया।

परंतु यदि रुपया लेते समय नीलकी लांकका देना शिवशंकरकी इच्छामें हो और इसके पीछे वह अपना क़रार तोड़ डाले और नीलकी लांक न दे तो वह छल नहीं करता है परंतु करार तोड़नेके मध्ये इसपर केवल दीवानीमें नालिश हो सकती है ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरको जानबूझकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि मेरे और तेरे बीचमें जो वचन हुआ था उसके मध्ये मैंने अपना इक़रार पूराकिया, जिसको उसने पूरा न किया हो और इस प्रकार अधर्मईसे रमाशंकरको रुपया देनेके लिये फुसलावे,तो शिवशंकरने छल किया ।

(ट) शिवशंकर कोई जायदाद रमाशंकरके हाथ बेचे और उसके नाम लिखा पढ़ी करदे और फिर यह जानकर कि बेचनेके कारण उस मालमें मेरा कछ अधिकार नहीं रहा, बिना इस बातके प्रगट किये कि रमाशंकरके हाथ पहिले यह जायदाद बिकचुकी है, उमाशंकरके हाथ उसको बेचदे अथवा रेहन कर दे और उमाशंकरसे बेच अथवा रेहनका रुपया ले ले, तो शिवशंकरने छल किया ।

१—(अ) ने अपनेको झूठ मूठ (ब) बनाकर एक यूनीवर्सिटी इम्तिहानका (ब) के नामसे टिकट लिया–और प्रश्नोत्तरके पर्चोंके सिरनामेंपर (ब) के नामके हस्ताक्षर किये–तजवीज हुई कि (अ) ने जाल तथा छलका अपराध किया । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १२ सफ़ा १५१)

२—एक मनुष्यने किसी ज़िलेकी पोलीसमें, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोलीसको ऐसी बातें बतलाकर जिन्हें वह झूठ जानता था,भरती होनेका यत्न किया–तजवीज़ हुई कि उपरोक्त मनुष्यनें कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा १७७ या १७८ अथवा छलके अपराधका उद्योग दफ़ा ४१५ के अनुसार नहीं किया । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ६ सफ़ा ६७)

३—जब अपराधी दो लड़कियोंको मोल लेकर एक दूसरे ज़िलेको लेगये और यह कहकर कि वे ऊंची जातकी लड़कियां थीं उनका व्याह दो राजपूतोंके साथ कर दिया और उनसे कुछ रुपया ले लिया, तब तजवीज़ हुई कि उनके ऊपर दफ़ा ३७३ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता था बरन वे दफ़ा ४१५ व ४१६ के अपराधके अपराधी थे । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ७ दफ़ा ५५)

दूसरा मनुष्य बनकर छल करना.

(४१६) जब कि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका मिस करके, कि वह कोई और मनुष्य है, अथवा जानबूझकर एक मनुष्यको कोई दूसरा मनुष्य बनाकरके अथवा अपने आपको या किसी दूसरे मनुष्यको ऐसा मनुष्य प्रगटकरके कि जो वह स्वयं अथवा दूसरा मनुष्य न हो, छल करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरा मनुष्य बनाकर छल किया ।

स्पष्टीकरण—जिस मनुष्यका मिस कियागया वह चाहे सचमुचहो चाहे मनसे बना लिया गया हो, तो भी यह अपराध हो सकेगा ।

उदाहरण ।

(अ) शिवशंकरने अपनेको अपने नाम वाले किसी धनवान कोठीवालका मिस करके छल किया, तो कहा जायगा कि शिवशंकरने दूसरा मनुष्य बनकर छल किया ।

(ई) रमाशंकर यह बनकर छल करे कि मैं शिवशंकर हूं और शिवशंकर एक मराहुआ मनुष्य हो तो रमाशंकरने दूसरा मनुष्य बन कर छल किया ।

१—अपराधीने एक दूसरे मनुष्यसे कहा कि, अमुक लड़की ब्राह्मणकी बेटी है, यद्यपि वास्तवमें वह शूद्री थी, और यह कहकर उस मनुष्यको बहँकाया कि वह अपराधीको कुछ रुपया देकर उस लडकीका व्याह अपने भाईके साथ करले तजवीज़ हुई कि अपराधीने दफ़ा ४१६ के अनुसार छल करनेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १६ सफ़ा ४२)

छल करनेका दण्ड.

(४१७) जो कोई मनुष्य छलकरे उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द एकवर्ष-तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२). पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने अपनको अफ्सर पोलीस कहकर गांवके लोगोंसे कुछ रुपया ले लिया—तजवीज़ हुई कि अपराधीने छल करनेका और झूठे तौरपर अफ्सर पोलीस बननेका अपराध किया था (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा २९)

२—जो मनुष्य रेल गाड़ीके छोटे क्लासका किराया देकर बड़े क्लासकी गाड़ीमें बैठ जावे वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४१७ का अपराधी नहीं हो सकता बरन वह रेलवे ऐक्टके अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा । (रिपोर्ट हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा १४०)

३—यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्यसे, छल की रीतिपर बहँकाकर अथवा अधर्मईसे अथवा उस मनुष्यको दुःख पहुँचानेका डर दिखाकर, कुछ रुपया लेवे तो वह छल करनेके अपराधमें दफ़ा ४१७ अथवा दबाकर लेनेके अपराधमें दफ़ा ३८३ व ३८४ के अनुसार दण्ड योग्य होगा । वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ३२)

छल करना यह जान कर कि उससे किसी मनुष्यको अनीतिहानि पहुँचे जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस अपराधी पर अवश्य है.

(४१८) जो कोई मनुष्य यह जान बूझ कर छल करेगा कि इससे अनीतिहानि उस मनुष्यको होनी अति सम्भावित है जिसके स्वार्थकी रक्षा करनी उस पर उसी विषयमें जिससे वह छल सम्बन्ध रखता हो क़ानूनकी आज्ञानुसार अथवा किसी क़ानूनी क़ौल क़रारके अनुसार अवश्य है—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफ़ा ४१७ के अनुसार है ।

(४१९) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छल करेगा, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दूसरा मनुष्य बनकर छलना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—यदि कोई मनुष्य अपनेको दूसरा मनुष्य प्रगट करके गवाही दे, तो उसपर झूठी गवाही देनेका अपराध दफ़ा १९३ के अनुसार ठहराना चाहिये, न कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४१९ के अनुसार। (रि० हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १ सफ़ा ८९)

२—एक मनुष्यने जिसका नाम ऐसू था अपराधीको चार आने इस अभिप्रायसे दिये कि वह उसके लिये एक स्टाम्पका कागज़ मोललावे—जब स्टाम्प कलक्टरने अपराधीसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बतानेके बदले ऐसूका नाम बताया—तजवीज़ हुई कि यह अपराध हिन्दुस्थानकी दण्डसंग्रहकी दफ़ा १९७ के अनुसार झूठी ख़बर देनेका हुवा न कि दफ़ा ४१९ के अनुसार छलनेका। (वी० रि० जिल्द ३ सफ़ा ४२)

३—अपराधीने इश्तिहार दिया कि अंग्रेजी शब्दोंका कोष बनाया हुआ राबर्ट एस विल्सन एम, ए का तयार है जिसका मूल्य २॥) है—तलाशसे जाना गया कि अपराधी क पास कोई ऐसी पुस्तक बेचनेके लिये नहीं थी—तजवीज़ हुई कि अपराधीने जाल व छलका अपराध किया था। (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १३ सफ़ा २७)

(४२०) जो कोई मनुष्य छलकरे और उसके द्वारा धोखा खानेवाले मनुष्यको अधर्मसे फुसलावे कि वह कोई माल किसी मनुष्यको दे दे अथवा किसी किफालतुलमालके कुल या किसी भाग को अथवा किसी वस्तुको जिसमें कोई दस्तख़त अथवा मुहर हो अथवा जो किफालतुलमाल बनसकती हो, बनाए या बदले या नष्टकरे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

छल और अधर्मसे माल दिला देना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—अपराधीने मुहकमे अकालके अफ्सरसे कुछ चावल सोलह सेर फ़ी रुपयाके भावसें मोल लिये और उसने प्रतिज्ञाकी कि वह उसको पन्द्रह सेरके भावसे बेचेगा; परंतु उसने वह

चावल बारह सेरके भावसे बेच डाले, इसलिये वह दफ़ा ४२० हि० दं० का अपराधी ठहराया गया, तजवीज़ हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २४ व २४ के अनुसार किसी मनुष्यको अनुचित लाभ अथवा हानि नहीं हुआ इसलिये कोई अपराध हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ४१५ के अनुसार नहीं किया गया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २२ सफ़ा ८२)

छल छिद्र दस्तावेजों और छलछिद्रसे माल अलग करनेके विषयमें ।

साहूकारोंमें बँटजानेसे बचानेके लिये मालको अलग कर देना अथवा छुपाना.

(४२१) जो कोई मनुष्य विना लेने उचित एवज़ (बदला) के कोई माल अधर्मसे अथवा छलसे दूरकरे अथवा छिपाए अथवा किसी मनुष्यको सिपुर्द करे या देवे या दिलावे, इस अभिप्राय से अथवा यह बात अतिसंभवित जानकर कि उसकेद्वारा उपरोक्त माल उसके साहूकारों अथवा किसी दूसरे मनुष्यके साहूकारोंके बीचमें क़ानूनके अनुसार बँटजानेके लिये रुकजावे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

किसी ऋण अथवा तगादेको अपने साहूकारोंको मिलनेसे अधर्म करके रोकना.

(४२२) जो कोई मनुष्य किसी ऋण अथवा तगादेको, जो उसका अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका पाना हो, अपने ऋण अथवा उस दूसरे मनुष्यके ऋणके अदा होनेके लिये क़ानूनके अनुसार लिये जानेमें छल अथवा अधर्मके साथ रोके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—दफ़ा ४२१ के अनुसार है ।

अधर्मसे किसी दस्तावेज़ आदिका लिखना जिसमें मोलकी तादाद झूँठी लिखी हो.

(४२३) जो कोई मनुष्य अधर्म अथवा छलसे किसी ऐसे दस्तावेज़ या लेखपर दस्तख़त करे अथवा उसको लिखे अथवा लिखाने वालोंमेंसे एक बने जिस दस्तावेज़ या लेखमें यह लिखावट हो कि कोई माल अथवा उपरोक्त मालका अधिकार उसकेद्वारा बदल जावे अथवा उसपर कोई ख़र्च पड़े और जिसमें कोई झूँठ बयान उस उपरोक्त बदलने अथवा ख़र्चके मोलके मध्ये लिखा

हो अथवा वह झूठ बयान उस मनुष्य अथवा उन मनुष्योंसे सम्बन्ध रखता हो जिसके अथवा जिनके वर्त्ताव या लाभके लिये उसका काममें आना आवश्यकीय है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप–दफ़ा ४२१ के अनुसार है।

मालको अधर्मसे दूर करना अथवा छुपाना.

(४२४) जो कोई मनुष्य अपना अथवा किसी दूसरे मनुष्यका कोई माल अधर्म अथवा छलसे छुपाये या दूरकरे या उसके छुपाने अथवा दूर करनेमें अधर्म या छलसे सहायता करे, अथवा अपना कुछ उचित तगादा या दावा अधर्मसे छोड़ दे, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा. जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा ४२१ के अनुसार है।

हानि पहुँचाने (नुक़सानरसानी) के बयानमें।

हानि पहुँचाना.

(४२५) जो कोई मनुष्य इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना अति सम्भवित जानकर कि सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हरजा पहुँचाए, किसी वस्तुके नष्टका अथवा किसी वस्तुके ऐसे बदलने अथवा उसके स्थानके ऐसे बदलनेका कारण हो जिससे उसकी वस्तु अथवा काममें आनेकी योग्यता नष्ट हो जाए अथवा कम हो जाये अथवा जिससे उसपर हानि पहुँचती हो तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुँचानेका अपराध किया।

स्पष्टीकरण—१ हानि पहुँचानेके अपराधमें यह कुछ अवश्य नहीं है कि उस वस्तुके मालिकको, जिसे हानि पहुँचाई गई अथवा जो नष्ट हो चुकी, हानि अथवा हरजा पहुँचाना अपराधी की इच्छामें हो, बरन् इतनाही बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कामका होना उसकी जानकारीमें हो कि किसी वस्तुको हानि पहुँचानेके द्वारा किसी मनुष्यको अनुचित हानि अथवा हर्जा पहुँचाए, चाहे वह वस्तु उसी मनुष्यकी हो अथवा न हो।

स्पष्टीकरण-२—हानि पहुँचानेका अपराध किसी ऐसे कामके द्वारा हो सकता है जो किसी वस्तुपर प्रभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिलकियत हो जो हानि पहुँचानेका अपराध करता है चाहे उस मनुष्य और दूसरे मनुष्योंके साझे की हो।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरको अनीतिहानि पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी किसी दस्तावेज़को जानबूझकर जलादे तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(ख) शिवशंकर रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे उसके बर्फ़खानेमें पहुँचाए और इस प्रकारसे बर्फ़ पिघलनेका कारण हो तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका कारण हुआ।

(ग) शिवशंकर, रमाशंकरको हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे रमाशंकरकी अंगूठी जानबूझकर नदीमें फेंकदे, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(घ) शिवशंकर यह जानकर कि रमाशंकरका जो ऋण मुझपर आता है उसको चुकानेके लिये मेरा असबाब कुर्क होने वाला है, उस असबाबको नष्ट कर डाले, इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अपना ऋण पानेसे रोके और इसप्रकारसे रमाशंकरको हरजा पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(च) शिवशंकर किसी जहाज़का बीमाकराके जानबूझकर उस जहाज़के नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि वह बीमेवालोंको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(छ) शिवशंकर किसी जहाज़के नष्ट कर डालनेका कारण हो, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको जिसने उस जहाज़पर रुपया ऋण दिया हो हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(ज) शिवशंकर जो रमाशंकरके साझेमें किसी घोड़ेका मालिक हो, उस घोड़ेको गोली मारे इस अभिप्रायसे कि वह उसके द्वारा रमाशंकरको अनुचित हानि पहुँचाए, तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरके खेतमें चौपायोंके घुसजानेका कारण हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि रमाशंकरके खेतकी उपजको हानि पहुँचाए तो शिवशंकर हानि पहुँचानेका अपराधी हुआ।

१—गुलजारी लालको एक गढेमेंसे कुछ मिट्टी ले लेनेके अपराधमें दफ़ा ४२५ के अनुसार दण्ड हुआ—तजवीज़ हाईकोर्ट हुई कि अपराधीके कामसे ऐसी तुच्छ हानि पहुँची थी कि जिससे हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसलिये अपराधी छोड़ दिया गया। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह नवम्बर सन् १८६२ ई० सफ़ा २२९)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २९५ में लिखेहुए शब्द "वस्तु" से किसी जानदार वस्तुका अभिप्राय नहीं है। कोई सांड जो किसी हिन्दूके श्राद्धमें छोड़ दिया जावे एक वस्तु इस दफ़ाके अभिप्रायके भीतर नहीं है, और जब कि ऐसे जानवरको मुसलमान चुराकर गोश्त और चमड़ेके लालचसे मारडालें तो कोई अपराध दफ़ा २९५ के अनुसार नहीं किया गया और सांड हिंन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ३७८ या ४०३ या ४२५ के अभिप्रायके भीतर स्थावर धनमें नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफ़ा २५२)

(४२६) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचावे, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

हानि पहुँचानेका दण्ड.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा होसकता है। जब कि हानि अथवा हरज़ा किसी अपनेही मनुष्यका किया गया हो।

१—किसी ऐसे दस्तावेज़का नष्ट कर डालना जिसमें ऐसे इक़रारका नियम लिखा है, कि जो सभ्यता विरुद्ध होनेके कारण नाजायज़ (न मानने योग्य) है हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४२६ के हानि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ९ सफ़ा ४०१)

२—उस जानवरका मालिक, जो किसी दूसरे मनुष्यके खेतपर जाकर उसके खेतोंको हानि पहुँचावे, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४२६ के अनुसार में लिखे हुए हानि पहुँचानेके अपराधका अपराधी नहीं ठहर सकता, सिवाय उस अवस्थाके कि जब उसने उस जानवरको जानबूझकर उस खेतमें हँका दिया हो। इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफ़ा १७३)

३—एक मनुष्य (अ) को किसी मजिस्ट्रेटने हानि पहुँचानेके अपराधमें दण्ड दिया, इस बात पर कि उसने २०) का एक प्रामीसरी नोट फाड़ डाला तजवीज़ हुई कि जो अपराध अपराधीने किया है वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४७७ में गिना जायगा।

(४२७) जो कोई मनुष्य हानि पहुँचानेका अपराधी हो और उसके द्वारा पचास रुपये अथवा अधिकको हानि या हरजा का कारण हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है; अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

हानि पहुँचानेके द्वारा पचास रुपया तकका हरजा पहुँचाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५). राज़ीनामा नहीं है। सिवाय उस अवस्थाके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गई हो।

(४२८) जो कोई मनुष्य दश रुपयेके मोलके किसी पशु अथवा पशुओंके मार डालने या विष देने या उसके किसी अंगको बेकाम करने अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा, हानि पहुँचानेका अपराधी हो, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दश रुपयावाले किसी पशुको मारकर हानि पहुँचाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दोयम (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४२९) जो कोई मनुष्य किसी हाथी या ऊंट या घोड़े या खच्चर या भैंस या बैल या गाय या बधियाको जिसका मोल चाहे जितना हो अथवा पचास रुपये या अधिक मोलके किसी दूसरे पशुको मार डालने या विष देने या उसके अंगको बेकाम अथवा उसको बेकाम करनेकेद्वारा हानि पहुँचावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांच वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

पशुआदि अथवा पचास रुपयेके मोलका कोई पशु मार डालनेका आदिसे हानि पहुँचाना.

टीप—दफ़ा ४२८ के अनुसार है । परन्तु इसकी तजवीज़ सेशनमें भी हो सक्ती है ।

१—अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुन्नीलालने हिन्दू धर्मशास्त्रके अनुसार अपने चचेरे भाईके मरने पर छोड रक्खा था, इस कारण गोलीसे मारडाला कि उसने अपराधीके खेत को कुछ हानि पहुँचाई थी—मजिस्ट्रेटने उसको दफ़ा ४२९ का अपराधी ठहराया—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त सांड पर किसीका अधिकार न था, इसलिये दफ़ा ४२९ का अपराध उसपर नहीं प्रमाणित होसकता । (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह अप्रैल सन् १८८४ ई० सफ़ा ८७)

(४३०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामके द्वारा हानि पहुँचावे जिससे खेती के कामों या मनुष्योंके खानेपीनेके कामों या ऐसे पशुओंके कि जो माल है खानेपीनेके कामों अथवा स्वच्छताके कामों अथवा कोई कारख़ाना चलनेके कामोंके लिये पानी का पहुँचना घटे अथवा घटना अति सम्भवित हो—तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

खेती आदिके लिये पानी की कमी करके हानि पहुंचाना.

टीप—दफ़ा ४२९ के अनुसार है ।

१—जब गवाहीसे यह बात पाई गई कि अकेला मुद्दई एक पानीकी नहरका मालिक है, और अपराधीको किसी प्रकारका अधिकार नहीं है, तो अपराधीकी ओरसे पानीका कम्कर देना दफ़ा ४३० के अनुसार हानि पहुँचानेके अपराधमें गिना जायगा, चाहे वह उपरोक्त नहरका पानी कम करनेके मध्ये अपना अधिकार बयान करता हो ।

(४३१) जो कोई मनुष्य कुछ ऐसा काम करके, जिससे कोई सर्व सम्बन्धी मार्ग या पुल, अथवा नाव चलने योग्य नदी या नहर या नाला दुर्घट हो जाय अथवा चलने या माल पहुँचानेके लिये आने जाने योग्य न रहे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न पड़ जावे अथवा ऐसा हो जाना वह अति सम्भवित जानता हो—हानि पहुँचावे—तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

सर्व सम्बन्धी मार्ग या नदी या पुलको हानि पहुँचानेके द्वारा हानि पहुँचाना.

टीप—दफ़ा ४२९ के अनुसार है ।

(४३२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे कामकेद्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो—जो किसी ऐसे सैलाब फैलनेका अथवा किसी नाबदानकी ऐसी रोकका कारण हो, अथवा जिसको अपराधी जानता है कि उस कामके कारणसे ऐसे सैलाब फैलने अथवा ऐसी रोक का होना सम्भव है जिससे हानि या हरजा हो सकता है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद पांचवर्ष तक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

अहलाकार अथवा पानी का निकास रोककर हानि पहुंचाना.

टीप- -दफ़ा ४२९ के अनुसार है।

(४३३) जो कोई मनुष्य किसी लायट हौस (प्रकाशगृह) अथवा किसी प्रकाशको जो समुद्री चिह्नकी भांति काममें आता हो, अथवा किसी समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न, अथवा किसी और पदार्थको जो जहाज चलानेवालोंको मार्ग बतानेके लिये बनाया गया हो मिटाने अथवा हटानेके द्वारा या किसी ऐसे कामकेद्वारा, जो ऐसे लायट हौस या समुद्री चिह्न या पानीपर तैरनेवाले किसी चिह्न या उस प्रकारक किसी और पदार्थको जिसका वर्णन ऊपर हुआ, जहाज़के चलानेवालोंको मार्ग बतानेके लिये कुछ एक बेकाम कर दे, हानि पहुँचानेका अपराधी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्ष-तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

लायट हौस (प्रकाश गृह) अथवा समुद्रके चिह्नको मिटाकर अथवा हटाकर अथवा कुछ एक निकम्मा कर देकर हानि पहुँचाना.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४३४) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे धरतीके ठीहेको जो सरकारी आज्ञानुसार बनाया गया हो, मिटाने अथवा हटानेके द्वारा, अथवा किसी ऐसे कामके द्वारा जिससे वह धरतीका ठीहा कुछ बेकाम हो जाय, हानि पहुँचानेका अपराधी हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

धरतीके ठीहे (चिह्न) को जो सरकारकी आज्ञानुसार बनाया गयाहो मिटाकर अथवा हटाकर हानि पहुँचाना.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर-सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत हो सकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४३५) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे. उड़जानेवाले पदार्थके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि किसी सौ रुपया अथवा अधिकके मालमें या जब कि जायदाद खेतीकी उपज हो तो दश रुपया या अधिकके मालमें हरजा पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सातवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

आग या भकसे उड़ने-वाले पदार्थके द्वारा सौ रुपयातक हरजा पहुँचानेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(सब लोगोंको उचित है कि वे दफ़ा ४३५ व ४३६ के अपराधोंकी सूचना दें) ऐक्ट नं १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा ४४ को देखो ।

(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड़जाने वाले पदार्थके द्वारा हानि पहुँचानेका अपराधी हो, इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि उसकेद्वारा किसी घरकी बरबादीका कारण हो पूजाके स्थानकी भाँति अथवा मनुष्योंके रहनेके स्थानकी भाँति या माल असबाबके रखनेके स्थानकी भांति काममें आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है, और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा ।

आग या भकसे उडजानेवाले पदार्थके द्वारा घर आदि नष्ट करनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना.

टीप--(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्टजारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—आगके द्वारा हानि पहुँचानेके अपराध (दफ़ा ४३६) में यह बात अवश्य होना चाहिये कि आग ऐसे घरमें लगाई गई हो जो मनुष्योंके रहनेके लिये काममें आता हो (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ३०)

(४३७) जो कोई मनुष्य किसी पटी हुई नाव (जहाज़) अथवा किसी नावके मध्ये जिसमें ५६० मन अथवा अधिक बोझ लद सकता हो हानि पहुँचानेका अपराधी हो इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि उसको नष्ट करे अथवा उसकी निर्विघ्नतामें विघ्न डाले, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

पटी हुई नाव या ५६० मन बोझ ले जानेवाली नावको नष्ट करना अथवा उसको जोखिममें डालनेके अभिप्रायसे हानि पहुँचाना.

टीप—दफ़ा ४३६ के अनुसार है ।

(४३८) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड़ जानेवाले पदार्थके द्वारा उस हानिको पहुँचावे अथवा पहुँचानेका उद्योग करे जो इससे पहिलेकी पिछली दफ़ामें कही गई है, तो उस मनुष्यको देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

पिछली दफ़ामें कही हुई हानि पहुँचानेका दण्ड जब कि वह हानि आगके द्वारा अथवा किसी भकसे उड़नेवाले पदार्थके द्वारा पहुँचाई जाय.

टीप—दफ़ा ४३६ के अनुसार है ।

(४३९) जो कोई मनुष्य किसी नावको जानबूझकर कम गहरे पानीकी धरती पर टकराए अथवा किनारेपर टकराए, इस अभिप्रायसे कि कोई माल जो उस नावमें हो चुराए या अधर्मसे उस मालको अनीतिव्यय (तसर्रुफ बेजा) में लाए अथवा इस अभिप्रायसे कि वह माल चुराया अथवा अनीतिव्ययमें लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

चोरी आदि करनेके अभिप्रायसे नावको किनारे पर टकराना.

टीप—दफ़ा ४३६ के अनुसार है ।

(४४०) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी मृत्यु या दुःख (ज़रर) या अनीति रोक (मुज़ाहिमतबेजा) की, या मृत्यु या दुःख या अनीति रोकके डर बतानेकी तैयारी करके हानि पहुँचावे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद पांचवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

मृत्यु अथवा दुःख (जरर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत हानि पहुँचाना.

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

दण्ड योग्य अनीति प्रवेश (अनधिकार प्रवेश) (मुदाखलत बेजा मुजारिमाना) के वर्णनमें ।

(४४१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे माल मिलकियतपर जिस पर दूसरेका अधिकार हो,—कुछ अपराध करने अथवा जिस मनुष्यका उस माल मिलकियत पर अधिकार हो उसको डराने अथवा उसका अपमान करने अथवा उसको खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे दख़ल करेगा अथवा क़ानूनानुसार उस माल मिलकियतपर दख़ल करके उस

दण्ड योग्य अनीति प्रवेश (मदाख़लतबेजा मुजारिमाना)

मनुष्यको डराने अथवा अपमान करने अथवा खेद पहुँचानेके अभिप्रायसे वहां अनीति रीति पर ठहरेगा तो कहा जावेगा कि उसने "दण्ड योग्य मदाखलत बेजा" की । (देखो दफ़ा ४०)

१—जो मनुष्य सर्व सम्बंधी मार्गसे तीन मीलकी दूरीपर किरायेपर नाव चलावे, उसके मध्ये दफ़ा ४४१ का अपराध होना नहीं ठहराया जा सकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ५२७)

२—लोकल फंडके किसी बाज़ारके भीतर केवल इस अभिप्रायसे जाना कि उसको महसूल न देना पड़े; मदाखलतबेजाके अपराधमें नहीं आता है । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ५ सफ़ा ३८२)

३—जब कोई अजनबी मनुष्य बिना बुलाए और बिना किसी अधिकारके आधीरातको किसी प्रतिष्ठित स्त्रीके सोनेवाले कमरेमें घुसे, और जब उसके पकड़नेकी इच्छाकी जावे तो वह वहांसे भागनेके लिये बहुत सा यत्न व श्रमकरे—ऐसी अवस्थामें अदालतको जान लेना चाहिये कि उसका कमरेमें घुसना इस अभिप्रायसे था जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ४४१ में हुवा है । इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १६ सफ़ा ६५७)

घरकी मदाखलत बेजा (अनधिकार प्रवेश)

(४४२) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे घर या डेरे या नावमें जो मनुष्योंके रहनेकी भांति काममें आती हो अथवा किसी ऐसे घरमें जो पूजाके लिये अथवा मालकी चौकसीके लिये काममें आता हो घुसने अथवा ठहरे रहनेके द्वारा दण्ड योग्य मदाखलत बेजा करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "घरकी मदाख़लत बेजा की ।

स्पष्टीकरण—दण्ड योग्य मदाख़लतबेजा करनेवाले मनुष्यका कोई अंग घरमें पहुँच जाना घरकी मदाख़लतबेजाके लिये काफ़ी समझा जायगा । (देखो दफ़ा ४०)

१—जब कोई मनुष्य हवालातमें इस अभिप्रायसे दाख़िल हो कि वह एक क़ैदीके पास कि जिसकी तजवीज़ होनेको है, खाना ले जाए अथवा ले जानेका यत्न करे तो उसका काम हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४४२ में कहे हुए मदाख़लतबेजाके अपराध में न गिना जायगा । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३०१)

छुपाकर घरकी मदाख़लत बेजा.

(४४३) जो कोई मनुष्य पहिलेसे यह यत्न करके घरकी मदाख़लतबेजा करे, कि जो मनुष्य उसको उस घर या डेरा या नावसे, कि जिसमें मदाख़लत बेजा की जाय, निकाल देने अथवा रोकनेका अधिकार रखता हो उससे वह मदाख़लत बेजा छुपी रहे, तो कहा जायगा कि उसने "छुपाकर घरकी मदाख़लत बेजा" की ।

("छुपाकर घरकी मदाख़लतबेजा" से अभिप्राय "घरमें मदाख़लतबेजा करनेके लिये घात लगाना" है)

छुपाकर रातके समय घरकी मदाख़लतबेजा.

(४४४) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके उपरांत और सूर्योदयसे पहिले छुपाकर घरकी मदाख़लतबेजा करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्यने "छुपाकर रातके समय घरकी मदाख़लतबेजा" की ।

घर फोड़ना (नक़बज़नी)

(४४५) वह मनुष्य जो "घरकी मदाख़लतबेजा" का अपराधी हो "घर फोडने" वाला कहलावेगा, यदि वह घर अथवा घरके किसी भागमें नीचे लिखे हुए छः प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारपर मदाख़लत करे, अथवा, यदि कोई अपराध करनेके लिये घरमें या उसके किसी भागमें उपस्थित हो अथवा वहां किसी अपराधको करके, बतलाये हुए छः प्रकारोंमेंसे किसी एक प्रकारपर उस घरसे अथवा उस घरके किसी भागसे बाहर निकल आये–अर्थात्—

पहिले—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर जाए अथवा बाहर निकले जो स्वयं उसहीने अथवा घरकी मदाख़लतबेजाके किसी सहायकने घरकी मदाख़लत बेजा करनेके लिये बना लिया हो ।

दूसरे—यदि वह ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसजाए अथवा बाहर निकल आए, जो सिवाय उसके अथवा उस अपराधके किसी सहायकके और किसी मनुष्यके आनेजानेके अभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ऐसे मार्ग होकर जहां वह निसेनी लगाकर अथवा दीवारपर या घरपर चढ़कर पहुँचा हो ।

तीसरे—यदि वह किसी ऐसे मार्ग होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको उसने स्वयं अथवा घरकी मदाख़लतबेजाके किसी सहायकने घरकी मदाख़लतबेजा करनेके लिये ऐसे यत्नोंसे खोल लिया हो जिनसे उस मार्गका खोला जाना घरके रहनेवालेके विचारमें न हो ।

चौथे—यदि वह घरकी मदाख़लत बेजा करनेके लिये, अथवा घरकी मदाख़लत बेजा करनेके पश्चात् घरसे बाहर निकलनेके लिये कोई ताळा खोलकर घुस जाए अथवा बाहर निकल आए ।

पांचवें—यदि वह अनीतिबल (जब्रमुजारिमाना) को काममें लाकर अथवा आक्रमण (हमला) करके अथवा किसी मनुष्यको आक्रमण की धमकी देकर भीतर घसजाए अथवा बाहर निकल आए ।

छठवें—यदि वह किसी ऐसे मार्गसे होकर भीतर घुसे या बाहर निकले जिसको वह जानता हो कि वह ऐसे घुसने अथवा निकलनेकी रोकके लिये बंद किया गया है, और वह स्वयं उसहीने अथवा घरकी मदाख़लतबेजाके किसी सहायकने खोल लिया हो।

स्पष्टीकरण—कोई शागिर्द पेशेका घर अथवा और घर जिसमें, घरमें रहनेवालेका अधिकार हो और जिसके तथा उस घरके बीचमें कोई आने जानेके लिये भीतरी मार्ग (पैवस्त अन्दरूनी आमदरफ्त) हो, इस दफ़ाके अर्थ अनुसार उसी घरका भाग है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरने रमाशंकरके घरकी दीवारमें छिद्र करके और उस छिद्रमें हाथ डालके घरकी मदाख़लत बेजाकी तो यह घर फोड़ना हुवा—

(ख) शिवशंकर किसी जहाज़के भीतर एक धुँधुवेकी राहसे, जो प्रटावके बीचमें हो घुसकर घरकी मदाख़लतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है।

(ग) शिवशंकर एक खिड़की की राहसे रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाख़लतबेजा करे तो यह घर फोड़ना है।

(घ) शिवशंकर एक बंद द्वार खोलकर उसकी राहसे रमाशंकरके घरके भीतर पहुँचकर घरकी मदाख़लतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है।

(च) शिवशंकरने रमाशंकरके द्वारके किवाड़की बिल्ली एक छिद्रमें तार डालकर उठा दी और घरमें घुसकर घरकी मदाख़लतबेजाकी, तो यह घर फोड़ना हुआ।

(छ) शिवशंकर रमाशंकरके घरके द्वारकी कुंजी जो रमाशंकरके पाससे खोगई हो पाए और उस कुंजीसे द्वारका ताला खोल रमाशंकरके घरमें घुसकर घरकी मदाख़लत बेजा करे तो यह घर फोड़ना है।

(ज) शिवशंकर अपने द्वारमें खड़ा हो और रमाशंकर उसको मारकर तथा गिराकर बल पूर्वक घरमें घुसे और घरकी मदाख़लतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है।

(झ) शिवशंकर रमाशंकरका पौरिया रमाशंकरके द्वारमें खड़ा हो और उमाशंकर शिवशंकरको इस बातकी धमकी देकर कि जो तू मुझको जानेसे रोकेगा पटिाजायगा, घरमें घुसजावे, और घरकी मदाख़लतबेजा करे, तो यह घर फोड़ना है।

रातके समय घर फोड़ना

(४४६) जो कोई मनुष्य सूर्यास्तके पश्चात् और सूर्योदयसे पहिले घर फोड़े तो कहा जायगा कि उसने रातके समय घर फोड़ा।

१—दीवारपर कमंदके द्वारा चढ़कर घरमें पहुँचना दफ़ा ४४६ के अपराधमें गिनाजायगा (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा २५)

२—दूकानका द्वार तोड़कर भीतर घुसना, रातके समय घरका फोड़ना है न कि केवल रातके समय घरकी मदाख़लतबेजा—(वी० रि० जि० ४ स० १९)

दण्ड योग्य मदाख़लत बेजा का दण्ड.

(४४७) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य मदाख़लतबेजाका अपराधी हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन महीनेतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो पांचसौ रुपयातक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा है ।

१—(अ) का (ब) के खेतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एक हिरन पर जो (ब) के खेतके पास था गोली चलाई, हिरन (ब) के खेतकी ओर चलागया (अ) हिरनके पीछे (ब) के खेतमें घुसा—तजवीज़ हुई कि (अ) का यह काम मदाख़लतबेजाकी सीमातक नहीं पहुँचसकता (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफ़ा ८३७)

२—सर्व साधारण नदीके किसी भागमें अकेले एकही मनुष्यको मछली मारनेका अधिकार था यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारको तोड़ डाले तो वह हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहमें लिखे हुए मदाख़लत बेजाके अपराधका अपराधी न होगा । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफ़ा ३५४)

३—एक कानिस्टेबिल व दूसरे मनुष्योंने किसी घरके भीतर घुसकर कुछ मनुष्योंको जुवा खेलते हुए पकड़ा परंतु कानिस्टेबिलने उन जुवारियोंसे कुछ रुपया लेकर उन्हें छोड़ दिया—ऐसी अवस्थामें अपराधीने मदाख़लतबेजा व दबाकर लेनेका अपराध नहीं किया बरन् कानिस्टेबिलके मध्ये घूँस लेनेका अपराध हुवा और दूसरे मनुष्योंके मध्ये अपराधमें सहायता करनेका । (वी० रि० जि० ५ सफा ४९)

घरकी मदाख़लतबेजा का दण्ड.

(४४८) जो कोई मनुष्य घरकी मदाख़लतबेजाका अपराधी हो, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो एक हज़ार रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा है ।

१—(अ) ने (ब) की बिना आज्ञा उसके घरमें घुसकर उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया—तजवीज़ हुई कि (अ) को व्यभिचार और घरकी मदाख़लतबेजाके अपराधमें अलग २ दण्ड दिया जा सकता था क्योंकि वे अलग २ अपराध थे । (पंजाब रिकार्ड नं० ५ सन् १८७१ ई०)

(४४९) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदले वधका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाख़लत बेजा करे तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड अथवा कठिन क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

कोई ऐसा अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड वध हो, घरकी मदाख़लत बेजा करनी.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(४५०) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये, जिसके बदलेमें जन्मभरके देश निकालेका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाख़लतबेजा करे. उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षसे अधिक न हो और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

जन्म भरके देश निकाले दण्ड योग्य कोई अपराध करनेके लिये घरकी मदाख़लत बेजा करनी.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(४५१) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें क़ैदका दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाख़लत बेजा करे, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो क़ैदकी मीआद सात वर्षतक होसकती है ।

क़ैदके दण्ड योग्य अपराध करनेके लिये घरकी मदाख़लत बेजा करनी.

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

और जब कि चोरी करनेकी इच्छा हो तब;—

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(४५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख (ज़रर) पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण (हमला) करने या किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुज़ाहिमत बेजा) करनेके लिये, अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोक का डर दिखानेके लिये तैयारी करके घरकी मदाख़लतबेजा करे उस मनुष्यको

किसी मनुष्यको दुःख (ज़रर) पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत घरकी मदाख़लत बेजा करना.

दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप-दफ़ा ४५१ के नं० २ के अनुसार है।

१—जब कोई मनुष्य गिरफ्तारीके एक जाली वारंट द्वारा किसीके घरमें जाकर किसी मनुष्यको उसकी इच्छाविरुद्ध उस वारंटके ज़ोरसे पकड़ लावे तो वह घरकी मदाख़लतबेजाका अपराधी दफ़ा ४५२ के अनुसार समझा जायगा। वी० रि० जिल्द १२ सफ़ा ३३)

छुपकर घरकी मदाख़लत बेजा अथवा घर फोड़नेका दण्ड.

(४५३) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाख़लतबेजा अथवा घर फोड़नेका अपराधी हो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी कर सकती है (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(बेतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की दफ़ा २ व ३ व ४ को देखो)

१—जब अपराधी एक दूकानके बाहर पकड़ा गया और उस दूकानका द्वार टूटा हुवा मिला, तो अपराधीपर घर फोड़नेका अपराध ठहराया गया। (वी० रि० जिल्द ४ सफ़ा १४)

क़ैदके दण्ड योग्य किसी अपराधको करनेके लिये. छुपकर घरकी मदाख़लत बेजा अथवा घर फोड़ना.

(४५४) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें क़ैदका दण्ड ठहराया गया है छुपकर घरकी मदाख़लतबेजा करे अथवा घर फोड़े, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा हो चोरी हो तो क़ैदकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है।

टीप—दफ़ा ४५२ के अनुसार है।

किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारी करनेके उपरांत घरकी मदाख़लत बेजा अथवा घर फोड़ना.

(४५५) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यके अनीति रोक करनेकी, या किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीति रोकका डर दिखानेकी तैयारी करके छुपकर घरकी मदाख़लतबेजा करे अथवा घर फोड़े, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद १० वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

टीप—दफ़ा ४५२ के अनुसार है।

रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लत बेजा करने अथवा घर फोड़ने का दण्ड.

(४५६) जो कोई मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लतबेजा करे अथवा रातके समय घर फोड़े, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) विना ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१-रातके समय घर फोड़ने और चोरी करनेका अपराध एकही है और उनके मध्ये अलग२ दण्ड नहीं होसकता । वी० रि० जिल्द २ सफ़ा ६३)

२—हथियारोंसे सजे हुए पांच मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लतबेजाका अपराध करते हुए पाए गए—एक मनुष्य घरमें छेद कर रहा था और बाक़ी चार मनुष्य पहरे पर खड़े थे—जब हल्ला हुआ तब पड़ोसी लोग दौड़े आये—और उन चोरोंमेंसे एक मनुष्यने एक गांव वालेको काट डाला—तज़वीज हुई कि जो अपराध उन्होंनें किया था वह रातके समय घर फोड़नेका था न कि डकैतीका । (वी० रि० सन् १८६४ ई० सफ़ा ३९)

क़ैदके दण्ड योग्य कोई अपराध करनेके लिये रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लतबेजा करना अथवा रातके समय घर फोड़ना.

(४५७) जो कोई मनुष्य किसी अपराधको करनेके लिये जिसके बदलेमें क़ैदका दण्ड ठहराया गया है रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लत बेजा करे अथवा रातके समय घर फोड़े उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द पांच वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह अपराध जिसके करनेकी इच्छा है चोरी हो तो क़ैदकी मीआ़द चौदह वर्षतक हो सकती है ।

टीप—दफ़ा ४५६ के अनुसार है ।

१-तसद्दुक़ हुसेनने जो अपने चचाके साथ एकही घरमें रहा करता था एक संदूक़ तोड़ कर उसमेंसे माल निकाल लिया—तजवीज़ हुई कि वह रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लत बेजाका अपराधी ठीक २ नहीं ठहर सकता । रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ सफ़ा ३०१)

२—जब किसी मनुष्य पर, चोरीके अभिप्रायसे रातके समय घर फोड़नेका अपराध दफ़ा ४५७ के अनुसार और चोरीका अपराध दफ़ा ३८० के अनुसार प्रमाणित होवे तो उसको एक दण्ड दोनों अपराधोंके मध्ये अथवा अलग २ दण्ड प्रत्येक अपराधके मध्ये दिया जासकता है, परन्तु नियम यह है कि कुल दण्डकी मीआ़द उस दण्डसे अधिक न हो जो बड़े अपराधके मध्यें दिया जासकता हो । (इ० ला० रि० बम्बई जि० १ सफ़ा २१४)

(४५८) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुँचाने अथवा किसी मनुष्यपर आक्रमण करने अथवा किसी मनुष्यकी अनीतिरोक (मुजाहिमत बेजा) करनेकी तैयारी करके अथवा किसी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके डर दिखानेकी तैयारी करके, रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करे अथवा रातके समय घर फोड़े उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद चौदह वर्षतक हो सकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यको दुःख पहुँचानेकी तैयारीके उपरांत रातके समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करनी अथवा रातके समय घर फोड़ना.

टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४५९) जो कोई मनुष्य छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोड़नेके अवस्थामें किसी मनुष्यको भारी दुःख (ज़ररशदीद) पहुँचाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे, तो उसको जन्मभरके लिये देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोड़नेकी अवस्थामें भारी दुःख (ज़रर शदीद) पहुँचाना.

टीप-(१) अ० से० (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) बिना ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—दफ़ा ४५९ व ४६० का अपराध प्रमाणित करनेमें इसबातकी आवश्यकता है कि वह भारी दुःख (ज़ररशदीद) घर फोडनेके समयमें पहुँचाया गया हो न कि घर फोड़े जाने तथा अपराधीके घरसे चले जानेके उपरांत। (पं० रि० नं० १७ सन् १८७६ ई०।

(४६०) यदि रातको छुपकर घरकी मदाखलतबेजा करते समय अथवा रातको घर फोड़ते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अपराधी है जानबूझकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचावे अथवा पहुँचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक मनुष्यको, जो उपरोक्त मदाखलतबेजा अथवा घर फोड़नेमें साझी हो, जन्मभरके देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

सब मनुष्य जो घर फोड़ने आदिमें साझीहों, किसी मृत्यु अथवा भारी दुःखके बदले जो किसी एकने किया हो दण्डके योग्य होंगे.

टीप-दफ़ा ४५९ के अनुसार है।

१—जो मनुष्य, रातके समय छुपकर घरकी मदाख़लत बेजा करनेमें घरके स्वामीको जो उसके पकड़नेका यत्न करे या जानबूझकर भारी दुःख पहुँचानेका उद्योग करे वह दफ़ा ४६० के ही अनुसार दण्ड योग्य होगा न कि दफ़ा ४५७ व ३२४ के अनुसार । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफा ५२)

बद दियानती (कुभाव) से किसी बन्द घरको जिस में माल भरा हो तोड़कर खोलना.

(४६१) जो कोई मनुष्य बद दियानती (कुभाव) से अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे किसी बन्द किये हुए घर अथवा सन्दूक आदिको जिसमें माल हो अथवा जिसमें मालका होना वह निश्चय करता हो तोड़कर खोले अथवा उसका बन्द (जोड़) खोले, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

उसी अपराधका दण्ड जबकि रक्षकही अपराध करे.

(४६२) यदि कोई मनुष्य जिसको कोई बन्द किया हुआ घर आदि धरोहरकी रीतिपर सिपुर्द हो जिसमें कुछ माल हो अथवा जिसमें मालका होना वह निश्चय करता हो बद दियानतीसे अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे विना इसके कि उसके खोलनेकी उसे आज्ञा हो उस घर आदिको तोड़कर खोले अथवा उसका बन्द खोले तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन, या प्रे० म० या म० अ० या म० दो (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

अध्याय अठारहवां ।



उन अपराधोंके वर्णनमें जो दस्तावेज़ोंसे और व्यापार अथवा मालके चिह्नोंसे सम्बन्ध रखते हैं ।

जालसाज़ी.

(४६३) जो कोई मनुष्य कोई झूंठ दस्तावेज़ अथवा उसका कोई भाग इस अभिप्रायसे बनाए कि वह सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हरजा या हानि पहुँचाए अथवा किसी दावे या अधिकारको प्रमाणित करे, अथवा किसी मनुष्यसे कोई माल अलग कराए, अथवा

किसी प्रगट या अप्रगट क़रार करानेका कारण हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि छल किया जावे या छल करे, तो उपरोक्त मनुष्य जालसाज़ीका करनेवाला कहलावेगा।

१—क़ैदीने स्वयं अपनी असावधानी छिपानेके अभिप्रायसे सरिस्तेकी एक कैफ़ियतको बदल दिया—तजवीज़ हुई कि अपराधीका काम, हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४६३ में लिखे हुए जालसाज़ीके अपराधमें नहीं गिना जा सकता। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर देश जिल्द २ सफ़ा ११)

२—किसी पिछली असावधानीको छिपानेके अभिप्रायसे मिसलमें कोई झूठी इबारत लिख देना जो छलकी सीमातक न पहुँचती हो जालसाज़ी नहीं है। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ४ सफ़ा ६५७)

३—दस्तावेज़की नक़लमें जाल बनाना दफ़ा ४६३ में लिखा हुआ जालसाज़ीका अपराध है। (वीक्ली रिपोर्टर इजलास कामिल सफ़ा ७१)

४—किसी नियतकी हुई झूंठी दस्तावेज़की नक़ल तैयार करने और उस झूठी दस्तावेज़के लिखे जानेके लिये काग़ज़ स्टाम्पमोललेने और यह दरियाफ्त करनेसे कि उस दस्तावेज़में क्या लिखा जायगा—जालसाज़ी अथवा जालसाज़ीके उद्योगका अपराध नहीं ठहर सकता, बरन यह बातें ऐसी हैं जिनसे जालसाज़ीकी सहायताका अपराध प्रमाणित हो सकता है क्योंकि इन कामोंसे अपराधके करनेमें सहलता होती है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ३ सफ़ा ५)

५—अपराधी एक सरकारी नौकर है जिसके पास कुछ दस्तावेज़ें रहा करती थीं, उसको उपरोक्त दस्तावेज़ोंके पेश करनेके लिये आज्ञा हुई और अपराधी उनको पेश न करसका, तब उसने अपनेको दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेजें बनाकर पेश करदीं—तजवीज़ हुई कि इस प्रकारकी बनाई हुई दस्तावेज़ें ऐसे काग़ज़ अथवा लेख नहीं हैं कि जिसकी तैयारीका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अपराधीको हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा २१८ के अनुसार दण्ड नहीं हो सकता था, और न उपरोक्त दस्तावेज़ें जाली प्रमाणित हुई थीं, क्योंकि वे उस अभिप्रायसे न बनाई गई थीं जिनका वर्णन दफ़ा ४६३ में है इसलिये अपराधीको दफ़ा ४७१ के अनुसार भी दण्ड नहीं हो सकता था। इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा ३५३)

६—एक खेतके मोललेनेवालोंने, कि जिस खेतका नम्बर ठीक ठीक २७२ था और जो बैनामेकी दस्तावेज़में भूलसे २१० लिख दिया गया था, उस नम्बरको ठीक कर दिया अर्थात् २१० के स्थानपर २७२ बना दिया—तजवीज़ हुई कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफ़ा ४६३ में लिखे हुए जालसाज़ीके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता था क्योंकि वह छलसे अथवा अधर्मसे नहीं बनाया गया था। इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा २१७)

झूँठी दस्तावेज़ बनाना। (४६४) उस मनुष्यके मध्ये कहा जायगा कि उसने झूठी दस्तावेज़ बनाई—

पहिले--जो कोई दस्तावेज़ अथवा दस्तावेजका कोई भाग अधर्मसे अथवा छलस बनाए, अथवा उसपर दस्तख़त या मुहर करे, अथवा उसको लिखे, या कोई ऐसा चिह्नकरे जिससे किसी दस्तावेज़का लिखा जाना प्रगट हो, और उसका अभिप्राय इस बातके निश्चय करादेनेका हो कि वह दस्तावेज़ अथवा दस्तावेज़का वह भाग उस मनुष्यने बनाया, अथवा उसपर दस्तख़त या मुहर की, अथवा उसने लिखा, या ऐसे मनुष्यकी आज्ञासे बनाया गया, अथवा उसपर दस्तख़त या मुहर की गई, अथवा वह लिखी गई है जिसको वह जानता है कि उस मनुष्यने न तो उसे बनाया न उसपर दस्तख़त या मुहरकी न उसने लिखा या न उसकी आज्ञासे वह बनाई गई, न उसपर दस्तख़त या मुहर कीगई न वह लिखीगई अथवा ऐसे समयपर जिसमें वह जानता है कि वह न बनाई गई न उसपर दस्तख़त या मुहर की गई न वह लिखीगई, अथवा--

दूसरे--जो बिना उचित अधिकारके अधर्मसे अथवा छलसे काटकर अथवा किसी और प्रकार किसी दस्तावेज़को, उसके किसी मुख्य भागमें बदले, इसके पश्चात् कि उस दस्तावेज़को स्वयं उसीने अथवा किसी दूसरे मनुष्यने बनाया हो अथवा लिखा हो, चाहे वह दूसरा मनुष्य उस बदलनेके समय जीता हो अथवा मर-गया हो; अथवा--

तीसरे--जो अधर्मसे अथवा छलसे किसी दस्तावेज़पर किसी मनुष्यसे दस्त-ख़त या मुहर कराए अथवा उसको लिखवावे या बदलावे यह जानकर कि वह मनुष्य दस्तावेज़के मज़मून अथवा बदलनेके आशयको सिड़ीपने अथवा नशेमें होनेके कारण नहीं जान सकता अथवा किसी धोखेसे जो उसको दिया गया है नहीं जानता है।

उदाहरण।

(क) शिवशंकरके पास १०००० रुपये तकका रुक्का रमाशंकरके नामपर उमाशंकरका लिखा हुआ हो और शिवशंकर रमाशंकरको ठग लेनेके अभिप्रायसे दश हज़ारकी संख्यापर एक शून्य बढ़ाकर एक लाख बनाए, इस अभिप्रायसे कि रमाशंकर निश्चय करे कि उमाशंकरने वह रुक्का ऐसाही लिखा है, तो शिवशंकरने जालसाज़ी की–

(ख) शिवशंकर बिना आज्ञा रमाशंकरके रमाशंकरकी मुहर एक दस्तावेज़पर लगावे जिसका आशय इस प्रकारका जानपड़े कि उसके अनुसार कोई मिलकियत रमाशंकरकी ओरसे शिवशंकरके अधिकारमें आवे, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर उस मिलकियतको उमाशंकरके हाथ बेंचे और उसके द्वारा बिक्रीका रुपया उमाशंकरसे प्राप्तकरे–तो शिवशंकरने जालसाज़ी की।

(ग) शिवशंकर रमाशंकरका कोई पड़ा हुवा दस्तख़ती रुक्का जो किसी साहूकारके नाम पर हो उठाले, जिसका रुपया रुक्केके अधिकारीको मिलता हो परन्तु उपरोक्त रुक्केमें रुपयेकी तादा-

द न लिखी हो, शिवशंकर उस रुक्केमें दश हज़ार रुपया लिखकर उस रुक्केको छलसे काममें लावे–तो शिवशंकरने जालसाज़ी की।

(घ) शिवशंकर अपने गुमाश्ते रमाशंकरको अपना दस्तख़ती एक रुक्का किसी साहूकार के नामका देवे,जिसमें रुपयेकी तादाद न लिखी हो–परन्तु वह रमाशंकरको यह आज्ञादे कि अमुक२ मनुष्योंका रुपया देनेके लिये उस रुक्केमें कोई तादाद जो दश हज़ार रुपयेसे अधिक न हो, लिखकर उसको पूराकरे–और रमाशंकर छलसे उस रुक्केमें बीशहज़ार रुपया लिखलेवे– तो रमाशंकरने जाल–साज़ी की।

(च) शिवशंकर कोई हुंडी अपने ऊपर रमाशंकरके नामसे विना आज्ञा रमाशंकरके लिखे, इस अभिप्रायसे कि उसको सही हुंडीकी रीतिपर किसी साहूकारसे मिती कटवाकर पटाले और उसका यही अभिप्राय हो: कि अवधि पूरी होजानेपर उस हुंडीका रुपया अदा करे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकर साहूकारको यह धोखा देनेके अभिप्रायसे हुंडी लिखता है कि उसको यह निश्चय कराए कि वह रमाशंकरकी ज़मानत रखता है और उसके द्वारा हुंडीको मितीकाटकर पटाले, इसलिये शिवशंकर जालसाज़ीका अपराधी है।

(छ) रमाशंकरके वसीयतनामेमें यह लिखा हो कि " मैं आज्ञा देताहूं कि मेरा बचा हुआ सब धन शिवशंकर व उमाशंकर व गिरिजाशंकरमें बराबर २ बांटाजाय " शिवशंकर अधर्मसे उमाशंकरका नाम छील डाले, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय कर लिया जाय कि वह सब बचा हुआ धन उसके और गिरिजाशंकरके लिये है तो शिवशंकरने जालसाज़ी की।

(ज) शिवशंकर किसी गवर्नमेंट प्रामेसरी नोटपर नीचेकी इबारत लिखकर कि, "रमाशं-करको अवथा उसे जिसको वह आज्ञा दे इसका रुपया दियाजाय" और उस लिखी हुई इबारतपर दस्तख़त करके रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे नोटका रुपया पाने योग्य कर दे, और उमाशंकर यह इबारत कि, " रमाशंकरको अथवा उसे जिसको वह आज्ञा दे रुपया दिया जाय " अधर्मसे छील डाले और उस इबारतको बिना नामकी इबारत कर दे तो उमाशंकरने जाल-साज़ी की।

(झ) शिवशंकर कोई मिलकियत रमाशंकरके हाथ बेचे और उस पर उसका अधिकार करवा दे और फिर इसके पश्चात् इस अभिप्रायसे कि रमाशंकरको उस मिलकियतसे छल करके दूर कर दे, शिवशंकर उस मिलकियतका बैनामा उमाशंकरके नाम लिख दे जिसके लिखनेकी तारीख़ रमाशंकरके बैनामेकी तारीख़से छः महीने पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि शिवशंकर उस मिलकियतको रमाशंकरके हाथ बेचनेसे पहिले उमाशंकरको बेच चुका था तो शिवशंकरने जालसाज़ी की।

(ट) रमाशंकर शिवशंकरको अपना वसीयतनामा लिखनेके लिये ज़बानी इबारत बताता जाय और शिवशंकर उस अधिकारीके नामके बदले जो रमाशंकरने बताया है किसी दूसरे अधि-कारीका नाम लिख दे और रमाशंकरसे यह कहकर कि तुम्हारी आज्ञानुसार मैंने वसीयतनामा तैयार किया है, रमाशंकरको उस वसीयत नामेपर दस्तख़त करनेके लिये बहँकावे तो शिवशं-करने जालसाज़ी की।

(ठ) शिवशंकर एक चिट्ठी लिखकर, बिना आज्ञा रमाशंकरके, उसपर रमाशंकरके दस्तखत करले और उसमें यह लिखा हो कि शिवशंकर नेकचलन है और दैवी आपदाओंके कारण दुःखित है, इस अभिप्रायसे कि उस चिट्ठीके द्वारा उमाशंकर और दूसरे मनुष्योंसे भिक्षा पावे तो इस अवस्थामें जो कि शिवशंकरने इस अभिप्रायसे एक झूठा दस्तावेज़ बनाया कि जिससे उमाशंकरका माल अलग किया जावे, इसलिये शिवशंकरने जालसाज़ी की ।

(ड) शिवशंकर कोई चिट्ठी बिना आज्ञा रमाशंकरके लिखकर उससमें रमाशंकरके दस्तखत करले, उसमें शिवशंकरकी नेक चाल चलनके मध्ये लिखा हो, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा उमाशंकरके नीचे कोई नौकरी पावे, तो शिवशंकरने जालसाज़ी की–क्योंकि उसने उमाशंकरको जाली सार्टीफिकटके द्वारा धोखा देनेके अभिप्रायसे और उसके द्वारा उमाशंकरको नौकरीके मध्ये एक प्रगट अथवा अप्रगट इक़रार करनेके लिये फुसलाया ।

स्पष्टीकरण–१—किसी मनुष्यका स्वयं अपनेही नामका दस्तखत करना जालसाज़ी की सीमातक पहुँच सकता है ।

उदाहरण

(क) शिवशंकर किसी हुंडीपर अपने नामके दस्तखत इस अभिप्रायसे करे कि यह बात निश्चय कर लीजावे कि उस हुंडीको उसके नामवाले किसी दूसरे मनुष्यने लिखा है–तो शिवशंकरने जालसाज़ी की ।

(ख) शिवशंकर शब्द "सकारी" किसी कागज़पर लिखे और उसपर रमाशंकरका नाम दस्तखत कर दे इसलिये कि उमाशंकर अंतको उसी कागज़पर एक हुंडी अपनी ओरसे रमाशंकरके ऊपर लिखे और उसको रमाशंकरकी सकारी हुई हुंडीकी रीतिपर बेचडाले तो शिवशंकर जालसाज़ीका अपराधी है और यदि उमाशंकर इस यथार्थ बातको जानकर शिवशंकरकी इच्छाके अनुसार हुंडी उस कागज़पर लिखे तो उमाशंकरभी जालसाज़ीका अपराधी है ।

(ग) शिवशंकर कोई पड़ी हुई हुंडी जिसका रुपया उसी नामके किसी दूसरे मनुष्यकी आज्ञासे अदाके योग्य हो उठाले और उसकीपीठपर अपने नामसे बेंचकी इबारत लिख दे, इस अभिप्रायसे कि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जावे कि यह बेंचकी इबारत उस मनुष्यने लिखा है जिसकी आज्ञानुसार रुपया भुगतानके योग्य है, तो इस अवस्थामें शिवशंकर जालसाज़ीका अपराधी है ।

(घ) शिवशंकर कोई मिलकियत मोलले, जो रमाशंकरके ऊपर किसी डिगरीके मध्येमें नीलाम हुई हो–रमाशंकर उस मिलकियतकी कुर्की होजानेसे पीछे उमाशंकरके साथ मेल करके उसी मिलकियतका ठेका उमाशंकरको थोड़ीसी जमापर एक बड़ी मीआदके लिये लिख दे, और लिखनेकी मिती कुर्कीकी मितीसे छः महीना पहिलेकी हो, इस अभिप्रायसे कि शिवशंकर छल द्वारा मिलकियतसे दूर कियाजाय, और यह निश्चय कराए कि ठेका कुर्कीसे पहिले दिया गया है उस अवस्थामें यद्यपि रमाशंकरने वह ठेका अपने नामसे लिखा है, तथापि उसमें पीछेकी तारीख लिखनेके कारण वह जालसाज़ीका अपराधी है ।

(च) शिवशंकर एक व्यापारीने अपना दिवाला निकालनेके पहिले अपने लाभके लिये कोई माल असबाब रमाशंकरके पास रख दिया और अपने व्योहरोंको ठगनेके अभिप्रायसे तथा मामलेकी जड़ जमानेके प्रयोजनसे एक तमस्सुक इस आशयका लिखदिया कि मुझको रमाशंकरका इतना रुपया उस मालियतके मध्ये देना उचित है कि जो मैं पा गया हूं और उस तमस्सुकमें कोई पिछली मिती लिखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह उससे पहिले लिखा गया है कि जब शिवशंकर दिवाला निकालनेको था—तो शिवशंकर पहिले वर्णन की हुई जालसाज़ीके अपराधका अपराधी है।

स्पष्टीकरण—२ किसी झूठे दस्तावेजका किसी कल्पित मनुष्यके नामसे बनाना, इस अभिप्रायसे कि यह बात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेज़ किसी सच्चे मनुष्यने लिखा है अथवा उसका किसी मरेहुए मनुष्यके नामसे बनाना इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया जाय कि वह दस्तावेज़ उस मनुष्यने अपने जीतेजी लिखा है, जालसाज़ी की सीमातक पहुँच सकता है।

उदाहरण।

शिवशंकर कोई हुंडी किसी कल्पित मनुष्यके ऊपर लिखे और छल पूर्वक उस कल्पित मनुष्यके नामसे उस हुंडीको सकारे, इस अभिप्रायसे कि उसको बेच डाले, तो शिवशंकर जालसाज़ीका अपराधी हुआ।

१—जब दस्तावेज़की तारीख़ कि जो और दूसरे प्रकारपर रजिस्टरीके लिये न पेश होसकती थी, रजिष्टरी करा पानेके अभिप्रायसे बदली गई, तो यह जालसाज़ीका अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा ४८२)

२—अपराधीने बंदोबस्तके हाकिमसे इस बातका प्रमाण पानेके लिये कि अपराधी लास करके लक़बका अधिकारी है, एक सनद उपरोक्त हाकिमके सामने जिससे उपरोक्त लक़बका पाया जाना प्रगट होता था, पेशकी; यह सनद असली नहीं तजवीज़ हुई कि हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रहकी दफ़ा ४६४ व ४७१ के अनुसार दण्ड देना अनुचित है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १० सफ़ा ५८४)

३—अपराधी दफ्तर सब डिवीज़नलमें नक़लनवीस था उसने क्लर्कीकी नौकरी पानेके लिये दरख्वास्तदी जो उस वक्त एक दफ्तरमें ख़ाली थी—गवाहीसे पाया गया कि जो सिफारिशकी चिट्ठी सब डिवीज़नल अफसरकी ओरसे लिखी जानपड़ती थी वह अपराधीने झूँठी लिखी थी—इस दरख्वास्तके साथ एक दूसरी चिट्ठी भी शामिल थी जो साहब कलक्टरकी ओरसे सब डिवीज़नल अफसरके नाम जान पड़ती थी—परन्तु जब हाकिम सब डिवीजनने कलक्टर साहबकी चिट्ठीपर संदेह कर एक निजी चिट्ठी साहब कलक्टरको उसकी असलियत जाननेके लिये डाकख़ानेमें भेजी तब अपराधीने एक तीसरी चिट्ठी झूँठी लिखकर हाकिम सब डिवीज़नकी ओरसे पोष्टमास्टरके नाम इस अभिप्रायसे भेजी कि निजी चिट्ठी साहब कलक्टरके नामकी रवाने न की जावे—तजवीज़ हुई कि

पहिली दो चिट्ठियोंके मध्ये हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४६४ का अपराध ठहर सकता है परन्तु तीसरीके मध्ये यह नहीं कहा जासकता कि उसने उसको अधर्म अथवा छलसे उपरोक्त दफ़ाके अर्थ अनुसार झूठी बनाया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १२ सफ़ा ३३९)

४—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४६३ में लिखे हुए शब्द दावेका सम्बन्ध दावा जायदादके साथ नहीं कहा जासकता—उपरोक्त दफ़ामें लिखे हुए शब्द जायदादमें सार्टीफिकट तहरीरी शामिल होगा—और दफ़ा ४६३ का अपराध प्रमाणित, करनेके लिये यह अवश्य नहीं है कि वह जायदाद जिससे यह अभिप्राय हो कि झूँठी लिखावट किसी मनुष्यको अलग करा देगी उस समय मौजूद हो जब झूँठी लिखावट बनाई गई ।

एक मनुष्यने प्रिंसपिल क्वीन्स कालेज बनारसके सामने एक सार्टीफिकेट झूँठा, जिसका दिया जाना प्रिंसपिल कैनिंग कालिज लखनऊकी ओरसे जान पड़ता था, क़ानूनी लेकचरोंको देनेके अभिप्रायसे और फिर उसके पश्चात् कुछ सर्टीफिकट उम्मेदवार इम्तिहान अदालत जज्जी कलकत्तामें क़रार पानेके प्रयोजनसे पेश किया—तजवीज़ हुई कि उसपर दफ़ा २७१ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहका अपराध ठहराया जा सकता है । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफ़ा २१०)

जालसाज़ीका दण्ड.

(४६५) जो कोई मनुष्य जालसाज़ी करेगा उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक होसकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(बेंतके दण्डके लिये ऐक्ट नं० ६ सन् १८६४ ई० की० दफ़ा ४ को देखो)

१—जब कोई मुहर्रिर जो दण्ड योग्य विश्वासघात (ख़यानत मुजरिमाना) का अपराध करे और फिर हिसाबकी किताबमें अपराध छिपानेके अभिप्रायसे झूँठी इबारत लिख दे तो वह दफ़ा ४६५ के अपराध जालसाज़ीका अपराधी नहीं होसकता । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा २२१)

कोर्टआफ़ जस्टिसके सारिश्तेके काग़ज़ अथवा पैदायशके रजिष्टर आदिको जाली बनाना.

(४६६) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज़ बनाए जिसकी लिखावटसे जान पड़ता हो कि वह किसी कोर्टआफ़जास्टिसके सरिश्तेका काग़ज़ अथवा काग़ज़ मिसल है अथवा पैदायश (जन्म) या संस्कार या विवाह या मरणका रजिष्टर है जिसको कोई सरकारी नौकर अपनी नौकरीके कारण बनाता है अथवा कोई सर्टी-

फिकट या दस्तावेज़ बनाए जिसकी लिखावटसे जान पड़ता हो कि उसे किसी सरकारी नौकरने अपनी नौकरीके कर्त्तव्यपालनकी रीतिपर तैयार किया है अथवा किसी मुक़द्दमेके दायर करने अथवा उसकी जवाबदही करने अथवा उसमें किसी प्रकारकी पैरवी करने अथवा इक़बाल दावा दाख़िल करनेके लिये आज्ञापत्र (इजाज़तनामा) है अथवा वह मुख़्त्यारनामा है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकार की क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप-(१) अदालत सेशन (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम वारण्टजारी होगा (४) बिना ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—जब कोई दस्तावेज़ इस अभिप्रायसे बनाया जावे कि उससे किसी अदालत जस्टिसको धोखा दिया जाय—तो कहा जावेगा कि वह दस्तावेज़ उस अभिप्रायके लिये काममें लाए जानेकी इच्छासे बनाया गया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफ़ा ५१३)

किफालतुलमाल अथवा वसीअतनामेका जाली बनाना.

(४६७) जो कोई मनुष्य कोई जाली दस्तावेज़ बनाए जिसकी लिखावटसे यह पाया जावे कि वह किफालतुलमाल या वसीअतनामा अथवा गोद लेनेका आज्ञापत्र (इजाज़तनामा) है—अथवा उसके आशय से यह पाया जावे कि वह किसी मनुष्यको किसी किफालतुलमालके बनाने या बेंचने अथवा मूल या व्याज या व्याजके भागोंको सिपुर्दगीमें लाने या सिपुर्दगीमें करनेका आज्ञापत्र है, अथवा कोई ऐसा जाली दस्तावेज़ बनाए कि जिसकी इबारतसे यह पाया जावे कि वह फारग़ख़ती या रसीद है कि जिसमें रुपयाके वसूल होनेका इक़रार है, अथवा किसी स्थावरधन या किफालतुलमालके दिये जानेकी फारग़ख़ती या रसीद है तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) सिवाय उस अवस्थाके कि जब किफालतुलमाल गवर्नमेंट हिंदका प्रामिसरी नोट होवे, पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) बिना ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—अपराधीने यह इश्तिहार दिया कि एक अंगरेज़ी कोष राबर्ट एस, विल्सन एम, ए का बनाया हुआ क़ीमती २।) का तैयार है—परंतु उसके यहां कोई भी ऐसी किताब बेचने योग्य नहीं थी—तजवीज़ हुई कि अपराधीने दग़ा व जालका अपराध किया था । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १३ सफ़ा २७)

(४६८) जो कोई मनुष्य जालसाज़ी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली दस्तावेज़ दग़ा देनेके लिये काममें लाई जायगी उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

दग़ाके लिये जालसाज़ी.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—तजवीज़ हुई कि जब अपराधीका यह अभिप्राय था कि झूठा हिसाब बनाकर अपने मालिकको धोखा दे और उस धोखा देनेके द्वारा मालिकको हानि पहुँचना सम्भव हो तो अपराधीपर दफ़ा ४६८ का अपराध दग़ा करनेका ठहराया जा सकता है। (वी० रि० जिल्द १८ सफ़ा ४६)

(४६९) जो कोई मनुष्य जालसाज़ी करे इस अभिप्रायसे कि वह जाली दस्तावेज़ किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाए, अथवा यह जानकर कि उसका इस काममें लाया जाना सम्भव है, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचानेके लिये जालसाज़ी.

टीप—दफ़ा ४६८ के अनुसार है।

(४७०) जो झूँठी दस्तावेज़ सब या कुछ जालसाज़ीसे बनाई गई हो वह "जाली दस्तावेज़" की रीतिपर कहलाई जावेगी।

जाली दस्तावेज़.

१—खेतके साझियोंने नम्बरको बदल डाला जिनकी सराहत बैनामेमें थी ऐसी कार्रवाई के कारण उपरोक्त नम्बर सही नहीं रहे—तजवीज़ हुई कि दस्तावेज़ में नम्बरका बदलना दफ़ा ४६३ में लिखे हुए जालके अपराधमें नहीं है, और न उपरोक्त दस्तावेज़ तबदील होनेके उपरांत जालीदस्तावेज़ दफ़ा ४७० के अनुसार ठहर सकती है।। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ५ सफ़ा २७१)

(४७१) जो कोई मनुष्य किसी दस्तावेज़को, जिसको वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो कि वह जाली दस्तावेज़ है सही दस्तावेज़ की रीतिपर छलसे अथवा अधर्मसे काममें लाए तो उस मनुष्यको उसी प्रकारका दण्ड दिया जावेगा कि मानों उसने उस दस्तावेज़को जाली बनाया।

जाली दस्तावेज़को सही दस्तावेज़की रीतिपर छलसे काममें लाना,

१—अपराधी पर यह अपराध लगाया गया कि वह एक मुक़द्दमा दीवानीमें एक दस्तावेज़को जिसको वह जाली जानता था, सही दस्तावेज़की रीतिपर काममें लाया तजवीज़ हुई कि अपराधीने दफ़ा ४७१ का अपराध किया था। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफ़ा ११८)

२—अपराधीके व्योहरेने, जो पोलीस कान्स्टेबिल था सुपिन्टेन्डेन्ट पोलीस ज़िलाको दरख्वास्तकी कि ऋण चुक जानेतक अपराधी (कान्स्टेबिल) की तनख्वाहसे दो रुपया मासिक कट जायाकरे—इसलिये सुपिन्टेन्डेन्टने रुपया काटे जानेकी आज्ञा दे दी तब अपराधीने एक रसीद पेशकी जिससे १८) का अदा होजाना पाया जाता था, पीछेसे जानपड़ा कि वास्तवमें वह रसीद ८) की थी और अपराधीने उसपर १ का अंक बढ़ा दिया था—तजवीज़ हुई कि जो कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि सुपिन्टेन्डेन्ट उसकी तनख्वाह क़ानूनविरुद्ध न काटें, इसलिये इस रसीदसे यह बात नहीं पाई जाती कि अपराधीकी यह इच्छा थी कि व्योहरोंका रुपया माराजावे, इसलिये उसे दफ़ा ४७१ के अपराधमें दण्ड नहीं होना चाहिये। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ४०३)

३—पोष्टमास्टरने कुछ रुपया मारा, और उसी समय एक झूंठी दस्तावेज़ बनाई जो दस्तखती रसीद उस मनुष्यकी होना जान पड़ती है, जिसे रुपया मिलने योग्य था—उसके मध्ये जाली दस्तावेज़ बनानेके अपराधमें दफ़ा ४७१ के अनुसार विचार किया गया—यह उज्र किया गया कि कोई जाल नहीं किया गया क्योंकि रसीद अपराध छिपानेके लिये बनाई गई थी—तजवीज़ हुई कि अपराधका विचार ठीक था। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द ११ सफ़ा ४११)

४—इन्ट्रेंसकी परीक्षाके प्रार्थीने अच्छे चाल चलन का सार्टीफिकट हेडमास्टरका दस्तखत बनाकर रजिस्ट्रारके यहां भेज दिया—उम्मेवारपर जाली दस्तावेज़ को असलीकी रीतिपर काममें लानेके अपराधमें दफ़ा ४७१ और दग़ाके उद्योगमें दफ़ा ४१५ व ५११ का अपराध ठहराया गया तजवीज़ हुई कि उसकी यथार्थ इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधर्मका दफ़ा २४ व २५ के अनुसार न था, इसलिये उसने कोई भी अपराध नहीं किया । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ३८०)

५—अपराधीपर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४७१ का अपराध इस बातपर लगाया गया कि वह कुछ दस्तावेज़ोंको जिन्हें जाली जानता था अधर्म और छलसे काममें लाया था और विचार (तजवीज़) के समय जाना गया कि लगानकी चार रसीदें जिन्हें अपराधी काममें लाया था, अपराधीने असली रसीदोंके बदले जो खो गई थीं बनाई थीं। तजवीज़ हुई कि दफ़ा २४ व २५ हि० द० में लिखे हुए शब्द अधर्म व छलसे अपराधीने रसीदें नहीं बनाई थीं, इसलिये वह दफ़ा ४७१ का अपराधी नहीं हो सकता। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ सफ़ा ४५९)

दफ़ा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य कोई जालसाज़ी करनेके अभिप्रायसे झूठी मुहर आदि बनानी अथवा पास रखनी.

(४७२) जो कोई मनुष्य कोई झूँठी मुहर या चपरास या छापनेका और कोई औज़ार इस अभिप्रायसे बनावे कि वह इस संग्रहकी दफ़ा ४६७ के अनुसार दण्ड किये जाने योग्य किसी जालसाजीके करनेमें काम आवे अथवा इस अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर या चपरास या और कोई औज़ार अपने यहां रक्खे यह जानकर कि वह झूँठा है, तो उस मनुष्यको जन्मभरके लिये देशनिकालेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात बर्ष तक होसकती है, और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ४६६ के अनुसार है ।

१—जब झूँठी मुहरें और उनके बनानेके औज़ार अपराधीके यहां निकलें और वह मानने योग्य उसका कारण न बतला सके कि वह क्योंकर उसके अधिकारमें आये थे, तो यह बात मानी गई कि वह उनको छल पूर्वक काममें लानेके अभिप्रायसे अपने अधिकारमें रखता था। वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ५)

जालसाज़ी करनेके अभिप्रायसे जिसका दूसरा दण्ड ठहराया गया है झूँठी मुहर आदि बनाना अथवा पास रखना.

(४७३) जो कोई मनुष्य कोई झूँठी मुहर अथवा चपरास अथवा और कोई छापनेका औज़ार बनाए इस अभिप्रायसे, कि वह किसी ऐसी जालसाज़ी करनेके लिये काममें आए, जिसके बदलेमें इस अध्यायकी दफ़ा ४६७ के अतिरिक्त किसी और दफ़ाके अनुसार दण्ड दिया जा सकता है, अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोई और औज़ार जिसको वह झूठा जानता है अपने पास रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१—जब कुछ मुहरें पृथक् २ भांतिकी, जालसाज़ी करनेके अभिप्रायसे अपराधीके अधिकारमें निकलीं तो तजवीज़ हुई कि हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुहरके मध्ये एक अलग और पूरे अपराधका किया जाना प्रमाणित था और अपराधी प्रत्येक मुहरके मध्ये अलग २ दोषी ठहराया जासकता था सिवाय उस अवस्थामें कि वे पृथक् २ मुहरें एक विशेष जालसाज़ीके अभिप्रायसे रक्खी गई हों । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १३ सफ़ा १६)

(४७४) जो कोई मनुष्य कोई दस्तावेज़ अपने यहां रक्खे, यह जानकर कि वह जाली है और इस अभिप्रायसे कि वह सच्ची दस्तावेज़की भाँति छल अथवा अधर्मसे काममें लाई जाय, तो यदि वह दस्तावेज़ उस प्रकारकी दस्तावेज़ है जिसका वर्णन दफ़ा ४६६ में है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा और यदि वह दस्तावेज़ उस प्रकारकी दस्तावेज़ है जिसका वर्णन दफ़ा ४६७ में है तो जन्मभरके देशनिकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

कोई दस्तावेज़ यह जानबूझकर कि यह जालसाज़ीसे बनी है अपने यहां इस अभिप्रायसे रखनी कि सच्चीकी भांति काममें लाई जाय.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहींहै (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४७४ के अपराधके प्रमाणके लिये इन बातोंके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है, कि दस्तावेज़ जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाली हैं, और अपराधी उनका जाली होना जानता था, और वह उनको अपने अधिकारमें रखता था, और उसका यह अभिप्राय था, कि छल और अधर्मके द्वारा वह सच्ची दस्तावेज़की भांति काममें लाई जावे, और प्रत्येक दस्तावेज़ उसप्रकारकी है जिसका वर्णन हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४६६ व ४६७ में किया गया है। (इं० ला० रि० बम्बई जिल्द १६ सफ़ा १६५)

२—अपराधी एक जाली दस्तावेज़ अदालतमें ले गया परन्तु उसको काममें न लाया तजवीज़ हुई कि वह उस दस्तावेज़को आवश्यकताके समय काममें लानेकी इच्छा रखता था। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ८ सफ़ा ११)

(४७५) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा निशान, जो इस संग्रहकी दफ़ा ४६७ में कही हुई किसी दस्तावेज़की सच्चाई के लिये काममें आता हो इस अभिप्रायसे झूँठा बनावेगा कि इस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज़ जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाज़ीसे बनी हो अथवा पीछेसे बनाई जानेको हो प्रमाणिक दिखाई दे; अथवा उसी अभिप्रायसे कोई ऐसी वस्तु अपने पास रक्खे, जिसपर अथवा जिसमें उस चिह्न या निशानकी जालसाज़ी कीगई है; तो उस मनुष्यको जन्मभरके देशनिकालेकी अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

किसी चिह्न अथवा निशानको जालसाज़ीसे बनाना जो दफ़ा ४६७ में कही हुई दस्तावेज़की सच्चाईके लिये काममें आवे अथवा किसी वस्तुको पास रखना जिसपर झूँठा चिह्न लगा हो.

टीप—(१) अदालत सेशन (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) ज़मानत नहीं हो सकती (५) राज़ीनामा नहीं है (६) मंजूरी दरकार है ।

१—दफ़ा ४७५ का अपराध प्रमाणित करनेमें इस बातके प्रमाणकी आवश्यकता है, कि अपराधीके अधिकारमें जो दस्तावेज़ है उसपर कोई झूठा चिह्न या निशान हो और यह भी प्रमाणित होना चाहिये कि अपराधी उस दस्तावेज़को अपने अधिकारमें इस अभिप्रायसे रखता था कि वह झूँठा चिह्न या निशान उस दस्तावेज़की सचाईके लिये काममें आवेगा और इस बातके भी होनेकी आवश्यकता है कि वह दस्तावेज़ इस संग्रहकी दफ़ा ४६७ में लिखी हुई दस्तावेज़के अनुसार होवे । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द १५ सफ़ा १९)

जालसाज़ीसे बनाना किसी चिह्न अथवा निशानको जो दफ़ा ४६७ में कही हुई दस्तावेज़ोंको छोड़कर और प्रकारकी दस्तावेज़ोंकी सच्चाईके लिये काममें आता हो, अथवा पास रखना किसी वस्तुका जिसपर झूठा चिह्न लगाहो.

(४७६) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई चिह्न अथवा निशान जो इस संग्रहकी दफ़ा ४६७ में कही हुई दस्तावेज़ोंको छोड़कर और प्रकारकी किसी दस्तावेज़को प्रमाणिक करनेके लिये काममें आता हो, इस अभिप्राय से झूठा बनावेगा कि उस चिह्न अथवा निशानके होनेसे कोई दस्तावेज़ जो उसी समय उस वस्तुपर जालसाज़ीसे बनी हो अथवा पीछेसे जाली बनाई जानेको हो, प्रमाणिक दिखाई दे, अथवा जो कोई मनुष्य ऐसे अभिप्रायसे कोई वस्तु अपने पास रखता हो जिसके ऊपर अथवा जिसमें इसीप्रकारका चिह्न अथवा निशान जालसाज़ीसे लगाया गया हो, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिस की मीआद सात बर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—दफ़ा ४७५ के अनुसार है ।

छल छिद्रसे किसी वसीअतनामेको बिगाडना अथवा नष्ट करना आदि.

(४७७) जो कोई मनुष्य छल अथवा अधर्मसे अथवा इस अभिप्रायसे कि वह सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको नुक़सान अथवा हानि पहुँचाए किसी ऐसी दस्तावेज़को बिगाड़े अथवा उसको नष्ट करे अथवा उसकी लिखावटको काट दे अथवा उसके नष्ट करने या बिगाड़ देने अथवा काट देनेका उद्योग करे जो वसीअ़तनामा अथवा लड़का गोद लेनेका इजाजतनामा (आज्ञापत्र) अथवा कोई किफालतुलमाल हो अथवा होनेके योग्य हो अथवा ऐसी दस्तावेज़के मध्ये कुछ हानि पहुँचावे तो उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) बिला ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है ।

१--पट्टेका फाड़ डालना दफ़ा ४७७ के अनुसार किफालतुल मालका नष्ट कर देना है। (वीकी रिपोर्टर जिल्द ३ सफ़ा ३८)

(४७७) (अ) बढ़ाया गया दफ़ा ४ ऐक्ट ३ सन् १८९५ई० के अनुसार--

झूँठा हिसाब बनाना.

जो कोई मनुष्य मुत्सद्दी या अहलकार या नौकर हो अथवा मुत्सद्दी या अहलकार या नौकरकी रीतिसे काम करता हो अथवा नियत किया गया हो, जानबूझकर छलनेके अभिप्रायसे कोई बही या किताब या काग़ज़ या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाब जो उसके स्वामीका है अथवा उसके स्वामीके पास है अथवा जो उसने अपने स्वामीके लिये अथवा अपने स्वामीके अधिकार (हक़) में पायी हो नष्ट करे या बदले या उसमें काट कूटकरे अथवा उसको झूँठा बनाए, अथवा जानबूझकर और छलनेके अभिप्रायसे किसी ऐसी बही या किताब या काग़ज़ या लेख या किफालतुलमाल या हिसाबमें कुछ झूँठ मूठ लिखे अथवा उसके लिखनेमें सहायता करे या उपरोक्त बही या किताब या काग़ज़ या लिखावट या किफालतुलमाल या हिसाबसे किसी आवश्यकीय बातको निकाल दे अथवा उसमें किसी आवश्यकीय बातको बदल दे अथवा निकाल देने या बदल देनेमें सहायता करे तो उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

स्पष्टीकरण--जो अपराध इस दफ़ाके अनुसार लगाया जाय उसमें यह काफ़ी होगा कि यह बयान किया जाए कि विशेषरीतिसे छलनेकी इच्छा थी और किसी विशेष मनुष्यका नाम इस अभिप्रायसे न कियाजाए कि उसके छलनेकी इच्छा थी अथवा किसी विशेष रुपयेकी तादादका वर्णन न किया जाए जिसके मध्ये छल करने का अभिप्राय था अथवा किसी ऐसे विशेष दिन या तारीख़का वर्णन न किया जाए जिसमें वह अपराध हुआ।

टीप--(१) अदालत सेशन (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) बिला ज़मानत (५) राज़ीनामा नहीं है।

व्यापार और मालके चिह्नोंके विषयमें।

---

(४७८) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई असबाब किसी विशेष मनुष्यका बनाया अथवा तैयार किया हुआ है अथवा किसी विशेष समय या स्थानमें बनाया अथवा तैयार किया गया है अथवा किसी विशेष प्रकारका है वह व्यापारका चिह्न कहलाया जावेगा।

व्यापारका चिह्न.

(४७९) जो चिह्न इस बातके प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि कोई स्थावर धन (माल मनकूला) किसी विशेष मनुष्यका है, वह मालका चिह्न कहलावेगा ।

मालका चि

(४८०) जो कोई मनुष्य किसी असबाबपर या संदूक या गठरी या किसी और वस्तुपर जिसमें असबाब हो चिह्न बनाये अथवा कोई संदूक या गठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब जिसपर चिह्न है अथवा कोई असबाब जो ऐसे संदूक अथवा गठरी अथवा वस्तुमें है जिसपर चिह्न है, अमुक मनुष्यने बनाया अथवा तैयार किया है जिसने उसको न बनाया अथवा न तैयार किया हो अथवा यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे, कि वह असबाब अमुक समय या अमुक स्थानपर बनाया गया या तैयार किया गया है जिसमें वह न बनाया गया अथवा न तैयारही कियागया हो अथवा यह कि वह असबाब विशेष प्रकारका है जिस प्रकारका वह न हो तो कहा जावेगा कि, उपरोक्त मनुष्य व्यापारका झूठा चिह्न काममें लाया ।

व्यापारके झूँठे चिह्नको काममें लाना.

(४८१) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरधन (माल मनकूला) या असबाब पर या किसी सन्दूक या गठरी या किसी और वस्तु पर जिसमें स्थावरधन अथवा असबाब हो चिह्न बनाए अथवा कोई सन्दूक या ग्रठरी या कोई और वस्तु जिसपर चिह्न हो काममें लाए, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि माल या असबाब जिसपर वह चिह्न है अथवा कोई माल या असबाब जो किसी सन्दूक या गठरी या दूसरी वस्तुमें है जिसपर वह चिह्न हो अमुक मनुष्यका माल है जिसका वह माल न हो, तो कहा जावेगा कि उपरोक्त मनुष्य मालके झूँठे चिह्नको काममें लाया ।

मालके झूँठे चिह्नको काममें लाना.

(४८२) जो कोई मनुष्य कोई व्यापारका झूँठा चिह्न अथवा मालका झूँठा चिह्न किसी मनुष्यको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे काममें लाए, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैद का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

किसी मनुष्यको धोखा देने या हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके झूठे चिह्नको काममें लानेका दण्ड.

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दोयम (२) ग़ैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(४८३) जो कोई मनुष्य सर्व साधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुक़सान पहुँचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे व्यापारके चिह्न अथवा ऐसे मालके चिह्नकी जालसाज़ी करे, जिसको कोई और मनुष्य काममें लाता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

हानि अथवा नुक़सान पहुँचानेके अभिप्रायसे व्यापार अथवा मालके किसी ऐसे चिह्नकी जालसाज़ी जिसको और कोई काममें लाता हो.

टीप—दफ़ा ४८२ के अनुसार है।

(४८४) जो कोई मनुष्य सर्वसाधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या नुक़सान पहुँचानेके अभिप्रायसे जानबूझकर किसी ऐसे मालके चिह्नको झूँठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा ऐसे चिह्नको झूँठ बनावे जिसको कोई सरकारी नौकर यह प्रगट करनेके लिये काममें लाता हो कि कोई माल किसी विशेष मनुष्यने तैयार किया है अथवा किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थानमें तैयार किया गया है या यह कि वह माल किसी विशेष प्रकारका है अथवा किसी विशेष कचहरीमें होकर आया है या किसी माफ़ीके योग्य है अथवा कोई ऐसा चिह्न जिसको वह झूँठ जानता हो सच्चे चिह्नकी रीतिसे काममें लाए तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद तीनवर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेकेभी योग्य होगा।

झूँठ बनाना, किसी ऐसे मालके चिह्नका जो सरकारी नौकर काममें लाता हो अथवा किसी ऐसे चिह्नका जो वह किसी मालके तैयार किये जाने आदिको प्रगट करनेके लिये काममेंलाताहो.

टीप—(१) अदालत सेशन प्रे० म० या म० अ० (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस नहीं है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४८५) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या चपरास या कोई और औज़ार जो सर्वसम्बन्धी अथवा विशेष मनुष्यके, मालका चिह्न अथवा व्यापारका चिह्न बनाने या झूँठ करनेके लिये हो बनाए अथवा अपने पास रक्खे, इस अभिप्रायसे कि उसको उस चिह्नके झूँठके लिये काममें लाए अथवा कोई ऐसा मालका चिह्न या व्यापारका चिह्न इस अभिप्रायसे अपने पास रक्खे कि वह इस बातको प्रगट करनेके लिये काममें लाया जावे कि अमुक माल अथवा सौदागरीकी वस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुक कारखानेकी बनाई

छल छिद्रसे बनाना अथवा पास रखना किसी ठप्पे या चपरास या औज़ारका, इसलिये कि कोई चिह्न मालका अथवा व्यापारका चाहे सर्व सम्बन्धी चाहे निजका झूँठ बनाया जाय.

अथवा तैयारकी हुई है जिसको उसने न बनाया अथवा न तैयार किया हो; अथवा यह कि वह किसी समय या किसी स्थानमें बनाई अथवा तैयारकी गई है जिसमें वह न बनाई अथवा न तैयारकी गई हो; अथवा यहकि वह किसी विशेष प्रकारकी है कि जिस प्रकारकी वह न हो, अथवा यह कि वह किसी मनुष्यका माल है जिसका माल न हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—दफ़ा ४८४ के अनुसार है।

जानबूझकर किसी ऐसे मालका बेंचना जिसपर व्यापार अथवा मालका झूँठा चिह्न लगा हो.

(४८६) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे मालको, जिसपर अथवा जिस सन्दूक़ या बेठन या वस्तुमें वह माल हो उसपर माल या व्यापारका कोई झूँठा चिह्न लगा अथवा छपा हो चाहे वह सर्वसम्बन्धी हो चाहे निजका, किसीको धोखा देने अथवा हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे यह बात जानबूझकर बेंचेगा कि यह चिह्न झूँठा है अथवा जालसाज़ीसे लगाया गया है अथवा छापा गया है जो उस मनुष्यकी अथवा उस समयकी अथवा उस स्थानकी जो कि उस चिह्नसे जान पड़ता है बनी हुई नहीं है अथवा यह जानबूझकर कि जो प्रकार उस चिह्नसे प्रगट होता है वह उस प्रकारकी नहीं है तो उसको दण्ड दोनोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका जिसकी मीआ़द एक वर्षतक होसकेगी दिया जावेगा अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप-(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

छल छिद्रसे किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें असबाब हो झूँठा चिह्न बनाना.

(४८७) जो कोई मनुष्य किसी गठरी अथवा वस्तुपर जिसमें माल रक्खा हो छलसे कोई झूँठा चिह्न बनाए, इस अभिप्रायसे कि किसी सरकारी नौकरको अथवा किसी और मनुष्यको यह निश्चय कराए कि उस गठरी अथवा वस्तुमें अमुक माल है जो उसमें नहीं है अथवा यह कि उसमें अमुक असबाब नहीं है जो उसमें है अथवा यह निश्चय कराए कि वह असबाब जो उस गठरी अथवा वस्तुमें है किसी भाँति या प्रकारका है, जो वास्तवमें उस भाँति अथवा प्रकारसे भिन्न हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआ़द तीन वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप--(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) समन अपराधीके नाम (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४८८) जो कोई मनुष्य ऊपर लिखी हुई पिछली दफ़ाके अभिप्रायसे कोई ऐसा झूँठा चिह्न छल पूर्वक काममें लाए यह जानकर कि वह चिह्न झूँठा है, तो उसको उसी प्रकारका दण्ड दिया जायगा कि जो पिछली कही हुई दफ़ामें कहा गया है।

किसी ऐसे झूँठे चिह्नको काममें लानेका दण्ड.

(४८९) जो कोई मनुष्य किसी मालके चिह्नको दूरकरे अथवा मिटाए या बिगाड़े इस अभिप्रायसे अथवा यह जानकर कि उसके द्वारा किसी मनुष्यको हानि पहुँचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

हानि पहुँचानेके अभिप्रायसे मालके किसी चिह्नको बिगाड़ना.

टीप—दफ़ा ४८६ के अनुसार है।

कारेंसी नोट और बेंकनोटोंके विषयमें।

(४८९) (अ)—जो कोई मनुष्य कारेंसी नोट अथवा बेंकनोटको खोटा बनावेगा अथवा जानबूझकर खोटा बनानेके यत्नका कोई काम करेगा तो उसे जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीआद दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा।

कारेंसी या बेंकनोटका खोटा बनाना.

स्पष्टीकरण—इस दफ़ा और दफ़ा ४८९ **ब, क, ड** के अभिप्रायके लिये शब्द "बेंकनोट" से प्रत्येक ऐसे प्रामिसरी नोट अथवा रुपया चुकानेके इक़रारनामे का अभिप्राय है जो संसारके किसी भागमें बेंक अर्थात् महाजनी कारोबार करने वाले ने जारी किया हो अथवा जो किसी रियासत या उस समयके बादशाहकी ओरसे अथवा आज्ञासे प्रचलित किया गया हो और जिसके मध्ये यह अभिप्राय होवे कि वह रुपये के समान अथवा रुपयेके बदले काममें लाया जावे।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(४८९)-(ब)-जो कोई मनुष्य किसी जाली अथवा खोटे बनाए हुए कारेंसी नोट या प्रामिसरी नोटको यह जानकर अथवा निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है, किसी दूसरे मनुष्यके हाथ बेचे अथवा उससे प्राप्त करे या मोल लेवे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका दण्ड या दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

जाली अथवा खोटे बेंक नोट या कारेंसी नोटको सच्चेकी भांति काममें लाना.

टीप—दफ़ा ४८९ (अ) के अनुसार है ।

(४८९)-(क)-जो कोई मनुष्य अपने पास कोई जाली अथवा खोटा कारेंसीनोट या बेंकनोट रक्खेगा यह जानकर अथवा निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह जाली अथवा खोटा है और उसे सच्चेकी भांति काममें लानेकी इच्छा करे अथवा यह इच्छाकरे कि वह सच्चेकी भांति काममें लाया जावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

जाली अथवा खोटे बेंकनोटों या कारेंसी नोटोंको अपने अधिकारमें रखना.

टीप-(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(४८९) (ड) जो कोई मनुष्य कोई कल, औज़ार या सामान बनावे अथवा बनानेके यत्न सम्बन्धी कोई कामको करे या बेंचे या मोल ले या अपने अधिकारसे अलग करदे या अपने अधिकारमें रक्खे इस अभिप्रायसे अथवा यह निश्चय करनेके लिये कारण रखकर कि वह किसी कारेंसी नोट या बेंकनोटके जाली बनाने अथवा खोटा करनेके काममें लाया जावेगा तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारोंमें किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दशवर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

कारेंसी नोट या बेंकनोटको जाली या खोटा बनानेके अभिप्रायसे औज़ार या सामान बनाना अथवा अधिकारमें रखना.

टीप—दफ़ा ४८९ (अ) के अनुसार है ।

अध्याय उन्नीसवाँ ।

नौकरीका कौल करार दण्ड योग्य रीति से तोड़नेके विषयमें ।

जल अथवा थलके सफ़रमें नौकरीके कौल क़रारको तोड़ना.

(४९०) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक कौल क़रारके अनुसार किसी मनुष्यको अथवा मालको एक स्थानसे दूसरे स्थानको लेजानेमें अथवा पहुँचानेमें अपने शरीरसे काम करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्य की नौकरी करना अथवा जल या थलके मार्गमें किसी मनुष्य अथवा मालकी चौकसी करना अवश्य हो जानबूझ कर ऐसा करनेसे चूकेगा, सिवाय बीमारी अथवा बदसलूकीकी अवस्थाके, तो उसे दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदकादण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक महीने तक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड जो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर पालकीका एक कहार जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल क़रारके अनुसार रमाशंकरको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, राहपरसे भाग गया तो शिवशंकरने इस दफ़ामें कहा हुआ अपराध किया ।

(ख) शिवशंकर एक कुली जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल क़रारके अनुसार रमाशंकरका असबाब एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना अवश्य था, असबाबको फेंककर चल दे तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(ग) शिवशंकर बैलोंके एक मालिकने जिसपर नीतिपूर्वक किये हुए कौल क़रारके अनुसार कुछ माल अपने बैलोंपर लादकर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचाना अवश्य था, ऐसा करनेमें क़ानून विरुद्ध चूककी तो शिवशंकर उस अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है ।

(घ) शिवशंकरने रमाशंकरको जो एक कुली है अनीति पूर्वक अपना असबाब ले चलनेके लिये दबाया, रमाशंकर राहमें असबाब रखकर भाग गया तो यहां जो कि असबाबका पहुँचाना रमाशंकरपर क़ानूनानुसार उचित न था, इसलिये रमाशंकर किसी अपराधका अपराधी नहीं हुआ ।

स्पष्टीकरण—इस अपराधके प्रमाणित होनेके लिये कुछ यह अवश्य नहीं है कि कौल क़रार उस मनुष्यके साथ किया जाय जिसकी नौकरी करनी हो बरन यही काफ़ी है कि उस मनुष्यने जिसको वह नौकरी करनी पड़ेगी किसी मनुष्यके साथ वह कौलक़रार क़ानूनके अनुसार किया हो, चाहे वह प्रगट रीतिपर किया हो अथवा अप्रगट रीतिपर ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने किसी डाक कम्पनीके साथ उसकी गाड़ी एक महीनेतक हांकनेका क़ौल क़रार किया, रमाशंकरने सफ़रमें जानेके लिये उस डाक कम्पनीकी गाडी भाड़ेकी और उस कम्पनीने रमाशंकरको उस महीनेके भीतर वही गाड़ी दी जिसको शिवशंकर हांकता था शिवशंकरने जानबूझकर सफ़रमें गाड़ी छोड़दी तो यहां यद्यपि शिवशंकरने रमाशंकरके साथ क़ौलक़रार नहीं किया था तथापि वह इस दफ़ामें कहे हुए अपराधका अपराधी हुआ ।

टीप—(१) प्रे० म०, म० अ० या म० दो० (२) पोलीस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, (३) अपराधीके नाम समन (४) ज़मानत है (५) राजीनामा है ।

१—अपराधीने एक मनुष्यके साथ वह इक़रार किया कि वह मनुष्य अपराधीकी गाड़ीपर अपना माल एक नियत समयतक जहां चाहे वहां लेजाय, और फिर अपराधीने अपनी गाड़ी नदी— तजवीज़ हुई कि अपराधीके अपराधका दफ़ा ४९० से सम्बंध न था । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द ९ सफ़ा १२)

(४९१) जो कोई मनुष्य, जिसपर नीतिपूर्वक क़ौल क़रारके अनुसार किसी ऐसे मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवश्यकीय वस्तुओंका पहुँचाना उचित है जो कम अवस्थाके कारण अथवा सिड़ी होजानेके कारण अथवा रोग या शरीरकी दुर्बलताके कारण असमर्थ है—अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न करने या जो बस्तु उसे चाहिये उसके प्राप्त करनेके अयोग्य है, जानबूझ कर ऐसा करनेमें चूक करे, तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद तीन महीनेतक होसकती है अथवा जुर्माने का दण्ड जो दो सौ रुपये तक होसकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

असमर्थ मनुष्यकी टहल करने, और जो वस्तु उसके लिये अवश्य चाहिये उसके पहुँचानेके, क़ौल क़रारको तोड़ना ।

टीप—दफ़ा ४९० के अनुसार है ।

(४९२) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीतिपूर्वक लिखे हुए क़ौल क़रार के अनुसार किसी और मनुष्यके लिये दस्तकार या कारीगर या मजदूरकी रीतिसे किसी समय तक, जो तीन वर्षसे अधिक न हो, ब्रिटिश इंडियाके भीतर किसी ऐसे स्थानमें काम करना उचित है, जहां वह उस कौलकरारके अनुसार उस मनुष्यके खर्चसे पहुँचाया गया हो अथवा पहुँचाए जानेको हो, उस मनुष्यकी नौकरी परसे उस क़ौलक़रारकी मीआदके भीतर जानबूझकर भाग जाए अथवा विना किसी उचित कारणसे उस नौकरीके करनेसे नाहीं करे जिसके करनेका उसने क़ौल क़रार किया हो और वह नौकरी उचित अथवा योग्य हो, तो उस को दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद

किसी दूर देशमें नौकरी करनेके क़ौलक़रारको तोड़ना, जहां नौकर मालिकके खर्चसे पहुँचाया गयाहो.

एक महीनेसे अधिक न हो अथवा जुर्मानेका दण्ड जिसकी तादाद उस खर्चेकी दुगुनी तादादसे अधिक न हो या दोनों दण्ड दिये जावेंगे सिवाय उस अवस्थामें कि जब यह बात पाई जावे कि नौकर रखनेवालेने उसके साथ बदसलूकीकी हो अथवा अपनी ओरसे कौल कराकार वादा पूरा करनेमें भूल की हो ।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम समन (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है ।

१—दफ़ा ४९२ का जिसके अनुसार दस्तकार, कारीगर या मज़दूरको नौकरीके कौल करारका तोड़ना अपराध है, वरऊ नौकरोंसे सम्बन्ध नहीं है। (पंजाब रिकार्ड नं० २० सन् १८७६ ई०)

अध्याय बीसवाँ.

उन अपराधोंके वर्णन में जो विवाहसे सम्बन्ध रखते हैं ।

संभोग, जो किसी पुरुषने नीतिपूर्वक विवाहका धोखा देकर कियाहो.

(४९३) प्रत्येक ऐसे पुरुषको, जो किसी स्त्रीको जिसका नीतिपूर्वक विवाह उस पुरुषके साथ न हुआ हो, धोखा देकर यह निश्चय कराए कि उस स्त्रीका नीतिपूर्वक विवाह उसके साथ हुआ है, और उस निश्चयके द्वारा वह अपने साथ उस स्त्रीका संभोग अथवा मैथुन करनेका कारण होवे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो सकती है और वह जुर्मानेके भी योग्य होगा ।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) गैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

स्त्री अथवा पतिके जीते जी दुबारा विवाह करना.

(४९४) जिस किसीकी स्त्री या पति जीवित हो और वह उस अवस्थामें विवाह करे कि जिसमें ऐसा विवाह उस स्त्री या पतिके जीवित रहनेके कारण रद्द हो जावे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा ।

छूट.

यह दफ़ा ऐसे मनुष्यसे सम्बन्ध न रक्खेगी जिसका विवाह ऐसी स्त्री या पतिके साथ किसी अदालत मजाज (समर्थ न्यायालय) के न्यायसे रद्द कर दिया गया हो,

और न ऐसे मनुष्यसे यह दफ़ा सम्बन्ध रक्खेगी जो अपने पहिले पति या स्त्रीके जीते जी विवाह करे यदि वह पति या स्त्री उस पिछले विवाहके समय सात वर्षकी मीआद तक बराबर उसके पाससे बिछुड़ा रहा हो या रही हो और न उसने उस समय के बीचमें कभी सुना हो कि वह जीवित है—परंतु नियम यह है कि पिछला विवाह करनेवाला या करने वाली विवाह होनेसे पहिले उससे जिसके साथ विवाह करे सब वृत्तांत सत्य २ जहांतक जानता या जानती हो कह दे—

टीप—(१) अदालत सेशन (२) अपराधीके नाम वारण्ट (३) गैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—क़ैदीने अपनी स्त्रीके जीतेजी एक दूसरी स्त्रीके साथ व्याह करनेके मध्ये इश्तिहारात (विज्ञापन) जारी किये और मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलने उसको दूसरे विवाहके उद्योगमें अपराधी ठहरा कर दफ़ा ४९४ व ५११ के अनुसार सेशन सिपुर्द किया—और सेशन जज आगरेने उसको तीनवर्षकी कड़ी क़ैदका दण्ड दिया—हाईकोर्टने तजवीज़की कि विज्ञापनका देना विवाह करनेकी तैयारीमें दाख़िल था परन्तु उद्योगकी सीमातक न पहुँचता था। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफ़ा ३१६)

२—यदि किसी कम अवस्था वाली (नाबालिग़) मुसलमान स्त्रीका दूसरा विवाह उसके अव्वल पतिके जीतेजी, उस स्त्रीका रक्षक किसी मनुष्यके साथ करदे तो उसपर दफ़ा ४९४ व दफ़ा १०९ का अपराध नहीं ठहराया जा सकता। (इ० ला०रि० कलकत्ता जिल्द ४ हिस्सा १० नं० ३७९)

३—खानदेशके रहनेवाले एक राजपूतने अपनी स्त्रीको तलाक़नामा (दस्तावेज़ छोड़ छुट्टी) लिख दिया—परन्तु उसमें कोई उचित कारण न लिखा, इसलिये वह दूसरा विवाह करने वाला राजपूत दफ़ा ४९४ का और विवाह कराने वाला पुरोहित दफ़ा १०९ व ४९४ के अपराधमें सहायता करनेका अपराधी हुआ। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ६ सफ़ा १२९ नं० १७८)

४—यदि कोई हिन्दू स्त्री मुसलमानीमत स्वीकार करले, तो उसके मुसलमान हो जानेसे उसका विवाह उसके पतिसे रद न हो जावेगा इसलिये वह अपने पतिके जीतेजी कोई दूसरा नीतिपूर्वक विवाह नहीं कर सकती, अतएव किसी मुसलमानके साथ निकाह करना हिन्दुस्थान के दण्डसंग्रहकी दफ़ा ४९४ के अपराधमें गिना जायगा। (इ०ला०रि० बम्बई जिल्द ४ सफ़ा३३०)

५—एक कम अवस्था वाली (नाबालिग़) मुसलमान लड़कीका विवाह उसकी माने (क) के साथ कर दिया, लड़कीके युवा (बालिग़) होनेसे पहिले (क) जेलख़ाने चलागया, इस समयके बीचमें लड़की युवा हुई तब उसने (ख) के साथ विवाह कर लिया—इतनेमें (क) जेलखानेसे छूट आकर लड़की और (ख) के नाम दूसरा विवाह करलेनेके अपराधमें नालिश की—तजवीज़ हुई कि शिया व सुन्नी दोनों मतोंमें लड़कीको यह अधिकार है कि वह युवा होनेपर अपने निकाहको क़ायम रक्खे अथवा न रक्खे—इसलिये लड़कीने युवा होनेपर अपने पहिले निकाह को स्वीकार नहीं किया अतएव कोई अपराध नहीं है। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ७९)

६—ताज़ीरात हिंदकी दफ़ा ४९४ के अनुसार अपराधीका दण्ड नहीं ठहर सकता, उस अवस्थामें कि जब गवाहीसे यह प्रमाणित हो जावे कि उस क़ौमके चलनेके अनुसार सगाई या निकाहका विवाह उचित होता है, जब कि पति अपनी स्त्रीको छोड़ देवे। (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफ़ा ६२७)

यही अपराध पहिले विवाहका उससे जिसके साथ पिछला विवाह हुआ छिपाकर करना.

(४९५) जो कोई मनुष्य पहिले विवाहका वृत्तांत उससे छिपा रखकर जिसके साथ वह पिछला विवाह करता है उस अपराधका अपराधी हो जिसका वर्णन इसके ऊपरकी पिछली दफ़ामें किया गया है, उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसीप्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दश वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) दस्तन्दाज़ी पोलीस नहीं है (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

नीतिपूर्वक विवाह करनेके बिना छलके साथ विवाहकी रीतिको पूरा करना.

(४९६) जो कोई मनुष्य अधर्मईसे अथवा छलके अभिप्रायसे विवाहकी रीति भाँतिको पूरा करे, यह जानकर कि उसके द्वारा उसका विवाह नीतिपूर्वक नहीं ठहर सकता, उस मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है और वह जुर्मानेका भी देनदार होगा।

टीप—(१) अदालत सेशन (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है।

१—दफ़ा ४९६ के अपराधमें इस बातका प्रमाणित होना अवश्य है कि अपराधीकी इच्छा छल करनेकी थी, केवल अपने घरमें ही विवाहकी रीति भाँतिका पूरा करना—अनुचित विवाहमें सहायता करनेके अपराधकी सीमातक नहीं पहुँचता। (वीक्ली रिपोर्टर इस्पेशल सीज़र सफ़ा १३)

व्यभिचार.

(४९७) जो कोई मनुष्य किसी ऐसी स्त्रीसे जो किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है या जिसको वह जानता अथवा जाननेका कारण रखता है कि वह किसी दूसरे पुरुषकी स्त्री है, बिना प्रसन्नता अथवा सम्मति उस पुरुषके सम्भोग करे और वह सम्भोग बलपूर्वक व्यभिचारके अपराधकी सीमातक न पहुँचे तो वह मनुष्य व्यभिचारके अपराधका अपराधी होगा और उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद

ब्रह्मा कहते हैं, हे भगवन् ! महा अद्भुत इस मंत्र रत्नका सबसे प्रथम आपने किसकूं उपदेश किया था ॥ श्रीमन्नारायण बोले कि हे ब्रह्मन् ! सुंदर ऐसा जो हमारा वैकुंठ पुर है, तिस वैकुंठ हमारे अंतःपुर विषे इस सनातन मंत्रकूं सबसे प्रथम मैंने लक्ष्मीकूं दिया था इति ॥

सर्वमंत्रफलान्यस्य विज्ञानेन भवंति वै ।
ऋष्यादिकं करन्यासमंगन्यासं च वर्जयेत् ॥
सर्वपापक्षयकरं सर्वपुण्यविवर्द्धनम् ।
श्रीकरं लोकवश्यं च सद्यः संसारतारकम् ॥
मानसं वाचिकं पापं कायिकं च त्रिधा कृतम् ।
द्वयस्मरणमात्रेण नाशं याति सुनिश्चितम् ॥
द्वयोपदेशपूर्वेण सर्वकर्म समाचरेत् ।
द्वयाधिकारी न भवेत्सर्वमंत्रेषु नार्हति ॥

अर्थ–हे ब्रह्मन् ! इस मंत्रके जानने करके सर्व मंत्रोंके फल उदय होते हैं, और इस मंत्रकूं जपनेवाला पुरुष इस मंत्रके ऋष्यादिककूं तथा करन्यासकूं और अंगन्यासकूंभी न करे ॥ फिर यह मंत्र कैसा है कि, ब्रह्महत्या, गोहत्या, भ्रूणहत्या, स्त्रीहत्या, आदिक सर्व पापोंका क्षय करनेवाला है, तथा सर्व पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला है, तथा शोभा और संपत्तिकूं करनेवाला है, तथा तत्काल संसारका तारक है और हे ब्रह्मन् ! मन करके करा लोकोंकूं वश करनेवाला है, तथा वाचा करके करा हुआ तथा काया करके

टीप—(१) प्रेवं म० या म० अ० या म० दो० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधी के नाम वारण्ट (४) जमानत है (५) राजीनामा है ।

१—जब एक स्त्री जिसको उसके पतिने छोड़ दिया था अपनी प्रसन्नतासे अपराधीके साथ चली गई तो अपराधीपर दफ़ा ४९८ का अपराध नहीं ठहर सकता, क्योंकि अपराधीने उसको किसी प्रकारसे नहीं बहँकाया । (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ३५)

२—स्त्री भगा ले जानेके अपराधमें फ़रियादी (मुस्तग़ीस) व स्त्री व स्त्रीकी मांका बयान विवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण है । (इ० ला० रि० मद्रास जिल्द ९ सफ़ा ९)

३—अपराधीपर दफ़ा ४९८ के अनुसार यह अपराध लगाया गया कि वह एक स्त्री (अ) को जो उस समय (म) की स्त्री थी और अपराधी उसको (म) की स्त्री जानता था, उसके साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ले भागा—तजवीज़ हुई कि अपराधीने अपराध किया था, यद्यपि स्वयं उस स्त्रीने अपने ले भागनेके लिये अपराधीसे कहा था और अपराधी बहुत दिनों तक उस का कहना माननेसे नाहीं करता रहा था । (रिपोर्ट हाईकोर्ट मद्रास जिल्द २ सफ़ा ३३१)

४—अपराधीको दफ़ा ४९८ के अपराधमें इसलिये दण्ड न दिया गया कि फ़रियादीने नालिश करनेके पहिले अपनी स्त्रीको तलाक़ दे दी थी—(पंजाब रिकार्ड नं० २७ सन् १८७९ ई०)

अध्याय इक्कीसवाँ *



अपयश लगानेके विषयमें ।

(४९९) जो कोई मनुष्य शब्दोंसे जो उच्चारण किये गये हों अथवा जो पढ़े जानेके अभिप्रायसे हों अथवा चिह्नोंसे या प्रत्यक्ष चित्र इत्यादिसे किसी मनुष्यके मध्ये कोई जाल (तुहमत) लगावेगा या छापकर प्रगट करेगा इस अभिप्रायसे कि उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचे अथवा यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि, वह जाल उस मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाएगा तो सिवाय आगे लिखी हुई छूटोंके कहा जायगा कि उसने उस मनुष्यको अपयश लगाया ।

अपयश लगाना.

स्पष्टीकरण—१—किसी मरे हुए मनुष्यको कोई तुहमत लगानेसे भी अपयश लगाना हो सकेगा जब कि उस अपयशके लगानेसें उस मनुष्यके यशको जब कि वह

---

* कोई दण्ड अध्याय २१ सम्बन्धीका न्याय सताये (मज़लूम) मनुष्यकी नालिश होनेपर होसकता है (देखो ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० की दफ़ा १९८)

अदालतोंकोअधिकार है कि दफ़ा ५०२ का अपराध प्रमाणित होनेपर किताबों अथवा और वस्तुओंको जिनके कारण अपराध हुआ नष्टकर देनेकी आज्ञा दे—(ऐक्ट १० सन् १८८२ ई०कीदफ़ा ५२१)

जीवित होता हानि पहुँचती और उससे यह अभिप्राय हो कि उस मनुष्यके लड़के वालों अथवा नगीचेके नातेदारोंके मनको दुःख पहुँचे ।

स्पष्टीकरण-२–किसी कम्पनी या समाजको अथवा मनुष्योंके समूहको, जो कम्पनी या समाजकी रीतिसे इकट्ठा हुए हों, किसी बातकी तुहमत लगाना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण-३–दो अर्थवाले अर्थ शब्द कहकर अथवा व्याजस्तुति करके कुछ बातका कहना भी अपयशका लगाना हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण-४–किसी तुहमतके मध्ये न कहा जावेगा कि वह किसी मनुष्यकी नेकनामीको हानि पहुँचाता है, सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह तुहमत स्पष्ट रीतिपर या लौट फेरकर और लोगोंकी दृष्टिमें उस मनुष्यके सुचाल या बुद्धिमानीके कम होजानेका कारण हो, अथवा उसको जात पांत या व्यवहारमें बट्टा लगे अथवा उसकी साख बिगड़े अथवा इस बातके निश्चय किये जानेका कारण होवे कि उस मनुष्यका शरीर घृणित अवस्थामें या एक ऐसी अवस्थामें है जो बहुधा कलंकित गिने जानेका कारण है ।

उदाहरण ।

(क) शिवशंकरने कहा कि–रमाशंकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजाशंकर की घड़ी कभी नहीं चुराई–यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घडी चुराई है तो यह अपयशलगाना कहलावेगा सिवाय इसके कि छूटोंमेंसे किसी छूटमें आजाय ।

(ख) शिवशंकरसे पूछा गया कि, गिरिजाशंकरकी घड़ी किसने चुराई–शिवशंकरने रमाशंकरकी ओर इशारा किया, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि, रमाशंकरने गिरिजाशंकरकी घड़ी चुराई,–तो यह अपयशलगाना कहलावेगा–सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाय।

(ग) शिवनन्दनने यशोदानन्दनका एक ऐसा चित्र (तस्वीर) खींचा कि वह रामस्वरूप की घड़ी लिये भागा जाता है, यह निश्चय करानेके अभिप्रायसे कि–यशोदानन्दनने रामस्वरूपकी घड़ी चुराई है तो यह अपयशका लगाना है–सिवाय उस अवस्थामें कि, जब वह किसी छूटमें आजाय ।

किसी सच्ची बातकी तुहमत लगाना, जिसका लगाना अथवा प्रगट करना सर्व साधारणके लाभके लिये उचित है.

१-छट--किसी मनुष्यके मध्ये किसी सच्ची बातकी तुहमत लगानी अपयशका लगाना न कहलावेगा जब कि उसका लगाना अथवा प्रगट करना सर्व साधारणके लाभके लिये उचित हो–यह बात जांचना, कि इससे वास्तवमें सर्व साधारणका लाभ है या नहीं, उस समयकी जांचके आधीन होगी ।

२-छूट-शुद्धभावसे कुछ विचारांश (राय) किसी सर्वसम्बन्धी नौकरकी कार्रवाईके मध्ये अथवा उसके वर्त्ताव व चलनके मध्ये, वहीं तक जहां तक कि वह चलन उस कार्रवाईसे सम्बन्ध रखता हो प्रगट करदेना अपयश लगाना न कहलावेगा।

सरकारी नौकरका बर्त्ताव उसकी नौकरीकी रीतिपर.

३-छूट—किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढंगके मध्ये, जो सर्वसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित हो, और उस मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये, जहांतक कि वह चलन अथवा गुण उस कार्रवाईके ढंगसे प्रगट होता हो और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है।

सर्वसम्बन्धी कामके मध्ये किसी मनुष्यकी कार्रवाईका ढंग.

उदाहरण।

शिवशंकरका नीचे लिखी बातोंमें रमाशंकरके वर्त्तावके मध्ये कोई राय शुद्धभावसे प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है, अर्थात्, सर्व सम्बन्धी किसी कामके मध्ये गवर्नमेंटको अर्जी देनेमें, अथवा किसी सर्व सम्बंधी मामलेकी सभा होनेके लिये बुलावेके कागज़पर दस्तखत करने अथवा उस प्रकारकी सभाका मुखिया या साझी होनेमें अथवा सबसे सहायता मांगनेके लिये किसी सभाके जोड़ने या उसका साथी होनेमें, अथवा किसी ऐसे ओहदेके लिये, जिसका काम भली प्रकारपर करनेमें सर्व साधारण मनुष्योंके अभिप्रायका सम्बंध हो, किसी उम्मेदवारके चुनने के मध्ये राय देने अथवा उसके लिये औरोंसे राय प्राप्त करनेके मध्येमें;—

४-छूट—कोर्टआफ़जस्टिसकी किसी कार्रवाई अथवा उसकी कार्रवाईके फलके मध्ये पक्की रीतिपर सच्ची कैफ़ियतका प्रगट करना अपयश लगाना नहीं है।

कोर्टआफ़जस्टिसकी कार्रवाईकी कैफ़ियतको प्रगट करना.

स्पष्टीकरण—कोई जस्टिस आफ़ दी पीस या दूसरा अफ्सर जो खुली कचहरीमें तहक़ीक़ात कर रहा है, पहिले इसके कि वह मुक़द्दमा किसी कोर्टआफ़जस्टिसमें पेश हो, एक ऐसी अदालत है जो ऊपर लिखी दफ़ाके अभिप्रायमें गिनीजाती है।

५-छूट—दीवानी या फ़ौजदारीके किसी मुक़द्दमेकी व्यवस्थाके मध्ये, जो किसी कोर्टआफ़जस्टिसने निबटाया हो अथवा किसी मनुष्यकी कार्रवाईके ढंगके मध्ये, उसके किसी ऐसे मुक़द्दमेमें पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होनेकी रीतिसे या ऐसे मनुष्यके चलन अथवा गुणके मध्ये जहांतक कि, उसकी कार्रवाईके ढंगसे बेचलन अथवा गुण प्रगट होते हों, और न इससे अधिक, किसी रायका शुद्धभावसे प्रगट करना, अपयश लगाना नहीं है।

किसी मुक़द्दमेकी कैफ़ियत, जिसका निबटेरा कोर्ट आफ़जस्टिसमें हुआ अथवा गवाहों और और मनुष्योंकी कार्रवाईका ढंग जो उससे सम्बन्ध रखते हों.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर कहै कि मेरी समझमें रमाशंकरकी गवाही अमुक मुकद्दमेमें ऐसी बुरी है कि वह अवश्य मूर्ख अथवा अधर्मी है-तो शिवशंकर इस छूट में गिना जायगा यदि वह शुद्ध-भावसे यह बात कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर प्रगट करता है रमाशंकरके चलन व गुणसे सम्बंध रखती है जैसा उसकी कार्रवाईके ढंगसे गवाही होनेपर प्रगट होता है और न इससे अधिक-

(ख) परंतु यदि शिवशंकर यह कहै कि रमाशंकरने अमुक मुकद्दमेमें जो बयान किया है उसको मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि रमाशंकरका स्वभाव झूठ बोलनेका है तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये बयान करता है ऐसी राय है जो रमाशंकरकी गवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

किसी सर्व सम्बन्धी कामकी व्यवस्था.

६-छूट-शुद्धभावसे किसी सम्मतिका प्रगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्यें, जिसको किसी काम करनेवालेने सर्व साधारण की रायपर छोड़ा हो अथवा काम करनेवालेके चलन व गुणके मध्यें, जहांतक कि वे चलन व गुण उस कामसे प्रगट होते हों और न उससे अधिक, अपयश लगाना नहीं है ।

स्पष्टीकरण--कोई काम सब लोगोंकी रायपर या तो स्पष्ट रीतिसे छोड़ा जासकता है अथवा काम करनेवालेके ऐसे कामोंसे जिनसे सब लोगोंकी रायपर उस कामका छोड़ा जाना पाया जाता हो ।

उदाहरण

(क) वह मनुष्य जो किसी पुस्तकको छपवाए, उस पुस्तकको सर्व साधारणकी राय पर छोड़ता है ।

(ख) वह मनुष्य जो सब लोगोंके सामने कुछ बात कहता है, उस बातको सर्व साधारण की रायपर छोड़ता है ।

(ग) कोई भांड़ या गवइया जो सर्व साधारण जलसेमें अपना गुण प्रगट करे वह अपने खेल अथवा गानको सर्व साधारण की रायपर छोड़ता है ।

(घ) शिवशंकर किसी पुस्तकके मध्ये जो रमाशंकरने छपवाई है कहै कि रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खताकी है और इसलिये रमाशंकर अवश्य मूर्ख है अथवा रमाशंकरकी पुस्तक अश्लील (फ़हश) है और इसलिये अवश्य रमाशंकर निर्लज्ज (फाहिशुल अक़्ल) मनुष्य है तो शिवशंकर इस छूट में गिना जायगा-यदि वह यह बात शुद्धभावसे कहता है, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके मध्ये प्रगट करता है केवल रमाशंकरके चलन व गुण से सम्बन्ध रखती है जहांतक कि वे रमाशंकरकी पुस्तकसे प्रगट होते हैं न कि उससे अधिक;-

(ङ) परंतु यदि शिवशंकर यह कहै कि, रमाशंकरकी पुस्तक मूर्खता और निर्लज्जता की होनेका मुझे कुछ आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह मूर्ख और कामी मनुष्य है तो शिवशंकर इस छूटमें नहीं गिना जायगा, क्योंकि वह राय जो शिवशंकर रमाशंकरके चलन व गुणके मध्ये प्रगट करता है ऐसी राय है जो रमाशंकरकी पुस्तकसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

शिक्षादोष (लानत मलामत) जो शुद्धभावसे कोई ऐसा मनुष्य दे जिसको कानूनकी रीतिसे दूसरे पर अधिकार प्राप्त हो.

७–छूट–जिस मनुष्यको दूसरेपर कानूनकी रीतिसे अथवा किसी कौल करारके द्वारा जो उस दूसरेके साथ कानूनानुसार हुआ हो कुछ अधिकार प्राप्त हो उसकी ओरसे उस दूसरे मनुष्यकी कार्रवाईके मध्ये किसी बातमें जिससे उसका नीतिपूर्वक अधिकार सम्बन्ध रखता हो शुद्धभावसे कुछ दोष लगाया जाय तो वह अपयशका लगाना न कहलावेगा ।

उदाहरण ।

नीचे लिखे हुए मनुष्य इस छूटमें गिने जांयगे, अर्थात् कोई जज जो किसी गवाहको अथवा अपनी अदालतके किसी अहलकारको उसकी कार्रवाई पर शुद्धभावसे शिक्षादोष (लानत मलामत) लगाता हो–अथवा किसी सरिश्तेका हाकिम जो शुद्धभावसे अपने आज्ञाकारियों (मातहतों) को शिक्षादोष लगाता हो अथवा कोई मा या बाप जो अपने बालकको और बालकोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगावे अथवा कोई मास्टर (अध्यापक) जिसको किसी विद्यार्थीके मा बापकी ओरसे अधिकार प्राप्त हो, उस विद्यार्थीपर और विद्यार्थियोंके सामने शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो–अथवा कोई स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेमें सुस्त होनेके मध्ये शुद्धभावसे फटकारता हो अथवा कोई महाजन जो अपनी कोठीके खजानची (रोकड़िया) को उसके चलनके ढंगके मध्ये उसके रोकड़िये पनेके काममें शुद्धभावसे शिक्षादोष लगाता हो ।

शिकायत जो अधिकारी मनुष्यके सामने पेश की जाये.

८–छूट––शुद्धभावसे किसी मनुष्यकी शिकायत करनी किसी मनुष्यके सामने उन मनुष्योंमेंसे, कि जो उस मनुष्यपर शिकायतके विषयके मध्ये उचित अधिकार रखते हैं अपयशका लगाना नहीं है ।

उदाहरण ।

यदि शिवशंकर किसी मजिस्ट्रेटके सामने शुद्धभावसे रमाशंकरकी शिकायत करे अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरके चलनके मध्ये जो नौकर है उसके स्वामीसे शिकायत करे–अथवा यदि शिवशंकर शुद्धभावसे रमाशंकरका जो एक बालक है उसके चलनके मध्ये उसके बापसे शिकायत करे–तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा ।

९—छूट—किसी मनुष्य के चाल चलनके मध्ये तुहमत लगाना अपयश लगाना नहीं है जब कि वह तुहमत शुद्धभावसे तुहमत लगाने वालेकी या किसी और मनुष्यकी स्वार्थरक्षाके लिये या सर्व साधारणके लाभके लिये लगाई जावे ।

अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये अथवा सर्व साधारण के भलेके लिये किसी मनुष्यको शुद्धभावसे कुछ बात लगानी.

उदाहरण ।

(क) शिवशंकर एक दूकानदार रमाशंकरसे जो उसका कामकाज करता है कहे कि तुम गिरिजाशंकरके हाथ कोई वस्तु न बेचो सिवाय इसके कि तुमको वह रोक दाम दे क्योंकि मैं उसकी कुछ साखि नहीं मानता हूं—तो शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा यदि उसने यह तुहमत अपनी स्वार्थरक्षाके लिये शुद्धभावसे गिरिजाशंकर पर लगाई हो ।

(ख) शिवशंकर एक मजिस्ट्रेटने अपने ऊपरके अफसरके यहां रिपोर्ट करके रमाशंकरके चलनकी बुराई लगाई तो यहां शिवशंकर इस छूटमें गिना जायगा जब कि वह बुराई शुद्धभावसे और सबके भलेके लिये लगाई गई हो ।

१०—छूट—एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके मध्ये शुद्धभावसे सावधान कर देना अपयश लगाना न होगा जब कि वह सावधानीकी बात उस मनुष्यके भलेके लिये हो जिससे वह कही गई हो अथवा और किसी मनुष्यके भलेके लिये जिसमें उसका कुछ स्वार्थ हो अथवा सबके लिये हो ।

सावधान करना जिसमें उस मनुष्यका लाभ हो कि जिसे सूचना दी गई हो अथवा जिससे सर्व साधारण के लाभका अभिप्राय हो.

१—(म) को उसकी ज़ातवालोंने इस बातपर ज़ातबाहर कर दिया कि वह उसी ज़ातकी एक स्त्रीके साथ पकड़ागया—उसी ज़ातिके कुछ पंचोंने अपनी ज़ाति बिरादरी वालोंके यहां एक चिट्ठी भेजी जिसमें यह लिखा था कि (म) और उपरोक्त स्त्री जात बाहर कर दीगई बिरादरी वाले उन्हें अपने घरमें न रक्खें और न उनके साथखावें यह बयान दफ़ा ४९९ हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार अपयश लगाना था, इसलिये तजवीज़ हुई कि यदि उपरोक्त मनुष्य असावधानीके साथ ऐसे शब्द काममें लाए कि जो (म) से सम्बन्ध रखते थे तो उन मनुष्योंने अपनी दायित्वसे ऐसा किया और वह (म) को अपयश लगानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा नहीं बचसकते। (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ३ सफ़ा ६६४)

२—हिन्दुस्थानमें किसी एडवोकेट (वकील आदि) के विरुद्ध, किसी ऐसे शब्दोंके मध्ये जो उसने अपने ओहदेके अधिकारसे कहा हो दीवानी या फ़ौजदारी मुक़द्दमा नहीं चलसकता । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १० सफ़ा २८)

३—किसी समाचार पत्रका मेनेजर और एडीटर जो अपने समाचार पत्रमें अपयशसे भरा हुआ एक लेख एक शहरमें छापकर किसी दूसरे शहरमें अपने समाचार पत्रको भेजे, तो वह जबतक कि इसके विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न होवे उस दूसरे शहरमें अपयशसे भरे हुए लेखके प्रगट करनेका ज़िम्मेदार होगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १५ सफ़ा २८६)

४—अपराधी जो इन्स्पेक्टर पोलीस था इस बातकी जांचके लिये भेजागया कि ब्रजनाथ डाकुवोंका मुखिया है या नहीं—उसने रिपोर्टकी कि वह बात झूंठी है और गांवके बनिये ब्रजनाथको फँसाया चाहते हैं उसने यहभी लिखा कि मुझे गुप्त रीतिसे प्रगट हुवा है कि गांवमें ऐसी कोई बनियेकी स्त्री नहीं है जो एक या दो रात ब्रजनाथके पास न रही हो—हाईकोर्टकी यह तजवीज़ हुई कि जो कि अफसर पोलीसने यह रिपोर्ट उस अवस्थामेंकी थी जब वह अपना सरकारी कामकर रहा था और उसमें ऐसे बयान थे कि जो असावधानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं लिखे गये, इसलिये इन्स्पेक्टर पोलीसकी रिपोर्ट अपयश लगानेकी सीमातक नहीं पहुँचसकती बरन वह दफ़ा ४९९ की छूट ९ का लाभ उठासकता है। (बंगाल ला रिपोर्ट जिल्द ६ सफ़ा ४२)

५—किसी गवाहपर अपयश लगानेका अपराध उन बयानोंसे नहीं ठहराया जा सकता जो उसने गवाही देते समय गवाहीके कठहरेमें किये हों। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १७ सफ़ा ५७३)

६—जब किसी व्याही स्त्रीपर कुचालकी तुहमत लगाई जाय तो ऐसा कहा जावेगा कि उसका पति दुःख पाया हुआ मनुष्य है और मजिस्ट्रेट ऐसे पतिकी नालिशपर अपराधका विचार कर सकता है। (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १४ सफ़ा ३७९)

७—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहमें कहकर (वाक्य द्वारा) और लिखकर (लेख द्वारा) अपयश लगानेमें कोई अंतर नहीं रक्खा गया। (वीक्ली रिपोर्टर जिल्द २ सफ़ा ३६)

८—अपराधीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाली दी, इसलिये मजिस्ट्रेटने अपराधीको अपयश लगानेका दोषी ठहराया, हाईकोर्टसे तजवीज़ हुई कि प्रायः ऐसी गालियां लोग आपसके झगडेमें दिया करते हैं, इसलिये अपराधीपर दफ़ा ४९९ का अपराध नहीं ठहर सकता। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह फर्वरी सन् १८८३ ईस्वी सफ़ा ३६)

९—किसी मनुष्यका चित्र बनाकर ऐसे स्थानमें रखना कि जहां उसे सब कोई देखसकें और उसको उस मनुष्यके नामसे पुकारकर जूते मारना अपयश लगानेकी सीमातक पहुँचता है। (रिपोर्ट हाईकोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द २ सफ़ा ४३५)

(१०) अमीरहुसेन वकीलने अदालतमें यह कहा कि, रामगुलाम (विपक्षी, फ़रीक़सानी) का बाप घास छीलते २ मर गया था उसपर रामगुलाम बोला कि अमीरहुसेन वकालत करना क्या जाने कलतक वह और उसका बाप बिसाती रहे हैं और गलियोंमें टके २ का सौदा बेचते फिरा किये हैं—इस बात पर अमीरहुसेनने रामगुलामके ऊपर और रामगुलामने अमीर हुसेनके ऊपर फौजदारीमें अपयश लगानेके अपराधमें नालिशेंकी और वहांसे दोनोंपर जुर्माना हुआ—तजवीज़ हुई कि, ऐसी सूरतोंमें मजिस्ट्रेटोंको मुक़द्दमा कायम करनेसे इनकार करना चाहिये; नहीं तो सरकारी काममें बड़ी हानि होगी, जो कि दोनों ही मनुष्योंने अनुचित काम किया था, इसलिये जुर्मानेका रुपया वापिस होना चाहिये। (वीक्ली नोटिस इलाहाबाद किताब माह जुलाई सन् १८८३ ई० सफ़ा १६७)

११—अपराधी अपने साझीकी ओरसे एक मुक़द्दमा दीवानीमें निगरां हाल (तजवीज़की जांच किया जाना) था, उपरोक्त मुक़द्दमाके विचारके समय उसने जजमातहतको यह सूचना दी

कि, फ़रियादी उसके साझीके गवाहोंको उभारता है इसलिये उसको आज्ञा हो कि, वह अदालतमें बैठा रहे इसलिये जजमातहतने फ़रियादी (मुस्तग़ीस) को आज्ञा दी कि अदालतसे बाहर न जाय इसपर फरियादीने अपराधीपर मजिस्ट्रेट दर्ज्जा अव्वलके सामने अपयश लगानेका अपराध लगाया और मजिस्ट्रेटने भी उसपर अपराध ठहराकर २५) जुर्माना किया और यदि जुर्माना न चुकाया जावे तो एक महीनेकी साधारण क़ैदका दण्ड होनेकी आज्ञा दी; इसपर अपराधीने सेशन जज जिलाथानाको यह अर्जी दी कि, उसके मुक़द्दमेकी मिसल मँगाई जाय और फिर मुनासिब-हाल मालूम होनेपर फैसला किया जाय–इसलिये सेशन जजने वह मिसल मँगाई मिसल देखनेके बाद जजकी राय हुई कि अपराधीने तुहमत शत्रुता या अधर्मसे नहीं लगाई इसलिये इसका काम दफ़ा ४९९ की छूट नवींमें गिना जायगा अतएव उसने कोई भी अपराध नहीं किया–तजवीज़ हाईकोर्ट हुई कि, सेशन जजकी राय सही थी। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ९ सफ़ा २६९)

(५००) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात् अपयश लगावेगा उसको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

अपयश लगानेका दण्ड.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारंट (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है।

१–किसी मनुष्यको एक ऐसा नोटिस भेजना, कि जिसमें अपयश भराहुआ लेख लिखा हो, ऐसी तुहमत लगाने व प्रगट करनेके बराबर नहीं है, इस अभिप्रायसे कि जिस मनुष्यके मध्ये वह तुहमत लगाई जावे उसकी इज्जत घट जावेगी–इस मुक़द्दमोंमें अपराधीने डाकके द्वारा फरियादीको एक नोटिस भेजा जिसमें कुछ झूठी तुहमत लिखी थी–इस पर फरियादीने अपराधीपर दफ़ा ५०० के अनुसार फौजदारीमें नालिश की–तजवीज़ हाईकोर्ट हुई कि अपराधीपर दफ़ा ५०० का अपराध नहीं ठहर सकता। (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द १८ सफ़ा २०५)

(५०१) जो कोई मनुष्य किसी बातको छापे अथवा खोदकर लिखे, यह जानकर अथवा निश्चय करनेका उचित कारण रखकर कि वह बात किसी मनुष्यका अपमान करनेवाली है, तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

छापना अथवा खोदकर दिखाना किसी बातका, यह जानकर कि वह अपमान करने वाली है.

टीप–(१) अदालत सेशन या प्रे० म० या म० अ० (२) ग़ैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है।

बेचना किसी छपी हुई अथवा खुदी हुई वस्तुका जिसमें अपयश लगाने वाली बात हो.

(५०२) जो कोई मनुष्य किसी छपीहुई अथवा खुदीहुई वस्तुको, जिसमें कोई अपयश लगनेवाली बात हो, यह जानबूझकर कि इस में ऐसी बात लिखी है बेंचेगा अथवा बेचनेके लिये सामने रक्खेगा तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप—(१) अ० से० या मे० म० या म० अ० (२) गैर दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपराधीके नाम वारण्ट (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है ।

अध्याय २२.



दण्डयोग्य धमकी और अपमान तथा छेड़नेके विषयमें

दण्ड योग्य धमकी.

(५०३) जो कोई मनुष्य किसी और मनुष्यको उसके तन या यश या धनको अथवा किसी मनुष्यके तन या यशको, जिससे वह मनुष्य स्वार्थ रखता है, हानि पहुँचानेकी धमकी देवे, इस अभिप्रायसे कि उसको डरमें डाले अथवा उससे कोई ऐसा काम करावे जिसका करना क़ानूनके अनुसार उस पर उचित नहीं है अथवा उसे कोई ऐसा काम करनेसे चुकावे, जिसके करनेका उसे क़ानूनके अनुसार अधिकार है, जिससे कि ऐसे कामका करना या करनेमें चूकना उस धमकी की तकमील (पूरापन) के रुकावटके द्वारा हो तो कहा जावेगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्यधमकी दी ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे मरेहुए मनुष्यके कि जिससे धमकाया हुवा मनुष्य स्वार्थ रखता है, यशको हानि पहुँचानेकी धमकी, इस दफ़ामें गिनी जायगी ।

उदाहरण ।

शिवशंकरने रमाशंकरको किसी मुक़द्दमा दीवानीकी पैरवीसे रोकनेके अभिप्रायसे उसका घर जलानेकी धमकी दी, तो शिवशंकर दण्डयोग्य धमकीके देनेका अपराधी हुवा ।

१—अपराधीने एक नक़ली अर्ज़ी एक साहब कमिश्नरकी सेवामें भेजी जिसमें यह धमकी लिखी थी कि यदि जंगलका हाकिम दूसरे स्थानपर न बदलाजायगा तो वह मारडाला जावेगा—तजवीज़ हुई कि,—जो कि उस मनुष्यको जिसकी सेवामें अर्ज़ी भेजीगई थी कोई सम्बन्ध धमकाये

हुए मनुष्यसे न था--इसलिये उस पर हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ५०३ का अपराध नहीं ठहर सकता । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफ़ा ३७६)

२--हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ५०३ में कही हुई धमकी ऐसी धमकी होना चाहिये कि उसकी सूचना उस मनुष्यको होजावे जिसको धमकी दी जावे अथवा इस अभिप्रायसे धमकीका देना प्रगट किया जावे कि उसकी सूचना उपरोक्त मनुष्यको होजावे जिससे कि उस मनुष्यके मनमें प्रभाव उत्पन्न होजावे । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १५ सफ़ा ६७१)

सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेके अभिप्रायसे जानबूझकर अपमान करना.

(५०४) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यका अपमान करे और उसके द्वारा उस मनुष्यको उभारे, इस अभिप्रायसे अथवा इस बातका होना सम्भवित जानकर कि उस उभारनेके कारण वह मनुष्य सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डाले अथवा किसी और अपराधको करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप-(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ीपोलीस (३) वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है ।

(अ) ने (ब) को यहांतक गालियें दीं कि (ब) भयभीत होगया--तजवीज़ हुई कि जो कि (अ) ने (ब) को इतना उभारा कि उससे सर्व सम्बन्धी कुशलतामें विघ्न पडनेका भय था, इसलिये वह हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ५०४ का अपराधी था । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ११ सफ़ा ३५४)

विद्रोह कराने अथवा सर्व सम्बन्धी कुशलताके विरुद्ध कोई अपराध कराने के अभिप्रायसे झूँठी अफ़वाह आदिका उड़ाना.

(५०५) जो कोई मनुष्य कोई वर्णन या अफ़वाह या ख़बर जिसको वह झूँठ जानता हो फैलाए अथवा प्रगट करे इस अभिप्रायसे कि श्रीमती महाराणीकी स्थल अथवा जलकी सेनाके किसी अफ्सर या सिपाही या जहाज़के ख़ालसीसे विद्रोह करावे अथवा इस अभिप्रायसे कि सर्व साधारण मनुष्योंको भय अथवा घबराहटमें डाले और उसके द्वारा किसी मनुष्यको कुछ राज्य सम्बन्धी अपराध या सर्व साधारणकी कुशलतामें विघ्न डालनेका अपराध करनेके लिये बहँकावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

टीप--(१) प्रे० म० या म० अ० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारण्ट जारी होगा (४) ज़मानत नहीं है (५) राज़ीनामा नहीं है ।

(५०६) जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे उसको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

दण्ड योग्य धमकी देने का दण्ड.

और यदि मृत्यु अथवा भारी दुःख पहुँचानेकी अथवा अग्निसे किसी असबाबके नष्ट करनेकी अथवा किसी ऐसे अपराधके किये जानेकी जिसके बदलेमें दण्ड वध या देश निकालेका दण्ड या ऐसी क़ैद ठहराई गई है जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा किसी स्त्रीके मध्ये कुचालीकी तुहमत लगानेकी धमकी हो, तो दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दियाजावेगा जिसकी मीआद सात वर्षतक होसकती है अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

यदि वह धमकी मृत्यु अथवा भारी दुःख (ज़रर-शदीद) पहुँचानेके लिये हो.

टीप—(१) अ० से० या प्रे० म० या म० अ० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ीपोलीस (३) वारंट जारी होगा (४) ज़मानत है (५) राज़ीनामा है तथा नहीं है।

(५०७) जो कोई मनुष्य किसी बेनामकी मुखबरी करके या धमकी देनेवाले का नाम या रहनेका स्थान गुप्त रखनेका यत्न करके दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्यको सिवाय उस दण्डके जो उपरोक्त अपराधके लिये ऊपर लिखी हुई पिछली दफ़ामें नियत है दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद दो वर्षतक हो सकती है।

बिना नामकी मुखबरीके द्वारा दण्ड योग्य धमकी देना.

टीप—(१) अदालत सेशन या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारंट होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

(५०८) जो कोई मनुष्य जानबूझकर किसी मनुष्यसे कोई ऐसा काम कराए अथवा उसके कराने का उद्योग करे जिसका करना उसपर क़ानूनानुसार उचित न हो अथवा किसी ऐसे कामके करनेमें चूक कराए अथवा उसके चूक करानेका उद्योग करे जिसके करनेका वह क़ानूनानुसार अधिकारी है उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके लिये बहँकाने या बहँकानेका उद्योग करनेकेद्वारा, कि यदि वह मनुष्य उस कामको न करेगा जिसका कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है अथवा यदि उस काममें चूक न करेगा जिसका चूक कराना उस मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है तो अपराधीके किसी कामके द्वारा वह मनुष्य या कोई और मनुष्य जिससे वह स्वार्थ रखता है ईश्वरका

काम जो किसीको बहँकाकर दैवीकोपका निश्चय करानेसे कियाजाय.

कोप होगा या कराया जायगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोंमेंसे किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी मीआद एक वर्षतक होसकती है, या जुर्मानेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

उदाहरण।

(क) शिवशंकर रमाशंकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभिप्राय से कि ऐसे बैठनेसे रमाशंकरको ईश्वरका कोप होगा, तो शिवशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरको इसबातकी धमकी दी कि यदि शिवशंकर अमुक काम न करेगा तो रमाशंकर अपने बच्चोंमेंसे किसी एकको ऐसी अवस्थाओंमें मार डालेगा कि जिससे यहबात निश्चय की जावे कि उस मारडालनेसे शिवशंकर पर ईश्वरका कोप होजावेगा तो रमाशंकरने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफ़ामें किया गया है।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० या म० दो० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारण्ट होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करनेके अभिप्रायसे वचन कहना या सैन देना.

(५०९) जो कोई मनुष्य किसी स्त्रीकी लज्जाका अपमान करने के अभिप्रायसे कोई बात मुँहसे निकाले अथवा सैन दे या कुछ शब्दकरै या वस्तु दिखलाए. इस अभिप्रायसे कि वह स्त्री उस बात या शब्दको सुने अथवा उस सैन या वस्तुको देखे अथवा उस स्त्रीके परदेमें घुसजाए, तो उस मनुष्यको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद एक वर्षतक हो सकती है अथवा जर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) प्रे० म० या म० अ० (२) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (३) वारण्ट होगा (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

सर्व साधारणके सामने किसी मतवाले मनुष्यकी कुचाल.

(५१०) जो कोई मनुष्य नशेकी अवस्थामें सर्व साधारणके आने जानेके किसी स्थानमें अथवा किसी ऐसे स्थानमें आ निकले जहां उसका पहुँचना मदाख़लतबेजा (अनधिकार प्रवेश) है और वहां वह ऐसी रीतिपर वर्त्ताव करे कि उससे किसी मनुष्यको क्लेश पहुँचे तो उसको साधारण क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीआद चौबीस घंटे तक हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड जो दश रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे।

टीप—(१) कोई मजिस्ट्रेट (२) वारंट होगा (३) ग़ैर दस्तन्दाज़ी पोलीस (४) ज़मानत होसकती है (५) राज़ीनामा नहीं है।

अध्याय तेईसवाँ ।



अपराध करनेके उद्योगके विषयमें ।

उन अपराधोंके उद्योगका दण्ड जिनके लिये जन्म भरके देश निकाले या क़ैदका दण्ड ठहराया गया है ।

(५११) जो कोई मनुष्य किसी ऐसे अपराधके करनेका उद्योगकरे जिसके बदलेमें इस संग्रहके अनुसार जन्म भरके देश निकालेका दण्ड अथवा क़ैदका दण्ड ठहराया गया है अथवा जो ऐसे अपराधके हो जानेके कारण का उद्योग करे और ऐसे उद्योगमें, कोई ऐसा कामकरे जो उपरोक्त अपराधके होनेकी ओर झुकता हो तो उस अवस्थामें कि इस संग्रहमें ऐसे उद्योगका कोई विशेष दण्ड न ठहराया गया हो—उस मनुष्यको जन्मभरके देश निकालेका दण्ड या किसी प्रकारकी क़ैदका दण्ड दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहरायागया हो और उस जन्मभरके देश निकाले या क़ैदकी मीआद उस मीआदकी आधीतक हो सकती है जो उपरोक्त अपराधके लिये बड़ी से बड़ी मीआद ठहर ई गई है या उस जुर्मानेका दण्ड जो उपरोक्त अपराधके बदलेमें ठहराया गया है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ।

उदाहरण ।

(क) रमाशंकरने एक संदूक तोड़कर कुछ गहना चुरानेका उद्योग किया और इस प्रकार उस संदूकके खोलन पर उसको जानपड़ा कि उसमें कुछ गहना नहीं है तो यहां उसने एक ऐसा काम किया जो चोरीके अपराध की ओर झुकता है और इसलिये रमाशंकर इस दफ़ाके अनुसार अपराधी है ।

(ख) रमाशंकरने शिवशंकरकी जेबमें हाथ डालकर उसकी जेबमेंसे कुछ निकालनेका उद्योग किया—परंतु शिवशंकरकी जेबमें कुछ न होनेके कारण रमाशंकर इस उद्योगमें सफल न हुवा, तो रमाशंकर इस दफ़ाके अनुसार अपराधी है ।

टीप—(१) इस अपराधकी तजवीज़ वही अदालत करेगी कि जो उद्योग किये हुए अपराधकी तजवीज़ कर सकती है (२) यदि उद्योग किया हुवा अपराध दस्तन्दाजी पोलीसके योग्य हो तो इस अपराधमें दस्तन्दाजी पोलीस हो सकती है (३) वारण्ट या समन सबके पहिले जारी होगा जैसा कि उस अपराधके लिये कि जिसका उद्योग किया गया, वारंट या समन जारी होता (४) ज़मानत है, यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया, ज़मानतके योग्य हो (५) राज़ीनामा है यदि वह अपराध कि जिसका उद्योग किया गया राज़ीनामेके योग्य होवे ।

१—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ५११ ज्ञातवातके उद्योगके अपराधसे सम्बन्ध नहीं रखती जिसका दण्ड दफ़ा ३०७ में स्पष्ट रीतिपर लिखा है । इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १४ सफ़ा ३८)

२—हिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफ़ा ७५ ऐसी सूरतोंमें सम्बन्ध न रक्खेगी कि जो दफ़ा ५११ में आ सकते हैं-जो अपराध दफ़ा ५११ में दाखिल होवे उनका दण्ड बिना सम्बन्ध दफ़ा ७५ के होना चाहिये । (इ० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द १७ सफ़ा १२३)

३—जो बयान प्रश्नोत्तरकी भांति पुलीसके कर्मचारीके द्वारा दफ़ा १६१ ज़ाब्ता फ़ौजदारीके अनुसार तहकीक़ात पोलीसके समयमें किया जावे, इस्तहकाकी है और वह जड़ किसी अपयश लगानेके अपराध की सीमा तक नहीं पहुँच सकती । (इ० ला० रि० मदरास जिल्द १६ सफ़ा २३५)

४—किसी स्त्री पर यदि अनुचित आक्रमण किया जावे तो वह बलपूर्वक व्यभिचारके अपराध का उद्योग न होगा, जब तक कि अदालतको निश्चय न होजावे कि अपराधीने अपने दिलमें यह बात जान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जावे और चाहे कोई कैसी भी रोक करे, परन्तु वह उस स्त्रीके साथ व्यभिचार करेगा । (इ० ला० रि० बम्बई जिल्द ५ सफ़ा ४०३)

५—जो मनुष्य चोरीके अपराधमें दण्डित हुआ हो और यदि वह अपराधी चोरीके उद्योगमें फिरसे दण्ड पावे तो उसे बढा हुवा दण्ड दफ़ा ७५ के अनुसार न मिलेगा । (इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफ़ा ३५७)



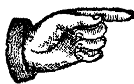
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

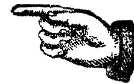
"श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्) प्रेस,—बंबई.

"श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्) यन्त्रालयकी परमोपयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तकें.

यह विषय आज २५।३० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्ष में प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्रालयकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं। सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वैद्यक तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषा के प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तैय्यार रहते हैं। शुद्धता, स्वच्छता तथा कागज़की उत्तमता और जिल्द की बँधाई देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपरभी दाम बहुतही सस्ते रक्खे गये हैं और कमीशन भी पृथक् काट दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असंभव है। संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्तकों के मँगानेमें त्रुटि न करना चाहिये..ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है)॥ आनेका टिकट भेजकर 'सूचीपत्र' मँगा देखो ॥



श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार.



(हिन्दीमें सबसे अधिक प्रचरित साप्ताहिक समाचारपत्र.)

राजनीतिक, सामाजिक, सनातनधर्मसंबंधी, व्यापार, शिल्प, कृषिशिक्षा और हिन्दीकी उन्नतिके विषयमें उत्तमोत्तम संपादकीय और अन्य २ सुलेखकोंके प्रस्तावोंसे विभूषित-इतिहास, साहित्य, राजा महाराजा, कवि, महात्मा, देशहितैषी-नरनारियोंके जीवनचरित्र और चित्रसहित प्रतिशुक्रवारको छपताहै। भारतवर्षके प्रायः सबही प्रदेशोंके अधिकतासे ग्राहक होनेके सिवाय-लङ्का, अमेरिका, इंग्लैण्ड और जर्मनीमेंभी इसके ग्राहक हैं-१ मई ९६ से प्रकाशित होनेलगाहै। केवल २॥) रु० मूल्यमें सुपर-रॉयल चारफॉर्म का सुन्दर चिकने कागजपर उत्तमोत्तम टाईपमें सफाईसे छपे हुए सुन्दर "समाचार" पत्रको पढ़कर संसार भरके नवीन २ समाचार जाननाहो तो शीघ्र ग्राहक होजाइये। अग्रिम मूल्य भेजनेवालोंको "उपहारमें" उत्तम पुस्तकें दीजातीहैं। मूल्य अग्रिम लियाजाता है।

खेमराज श्रीकृष्णदास,

प्रोप्रायटर "श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार" कार्य्यालय-बंबई.

क्रय्य पुस्तकें-(धर्मशास्त्रग्रन्थाः)

मनुस्मृति सटीक कुल्लूकभट्टकृत संस्कृत टीकासहित जिल्दबंधी. १-८

मनुस्मृति सान्वय भाषाटीका ग्लेज २-८

तथा रफ् २-०

व्रतराज अति उत्तम टिप्पणी-सहित जिसमें वर्षभरकी सब तिथियोंके व्रत उद्यापननिर्णय कथा हैं ४-०

व्रतराज टिप्पणीसहित रफ् ... ३-०

निर्णयामृत (अनेक प्राचीन ग्रन्थोंसे शुद्ध हुवा है) १-८

धर्मप्रदीपः-धर्मशास्त्रीय प्रमाण-संबद्धद्वादशमासीयतिथ्यादि-निर्णयग्रन्थः १-०

जयसिंहकल्पद्रुमःयत्रद्वादशमासीय-व्रतोत्सव निर्णयः (अत्युत्तमः) ५-०

स्मृतिरत्नाकर (धर्मशास्त्रका प्रामा-णिकग्रन्थ) २-०

प्रायश्चित्तनिर्णयः अग्निपुराणोक्तः ०-१॥

आशौचनिर्णयः अग्निपुराणोक्तः.... ०-१॥

अफ़जलुळ कानून- (कायदा फोजदारी राजपूताना) ... २-०

एकादशीतिथिव्रतनिर्णयः ०-४

जन्माष्टमीव्रतनिर्णयः ०-३

याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षरा पं० मिहिरचंदकृत पद, योजना, भावार्थ और तात्पर्यार्थ टिप्पणी तथा भाषाटीकासहित ... ५-०

धर्मसिंधु ३-०

धर्मसिन्धु भाषाटीकासमेत (छपता है).... ... ... ०-०

निर्णयसिन्धु टिप्पणीसहित अत्युत्तम ३-०

तथा रफ् कागज .... २-॥

निर्णयसिन्धु भाषाटीकासमेत (छपता है) ०-०

अष्टादशस्मृति उत्तम शुद्ध मोटा अक्षर २-०

विवादार्णवसेतु (धर्मशास्त्र व न्याय राजनीति हिंदू कायदा) २-०

बृहत्पाराशरीस्मृति.. (धर्मशास्त्र) १-०

पाराशरीस्मृतिका उत्तरखण्ड ०-४

शांतिमयूख. १-०

प्रपंचसारविवेक (इस जन्ममें मनुष्यका अवश्य कर्त्तव्य कर्म) १-०

दयानन्दतिमिरभास्कर भाषाटीका पं० ज्वालाप्रसादजीकृत(दयानन्दमतखण्डन) ३-०

विवादचिन्तामणि १-४

क्षौरनिर्णयसटीक. ०-४

क्षौरनिर्णय मूल.... .. .... ०-१

तिथिनिर्णय ०-२

प्रायश्चित्तेंदुशेखर ०-१०

आशौचनिर्णय..... .... ०-२

आशौचनिर्णय भाषाटीका ०-४

भवाब्धिसेतु भाषाटीकासहित ... ०-१२

वर्णविवेकचंद्रिका. ०-२

स्मृत्यर्थसागर माध्वसंप्रदायी धर्मशास्त्र वैष्णवोंको परमोपयोगी १-४

जाहिरात।

शुद्धिविवेक (सूतकोंसे शुद्धीका निर्णय) ०-८
दानचंद्रिका ०-१०
शांतिसार (सब प्रकारकी शान्ति हैं)... ... . १-४
आचारार्क. ०-१२
आचारादर्श ०-१२
प्रतिष्ठामयूख ... ०-६
सनातनधर्मदीपक भाषा(उदाहरणों-समेत) ०-८
मातृकाविलास (अकारसे लेकर सर्व अक्षरमात्रोंका अर्थ और तिनसे विस्तार पाकर बनेहुए अनेकप्रकारके वाणीमय सर्व मंत्रशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, संगीतशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धनुर्वेदशास्त्र, युद्धवर्णन आदि अनेक २ शास्त्रोंका स्वरूप वर्णित है)... २-८
शान्तिप्रकाश (समंत्रक अनेकप्रकारकी शांतिपद्धतियाँ एकत्रित हैं) १-४

राजनी[illegible]

शुक्रनीति भाषाटीकासहित (राजप्रबन्ध व नीति) १-८
भर्तृहरिशतक भाषाटीका (नीति, शृंगार, वैराग्य) १-०
चाणक्यनीति भाषाटीका दोहासहित जिल्द ०-८
पचतंत्रमूल १-८
पंचतंत्रभाषाटीका शिक्षा चातुर्यताकी सीढी २-०
विदुरनीति हिंदुस्थानी श्रीमहाराज धृतराष्ट्रको विदुरने उपदेश दियाहै यक्षप्रश्नोंके सह ०-४
विदुरप्रजागरराजनीति मारवाडीभाषा ०-८
विदुरप्रजागर राजनीति छंदबद्ध कविता देखनेही योग्य है ०-४
राजनीति पंचोपाख्यान भाषा.... ०-७
कुण्डलिया गिरिधररायकृत (सामयिक नीति वेदान्तसंयुक्त) अबकी बार दूनी होगई है ०-५
नीतिसंग्रह (सामयिक श्लोक पद्यटीकासमेत) ०-४
बेकनविचार रत्नावली-(नीति-शिक्षा) ०-८
भर्तृहरिकृत वैराग्यशतकम् (हरदयालकृत पद्यात्मक भाषया समेतं सटिप्पणीकम्) ०-१०
नीतिमनोरमा सटीक (नीतिके श्लोकोंकी टीका कवित्तोंमें वर्णित है) ०-६
ठहरो-अर्थात (उपदेशदर्पण) इसमें २०० शिक्षिक चुटकुले हैं ०-५
शुकसागर-अर्थात् भाषाभागवत लालाशालिग्रामजी कृत-इस पुस्तककी भाषा ऐसी सरल

जाहिरात ।

मनोरंजन बनाईगई है कि जिसको छोटे बडे सब भली भाँति समझ सक्ते हैं जगह २ पर दोहा, कवित्त, सवैया, भजनादि भी स्थलानुकूल हैं शंका समाधानभी उचित रीतिसे किया गया है और उपयोगी दृष्टान्त भी स्थलानुकूल डाले गये हैं अक्षरभी इतना बडा है कि जिसके पढ़नेमें नेत्रोंको बहुत कम परिश्रम पड़ता है इसका वजन भी पक्का १० सेर है सुन्दर विलायती कपड़ेकी जिल्द बँधी है कागज चिकना

नंबर १ .... १२—०

तथा उक्तसमस्त अलंकारोंसमेत

नं० २ .... १०—०

शुकसागर मध्यम अक्षर लाला-शालिग्रामकृत उपरोक्त सर्वालङ्कारोंसमेत ग्लेज .... ८—०

तथा—रफ् उपरोक्त ... . ७—०

शुकसागर उपरोक्त समस्त अलंकारोंसमेत छोटा अक्षर ग्लेज ५—०

" " तथा रफ् ४—०

शिवपुराण भाषा जिल्द बँधा ... ७—०

देवीभागवत भाषा ... . ६—०

हरिवंशपुराण भाषा ... ... ५—०

आनंदाम्बुनिधि भाषा महाराजारघुराजासिंहकृत ... . ८—०

रामाश्वमेध भाषा .... २—०

जैमिनीयअश्वमेध (छंदबद्ध) जिल्दबँधा .... १—८

मार्कण्डेयपुराण भाषा जिल्दबँधा ३—०

अध्यात्मरामायण भाषा .... २—०

भागवतसार भाषा .... १—०

हरिश्चंद्रोपाख्यान .... ०—६

इसके सिवाय सब पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र)॥ का टिकट आनेसे मुफ्त भेजा जाता है।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस, खेतवाडी—बंबई.

BOMBAY.